# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 9] दसवीं विधान सभा के नवें सत्र का पांचवां दिवस [संख्या : 5

शुक्रवार,

12 सितम्बर, 1997

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

## तारांकित प्रश्नोत्तर

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्नकाल। श्री रामनारायणजी डूडी।

**श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर)** : अध्यक्ष महोदय, भीनमाल के अन्दर हजारों की तादाद में.... (व्यवधान)

**श्री अमराराम (धोद)** : अध्यक्ष महोदय, एक महिला.... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : कोई अंकित नहीं होगा प्रश्नकाल में। प्रश्नकाल की अहमियत समझें। माननीय अमरारामजी, विराजिये आप।

**श्री अमराराम (धोद)** : × × ×

**श्री हीरालाल विश्नोई** : × × ×

**श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई)** : × × ×

**श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी)** : × × ×

**श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा)** : × × ×

**श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली)** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : विराजिये ओमजी। प्रश्नकाल।

**श्री हीरालाल विश्नोई** : × × ×

**श्री प्रतापसिंह सिंघवी (छबड़ा)** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : विराजिये। विराजिये। विराजिये। माननीय डूडी साहब।

**श्री हीरालाल विश्नोई** : × × ×

**श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)** : × × ×

**श्री रामकिशन वर्मा (रामगंजमंडी)** : × × ×

**श्री ओमप्रकाश शर्मा** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : आप विराज जाएं। मैं सभी को मौका देता हूं। प्रश्नकाल को तो चलने दीजिये। प्रश्नकाल में आते ही खड़े हो जाते हैं। सबको बोलने का मौका दीजिये।

**श्री रामनारायण मीणा** : × × ×

---

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री प्रद्युम्नसिंह मदान : × × ×

श्री ओमप्रकाश शर्मा : × × ×

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : विराजिये, अभी प्रश्नकाल चल रहा है। प्रश्नकाल में किसी प्रकार का व्यवधान उचित नहीं है। आप सब विराजिये।

माननीय डूडी साहब।

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

श्री प्रद्युम्नसिंह मदान : × × ×

श्री ओमप्रकाश शर्मा : × × ×

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल के बाद में। कोई आकाश नहीं गिर रहा अभी। कोई आकाश नहीं गिर रहा है। आप सब विराजिये। प्रश्नकाल को + + + बना रहे हैं। आप विराजिये।

माननीय डूडी साहब।

श्री हीरालाल बिश्नोई : × × ×

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

श्री ओमप्रकाश शर्मा : × × ×

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। मैं सबकी सुनूंगा, आप प्रश्नकाल होने दें।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : × × ×

श्री प्रद्युम्नसिंह मदान : × × ×

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। अभी बाद में बात करेंगे, पहले प्रश्नकाल होगा। पहले प्रश्न आने दीजिये। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री हीरालाल बिश्नोई : × × ×

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री ओमप्रकाश शर्मा : × × ×

श्री अध्यक्ष : कभी-कभी प्रश्नकाल में पांच मिनट की तो + + + ठीक लगती है। आप सब विराजिये।

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायणजी डूडी।

**जिला जोधपुर में निजी सामाजिक संस्थाओं को आवंटित भूमि**

113. श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सरकार द्वारा जिला जोधपुर में गत पांच वर्षों में निजी संस्थाओं व सामाजिक

---

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

③



(श्री रामनारायण डूडी)

संस्थाओं को कहां-कहां व कितनी-कितनी भूमि कब-कब आवंटित की गयी ? खसरा नम्बरवार सूची सदन की मेज पर रखें।

**राजस्व मंत्री** (श्री गंगाराम चौधरी) : जोधपुर जिले में दिनांक 01-01-92 से 31-12-96 तक 11 संस्थाओं को भूमि का आवंटन किया गया है। सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

**(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)**

**श्री रामनारायण डूडी** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपने जो सूची दी है, इसके अतिरिक्त कई सालों से कई संस्थाओं ने आपके विभाग से विद्यार्थियों के छात्रावास के लिए जमीन मांग रखी है, ऐसे कितने लम्बित प्रकरण आपके पास शेष हैं जिनमें अभी तक उन संस्थाओं को जमीन आवंटित नहीं की ? और नहीं की गयी तो क्या कारण हैं ? मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, पीपाड़ में माली समाज ने मांग रखी है, जाट समाज ने मांग रखी है और यह दस-दस, बारह-बारह साल से लम्बित प्रकरण हैं कृपया इसका स्पष्टीकरण करें कि उनको कब तक आवंटित कर दी जाएगी ?

**श्री परसराम मदेरणा** (नेता, प्रतिपक्ष) : यह ग्यारह संस्थाओं को आपने भूमि का आवंटन किया है। आपके सामने जैसा भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पीपाड़ सिटी के बहुत लम्बे अरसे से मामले हैं, समाज के लोगों ने वहां होस्टल बनाने के लिए चाही है, जिस पर लम्बे समय से उनका आक्यूपेशन भी है, पजेशन भी है, उसमे से कुछ छुड़ा भी दी गयी हैं, फिर राज्य सरकार के पास में भूमि अलाट करने के लिए पिछले दस साल से उनके आवेदन पत्र विचाराधीन पड़े हुए हैं, क्या उस पर विचार करके अनुमति देने का सरकार विचार रखती है ? जब इसी बिलाड़ा के अन्दर दूसरी संस्थाओं को दी गयी है, जिले में ग्यारह संस्थाओं को दी गयी है, पीपाड़ जैसे शहर में बाहर से आने वाले विद्यार्थियों के लिए, चाहे वह किसी भी समाज के हों, कई लोगों ने दिया है होस्टल बनाने के लिये, इसकी व्यवस्था नहीं होने की वजह से विद्यार्थी पढ़ाई से महरूम होते हैं और उनकी जिन्दगी अन्धकारमय बनती है। क्या राज्य सरकार इस पर विचार करके जो मैटर राज्य सरकार के सामने हैं और अभी जो अनिर्णीत पड़े हुए हैं, उन पर फाइनल निर्णय देने का और भूमि आबटन करने का विचार रखती है ?

**श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़)** : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा जातियों के आधार पर कहीं राजपुरोहितों को भूमि आवंटित हो रही है, कहीं मालियों को हो रही है, कहीं राजपूतों को हो रही है, कहीं जाटों को हो रही है। इस प्रकार से आप जातिवाद को बढ़ावा देने की नीयत से जिस तरह से भूमि आवंटन कर रहे हैं, क्या इस स्थिति को आप ठीक समझते हैं ?

**श्री गंगाराम चौधरी** : वैसे तो पीपाड़ के सम्बन्ध में अभी जानकारी चाही है, शेष अलग से प्रश्न हैं लेकिन मैं मेरी याददाश्त से निवेदन करना चाहूंगा, मेरे पास इस

(४)



(श्री गंगाराम चौधरी)

सम्बन्ध में रिकार्ड नहीं है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पीपाड़ में जो भी प्रश्न चल रहा है भूमि आवंटन का, पहले तो यह जमीन धारा 145 सी.पी सी. के तहत कुर्क कर दी गयी और अदालतों मे मामला चल रहा है। इसकी जानकारी हमने जिला कलक्टर से अलग-अलग समय पर की थी। जिला कलक्टर ने जो नगरपालिका पीपाड़ से जानकारी की, पीपाड़ नगरपालिका इस सम्बन्ध में एतराज कर रही है। यह एक काफी बड़ा टुकड़ा है। इसमें कुछ जमीन तो नगरपालिका को आवंटित कर दी, कुछ जमीन अभी तक पड़ी हुई है जिसमें माली समाज का और जाट समाज का, दोनों का ही बराबर-बराबर का कब्जा है लेकिन तकाजा दोनों का ही है, आपस में भी है और नगरपालिका का भी है। नगरपालिका की सीमा के अन्दर यह जमीन है, हालांकि राजस्व विभाग की है यह जमीन।

तो राज्य सरकार इसमें काफी प्रयास कर रही है और जिला कलक्टर से अन्तिम रूप से हमने यह जानकारी चाही है कि इस जमीन का पूरा नजरी नक्शा हमको भेजें कि किस जगह पर किस व्यक्ति का कब्जा है या कितनी जमीन पहले इस पूरे खसरे में आवंटित कर दी। नगरपालिका को भी बस स्टैण्ड के लिए आवंटित की है, उसका भी नक्शा मांगा है। यह सारी सूचना जिला कलक्टर से आने पर राज्य सरकार अवश्य इस सम्बन्ध में विचार करेगी।

दूसरा, जो प्रश्न माननीय खेतसिंहजी साहब ने पूछा, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर दूं कि जातियों को भूमि आवंटन करने के सम्बन्ध में अभी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक निर्णय दिया गया है और इस निर्णय में यह बात आई है कि जाति के आधार पर आप कन्सेशनल रेट पर भूमि आवंटन नहीं करें। राज्य सरकार पहले प्राइवेट संस्थाओं को भूमि आवंटित करती थी, हम 75 प्रतिशत तो नगरपालिका में लेते हैं और 50 प्रतिशत खेती की जमीन, दूसरी जगह पर कीमत से भी देते हैं। उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद में राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है कि जातियों को अगर भूमि आवंटित करें तो पूरी कीमत लेकर करें, और कृषि भूमि कन्सेशनल रेट पर नहीं करें, इस पर विचार-विमर्श चल रहा है।

## राजस्थान सहकारी दुग्ध विकास संघ का संचालन प्रकरण

114. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या दुग्ध विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राजस्थान सहकारी डेयरी महासंघ का संचालन एन. डी. डी बी को सौंपा गया है ? यदि हां, तो कब से और किन-किन शर्तों पर तथा क्या समझौता कब किया गया ? समझौते की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार को कोई राशि एन. डी. डी. बी. से लेनी बकाया है ? यदि हां, तो कितनी राशि कब से और क्यों तथा इसे कब तक वसूल कर लिया जायेगा ?

(श्री हरजीराम बुरडक)

(3) क्या यह सही है कि एन.डी.डी.बी. ने समझौते की शर्तों का पालन किया है ? यदि हां, तो किस प्रकार से और नहीं, तो किन-किन शर्तों का पालन नहीं किया गया तथा इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री अध्यक्ष** : यह बुरडक साहब का प्रश्न स्थगित है। मंत्रीजी बाहर पधारे हुए हैं, मीनमाल।

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री के बाहर रहने से, वह जवाब थोड़े ही हुआ ?

**श्री अध्यक्ष** : नहीं हुआ, चार दिन हो गये, विराजिये आप।

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : दूसरे मंत्री दे सकते हैं, सदैव देते आए हैं। (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक) : आप तो जानते हैं कि स्पीकर महोदय ने व्यवस्था दे दी है, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। स्पीकर महोदय संतुष्ट हैं।

**श्री परसराम मदेरणा** : We are not defying the ruling of the Hon'ble Speaker. प्रश्न यह था, आपकी रूलिंग शिरोधार्य है लेकिन कई दफा ऐसा हुआ है। गवर्नमेंट जोइंटली एंड सेवरली रेस्पांसिबल है। अगर कोई मंत्री किसी वजह से कहीं चले गये हों, किसी का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है तो भी वही मंत्री जवाब दे, यह जरूरी नहीं है। सरकार का कोई भी मंत्री सरकार की तरफ से उत्तर दे सकता है। हमेशा ऐसा हुआ है, कई दफा हुआ है। इसलिए अगर वो नहीं हैं तो सरकार को जवाब देना चाहिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जैसे प्रकाण्ड विद्वान यहां पर बैठे हुए हैं और फिर वे उत्तर नहीं दे सकते ? वे दे सकते थे इसका उत्तर। (व्यवधान)

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** (उप मुख्य मंत्री) : आप केवल उत्तर से ही संतुष्ट हो जाएं.... (व्यवधान) केवल उत्तर से ही संतुष्ट हो जाएं और उसमें कोई डिस्कशन नहीं करें तो दिया जा सकता है। (व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो पहला मौका है, मेरे ख्याल से आप दिखवा लीजियेगा, आसन से आपने यह व्यवस्था दी कि चूंकि मंत्रीजी हाउस में नहीं हैं या जयपुर में अवेलेबल नहीं हैं इसलिए इसको मैं स्थगित करता हूं। अन्यथा अध्यक्षीय व्यवस्था की ऐसी नजीर दूसरी आपको नहीं मिलेगी। मंत्री आपकी अनुमति से जाते हैं और वह दूसरी व्यवस्था करके जाते हैं, वह उनकी जगह काम करते हैं। अध्यक्षीय व्यवस्था आज तक कभी भी ऐसी नहीं हुई कि मंत्रीजी आज अवेलेबल नहीं हैं इसलिए इसका जवाब नहीं दिया जा सकेगा, इसको मैं स्थगित करता हूं। ऐसा कभी नहीं हुआ।

**श्रीमती कमला** (बैराठ) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

**श्री जगदीप धनखड़** (किशनगढ़) : लेजिस्लेचर की सुप्रीमेसी को आपने एक्जीक्यूटिव के हवाले कर दिया।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्रीमती कमला : इस सम्बन्ध में एडजार्नमेंट मोशन भी आपको दे रखे हैं और अगर आपने स्थगित कर दिया, यह विधान सभा भी खतम हो गयी तो फिर उसके बाद इसका कब नम्बर आएगा ? कम से कम आप यह बताइये कि 15 तारीख को निश्चित रूप से वह एडजोर्नमेंट मोशन भी और यह सवाल भी लगेगा। इस तरह का विश्वास सदन को दीजिये।

श्री अध्यक्ष : मैं अभी आपको दो-एक घंटे में बता दूंगा कि यह कब लग पाएगा।

श्री जगदीप धनखड़ : अत्यन्त किसान विरोधी गतिविधियां हो रही हैं।

श्रीमती कमला : दो-एक घंटे में क्या, दिन ही एक बचा है।

श्री अध्यक्ष : जी हां, मुझे पता है, आपका, कमलाजी का है।

श्री जगदीप धनखड़ : हम मानकर चलें कि 15 तारीख को इसको राइट प्रायोरिटी पर आप लिस्ट करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : हां, बिलकुल करा देंगे। विराजें आप।

श्री जगदीप धनखड़ : मंत्री हैं, या नहीं हैं, इस सरकार के मंत्री तो अलग-अलग बात करते हैं।

श्री अध्यक्ष : वे बाहर पधारे हैं। आप भी जानते हैं कि भीनमाल में सर्कम्स्टांसेज कैसी हैं। वे चार दिन से वहीं हैं, वो अप्रूव नहीं कर पाए इसलिए।

श्रीमती कमला : 15 तारीख का निश्चित रूप से सदन को आश्वासन दीजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मान लो, गवर्नमेंट इन्काम्पीटेंट है और भीनमाल की स्थिति पर काबू नहीं कर पाती है तो क्या विधान सभा सस्पेंड हो जाएगी ?

श्री अध्यक्ष : अब आप इधर-उधर की, साइडट्रेक क्यों कर रहे हैं ? मैंने कह दिया कि लगवा देंगे। विराजें आप। That's all. श्री शांतिकुमारजी धारीवाल।

श्रीमती कमला : फिर कुमारी बोल दिया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिन्डौली) : नहीं बोले। आप मेरे और अध्यक्ष महोदय के बीच में खवाहमखवाह में दरार डालना चाहते हैं। वो कुमार बोलते हैं हमेशा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री शांतिकुमार जी।

## जिला झालावाड़ की सड़कों का जीर्णोद्धार

115. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिन्डौली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में जिला झालावाड़ में सड़कों के पेच वर्क व मरम्मत हेतु कौन-कौनसे कार्य कितनी-कितनी राशि के खुली निविदाएं आमंत्रित कर दिये गये तथा इन्हीं दो वर्षों में

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

कौन-कौनसे कार्य कितनी-कितनी राशि के सीमित निविदाएं आमंत्रित कर करवाये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या पहली ही वर्षा में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों व पुलियाओं के बाबत जांच की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे ?

**सार्वजनिक निर्माण मंत्री** (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) वर्ष 1995-96 व 1996-97 में जिला झालावाड़ में सड़कों के पेच वर्क व मरम्मत हेतु खुली निविदाएं आमन्त्रित कर दिये गये कार्यों की सूची प्रपत्र "क" व "ख" में संलग्न है तथा सीमित निविदाएं आमन्त्रित कर कराये गये कार्यों की सूची प्रपत्र "ग" व "घ" पर संलग्न है ।

(2) पहली ही वर्षा में इस जिले में इस खड के अधीन कोई भी सड़क व पुलिया क्षतिग्रस्त नहीं हुई है । अतः जांच करना अपेक्षित नहीं था ।

**(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)**

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मेरे प्रश्न के पहले पार्ट का उत्तर चाहूंगा और सैकण्ड पार्ट के लिए मैं दोबारा से खड़ा होकर आपसे फिर उत्तर चाहूंगा ।

पहले पार्ट में आपने फरमाया कि 1995-96 व 1996-97 में जिला झालावाड़ में सड़कों के पेच वर्क व मरम्मत हेतु खुली निविदाएं आमंत्रित की गयी हैं जो कि प्रपत्र "क" और "ख" पर संलग्न है । आदरणीय मंत्रीजी, यह खुली निविदाएं जितनी भी आपने बतायी हैं, पहले तो यह बता दें कि कौनसी तारीख को कौनसे पत्र में इनको प्रकाशित किया गया ? एक बात ।

दूसरा मेरा सवाल पेच वर्क और मरम्मत बाबत है । आपके पूरे पी. डब्ल्यू. डी. के जो दीगर काम हैं, भवनों की मरम्मत हो, चाहे नये भवन बनाने हों और चाहे कुछ भी दूसरे काम करने हों, मुझे उनसे कोई लेना-देना नहीं है, मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि पेच वर्क और मरम्मत के लिए आपने कितनी खुली निविदाएं आमंत्रित की हैं, सड़कों पर ?

अब आपके द्वारा मुझे जो प्रश्न का उत्तर दिया गया है उसमें आपने जो खुली निविदाएं बतायीं हैं, अव्वल तो यह किसी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं हुई हैं और अगर बतायी हैं तो 1995-96 में आपने सिर्फ नौ लाख रुपये की खुली निविदाएं बतायी हैं जबकि वहां पर पेच वर्क के लिए बजट था 1995-96 में 2 करोड़ 50 लाख रुपये का । खुली निविदाएं आप नौ लाख रुपये की बताते हैं और बजट है पेच वर्क और मरम्मत के लिए 1995-96 में 2 करोड़ 50 लाख का । 1994-95 में बजट था 2 करोड़ 70 लाख का, 1995-96 में 2 करोड़ 50 लाख का था और 1996-97 में यह बजट 1 करोड़ 95 लाख का हो गया । खुली निविदाएं सिर्फ 9 लाख की हुई हैं ।

सीमित निविदाओं के बाबत आपने बताया....

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : +++

श्री अध्यक्ष : No Comments. इस शब्द को एक्सपंज करें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने जो मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है वह सिर्फ 1995-96 का दिया है जबकि मैंने आपसे 1996-97 का भी मांगा। आपने यह 1996-97 का दिया है वह बिलकुल खाली पन्ना पड़ा है। अब क्या पढ़ूं इसमें ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : निल है, वह लिखा है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बिलकुल नहीं है, खाली है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बन्द निविदाओं का निल लिखा है वह।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बंद कहां है यह तो पूरी ही किताब खुली हुई है। इस किताब को खोलने के लिए ही तो प्रश्न लगाया है मैंने। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : +++

श्री शांतिकुमार धारीवाल : +++

श्री अध्यक्ष : कृपया प्रश्न करें आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, 19 मई को डग में एक ताजिये का हादसा हुआ था। ट्रक में लोग ताजिये को दफनाने के लिए जा रहे थे और ऊपर के बिजली के तारों से वे चिपक कर मर गये। आदरणीय मुख्य मंत्रीजी वहां पहुंचे। जब वे डग पहुंचे तो उन्होंने वहां की सड़कों की हालत देखी और हालत देखकर उन्होंने जयपुर आकर सीधी सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को वहां की हालत बतायी। अध्यक्ष महोदय, उस पर राजस्थान पत्रिका ने यह बहुत बड़ा लेख लिखा है और सब कुछ लिखा है कि सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने....

श्री अध्यक्ष : यह आप क्या कर रहे हैं यहां ? मेरे को और भी प्रश्न लेने हैं। कम से कम 10 प्रश्न आने दीजिये आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरे तो, अध्यक्ष महोदय, दो ही मिनट हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : आप स्पेसिफिक प्रश्न पूछिये न, जो आपको पूछने हैं। +++ कोई मतलब नहीं है। धारीवालजी, Please, be specific. Now, be pointed.

श्री शांतिकुमार धारीवाल : स्पेसिफिक प्रश्न यही तो है। अगर ये करोड़ों रुपये के घोटाले का प्रश्न मैं नहीं पूछूंगा तो.... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : आप अकेले ही सदन नहीं चलायेंगे ? कई माननीय सदस्य सुबह आकर कहते हैं कि अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रश्न ही नहीं आते हैं। आप अपने स्पेसिफिक प्रश्न पूछिये।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल को कितनी देर हो गयी शुरू हुए ?

**श्री अध्यक्ष** : पूछिये आप । अखबार में यह हो गया, यों हो गया, स्पेसिफिक प्रश्न पूछिये आप ।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : अध्यक्ष महोदय, यह तो आएगा न । जब मुझे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया, इन्हीं का खुद का स्टेटमेंट है, आपका खुद का स्टेटमेंट है कि मैं इसकी जांच कराऊंगा और जब मैंने जांच की रिपोर्ट मांगी तो आप मना कर रहे हैं।

मेरा स्पेसिफिक प्रश्न यह है कि झालावाड़ के रेगूलर डिवीजन में कुल मिलाकर 600 किलोमीटर की सड़कें हैं और अगर एक किलोमीटर में पड़े हुए खड्डों का एरिया नापें तो मुश्किल से 1/10 किलोमीटर होता है। एक किलोमीटर में एक हजार मीटर, तो ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर का होता है । 100 मीटर की रिपेयर में जो खर्चा किया गया है, 100 मीटर का एरिया खड्डे का बनता है उसकी रिपेयर में मुश्किल से 60,000 रुपये का खर्चा होता है और इस प्रकार अगर 600 किलोमीटर में पूरे में खड्डे पड़ जाएं और हर किलोमीटर का एरिया निकाल लें 1/10 तो कुल मिलाकर सारा का सारा काम 60 किलोमीटर की सड़क का होता है । अगर सार्वजनिक निर्माण विभाग पूरे 60 किलोमीटर की सड़क पर पी. एम. सी. की एक लेयर भी बिछा दें तो खर्चा सिर्फ 60 लाख रुपये का आता है जबकि वहां पर पेच वर्क और मरम्मत में बजट एक साल 2 करोड़ 70 लाख, एक साल 2 करोड़ 50 लाख और एक साल 1 करोड़ 75 लाख दिया गया है आपके द्वारा । जिन पेच वर्कों में आपने कामों को स्पिलट करवाया....

**श्री अध्यक्ष** : विराजें आप ।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें कि आपने लम्बी दूरी की खुली निविदाएं क्यों नहीं करवायीं पेच वर्क बनवाने में ? टुकड़े कर-करके की ताकि इंजीनियर पचास-पचास हजार से नीचे आपकी सिफारिश पर और आपके कहने पर ठेकेदारों को ओब्लाइज करता रहे । उसका नतीजा यह निकला कि जब मुख्य मंत्रीजी ने इस बात पर ध्यान दिया तो आपने वहां के तीनों एक्स. ईएन. के तबादले इसलिए किये कि यह मामला रफा-दफा हो जाए । यह क्या वजह थी कि तीन कंस्ट्रक्शन कम्पनियां जो सिर्फ कोटा की हैं ...

**श्री अध्यक्ष** : आप प्रश्न पूछिये प्लीज । कोई भाषणबाजी नहीं । Not allowed. Sit down, Please.

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : मेरा स्पेसिफिक सवाल यह है कि इनको स्पिलट क्यों किया गया ?

**श्री अध्यक्ष** : माननीय मंत्रीजी ।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : आप यह बताइये....

**श्री अध्यक्ष** : विराजिये आप ।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : कैसे विराजूं, साहब ?

**श्री अध्यक्ष** : Not allowed.

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : मेरे सवाल का जवाब आना चाहिए।

**श्री अध्यक्ष** : I will not allow like this.

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : क्यों रिजेक्ट किया गया ?

**श्री अध्यक्ष** : No. I will not allow further. Please, sit down.

**श्री किशन गोपाल कोगटा** (मसूदा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यह तय करें कि एक विधायक एक प्रश्न पर कितने पूरक प्रश्न पूछ सकता है।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : जवाब आने दीजिये मेरा। मैं दुबारा प्रश्न पूछूंगा।

**श्री अध्यक्ष** : कृपया आप विराजें। कोगटा जी, No murmurring.

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : माननीय अध्यक्ष महोदय, बूंदी जिले से आने वाले माननीय विधायक अगर इस सूची को देखेंगे तो 1995-96 में यह कुल आइटम हैं 105, जरा देख लीजिये, सूची "क" और उसके बाद दूसरी सूची है जिसके बारे में खुली निविदाएं आमंत्रित की हैं, 1996-97 की दूसरी सूची है, इसमें टोटल नम्बर हैं 83। उसके बाद तीसरी सूची है जहां शोर्ट एन. आई. टी. करके, बिना निविदा के की गयी है। यह है 1995-96 की जिसमें आइटम हैं 55। उसके बाद 1996-97 की जो बिना निविदा आमंत्रित की है उसका है भिन्न, जिसका जो आप कागज बता रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत यह बताना चाहता हूं, यह बात सच है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी का दौरा हुआ था, यह बात सच है कि अप्रेल, 1997 में मुझे इसकी जानकारी मिली थी जिसकी जांच मैंने करायी। यह बात आप ठीक कह रहे हैं, टुकड़े-टुकड़े करके जिस प्रकार से आमंत्रित किये गये हैं। यह इमरजेंसी के लिये हैं, सामान्य रूप से करने की यह प्रक्रिया नहीं है। वहां के आफिसरों ने यह गलत प्रक्रिया की है। किन्तु मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, आपके साथ सहमति होने के कारण जो जांच हमने एस. ई. से करायी थी, उस समय मैं सन्तुष्ट नहीं था। इस दृष्टि से मैं निवेदन करना चाहता हूं आपकी जानकारी के लिए, झालावाड़ जिले में सड़कों के निर्माण और मरम्मत में गड़बड़ियों की शिकायत अप्रेल, 1997 में हमारे ध्यान में लाई गयी थी, राज्य सरकार द्वारा इस मामले की जांच के लिए एस. ई. और अति. मुख्य अभियन्ता को निर्देशित किया था। जो तथ्य मेरे सामने आए, उसमें जो आपने डिविजन करने की बात की है, मैं उससे बिलकुल एग्री हूं, स्पष्ट नहीं थे। मैं निश्चित रूप से करना चाहता हूं, छिपाना नहीं चाहता था, अतः मैंने यह निश्चय किया है कि इस सारे मामले की .. (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : You have a right but it does not mean that you should speak on all subjects.

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जांच एस. ई. से सम्भव नहीं है इसलिये उच्च स्तर पर नये सिरे से जांच करायी जाये। चीफ इंजीनियर (आर. वन) है, जो राजस्थान की रोड का काम देखते हैं, उनको यह काम कल मैंने दे दिया और एक महीने में वह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार से उनको अनुबन्धित कर दिया है।

माननीय सदस्य, मैं और क्लियर करना चाहता हूं। सरकार किसी तथ्य को छिपाना नहीं चाहती। लिमिटेड टेंडर्स और वर्क आर्डर देकर अथवा कामों को स्पिल्ट करके, जिसकी चर्चा आपने की है, टेण्डर्स मांगने की प्रक्रिया केवल आपातकालीन है और बहुत सीमित अवस्था में इसका उपयोग करने के विभाग के निर्देश हैं। इन निर्देशों का इसमें कई बार उल्लंघन हुआ है और अधिकारी मिलीभगत से या तो जानकारी में नहीं लाते या जानकारी नहीं मिलती इसलिए सुधार करने में कठिनाई होती है। अतः राज्य सरकार यह विचार कर रही है कि इन आपातकालीन अधिकारी की प्रक्रिया के स्थान पर ऐसी प्रक्रिया निर्धारित की जाये ताकि इसमें दुरुपयोग की सम्भावना को पूरी तरह नकार दिया जाये। माननीय सदस्य, मैं कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट है, आप ध्यान में लायें। माननीय मुख्य मंत्री लाये, मैंने स्वयं ने देखा, जांच करायी, आश्वस्त नहीं हूं, इसलिए एक महीने में जांच कराने का पूरा आश्वासन मैं आपको देता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खान।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरी सप्लीमेन्ट्री है। मैंने पहले ही कह दिया था कि पार्ट एक (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : No more supplementaries. एक महीने में सारी जांच हो जायेगी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अभी तो दूसरा पार्ट बाकी है।

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खान जी (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक मिनट, बता दूं। एक मिनट विराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक सैकण्ड, मैं दूसरा पार्ट पूछ लूं। (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक मिनट विराजें। वह बता दूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैंने पहले ही अर्ज कर दिया था कि मैं दूसरा पार्ट पूछूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया आप आधा घंटा मत लीजिये। हमेशा आप खड़े हो जाते हैं और + + + करते हैं। यह नहीं...(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : साहब, मेरा दूसरा पार्ट है। यह क्या बात हुई? मुझे दूसरा पार्ट पूछने का अधिकार नहीं है?

श्री अध्यक्ष : आप स्पेसिफिक प्रश्न पूछिये। Restrict your self.

---

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : स्पेसिफिक ही पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष : हां, पूछिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा सवाल यह था कि क्या दूसरे नंबर पर (व्यवधान) पार्ट-2, "क्या पहली ही वर्षा में क्षतिग्रस्त हुयी सड़कों व पुलियाओं की बाबत जांच की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? और यदि हां, तो क्या परिणाम निकले?" आपने उसका जवाब यह दिया कि पहली वर्षा में इस जिले में कोई सड़क व पुलिया क्षतिग्रस्त नहीं हुई। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह खुद माननीय मंत्रीजी का बयान है, जो अखबार में इन्होंने दिया कि पहली ही वर्षा में ये सड़कें बह गयीं और ये पुलियाएं बह गयीं, इनकी मैं उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा। यह 22 अगस्त, 1996 की बात है।

दूसरी बात, आपकी निगाह में यह फोटो लाना चाहता हूं, यह पिछली साल पुलियाएं बनीं जो पहली वर्षा में ही बह गयीं। आप इसका जवाब देने की कृपा करें। आखिर क्या कारण थे कि एक साल तो बजट 2 करोड़ 75 लाख का था, दूसरी साल बजट 2 करोड़ 50 लाख का हुआ और आज घटाकर आपने निविदाएं भी चालू कर दीं? मुझे खुशी है कि आपने अब खुली निविदाएं चालू कर दीं पेच वर्कों की ..

श्री अध्यक्ष : विराजिये। बहुत अच्छा, आपको खुशी है तो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आपने मेरा सवाल लगने के बाद में इसकी जांच को तवज्जोह दी। लेकिन मुझे यह बताने की कृपा करें कि यह जो तीन कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं-एक तो श्वेता कंस्ट्रक्शन कंपनी, दूसरी हाडू कंस्ट्रक्शन कंपनी और तीसरी सर्वेश कुमारी माहेश्वरी कंपनी, यह तीनों कोटा की हैं, आपके बहुत नजदीक हैं। (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह आप क्या बात कह रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सारे ठेके इनको क्यों दिये?

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : राजस्थान मेरा... (व्यवधान) क्या बात कर रहे हैं आप?

श्री अध्यक्ष : विराज जाएं। जवाब सुनें आप। जवाब सुनें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : (व्यवधान) करोड़ों रुपये के ठेके इस कंपनी को दिये गये ..

श्री अध्यक्ष : विराजें विराजें। विराज जाएं। मंत्रीजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जिसमें जबरदस्त गोलमाल हुआ। जब मुख्य मंत्री की इस पर नजर पड़ी और जब मुख्य मंत्री जी को यह मालूम हुआ तो उन्होंने आप से जांच करवाने का आदेश दिया।

श्री अध्यक्ष : विराजें। अब विराजें।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : आज तो बात आप हाउस में कह रहे हैं, वह तो.... (व्यवधान) कह सकता हूं लेकिन मेहरबानी करके यह काम बंद कीजिये। यह बन्द कीजिये।

**श्री अध्यक्ष** : धारीवाल साहब, विराजें आप। अब आप जवाब सुनें। कृपया दूसरों के प्रश्न भी आने दें आप। विराजें आप।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तीन बातों की चर्चा कर रहे हैं। पुलियाओं के निष्पादित कार्यों में पहली वर्षा में कोई भी कार्य क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं कि यह जांच का परिणाम प्राइमरी डिटक्ट करने के बाद हुआ। साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि 1996–97 की अतिवृष्टि के कारण झालावाड़–खानपुर मार्ग पर कालीसिंध की पुलिया पर 22 से 24 फीट पानी ऊपर बहा, इस कारण से स्लेब के ऊपर का वियरिंग कोट क्षतिग्रस्त हुआ था लेकिन पुलिया के ढांचे को कोई क्षति नहीं हुई और पुलिया के ऊपर से पानी उतरते ही यातायात सुचारू रूप से चालू हो गया। उक्त पुलिया रियासत काल की बनी हुयी है जिसके आर्केड्स को तोड़कर उस पुलिया को दो फीट ऊंचा करके आर. सी. सी. स्लेब से ढका गया था। 1996–97 की अतिवृष्टि में मण्डावर–तीन धार-बकानी मार्ग, किलोमीटर 16–17, में अतिरिक्त पानी आ जाने के कारण पुलिया की तरफ से विंगपाल को नुकसान हुआ था लेकिन यातायात पानी उतरते ही प्रारंभ हो गया था। खानपुर–पनबाड़ा मार्ग पर खरड नदी का खरंजा जो कि चार-पांच वर्ष पूर्व बना था, उसको 1996-67 में क्षति पहुंची थी। इसलिए यह कहना कि अगले साल ही हो गया है, यह गलत है, असत्य है। फिर भी मैंने कहा कि यह जो दूसरा सवाल किया है इसको भी उस जांच की परिधि में लाऊंगा, यह मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा।

कोटा की तीन फर्में बताकर मेरे नाम की चर्चा कर रहे हैं। क्षमा करिये, आखिर झालावाड़ ऐसा जिला है, वहां कितने कांट्रेक्टर किस प्रकार के हैं, राजस्थान भर के सब कांट्रेक्टर्स जाते हैं और आजकल तो नेशनल बिड आमन्त्रित की जाती हैं, माननीय सदस्य, आपसे यह अपेक्षा मुझे नहीं थी कि इस प्रकार का एलीगेशन लगाने की कोशिश करेंगे आप। (व्यवधान) इस प्रकार चर्चा करके।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : इन तीनों फर्मों को जो काम अलाट किया है, वह आपका.. (व्यवधान)

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : हां, तो है। (व्यवधान)

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : और यह करोड़ों-अरबों की .. (व्यवधान) आप खुद देख लो। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : श्री जुबेर खान जी। धारीवाल साहब, आप विराजें।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : आप कहो तो इसको सदन के पटल पर रख दूं... (व्यवधान)

श्री भरतसिंह (खानपुर) : अध्यक्ष जी, मैंने आपको लिखित में भेजा है इस प्रश्न के बारे में।

मंत्रीजी, झालावाड़ जिले की बात है।

श्री अध्यक्ष : आपने जो मुझे लिखकर भेजा है, वह तो जीरो आवर के लिए भेजा है।

श्री भरतसिंह : नहीं साहब, मैंने प्रश्न संख्या 210 के लिए लिखा है।

श्री अध्यक्ष : भरतसिंह जी, पूछ लीजिये आप भी। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : बहुत हो गया। अब दूसरे प्रश्न भी आने दें।

श्री भरतसिंह (खानपुर) : माननीय मंत्रीजी से मैं जानना चाहूंगा कि आपने प्रश्न के भाग-2 में जो उत्तर दिया है, आपने बताया है कि पहली वर्षा में इस जिले की कोई भी सड़क या पुलिया क्षतिग्रस्त नहीं हुयी, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं ... (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पिछले साल की।

श्री भरतसिंह : पिछले साल की। खानपुर पंचायत समिति की पंचायत मुख्यालयों की सड़क आपने बनायी, उसमें दोबड़ा पंचायत को सड़क क्षतिग्रस्त हुई है या नहीं ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मेरा निवेदन यह है कि दो पंचायतें बताई हैं, मैंने कहा, जांच के रिफमर में यह भी बात आ जायेगी। मेरी जानकारी में बिलकुल नहीं हुई है और यदि ऐसी तो जांच के अधिकार में आ जायेगी। उसका जवाब आपको दिया जायेगा।

श्री भरतसिंह : माननीय मंत्रीजी, मेरा निवेदन यह है कि अधिकारी आपकी जानकारी में सही तथ्य नहीं लाते, यही तो प्रश्न की बात है। उत्तर में ही अधिकारी आपको गुमराह करते हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उसी की ही तो जांच करा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री कुबेर खानजी।

## मेवात विकास बोर्ड हेतु स्वीकृत राशि

116. श्री कुबेर खान (रामगढ़) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला अलवर एवं भरतपुर के मेवात क्षेत्र की दस पंचायत समितियों के विकास के लिए सरकार द्वारा गठित मेवात विकास बोर्ड के माध्यम से विकास कार्य कराने हेतु वर्ष 1987 से लगातार राशि स्वीकृत की जा रही है ? यदि हां, तो अब तक कितनी राशि स्वीकृत की गयी ? विवरण वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1996-97 में मेवात विकास बोर्ड द्वारा विकास कार्यों के लिए कितनी राशि का व्यय किया जा चुका है ?

(श्री जुबेर खान)

(3) क्या वर्ष 1997-98 में मेवात विकास बोर्ड के लिए राशि स्वीकृत की गयी है ? यदि हां, तो कितनी और यदि नहीं, तो क्यों ?

**राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन श्री अनंग कुमार जैन)** : (1) जी, हां। वर्ष 1987-88 से 1996-97 तक मेवात क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत कुल राशि रुपये 1235 96 लाख स्वीकृत की गयी है तथा वर्ष 1997-98 हेतु रुपये 228.00 लाख का बजट प्रावधान रखा गया है। वर्षवार स्वीकृत की गयी राशि का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है।

(2) मेवात क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत वर्ष 1996-97 में राशि रुपये 334.42 लाख व्यय की गयी है।

(3) वर्ष 1997-98 में मेवात क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत रुपये 228.00 लाख का बजट प्रावधान रखा गया है।

**(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)**

**श्री जुबेर खान** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेवात विकास बोर्ड की एक गवर्निंग कौंसिल है उसकी साल में कम से कम दो बार बैठकें होनी चाहिये। मुख्य सचिव महोदय इसके सचिव होते हैं और मुख्य मंत्रीजी अध्यक्ष होते हैं। 1990 के बाद में आज तक कभी भी मीटिंग नहीं हुयी। अब मुख्य सचिव साहब अपने स्तर पर मीटिंग ले लेते हैं। 1996-97 की मीटिंग में 1996-97 के विकास कार्य मंजूर किये गये और एडवांस में, क्योंकि बैठक नहीं हो पाती है, मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में 1997-98 के वर्क भी सैंक्शन कर दिये गये ताकि समय पर कार्यवाही विभिन्न विभागों द्वारा, खासकर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा की जा सके। अब आपने सब जगह सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से एन.आई.टीज. करवा दीं और टेण्डर हो गये परन्तु आज तक भी गत वर्ष की उन सड़कों, जो इस वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकृत की गई थीं, के लिए कोई पैसा रिलीज नहीं किया है और उन पर कोई कार्य शुरू नहीं किया है। जो आलरेडी मुख्य सचिव स्तर से सैंक्शन हों, उन सड़कों पर एक-एक साल तक कार्य शुरू नहीं हो और पैसा नहीं दिया जाये, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जिन सड़कों पर एन.आई.टीज. लग चुकी हैं, उन सड़कों का कार्य कब से प्रारम्भ करवा दिया जायेगा वहां पैसा भिजवाकर ? प्रश्न नम्बर एक। इसके बाद दूसरा पूछूंगा।

**श्री अरुण सिंह (डीग)** : अध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र भी मेवात में आता है। मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं। मैं भी चार साल से जन प्रतिनिधि हूं और मेवात विकास बोर्ड के हम सदस्य हैं। हमारे को मेवात विकास बोर्ड की मीटिंग में कभी नहीं बुलाया गया। इस राज्य में नौकरशाही पूरी तरह से हावी है। मुख्य सचिव महोदय, मेवात विकास बोर्ड के सैक्रेटरी हैं, मुख्य मंत्रीजी अध्यक्ष हैं, पर जन प्रतिनिधियों को इस

(श्री जुबेर खान)

मेवात विकास बोर्ड की बैठक में कभी नहीं बुलाया गया।

माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि दस पंचायत क्षेत्र इस मेवात विकास बोर्ड में आते हैं, तीन भरतपुर के अन्दर और सात अलवर के अन्दर, आप मेहरबानी करके आज घोषणा करिये कि मेवात विकास बोर्ड की मीटिंग अलवर या भरतपुर में होनी चाहिए और जन प्रतिनिधि भी आने चाहिए।

श्री एमादुद्दीन अहमद (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी क्षेत्र मेवात विकास बोर्ड में आता है। मैं भी कुछ कहना चाहता हूं कि मेवात डवलपमेंट बोर्ड को लेकर मैंने कई चिट्ठियां लिखीं मुख्य मंत्रीजी को और राज्य सरकार को, आज तक भी मेरे पास एक भी जवाब या एक्नोलेजमेंट नहीं आया है। मैंने सुझाव यह दिया था कि मेवात विकास बोर्ड बनाने का मकसद ही यह था कि राज्य सरकार वहां पर काम ठीक से और टाइम पर करे लेकिन वह काम ठीक और टाइम से नहीं कर पाई। इस वजह से मेवात विकास बोर्ड को ऐसा रिप्रजेंटेटिव बोर्ड किया जाये जिसमें कि लोकल वहां के रिप्रजेंटेटिव इलेक्टेड हों। उनका भी होना जरूरी है। अगर डिपार्टमेन्ट से ही यह कार्य सही ढंग से होता तो मेवात विकास बोर्ड बनाने की जरूरत ही नहीं होती। यह कहते हुए मुझे बड़ा दुःख है कि इन चार सालों में जवाब भी नहीं आया और कभी हमें बुलाया भी नहीं जाता। मेवात विकास बोर्ड में जो पैसा दिया जाता है, दो करोड़ के लगभग दिया जाता है, वह दस पंचायत समितियों के लिए बहुत कम है। मैंने लिखा था कि मेवात क्षेत्र केवल अलवर और भरतपुर में है तो फिर उसका हैड आफिस जयपुर में होना क्या वाजिब है ?

श्री मदन मोहन (खैरथल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेवात विकास बोर्ड जो बना हुआ है, राजस्थान में इस बोर्ड के माध्यम से जो विकास के कार्य कराये जाते हैं, उनका पैसा न तो समय पर पहुंचता है और न राज्य सरकार इसके प्रति संवेदनशील है। मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहूंगा कि मेवात विकास बोर्ड जो बना हुआ है, मेवात एक कल्चर है, न कि जाति के आधार पर इसको शामिल किया गया है। इस सभ्यता का विकास करने के लिए वहां पर जितना विकास कार्य कराना चाहिए था वह आज तक नहीं हो पाया है और केवल मेवात विकास बोर्ड के नाम पर वहां की जनता को गुमराह किया जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि दस पचायत समितियों के अन्दर, जो इस क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं, मेवात विकास बोर्ड के माध्यम से जो विकास हो रहा है, वहां पर इस वजह से जो सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जो काम होना चाहिए वह भी नहीं होता और मेवात विकास बोर्ड का पैसा वहां पर नहीं लग रहा है। मेरा निवेदन है कि मेवात विकास बोर्ड में राज्य सरकार की ओर से जो पैसा दिया जा रहा है, उसकी सीमा बढ़ायी जाये जिससे उस क्षेत्र का विकास हो सके और लोगों की समस्याओं को आसानी से निपटाया जा सके।

**श्री अध्यक्ष** : आप प्रश्न पूछें।

**श्री मदन मोहन** : मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। मैं यह पूछ रहा हूं कि इसमें दस पंचायत समितियां हैं, इसमें और पंचायत समितियों को क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है जबकि यह केवल मेवात क्षेत्र से है ? इसका मतलब यह नहीं है। यह तो एक संस्कृति है। यदि जाति विशेष के आधार पर किया जाये तो अलवर जिले में और भी कई क्षेत्र हैं, इसमें उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। कोटकासिम पंचायत समिति का प्रस्ताव मुख्य मंत्री के पास पड़ा हुआ है लेकिन आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। मेरा निवेदन है कि कोटकासिम पंचायत समिति को भी शामिल किया जाये।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय मंत्रीजी।

**श्री अनंग कुमार जैन** : माननीय अध्यक्ष महोदय, अलवर और भरतपुर, इन दो जिलों की दस पंचायत समितियां इस योजना के अन्तर्गत हैं। सात पंचायत समितियां अलवर में और तीन भरतपुर में। उस दृष्टि से जो भी पैसा अलाट किया जाता है, 70 प्रतिशत अलवर जिले को और 30 प्रतिशत भरतपुर जिले को अलाट किया जाता है। इस वर्ष 228 लाख रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है। सरकार यदि संवेदनशील नहीं होती तो फिर कैसे पिछले सात-आठ सालों के अन्दर 1235 लाख के आस-पास इस योजना के अन्तर्गत पैसा खर्च किया गया है ?

प्रारम्भ में इस योजना के अन्तर्गत सिर्फ सड़कों के निर्माण का ही कार्यक्रम था लेकिन माननीय सदस्यों की मांग थी और उनकी यह भावना थी कि सड़कों के निर्माण के लिए तो है लेकिन उसकी परिधि में और योजनाओं को मिलाया जाये। तो उसके अन्तर्गत और योजनाओं को भी इसमें मिलाया गया। भवनों का निर्माण, ड्रिंकिंग वाटर, इस तरह से और भी चीजों को इसमें शामिल किया गया है। इस वजह से सड़कों के ऊपर जो प्रावधान रखे गये थे, निश्चित रूप से उसमें थोड़ी कमी जरूर हुई है क्योंकि दूसरे आइटम्स को इस परिधि में भी लाया गया उनके ऊपर भी पैसा खर्च किया गया है।

अब माननीय सदस्य का कहना है कि वह कार्य शुरू नहीं हुये। पिछले वर्ष 150 लाख रुपये अधिक खर्च हो गये थे, इस वर्ष में उन पैसों का पेमेन्ट हो रहा है। उसके बावजूद भी राज्य सरकार प्रयास कर रही है कि और अधिक धनराशि की और व्यवस्था हो जाये तो निश्चित रूप से ये कार्य प्रारम्भ हो जाएंगे।

दूसरा, आपने मीटिंग के बारे में कहा। डीग से आने वाले माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करता हूं कि यदि वे चाहते हैं कि इस बोर्ड की मीटिंग कभी अलवर में और कभी भरतपुर में हो, तो जो अगली मीटिंग होगी वह निश्चित रूप से अलवर या भरतपुर में रखी जायेगी। जनप्रतिनिधियों को मीटिंग में नहीं बुलाया गया तो अगली मीटिंग में बुलायेंगे, और मैं विभाग में भी देखूंगा कि यह गलती कहां हुई है। निश्चित रूप से सारे जनप्रतिनिधियों को इसमें बुलाया जायेगा।

(श्री अनंग कुमार जैन)

इस प्रकार विभाग यह चाहता है कि ये जो दस पंचायत समितियां मेवात विकास बोर्ड योजना के अन्तर्गत शामिल की गयी हैं, उन पंचायत समितियों का सम्पूर्ण विकास हो और विकास की धारा में दूसरे क्षेत्रों से भी बराबर जुड़े। इसलिए राज्य सरकार ने यह योजना पर्टिकुलर क्षेत्र में सलेक्ट करके चालू की है। राज्य सरकार इसके अन्दर बजट का प्रावधान रखती है। यह योजना सम्पूर्ण रूप से राज्य सरकार के बजट से ही चलती है। इसके लिए और कोई केन्द्रीय सरकार से या किसी दूसरी जगह से सहायता नहीं मिल रही है। फिर भी राज्य सरकार प्रति वर्ष इसका बजट बढ़ा रही है और प्रति वर्ष लगातार इसके अन्दर पैसे का, बजट का प्रावधान करके इन योजनाओं को चालू रखने का प्रयास राज्य सरकार ने किया है। स्वयं विभाग इस बात के लिए प्रयासरत है कि और अधिक पैसा इस वर्ष में यदि आबंटित हो जाता है तो जिन सड़कों पर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, निश्चित रूप से उन पर कार्य प्रारम्भ करवाया जाए।

श्री कुबेर खान : माननीय मंत्रीजी, चूंकि यह क्षेत्र ज्यादातर पिछड़ा हुआ है आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, इसमें कोई शक नहीं कि आप लोगों ने काफी पैसा दिया है और वह मुख्यत: सड़कों पर लगा है, मेरा आपसे यह निवेदन है कि अब जो स्वीकृति सड़कों की हो चुकी है उनको तो आप बनवाएं। लेकिन जिस तरह से क्राइम दर बढ़ती जा रही है मेवात एरिया में, चाहे वहां मेव जाति का बाहुल्य हो, चाहे गूजर समाज के हों, चाहे जाट समाज के हों, चाहे हरिजन में, सभी पिछड़े हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि फेमिली प्लानिंग के ऊपर यह पैसा खर्च करिये ताकि लोगों में जागरूकता आए और जनसंख्या पर रोक लगे। महिला, बच्चियों की शिक्षा पर करिये क्योंकि मेव समाज बच्चियों को लड़कों के स्कूल में नहीं भेजता है। आप इस पैसे से अगर लड़कियों का स्कूल खोलेंगे तो बच्चियां पढ़ेंगी। इसमें और कुछ जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं उनको इंडिविजुअल बेनिफिशरीज में कुछ दीजिये ताकि उनका जीवन यापन ऊपर उठे। सड़क तो जहां मेवात विकास बोर्ड नहीं है वहां भी बन रही है अगर आप देखें तो मैं खुले मन से यह कहना चाहता हूं कि आज से दस साल पहले अगर बाजार में कोई मेव समाज का आदमी जाता था तो आंख बंद कर लोग उस पर विश्वास कर लेते थे क्योंकि इतनी ईमानदारी और भलमानसता उन लोगों में थी किन्तु आज जनसंख्या बढ़ने की वजह से, बेरोजगारी होने की वजह से, जमीन की समस्या और लैण्ड होल्डिंग्स छोटी होने की वजह से क्राइम हो रही हैं, मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ता है, किसी थाने में एफ. आई. आर. चाहे देख लीजिये, तहसील में देख लीजिये...

श्री अध्यक्ष : कुबेर जी, इसमें आप सजेशन दें।

श्री कुबेर खान : मेरा आपसे निवेदन है, मंत्री महोदय, आप इस पैसे को आज के बाद उधर की शिक्षा के विकास के लिए, फेमिली प्लानिंग के लिए और छोटे-छोटे विकास के लिए खर्च करिये जिससे उन

(श्री जुबेर खान)

लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। आप घोषणा करिये अगर आप वाकई वहां का विकास चाहते हैं।

दूसरा, आप केन्द्रीय सरकार को मैचिंग ग्रांट के लिए लिखिये। जिस तरह से हरियाणा में मैचिंग ग्रांट मिल रही है मेवात विकास बोर्ड को, उसी तरह से राजस्थान को भी केन्द्रीय सरकार मैचिंग ग्रांट दे। इसके लिए आप कार्यवाही कीजिये।

**श्री अनंग कुमार जैन** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के इस सुझाव का स्वागत करता हूं कि फेमिली प्लानिंग और एजूकेशन जैसी योजनाओं से इसको जोड़ा जाना चाहिए। एजूकेशन को तो इस परिधि में पहले ही लाया गया है। ड्रिंकिंग वाटर को लाया गया है, मेडिकल हैल्थ को लाया गया है। मैं इसके साथ-साथ उतने ही खुले दिल से माननीय सदस्य कह रहे हैं, माननीय सदस्यों से भी अपील करूंगा कि फेमिली प्लानिंग के कार्य में राज्य सरकार का सहयोग करें और अगली मीटिंग में 31 अक्टूबर के पहले सभी सदस्यों को बुलवाकर उसके अन्दर माननीय सदस्य और जो भी सुझाव देंगे, आपके अलावा इस बोर्ड के अन्दर जो भी सदस्य हैं इस एरिया के, उनके जो जो भी सुझाव होंगे, मैं उन सुझावों पर गम्भीरता से विचार करके जो भी सुझाव उसके अन्दर शामिल किये जा सकेंगे, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि उनको इस परिधि में लाया जा सकेगा।

**प्रश्न संख्या–117**

**श्री अध्यक्ष** : श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री भीमसेन चौधरी।

## चिकित्सा कर्मियों के रिक्त पद

**118. श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कम्पाउण्डर्स, नर्सेज एवं ए. एन. एम. के कुल कितने पद सृजित हैं ? उनमें कितने पद रिक्त हैं ? रिक्त पद भरने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(2) राज्य में कम्पाउण्डर्स, नर्सेज एवं ए. एन. एम. के जिला वाइज कितने ट्रेनिंग सेंटर्स हैं एवं उनकी क्षमता कितनी है ?

(3) प्रतिवर्ष औसतन कितने कम्पाउण्डर्स, नर्सेज व ए. एन. एम. सेवानिवृत्त होते हैं एवं कितने ट्रेण्ड वर्गों की मांग होती है ? उनकी पूर्ति हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य** (श्री राजेन्द्र राठौड़) : (1) राज्य में कम्पाउण्डर्स एवं नर्सेज के कुल 10,009 पद सृजित हैं जिनमें से 1117 पद रिक्त हैं तथा ए.एन.एम. के 11,271 पद सृजित हैं जिनमें से 630 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों को भरने हेतु राज्य

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

में 15 जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र एवं 27 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं। रिक्त पद प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भरे जाने संभव हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्त नर्सिंग स्टाफ की पुनर्नियुक्ति ग्रामीण संस्थानों में किये जाने के आदेश राज्य सरकार द्वारा प्रसारित किये हुए हैं।

(2) राज्य में कम्पाउण्डर्स, नर्सेज तथा ए. एन. एम. (प्रसाविका) के प्रशिक्षण केन्द्रों की जिलेवार मय प्रवेश क्षमता की सूची संलग्न है।

(3) प्रतिवर्ष औसतन नर्सिंग संवर्ग में लगभग 250-300 कर्मचारी तथा ए.एन.एम. में भी लगभग 300 कर्मचारी सेवानिवृत्ति से हुए रिक्त पदों एवं संभावित नव सृजित पदों के लिए पूर्वानुमान के आधार पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। इस हेतु विभाग द्वारा 27 प्रसाविका प्रशिक्षण केन्द्र एवं 15 सामान्य नर्सिंग केन्द्र संचालित किये हुए हैं। विवरण संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

**श्री भीमसेन चौधरी** : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैं जानना चाहता था कि बीकानेर जिले में ए.एन.एम. और कम्पाउण्डर्स के टोटल कितने पद अभी तक रिक्त हैं ?

**श्री अमराराम (धोद)** : मंत्रीजी ने जो उत्तर दिया है उसमें यह दिया है कि जो रिटायर्ड कम्पाउण्डर्स हैं उनको ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्ति देने के लिए आदेश निकाले हैं जबकि अभी भी 500 कम्पाउण्डर जो ट्रेण्ड हैं, नियुक्ति के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। एक तरफ तो सरकार यह कह रही है कि ट्रेण्ड नहीं हैं और दूसरी ओर जो ट्रेण्ड हैं उनको नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। तो जो ट्रेण्ड हैं उनको कब तक नियुक्ति देंगे ?

**श्री अध्यक्ष** : पहले मूल प्रश्नकर्ता का जवाब आ जाए फिर बाद में।

**श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना)** : क्या ज्यादातर ए. एन. एम. और कम्पाउण्डर के पद बाड़मेर में रिक्त हैं ?

**श्री अध्यक्ष** : कृपया मूल प्रश्नकर्ता का जवाब आने दें।

**श्री टीकमचन्द कान्त** : बाड़मेर में यदि रिक्त हैं, तो क्या ज्यादा प्रशिक्षण केन्द्र खोलकर....

**श्री अध्यक्ष** : मैं मानता हूँ कि सभी माननीय सदस्य बहुत विद्वान हैं, बहुत जानकारी रखते हैं पर मूल प्रश्नकर्ता का जवाब आने दें।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पूरे राज्य से सम्बन्धित है। अध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले में कितने पद रिक्त हैं इसकी सूचना मैं माननीय सदस्य को दे दूंगा। इन्होंने पूरे राज्य के बारे में मुझसे जो जानकारी चाही थी....

**श्री भीमसेन चौधरी** : माननीय मंत्री महोदय, राज्य के बारे में चाही है लेकिन जिलेवाइज आपके पास सूचना एकत्रित हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं आप ?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में पूरे राज्य में 11,271 ए.एन.एम. के पद हैं और रिक्त मात्र 630 हैं और अभी इनके लिए 27 ए. एन. एम. ट्रेनिंग सेण्टर्स में ट्रेनिंग चल रही है और नवम्बर, 1997 में, अध्यक्ष महोदय, हमें 1620 ट्रेण्ड ए. एन. एम. उपलब्ध हो जाएंगी। पद 630 रिक्त हैं और ट्रेनिंग 1620 की कर रहे हैं। नवम्बर में हमारे पास सारे पद भरने के पश्चात् भी सरप्लस हो जाएंगी।

इसी तरह, अध्यक्ष महोदय, कम्पाउण्डर और नर्स (ग्रेड-सैकिण्ड) के 10,009 पद हैं, उनमें रिक्त हैं मात्र 1,117 और ट्रेनिंग चल रही है 940 की। 1 मार्च, 1998 तक यह ट्रेनिंग सारी पूरी हो जाएगी और इसमें भी लगभग सभी पद हम भर देंगे। अध्यक्ष महोदय, पहले पूरे राज्य में जो ए. एन. एम. के ट्रेनिंग और जनरल नर्स के ट्रेनिंग सेण्टर थे इनकी क्षमताओं में कमी थी। परन्तु निश्चित तौर पर नयी शिक्षा संस्थाएं खुली हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे देश के अन्दर राजस्थान में पर केपिटा इन्वेस्टमेंट मेडिकल एण्ड हैल्थ के अन्दर सर्वाधिक है, हमने पिछले वर्षों में 1400 उप-केन्द्र खोले हैं और बड़ी संख्या में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र भी खोले हैं, नये पदों का सृजन भी हुआ है और रिक्त जो पद हैं उन सबको किस तरह भरा जाए इसकी निश्चित तौर पर व्यवस्था की है।

अध्यक्ष महोदय, ट्रेनिंग तो हमने चालू की परन्तु ट्रेनिंग 19 महीने की भी है, ट्रेनिंग तीन साल की भी है और यह सारे पद ट्रेण्ड लोगों से भरे जा सकते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह सारी चिन्ता हमारी भी है, नये सस्थानों के साथ-साथ रिक्त पद भरे जाएं, इसके लिए समुचित व्यवस्था हमने की है।

अध्यक्ष महोदय, यहां एक सवाल और खड़ा हुआ है कि जो ए. एन. एम और कम्पाउण्डर ट्रेण्ड हैं उनको हमने अभी नियुक्ति नहीं दी है। अध्यक्ष महोदय, यह सही नहीं है। अभी पिछले माह ही 200 ए.एन.एम. की नियुक्ति का फैसला सरकार ने किया है और नियुक्ति दी भी है परन्तु अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नियुक्ति दिये जाने का काम प्रक्रियाधीन है। हमने वित्त विभाग से कुछ एन. ओ. सी. ली है और इस बात की एन. ओ. सी. आते ही हम तत्काल जो भी योग्यताधारी ए.एन.एम. हों या कम्पाउण्डर हों, उनको पदस्थापित करेंगे।

**श्री हरजीराम बुरड़क** : अध्यक्ष महोदय, मैं....

**श्री अध्यक्ष** : अब इसमें क्या रह गया ? अब इसमें तो कोई एम्बीग्युटी जैसी बात नहीं है। (व्यवधान)

**श्री हरजीराम बुरड़क** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि... (व्यवधान)...

**श्री भंवरसिंह डांगावास** (मेड़ता) : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता का प्रश्न आ चुका है और मेरा प्रश्न संख्या 121 किसानों के सम्बन्ध में बहुत अहमियत रखता है।

श्री अध्यक्ष : सुनें तो सही आप। कोई सुनना नहीं चाहता। मैं ले रहा हूं। बुरडक साहब, आप क्या कह रहे हैं ?

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में सारे पद खाली पड़े हैं। जो खाली पद हैं वह ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। शहरों में और हास्पिटल्स में कोई पद खाली नहीं है। ज्यादा पद खाली हैं सब-सैण्टर्स में। तो क्या आप जब तक कमी है तब तक यह व्यवस्था करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में पद भरेंगे और शहरी क्षेत्रों से हटाकर उनको वहां लगाएंगे ?

डा जितेन्द्रसिंह (खेतड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। अभी तक भी जो बैलेन्स इन्होंने बता रखा है ए. एन. एम्स. का, रिटायरमेंट का और नयी ट्रेनिंग देने का, यह डिफरेन्स इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि अभी तक भी ग्रामीण क्षेत्रों में मोर देन 50 पर्सेंट स्थानों पर ए. एन. एम्स. नहीं हैं। मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ए. एन. एम्स. रहना भी नहीं चाहती हैं तुरन्त स्थानान्तरण करवाना चाहती है जैसे कि आपने कहा था, गांवों में अभी भी कोई भी नहीं रहना चाहता है। इससे रिटायरमेंट और नये एडमिशन्स में डिफरेन्स बढ़ता जायेगा। तो इसके लिये ट्रेनिंग सब सेण्टर्स, ट्रेनिंग स्कूल खोलने का हम प्रावधान कर रहे हैं जैसे कि दक्षिण भारत में कर रखा है उन्होंने ?

दूसरा महत्वपूर्ण इश्यू इसके साथ जुड़ा हुआ है। आपके लेबोरेटरी टेक्निशियन और एक्स-रे टेक्निशियन में पद खाली पड़े हैं सब जगह। तो आप इसको इसके साथ अटैच करिये। लेबोरेटरी टेक्निशियन, एक्स-रे टेक्निशियन के साथ अटैच करिये। यह महत्वपूर्ण इश्यू है। स्थानान्तरण इश्यू है। आप तुरन्त परिवर्तन करिये। कोई लेडी गांवों में नहीं रहना चाहती। सारे सब सेण्टर्स खाली पड़े हैं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, विराजिये। और सजेशन देना है तो लिखकर दे दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधे से ज्यादा पद रिक्त हैं। कितने-कितने पद रिक्त हैं किस-किस संवर्ग में, उसकी सूचना सदन के सम्मुख रखी है।

अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि ए. एन एम. ट्रेनिंग सेण्टर और जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग सेण्टर द्वारा जितने लोगों को ट्रेण्ड करते हैं, सरकारी चिकित्सा संस्थानों में तो यह लोग आ जाते हैं क्योंकि हम उनसे बाण्ड भी भरवाते हैं परन्तु जिस तेजी से आज निजी चिकित्सालय राजस्थान में खुल रहे हैं और निजी चिकित्सालयों में अनट्रेण्ड लोगों के हाथ में सारा काम चला जा रहा है, इसके लिये सरकार ने नीतिगत फैसला ले लिया कि ट्रेनिंग सेण्टर्स को जो हमारी एन. सी. आई. की गाइड लाइन्स हैं, उनके आधार पर निजी क्षेत्रों में दे रहे हैं। इसका फैसला हो चुका है।

इसके अलावा इन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ए. एन. एम. और नर्सेज कम रहती हैं। कई तरह की शिकायत, अध्यक्ष महोदय, हैं और यह मात्र इसी विभाग से नहीं, दूसरे विभागों में भी जो कर्मचारी हैं उनका

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

ग्रामीण क्षेत्र में ठहराव ज्यादा से ज्यादा रहे इसलिए सरकार तो प्रयत्नशील है ही, हमने इसके साथ एक सलाहकार समिति का भी गठन किया है ।

अध्यक्ष महोदय, अभी यह सूचना चाही गई थी कि बीकानेर में कितने पद रिक्त हैं। बीकानेर जिले में 265 पद हैं, 219 पदों पर पैरामेडिकल स्टॉफ कार्यरत हैं और मात्र 46 पद रिक्त हैं। मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि गांवों के अन्दर हमारे जो उप-केन्द्र हैं, गांवों के अन्दर जो हमारे चिकित्सा संस्थान हैं, सबसे पहले उनको भरना है और पूरा प्रयास करेंगे कि शहरों में और गांवों में जितने पद रिक्त हैं उसमें वरीयता ग्रामीण क्षेत्रों को रहे। मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रयास हमारा यही है कि दुबारा इस तरह की बात नहीं आये। हम पूरे प्रयत्नशील हैं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री शिवनाथ सिंह.... (व्यवधान) माननीय शिवनाथ सिंहजी।

## जिला झुन्झुनूं की पंचायतों के निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतें

**119. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)** : क्या मुख्य (आयोजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान के अन्य जिलों के साथ-साथ झुन्झुनूं जिले में भी सामाजिक अंकेक्षण का कार्य परिसम्पत्तियों के निर्माण के सम्बन्ध में किया गया था ?

(2) यदि हां, तो विकास निर्माण कार्यों के कितने मामलों में शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें पंचायतों द्वारा रुपया खर्च करना दिखलाने के बावजूद या तो विकास निर्माण कार्य हुये ही नहीं या घटिया किस्म के हुये हैं ?

(3) क्या जिन कार्यों में खामियां पायी गयीं उन मामलों में रुपया वसूल करने हेतु पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने आदि की कितने मामलों में कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उप मुख्य मंत्री (श्री हरिशंकर भाभड़ा)** : (1) जी, हां। यह सही है कि राज्य के अन्य जिलों के समान झुन्झुनूं जिले में भी 1985 से बनाई गयी सामुदायिक परिसम्पत्तियों एवं वर्ष 1993 के बाद उपलब्ध कराये गये व्यक्तिगत लाभ के साधनों का सामाजिक अंकेक्षण करवाया गया था। यह सामाजिक अंकेक्षण एक अभियान के रूप में अक्टूबर, 1996 से दिसम्बर, 1996 तक करवाया गया था। चूरू व झुन्झुनूं जिलों में मध्यावधि चुनाव के कारण इस अभियान की दिनांक 20-10-1996 से 15-12-1996 तक निश्चित की गयी थी।

(2) सामाजिक अंकेक्षण अभियान के दौरान झुन्झुनूं जिले की आठ पंचायत समितियों में कुल 253 आक्षेप प्राप्त हुये हैं जिनमें से 223 आक्षेप सामुदायिक परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में तथा 30 आक्षेप व्यक्तिगत लाभ से सम्बन्धित परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्राप्त हुये हैं। प्राप्त आक्षेपों के वर्गीकरण एवं उनके निराकरण के संबंध में कार्यवाही चालू है। मोटे तौर पर सामाजिक परिसम्पत्तियों के बारे में कार्य

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

चालू न होना, कार्य अपूर्ण होना तथा कार्य घटिया किस्म का होने सम्बन्धी आक्षेप हैं। व्यक्तिगत लाभ सम्बन्धी परियोजनाओं के बारे में मोटे तौर पर ऋण प्राप्त न होना, ऋण पूरा न मिलना, ऋणी सम्बन्धित ग्राम ग्राम पंचायत में उपलब्ध न होना आक्षेप प्राप्त हुए हैं।

(3) सामाजिक अंकेक्षण अभियान के दौरान पाये गये आक्षेपों का वर्गीकरण एवं निराकरण की कार्यवाही प्रगति पर है। इस कार्य के पूर्ण हो जाने पर प्रत्येक आक्षेप के गुण-दोष के आधार पर अग्रिम कार्यवाही किये जाने पर निर्णय लिया जावेगा।

**श्री शिवनाथ सिंह :** माननीय अध्यक्षजी, माननीय उप मुख्य मंत्रीजी ने जवाब दिया है इसलिए मैं प्रश्न भी सप्लीमेण्ट्री उस स्तर का ही पूछने की चेष्टा करूंगा। एक तो आप यह बतलाइये कि आपकी पारदर्शिता ..

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** आप तो अपने स्तर का पूछो।

**श्री शिवनाथ सिंह :** आपकी योजना पारदर्शिता की थी और उसी के आधार पर आपने यह सामाजिक अंकेक्षण करवाया। माननीय उप मुख्य मंत्रीजी जब एक साल का समय हो गया और उसमें खामियां सामने आ गयीं उसके बाद भी अभी तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई है, इसके क्या कारण हैं? क्या डी. आर डी. ए. की गवर्निंग कौंसिल में यह फैसला लिया जा चुका था कि जहां-जहां खामियां पायी गयी हैं, विकास अधिकारी से रिपोर्ट ले ली गयी थी, दूसरे डिपार्टमेन्ट से रिपोर्ट ले ली गयी थी, उन मामलों में पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज करवायी जाये और उन लोगों से वसूली की कार्यवाही की जाए? पूरे साल भर में दो मीटिंग इस काम को देखने के लिए हुई हैं। आप कहते हो कि उसमें कार्यवाही हो रही है और प्रगति पर है, माननीय अध्यक्षजी, मैं उप मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि कितने साल के अन्दर इस मामले को निपटाने का मतलब रखते हैं?

**श्री हरिशंकर भाभड़ा :** अध्यक्ष महोदय, झुन्झुनूं जिले की जांच रिपोर्ट 6 मार्च, 1997 को प्राप्त हुई है। जांच हुई थी उसकी रिपोर्ट 6 मार्च को प्राप्त हुई। सारे प्रदेश भर में लगभग 9700 से अधिक आक्षेप प्राप्त हुए हैं और यह आक्षेप अलग-अलग जिलों से अलग-अलग समय पर प्राप्त हुए। जैसे ही सारे आक्षेप प्राप्त हुए, उनका अलग-अलग वर्गीकरण करने की प्रक्रिया चालू हुई। 15 दिन के अन्दर यह प्रक्रिया समाप्त होकर आने वाले एक महीने में कार्यवाही शुरू कर दी जावेगी।

**श्री शिवनाथ सिंह :** अध्यक्षजी, मैंने शुरू में इसीलिए निवेदन किया था कि माननीय उप मुख्य मंत्रीजी सवाल के जवाब को घुमाकर देने में बहुत माहिर हैं। मैंने सवाल झुन्झुनूं जिले का पूछा है, आपने पूरे राजस्थान की प्रक्रिया बता दी, उनकी संख्या बता दी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि झुन्झुनूं जिले में सिर्फ 200 कितने मामले हैं, वहां गवर्निंग कौंसिल ने निर्णय ले लिया कि जिन मामलों में खामियां पाई गयीं उनमें पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवायी जाए,

(श्री शिवनाथ सिंह)

उनसे वसूली की कार्यवाही की जाये, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले में ढिलाई बरतने में यह बाधा आ रही है कि आपके सरकारी कर्मचारी उसमें लिप्त हैं ? क्योंकि जो रिपोर्ट दी गई है उसमें आपके जे.ईएन., ए.ईएन, एक्स.ईएन. इन्होंने कंप्लीशन और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिये हैं। आपके विकास अधिकारी ने सर्टिफिकेट दिया है। आपके यहां पेमेन्ट हुआ है। इसलिए इन मामलों में आप यह सोचते हो या यह इम्प्रेशन देने की चेष्टा की जाये कि वहां के सरपंच इन्वाल्व्ड हैं, नहीं हैं, इसमें आपके अधिकारी। सरकारी अधिकारी इन्वाल्व्ड हैं और इन सरकारी अधिकारियों को बचाने के लिए सब कार्यवाही में ढिलाई दी जा रही है। ढिलाई का परिणाम यह होगा कि कुछ समय के बाद में यह मामला समाप्त कर दिया जायेगा। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, आप राजस्थान को छोड़िये, झुन्झुनूं जिले के मामले में जो गवर्निंग कौंसिल ने फैसला कर दिया उसका इम्प्लीमेन्टेशन कब तक करवा देंगे ?

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : अध्यक्ष महोदय, मैंने जवाब बिलकुल साफ दिया था। उसमें झुन्झुनूं जिला अपवाद नहीं है। मैंने जब पूरे राजस्थान भर के 9700 बताये हैं ...

**श्री शिवनाथ सिंह** : झुन्झुनूं का प्रश्न है, राजस्थान को बीच में क्यों ला रहे हैं ?

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : इसलिए कि झुन्झुनूं राजस्थान का हिस्सा है और प्रदेश में जो कार्यवाही हो रही है, पूरे राजस्थान को लेकर हो रही है।

**श्री शिवनाथ सिंह** : अध्यक्षजी, कभी तो कहते हैं कि पाइन्टेड सवाल नहीं है। मैं कहता हूं कि पाइन्टेड मैंने सवाल लिखकर दिया है।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : पाइन्टेड जवाब दे रहा हूं। प्रदेश स्तर पर जो कार्यवाही हो रही है वह राजस्थान सरकार की नीति के अनुसार पूरे राजस्थान पर लागू होगी, जिसमें झुन्झुनूं भी शामिल है। आपकी जानकारी के लिए थोड़ा....(व्यवधान) आप कुछ बोल रहे हैं।

**श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)** : मैं यह पूछ रहा हूं कि झुन्झुनूं जिले के अन्दर आपने सर्वे करवाया, परिसम्पत्तियों का सामाजिक अंकेक्षण करवाया, उसकी रिपोर्ट डी. आर. डी. ए. में प्रस्तुत हो गई और डी आर. डी. ए. ने उसमें हर मामले के अन्दर गुण-दोष के आधार पर निर्णय ले लिया ? निर्णय यह ले लिया कि जहां वसूली का बिल है वहां वसूली करवायी जाये, जहां खा गये हैं वहां पर उनके खिलाफ एफ. आई. आर. करवायी जाए। यहां सरपंच शामिल नहीं हैं। यहां आपके विकास अधिकारी, आपके जूनियर इंजीनियर, आपके ए. ईएन. और आपके एक्स. ईएन., ये लोग उसके अन्दर शामिल हैं। सरपंचों को तो मोहरा बना रखा है। सारे रुपये यह लोग खा गये। काम वहां कुछ है ही नहीं। कागज बने हुये हैं, मस्टर-रोल बने हुये हैं और काम वहां कुछ है ही नहीं।

ऐसे ऐपेरेन्ट मामले हैं। आप सारे राजस्थान में विकास मत करें, अगर किसी राजस्थान के दूसरे डी. आर. डी. ए. ने ऐसा

(श्री रामनारायण चौधरी)

कोई डिसीजन लिया है उसको इम्प्लीमेन्ट कराइये लेकिन हम तो कहते हैं आपको कि स्पेसिफिकली हमने यह डिसीजन लिया है डी. आर. डी. ए. में, उसको इम्प्लीमेन्ट क्यों नहीं करवाते हैं? करवाते हैं, तो कितने समय में करवाते हैं? यह मेरा और शिवनाथ सिंहजी का जोइंट सप्लीमेन्ट्री है।

**श्री हरिशंकर भामड़ा :** अध्यक्ष महोदय, अब आप केवल झुन्झुनूं तक सीमित रहते हैं तो झुन्झुनूं जिले में जहां डी. आर. डी. ए. ने सारा निष्कर्ष निकाल लिया है और राजस्थान में 15 दिन से शायद आगे भी देरी हो सकती है मगर झुन्झुनूं जिले में 15 दिन के अन्दर-अन्दर कार्यवाही जो आपने तय किया है उसके आधार पर चालू हो जायेगी।

**श्री रामनारायण चौधरी :** धन्यवाद, यह तो कोई बात हुई।

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्नकाल समाप्त।

**श्री लक्ष्मण सिंह रावत :** अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।

**श्री अध्यक्ष :** पहले सुन लें आप।

**श्री लक्ष्मण सिंह रावत :** नहीं, अध्यक्ष महोदय, नया विषय चालू हो जायेगा।

**श्री अध्यक्ष :** स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था तो सुनें आप। क्या कर रहे आप? (व्यवधान) आप सब तो सीनियर हो। विराजें आप।

**श्री महेन्द्र कुमार मीणा :** अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी रामस्वरूप मीणा कल से 36 घण्टे से अन्न, जल छोड़ रखा है और अचेत अवस्था में बेहोशी की हालत में....

**श्री अध्यक्ष :** ज्यूस पिला लाइये.... (व्यवधान)

**श्री महेन्द्रकुमार मीणा :** यहां पड़े हुए हैं। बहुत ही गम्भीर मामला है। मुनि महाराज के दाह संस्कार की व्यवस्था करके मेरे साथी रामस्वरूप मीणा को बचाया जाए।

**श्री अध्यक्ष :** महेन्द्र सिंहजी, बैठिये आप। बैठिये आप। यह क्या बात हुई? मैं खड़ा हूं, आप बैठ जाइये।

**एक माननीय सदस्य :** आसन पैरों पर है।

**श्री अध्यक्ष :** जब देखो, + + + शुरू हो जाती है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

## अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्न और उसका उत्तर

### शिव डूंगरी (चाकसू) क्षेत्र में संचालित खनन कार्य

117. **श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) :** क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

(1) क्या यह सही है कि पंचायत कानावाला तहसील चाकसू में शिव डूंगरी एवं उसके आसपास खनन कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो इसकी स्वीकृति कब व किसके द्वारा दी गयी ?

(2) क्या यह भी सही है कि खनन करने वालों की लीज समाप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो सरकार इस अवैध खनन को रोकने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां । खनन कार्य हेतु शिव डूंगरी श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि. के पक्ष में चेजा पत्थर हेतु स्वीकृत खनन पट्टे का प्रथम नवीनीकरण खनि. अभियंता, जयपुर के आदेश दिनांक 24-4-95 द्वारा दिनांक 16-9-93 से 20 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किया गया है ।

(2) जी, नहीं । खनन पट्टे की मूल अवधि दिनांक 16-9-93 को समाप्ति के पश्चात् उसका नवीनीकरण 20 वर्ष के लिए स्वीकार किया जा चुका है । तथा संविदा का निष्पादन भी दिनांक 23-11-95 को कराया गया, परन्तु उसका पंजीयन नहीं होने पर पट्टाधारी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद मय अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र दायर कर दिनांक 22-2-97 को अस्थायी निषेधाज्ञा उनके खनन कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु प्राप्त कर ली गयी है । अतः खनन कार्य नियमानुसार नवीनीकरण स्वीकृति के अन्तर्गत एवं न्यायालय के स्थगन आदेशानुसार होने के कारण अवैध खनन नहीं है ।

## अतारांकित प्रश्नोत्तर

### विकास अधिकारी दूदू (जयपुर) द्वारा उद्घाटन प्रकरण

169. श्री बाबूलाल (दूदू) : क्या मुख्य (प्रशासनिक सुधार) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकारी अधिकारियों द्वारा शिलान्यास एवं उद्घाटन करना सरकार द्वारा निषिद्ध किया हुआ है ? यदि हां, तो तद्विषयक जारी आदेश/निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) विकास अधिकारी पंचायत समिति दूदू द्वारा गत छः महीनों में किस-किस सार्वजनिक समारोह में कहां-कहां एवं कब-कब भाग लिया गया और उद्घाटन किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार उक्त विकास अधिकारी के विरुद्ध जांच कराकर कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या एवं कब तक और नहीं, तो क्यो ?

उत्तर

(1) जी हां । इस सम्बन्ध में जारी परिपत्र दिनांक 12-8-97 को प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(मुख्य (प्रशासनिक सुधार) मंत्री)

(2) विकास अधिकारी, पंचायत समिति, दूदू द्वारा ग्राम नया गांव, गिदानी, बरकोटी एवं श्यामियों की ढाणी में विभाग के कार्यों का साफे बंधवाकर शिलान्यास/उद्घाटन करने की शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच विकास विभाग द्वारा करवाई जा रही है।

(3) प्रश्न के भाग संख्या-2 में उल्लेखित शिकायतों की जांच हेतु विभागीय पत्र क्रमांक 3785 दिनांक 4-6-97 के द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव, जिला परिषद, जयपुर को भिजवा दी गई है तथा माननीय सदस्य को भी पत्र दिनांक 4-6-97 के द्वारा सूचित कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट में यदि विकास अधिकारी दोषी पाया जाता है तो नियमों के अन्तर्गत उसके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

## राज्य के मंत्रियों द्वारा किये जाने वाले दौरों के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देश

170. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) एवं श्री हरजीराम बुरडक ( लाडनूं ) : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री द्वारा मौजूद मंत्रिमण्डल के सदस्यों के लिये यह निर्देश जारी किया गया था कि वे प्रत्येक माह कितने दिन कार्यालय एवं कितने दिन दौरों पर रह सकेंगे ? यदि हां, तो इस संबंध में जारी निर्देशों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त निर्देशों की पालना के संबंध में मुख्य मंत्री द्वारा समीक्षा की गई यदि हां, तो कब-कब ? उक्त निर्देशों की पालना किस सीमा तक हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब इस संबंध में मुख्य मंत्री द्वारा क्या कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ?

### उत्तर

(1) जी नहीं। मंत्रिमण्डल द्वारा लिये गये निर्णय की अनुपालना में आज्ञा क्रमांक प. 12 (2) मं. मं. /92 दिनांक 6-6-94 द्वारा आदेश जारी किये गये हैं कि मंत्री/राज्यमंत्री/उप मंत्रीगण अब एक माह में 15 दिन से अधिक दौरा नहीं करेंगे। आदेश की प्रति परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा माननीय मन्त्रिगणों के दौरों के संबंध में समीक्षा नवम्बर, 1996 में की गई। उसके अनुसार मंत्रियों द्वारा निर्धारित सीमा के अन्तर्गत ही दौरे किये गये। यदि किसी मंत्री महोदय द्वारा राज्य हित में निर्धारित सीमा से अधिक दौरा किया जाना आवश्यक समझा जाता है तो उस स्थिति में सम्बन्धित मंत्री महोदय द्वारा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से अनुमति प्राप्त करली जाती है।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

## राज्य सेवाओं में महिलाओं हेतु आरक्षण

171. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष के बजट में 10% पुलिस व 20% अन्य विभागों में महिलाओं को नियुक्तियां देने की घोषणा की गई है ? यदि हां, तो अब तक उक्त घोषणा के तहत कितनी-कितनी नियुक्तियां दी गईं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) अब उक्त कोटा कब तक भर दिया जायेगा ?

### उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1996-97 के बजट अभिभाषण में मुख्य मंत्री जी द्वारा की गई घोषणा की पालना में सभी सेवा नियमों में इस आशय का प्रावधान इसी वर्ष किया गया है। नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा इस प्रावधान के अधीन नियुक्तियां देने की प्रक्रिया अभी प्रारम्भ ही हुई है, फलतः इस प्रावधान के त्वरित प्रतिफल की अपेक्षा का अभी अवसर नहीं आया है।

(2) प्रावधान भूतलक्षी नहीं है और न ही वर्ष विशेष की शेष रिक्तियों को आगामी वर्ष/वर्षों में अग्रनीत किया जाने का प्रावधान है, अतएवं जब-जब रिक्तियां होंगी भर्ती की कार्यवाही की जायेगी और निर्धारित प्रतिशत की पालना के प्रयास अभ्यर्थियों की पात्रता/उपलब्धता के अनुसार किये जाते रहेंगे।

### प्रश्न संख्या-172

(स्थगित)

## आवासन मण्डल की नीति नगर योजना

173. **श्री महेन्द्रकुमार मीणा** (सिकराय) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1989 में आवासन मण्डल द्वारा जयपुर में नीति नगर के नाम से योजना हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि उच्च आय वर्ग के लिये पर्याप्त भूखण्ड नहीं होने के कारण मण्डल द्वारा आवेदनकर्ताओं से विकल्प मांगा गया था ?

(3) यदि हां, तो कितने प्रार्थियों द्वारा दूसरी योजना उपयुक्त नहीं होने के कारण अपनी पंजीकरण राशि लौटाने हेतु आवेदन किया गया ? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उच्च आय वर्ग के रजिस्ट्रेशन नम्बर–27969 के आवेदनकर्ता द्वारा विकल्प नहीं दिया गया एवं राशि वापसी हेतु आवेदन किया गया था ?

(5) यदि हां, तो उक्त को रजिस्ट्रेशन राशि न लौटाये जाने के क्या कारण रहे ?

(श्री महेन्द्र कुमार मीणा)

(6) क्या सरकार उक्त आवेदनकर्ता की राशि लौटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। मण्डल द्वारा वर्ष 1989 में उच्च आय वर्ग के आवासों के लिए अभिभाष्यों हेतु नीति नगर योजना, मालवीय नगर, जयपुर के लिए प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये गये थे।

(2) जी, हां। उक्त योजना में आवास आवंटन करने के पश्चात् शेष आवेदकों से मण्डल की मालवीया नगर, मानसरोवर एवं सांगानेर योजनाओं में निर्मित उच्च आय वर्ग के फ्लेट्स हेतु विकल्प मांगे गये थे।

(3) अभी तक कुल 71 आवेदकों ने अपनी पंजीकरण राशि वापस लौटाने हेतु आवेदन किये हैं, जिनको मण्डल नियमानुसार राशि लौटा दी गई है। सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(4) जी, हां।

(5) रजिस्ट्रेशन क्रमांक 27969 के आवेदक को उपरोक्तानुसार राशि का भुगतान किया जा चुका है।

(6) जैसा कि पैरा 5 में स्पष्ट किया जा चुका है राशि लौटाई जा चुकी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

## पंचायत समिति लालसोट के ग्रामों की पेयजल व्यवस्था

174. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति लालसोट के ग्राम शिवसिंहपुरा-तालाब गांव में ट्यूब वैल खराब होने के कारण 2-3 माह से पेयजल वितरण नहीं किया जा रहा है ?

(2) क्या सरकार पेयजल का वितरण शीघ्र करने के लिये विभाग को अतिरिक्त ट्यूब वैल की स्वीकृति देकर शीघ्र चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। ट्यूब वैल में पम्प सैट गिर जाने के कारण माह जून, 97 में पम्प निकालने के प्रयासों के कारण लगभग 20 दिन जल वितरण नहीं किया जा सका। तत्पश्चात् योजना पर नियमित जल वितरण किया जा रहा है।

(2) उल्लेखित ग्रामों को विभागीय मापदण्ड के अनुरूप पेयजल उपलब्ध हो रहा है। अतः इस ग्राम में अतिरिक्त ट्यूब वैल बनाने की आवश्यकता नहीं है।

## जिला जोधपुर में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

**175. श्री राजेन्द्र चौधरी** (बिलाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर जिले में गत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्रवार किस-किस क्षेत्र की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति कब-कब जारी की गई एवं उनमें से किन-किन की तकनीकी स्वीकृति कब-कब जारी की गई ?

(2) क्या यह सही है कि तकनीकी स्वीकृति जारी होने के बाद कार्य निर्धारित अवधि में शुरू कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या कार्य समय सीमा में पूर्ण हो गया ?

(3) यदि नहीं, तो कौन-कौनसे कार्य समय सीमा के अंदर पूरे किन कारणों से नहीं हुए ? इनमें देरी के लिये कौन-कौन किस-किस स्तर पर जिम्मेदार हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

**उत्तर**

(1) जोधपुर जिले में गत 5 वर्षों में जो योजनाएं स्वीकृत हुई हैं उनकी प्रशासनिक एवं वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति का विवरण विधान सभा क्षेत्रवार प्रपत्र "ब" पर संलग्न है ।

(2) जी, हां । अधिकतम योजनाओं का कार्य तकनीकी स्वीकृति शीघ्र ही की जाकर समय पर पूर्ण करवाने के प्रयास किये गये हैं । विवरण प्रपत्र "ब" पर संलग्न है ।

(3) उपरोक्त 2 के अनुसार, यह भी सही है कि कार्य तकनीकी स्वीकृति के पश्चात् शीघ्र प्रारम्भ नहीं किये जा सके एवं न ही पूरे किये जा सके, जिसका मुख्य कारण जोधपुर जिले के अधिकतम क्षेत्रों में स्रोत का संदेहास्पद होना, कई स्थानों पर ग्रामवासियों में विवाद हो जाने के कारण समय पर कार्य सम्पन्न नहीं हो पाये । कार्य की अधिकता के कारण नलकूप तथा हैण्ड-पम्प बनाने की क्षेत्र के स्ट्रेटा अनुसार रिगों के उपलब्ध होने में भी देरी के कारण कार्य सम्पन्न नहीं हो सका । अतः कार्य देरी से पूरा करने के लिए अधिकारी तथा कर्मचारियों को दोषी नहीं माना जा सकता । जो कार्य पूरे नहीं हो सके उनका विवरण प्रपत्र "ब" में दिया गया है ।

**(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)**

## विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में पेयजल आपूर्ति

**176. श्रीमती इन्दिरा मायाराम** (सांगानेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर में पिछले पांच वर्षों से पेयजल की 12 टंकियां होने के बावजूद भी उनमें पानी नहीं पहुंच पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इसमें दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ? अब इन टंकियों में पानी कब तक पहुंचा दिया जाएगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

जी, नहीं। विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में विभाग द्वारा 66 टंकियां निर्मित हैं। इनमें से 63 टंकियों में सुचारू रूप से पानी पहुंच रहा है। 3 टंकियों में जीर्ण अवस्था में होने के कारण पानी नहीं भरा जा रहा है, इन टंकियों की मरम्मत हेतु निविदाएं आमंत्रित कर ली गई हैं एवं शीघ्र ही मरम्मत कार्य पूर्ण करा कर टंकियों में पानी चालू कर दिया जावेगा। इन स्थानों पर सार्वजनिक नलों द्वारा वितरण किया जा रहा है। इसकी सूचना प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

## विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के हैण्डपम्प

177. श्री रामचन्द्र रावत (नैनवां) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में कितने हैण्डपम्प खराब हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिन गांवों में हैण्डपम्प द्वारा ही पीने के पानी की आपूर्ति होती है, उन गांवों के सभी हैण्डपम्प खराब खराब हो चुके हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन हैण्डपम्पों की जगह नये हैण्डपम्प लगाने की स्वीकृति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में 16 सूखे व 104 परित्यक्त हैण्डपम्प हैं। जिसकी सूची परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) जी, नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई ग्राम नहीं है। परित्यक्त हैण्डपम्प के विरुद्ध अनुसूचित जाति एवं जनजाति बस्तियों में 35 हैण्डपम्प वर्ष 1997-98 में लगाये जाने प्रस्तावित हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

## भवानी मण्डी की जल प्रदाय योजना

178. श्री बाबूलाल वर्मा (डग) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र डग में हुक्मों की भवानी मण्डी जल प्रदाय योजना की स्वीकृति दिनांक, राशि, पूरा होने की दिनांक सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) दिनांक 31 जुलाई, 1997 तक इस योजना के अन्तर्गत क्या-क्या कार्य पूरा करा लिया गया ? उक्त कार्य किस ठेकेदार/फर्म द्वारा पूरा किया गया है ? उस ठेकेदार का नाम, उस कार्य को योजना के अनुसार पूरा करने हेतु स्वीकृत राशि, अभी तक भुगतान राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें। इसके अन्तर्गत ठेकेदारों द्वारा

(श्री बाबूलाल वर्मा)

प्रस्तुत किये गये बिलों की प्रति एवं विभाग द्वारा उन बिलों के विरुद्ध भुगतान की गई राशि के विवरण की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पूर्ण विवरण संलग्न है।
(प्रपत्र-"अ")

(2) पूर्ण विवरण संलग्न है।
(प्रपत्र-"ब")

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

## रायल्टी वसूली प्रकरण

179. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिन्डोली) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में रायल्टी वसूल करने हेतु ठेका दिया हुआ है ? यदि हां, तो किन-किन जिलों में कहां-कहां पर किन-किन व्यक्तियों को कितनी-कितनी अवधि के लिये ?

(2) ठेके दिये जाने से पूर्व कितनी राशि की वसूली होती थी तथा जब से ठेके दिये गये हैं तब से अवैध खनन के कितने कैसेज बने हैं ?

उत्तर

(1) जी, हां। प्रदेश में वर्तमान में जिन-जिन अप्रधान खनिजों की रायल्टी वसूली के ठेके दिये हुये हैं, उनका विवरण परिशिष्ट-"अ" में दिया गया है।

(2) रायल्टी वसूली के ठेके दिये जाने से पूर्व वसूल होने वाली राशि का ब्यौरा एवं वर्तमान ठेके देने के बाद बनाये गये अनधिकृत खनन के कैसेज की संख्या का विवरण परिशिष्ट-"ब" में दी गई है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या-180

(स्थगित)

## जयपुर शहर में दुपहिया वाहन चोरी प्रकरण

181. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) दिनांक 1 जून, 1997 से 14 अगस्त, 1997 तक जयपुर शहर में दुपहिया वाहन चोरी की कितनी वारदातें हुयीं ? विवरण वाहन मालिक के नाम, नम्बर एवं थाना क्षेत्र सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त वाहनों में से कितने वाहन कब-कब एवं कहां-कहां मिले ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि थाना विश्वकर्मा रोड नम्बर-5 में भी माह जुलाई, 1997 में दुपहिया वाहन चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी ? यदि हां, तो किसके द्वारा एवं कब ? उक्त पर अब तक क्या

(34)



(श्री रघुवीरसिंह)

कार्यवाही की गई एवं अब तक उक्त वाहनों के नहीं मिलने के क्या कारण रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिनांक 1 जून, 1997 से 14 अगस्त, 1997 तक जयपुर शहर में दुपहिया वाहनों की चोरी के सम्बन्ध में कुल 208 अभियोग दर्ज हुये। वाहन मालिकों के नाम, वाहन नम्बर एवं थाना क्षेत्र वाइज विवरण हेतु परिशिष्ट-"क" संलग्न है।

(2) इस अवधि में जयपुर शहर में चोरी गये 208 वाहनों में से 73 वाहन बरामद हुये जिनका विवरण संलग्न परिशिष्ट-"क" में अंकित है।

(3) थाना विश्वकर्मा रोड नम्बर-5 में माह जुलाई, 1997 में दुपहिया वाहनों की चोरी के 3 अभियोग पंजीबद्ध हुये जिनका विवरण संलग्न परिशिष्ट-"क" के क्रमांक 74 से 76 पर अंकित है। चोरी गये वाहनों के सम्बन्ध में माल मुलजियान की तलाश जारी है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

## ग्राम कराड़ियापार (बारां) में सक्रिय असामाजिक तत्वों की रोकथाम के उपाय

182. श्री प्रतापसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम कराड़ियापार तहसील छबड़ा थाना जेयाला जिला बारां मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित है?

(2) क्या यह भी सही है कि मध्य प्रदेश से कुछ असामाजिक तत्व इस ग्राम के आस-पास के अन्य गांवों के आदमियों को परेशान एवं चोरी/मारपीट करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां आर.ए.सी. पोस्ट लगाने अथवा पुलिस चौकी कायम करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, नहीं। यह सही नहीं कि मध्य प्रदेश से कुछ असामाजिक तत्व इस ग्राम के या आस-पास के आदमियों को परेशान, चोरी एवं मारपीट करते हो। इस गांव में वर्ष 1995 से अभी तक एक भी ऐसा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश के व्यक्तियों द्वारा इस गांव के लोगों के साथ मारपीट कर परेशान करने की घटना सामने आयी हो। निकट भविष्य में इस स्थान पर आर. ए. सी. की पोस्ट या पुलिस चौकी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

## जिला बून्दी का अवैध हथियार प्रकरण

183. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1992 से 1996 की अवधि में बून्दी जिले में अवैध

(श्री रामपाल उपाध्याय)

रिवाल्वर बरामद किये गये हैं ? यदि हां, तो किस व्यक्ति से किस तारीख को ? थानेवार दर्ज किये गये मुकदमे की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त मुकदमों की पुलिस तफतीश में शहादत/पूछताछ में मुल्जिम नामजद किये गये व्यक्तियों को शहादत के ग्रभाव में मुल्जिम नहीं बनाया जा सका है ? यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की मुकदमेवार नामजद सूची सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी, हां। थानेवार ग्रभियोग वाइज विवरण परिशिष्ट-"क" में संलग्न है।

(2) ग्रभियोग संख्या 119/95 एवं 120/95, धारा 3/25 ग्राम्र्स एक्ट पुलिस थाना कोटा डेम (डब्बी) में शहादत के ग्रभाव में मुल्जिम नहीं बनाये गये जिनकी सूचना परिशिष्ट-"क" में ग्रंकित है।

**(विवरण एवं सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

## पुलिस थाना भीण्डर (उदयपुर) में दर्ज प्रकरण

184. **श्री बनवारीलाल शर्मा** (धौलपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पुलिस थाना भीण्डर जिला उदयपुर में माह जुलाई, 1997 में कितने मुकदमे दर्ज हुए ? मुकदमा संख्या 134/97 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है मुकदमा संख्या 134/97 के मुल्जिमों को पहचान लिया गया, किन्तु ग्रभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों एवं नहीं, तो किस-किस को गिरफ्तार किया गया ? शेष मुल्जिमों को गिरफ्तार न करने के क्या कारण रहे एवं उन्हें ग्रब कब तक गिरफ्तार कर लिया जायेगा ?

(3) क्या उक्त मुकदमे में प्रार्थियों ने यह भी ग्रंकित किया था कि मुल्जिम एक ट्रेक्टर में भरकर ग्राये थे ग्रौर प्रथम सूचना रिपोर्ट में ट्रैक्टर का नम्बर भी दिया गया था ? यदि हां, तो क्या पुलिस द्वारा उक्त ट्रैक्टर को जब्त किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त प्रकरण में दोषी पुलिस ग्रधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ग्रौर नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) पुलिस थाना भीण्डर जिला उदयपुर में माह जुलाई, 1997 में कुल 25 मुकदमे दर्ज हुये। मुकदमा संख्या 134/97 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(2) मुकदमा संख्या 134/97 के मुल्जिमों की पहचान की जा चुकी है। उक्त ग्रभियोग जमानीय ग्रपराध होने के कारण मुल्जिम पृथ्वीराज, शंकर, कना, मोती, ग्रोमकार, नारायण, रतनलाल, सोहन, भग्गा कुल 9 मुल्जियान पुलिस थाने के जमानत

(30)



(गृह मंत्री)

पर है। उक्त अभियोग में शेष दो मुल्जिम भगवाना व हरीसिंह बावरी जो बाद में नामजद हुए हैं दूसरे थाना क्षेत्र के रहने वाले होने के कारण अभी तक काफी प्रयासों के बाद भी पुलिस को दस्तयाब नहीं हुये हैं जिनकी तलाश के प्रयास जारी है।

(3) मुकदमे की प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी कालूलाल ने 25-30 मुल्जिम एक मैसी ट्रैक्टर में भरकर आना जिनमें से मुल्जिम पृथ्वीराज व शंकर के नाम एवं ट्रैक्टर का नम्बर याद नहीं होना लिखाया था। तफतीश के दौरान ट्रैक्टर नम्बर आर. जे. 27/आर-1205 को जब्त किया गया है, जो न्यायालय के आदेशानुसार श्री नारायण अहीर को सुपुर्द कर दिया गया है। उक्त अभियोग के अनुसंधान में किसी पुलिस अधिकारी की कोई गलती नहीं होने के कारण किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

**(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)**

## संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा लाठी-चार्ज प्रकरण की जांच

**185. श्री जगदीप धनखड़** (किशनगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि लाठीचार्ज प्रकरण की जांच संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा की गयी? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति मय बयानों के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त जांच संभागीय आयुक्त द्वारा सम्पन्न कर सरकार को प्रेषित कर दी गई है?

(3) उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) जी, हां। कुछ बिन्दुओं पर अभी तथ्यात्मक सूचना आना बाकी है। पूर्ण सूचना आने पर ही जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना उचित होगा।

(2) जांच रिपोर्ट प्रथमतः दिनांक 20-5-1997 को प्रस्तुत की गई थी बाद में कई बिन्दुओं पर अतिरिक्त सूचना/स्पष्ट व्याख्या चाही गई।

(3) जांच रिपोर्ट को समीक्षोपरान्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में निर्णय लिया जायेगा।

## गोपालपुरा (जयपुर) बाईपास की यातायात व्यवस्था प्रकरण

**186. श्री परसराम मोरदिया** (लक्ष्मणगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गोपालपुरा बाईपास से ट्रकों के ट्रैफिक को बन्द करने का निर्णय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर दिया था।

(2) क्या यह भी सही है कि इसके पश्चात् इस बाईपास से छः माह के लिए ट्रैफिक जारी रखने की अनुमति उच्च न्यायालय ने प्रदान कर दी थी?

(श्री परसराम मोरदिया)

(3) क्या यह सही है कि उक्त मार्ग पर छः माह की अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी ट्रैफिक जारी है ? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक ट्रैफिक बन्द कर दिया जायेगा ?

(4) क्या यह सही है कि इस बाईपास की रेल्वे लाइन पर पुलिया के निर्माणाधीन होने से ट्रैफिक के आवागमन में अत्यन्त असुविधा हो रही है और निर्माण कार्य में प्रगति होने से आवागमन को प्रायः बन्द करना पड़ता है ?

(5) यदि हां, तो इस ट्रैफिक को दुर्गापुरा फाटक से अग्रवाल फार्म को जाने वाले सड़क मार्ग से मानसरोवर के पूर्व गुजरने वाली सैक्टर रोड से गूजर की थड़ी होकर कब तक चालू करवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां।

(3) जी, हां। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर की डबल बैंच द्वारा पूर्व में एकलपीठ द्वारा पारित आदेशों पर स्थगन आदेश दिनांक 17-1-97 जारी कर दिया गया, जिसमें कोई समयावधि निर्धारित नहीं की गई। इस स्थगन आदेश के अन्तर्गत मार्ग पर ट्रैफिक का आवागमन जारी है।

(4) जी, नहीं। केवल भारी वाहन जो अजमेर रोड से आते हैं, वे सीधे गोपालपुरा होकर जाते हैं। दिल्ली व कोटा की ओर से आने वाले भारी वाहन दुर्गापुरा फाटक पार करके रेल्वे लाईन के पास होकर वापस हाईवे में मिल जाते हैं। चूंकि इस व्यवस्था से वाहनों के आवागमन में कोई बाधा नहीं है, अतः उनका आवागमन बन्द करने अथवा उनके मार्ग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

(5) प्रश्न नहीं उठता।

## ग्राम जगतपुरा (जयपुर) में संचालित पुलिस चौकी

187. **श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम जगतपुरा, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर में विभाग की पुलिस चौकी सार्वजनिक रूप से निर्मित प्याऊ में स्थापित है ? यदि हां, तो कब से तथा किसके आदेश से ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या सरकार सार्वजनिक रूप से निर्मित प्याऊ से पुलिस चौकी हटाकर अन्यत्र स्थापित करने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। ग्राम जगतपुरा में सिवाय चक भूमि पर एक खण्डहर कमरे की जन सहयोग से मरम्मत कराकर यह चौकी

(गृह मंत्री)

वर्ष 1991-92 में स्थापित की गई थी। चौकी के पास स्थित एक पाटोड़नुमा कमरे में सार्वजनिक प्याऊ भी चल रही है।

(2) जी, नहीं।

## कृषि भूमियों पर बने रिहायशी/ वाणिज्यिक परिसरों का नियमितीकरण

188. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में सरकारी भूमियों व कृषि भूमियों पर बनाये गये रिहायशी/वाणिज्यिक परिसरों के निर्माण कार्यों को निर्धारित राशि जमा कराकर नियमित करने का आदेश जारी किया था ? यदि हां, तो कब तथा इसकी अनुपालना किस सीमा तक हुई ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन आदेशों की अनुपालना जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ? इस सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है ?

(3) क्या सरकार के स्तर पर इसकी समीक्षा की गई ? यदि हां, तो कब तथा इसका क्या नतीजा रहा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) उक्त निर्माण कार्यों को नियमित करने के सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है ?

(5) क्या यह सही है कि राजस्व विभाग के आदेश की जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बार-बार अवहेलना की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? इस विषय में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने प्रस्तावित हैं ? यदि नहीं, तो उक्त आदेश की पालना क्यों नहीं की गई ?

उत्तर

(1) जी, हां। इस सम्बन्ध में 23-4-97 को आदेश जारी किये गये हैं। इसकी अनुपालना की समीक्षा की जा रही है।

(2) जी, नहीं। यह सही नहीं है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इस आदेश की अनुपालना नहीं की जा रही है। जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को नियमितीकरण/रूपान्तरण की शक्तियां प्रदत्त की हुई हैं और उसी के अनुसरण में वहां प्रार्थना पत्र लिये गये हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण ने कुछ मामलों में अपनी समस्या बताई है जिन पर विचार विमर्श जारी है।

(3) राज्य स्तर पर समीक्षा की जा रही है।

(4) नियमितीकरण के बारे में राज्य सरकार के आदेश 23-4-97 तथा उसके पूर्ववर्ती आदेश जारी किये गये हैं तथा

(राजस्व मंत्री)

इनकी अनुपालना में आ रही कठिनाइयों पर विचार किया जा रहा है।

(5) जयपुर विकास प्राधिकरण के साथ पत्र व्यवहार एवं विचार विमर्श जारी है।

## विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में राजस्व कार्यालयों की स्थापना

189. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में नया जिला करौली बनने के कारण ए. सी. एम. या एस. डी. एम. के नये कार्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां ?

(2) उक्त क्षेत्र में क्या सरकार नई तहसील/उप तहसील खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां ?

(3) टोडाभीम में तहसील की इमारत कब की बनी हुई है ? क्या वह टूटने की स्थिति में पहुंच गई है ? यदि हां, तो सरकार नया भवन कब तक बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) तहसील भवन टोडाभीम स्टेट टाइम से बना हुआ है। तहसील टोडाभीम तहसील भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इसके स्थान पर नया भवन निर्माण करना वित्तीय अभाव में फिलहाल संभव नहीं है।

## राज्य की विभिन्न उपयोगों हेतु आरक्षित भूमि

190. श्री संगारसिंह चौधरी (खारची) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य में कृषि/खनिज/आवासीय/औद्योगिक/व्यावसायिक भूमियों का मालिकाना हक किसका है ?

उत्तर

भाग (1), (2) व (3) से वर्णित भूमियों में मालिकाना हक राज्य सरकार का है।

प्रश्न संख्या 191

(स्थगित)

## राजाखेड़ा में उपखण्ड अधिकारी मुख्यालय की स्वीकृति

192. श्रीमती मनोरमा सिंह (राजाखेड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार राजाखेड़ा में उपखण्डाधिकारी मुख्यालय स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

## कैम्प देई (बून्दी) में भूमि नियमन प्रकरण

193. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभाग के अधिकारियों द्वारा कैम्प देई (जिला बून्दी) पर दिनांक 21 सितम्बर, 1971 को भूमि नियमन संबंधी आदेश प्रदान किये गये हैं ? यदि हां, तो किस ग्राम की कितनी भूमि बाबत ? पत्रावली सं. सहित व्यक्तिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त दिनांक को ग्राम रतनगंज उर्फ नया गांव की भूमि संबंधी पत्रावली का भी निस्तारण किया गया है ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या नियमन की भूमि का संबंधित व्यक्ति के पक्ष में राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जा चुका है ? यदि हां, तो किस तारीख को तथा नहीं, तो अब कब तक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामदगी कर दी जायेगी ? खोले गये नामान्तरकरण की प्रति भी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। उपखण्ड कार्यालय, नैनवां में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार दिनांक 21-9-71 को भूमि नियमन संबंधी कैम्प देई पर बैठक आयोजित नहीं की गई थी। अतः नियमन के कोई आदेश भी नहीं दिये गये।

(2) जी, नहीं। जब कोई कैम्प ही नहीं रखा गया तो किसी भी पत्रावली के निस्तारण का कोई प्रश्न ही नहीं है।

(3) कैम्प आयोजित नहीं होने के कारण नियमन या अमल दरामद का कोई प्रश्न ही नहीं है।

## ग्राम रानीवास (दौसा) का भूमि प्रकरण

194. श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला दौसा, तहसील-दौसा के ग्राम रानीवास की खसरा नं. 1392 की खातेदारी भूमि किन-किन व्यक्तियों के नाम है ? जमाबन्दी की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त खसरा नम्बर के खातेदारों को नियम 91 के तहत नोटिस जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो नोटिस की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या नियमों में आवंटित शुदा भूमि के खातेदारों को नोटिस जारी करने का कोई प्रावधान है ? यदि नहीं, तो उक्त खातेदारों को नोटिस किस आधार पर जारी किये गये ?

(41)



(श्री परसराम मोरदिया)

(4) क्या सरकार नियमों के विपरीत जारी किये गये नोटिस को वापस लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार उक्त प्रकरण में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जिला दौसा तहसील दौसा के ग्राम रानीवास में स्थित भूमि ख. नं. 1392 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गै मु. खड्डा की खातेदारी मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2052 लगा. 2055 के अनुसार अमरा, रामरतन पि. भागीरथा कौम मीना सा. देह (रानीवास) के नाम से दर्ज है। जमाबन्दी की प्रति संलग्न परिशिष्ट "अ" पर है।

(2) जी, नहीं। उक्त ख. नं. के खातेदारों को नियम 91 के तहत कोई नोटिस जारी नहीं किये गये हैं।

(3) आबंटन नियमों/शर्तों की पालना नहीं करने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा आबंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है। खातेदारों को 91 का नोटिस जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है, न ही खातेदारों को नियम 91 का कोई नोटिस जारी किया गया है।

(4) जब खातेदारों को कोई नोटिस ही जारी नहीं किया गया है तो नोटिस वापस लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

(5) जी, नहीं। जब उक्त प्रकरण में कोई नियम विरुद्ध कार्यवाही ही नहीं की गई है तो दोषी मानकर कार्यवाही करने की आवश्यकता ही नहीं रहती है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

## ग्राम धारता (उदयपुर) की कृषि योग्य भूमि

**195. श्री बनवारीलाल शर्मा (धौलपुर) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम धारता, तहसील बल्लभनगर, जिला उदयपुर में कुल कितनी भूमि काबिल काश्त है ? आराजी खसरा नं. 382 एवं 383 पर किस-किस का कब्जा है ?

(2) क्या यह सही है कि खसरा नं. 383 का पुराना रास्ता खसरा नं 358 एवं 385 में होकर है ? यदि हां, तो विवरण मय नक्शे की प्रति के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त विषयक खसरा नं. 383 एवं 358-385 के धारकों के बीच मुकदमा नं 153/95 थाना मीण्डर, जिला उदयपुर में भी दर्ज हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार खसरा नं. 383 के मालिकों हेतु पुराना रास्ता ही कायम रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) तहसील बल्लभनगर के ग्राम धारता में 564 हैक्टेयर काबिल काश्त भूमि

(राजस्व मंत्री)

है। आराजी नं. 382 पर श्री नंदा, रामा, हेमराज पिता हमेरा अहीर निवासी धारता व आराजी नं. 383 पर श्री शंकर लाल, पृथ्वीराज पिता माना भंवरलाल, किशनलाल पिता भैरा, चुन्नी बाई पत्नी भैरा अहीर निवासी धारता का कब्जा है।

(2) जी, हां। ख. नं. 383 का पुराना रास्ता आराजी नम्बर 358 एवं 385 में से मौके पर है। किन्तु राजस्व अभिलेख में नहीं है। नक्शे की प्रति संलग्न है।

(3) जी, हां। उक्त विषयक खसरा नम्बरों के बीच मुकदमा सं. 153/95 थाना भीण्डर में दर्ज होकर चार्जशीट सं. ए नं. 96/95 कता की जा चुकी है। इन्हीं धारकों के बीच रास्ता विवाद राजस्व न्यायालय उप तहसीलदार कानोड़ में पत्रावली 1/97 विविध दर्ज होकर निर्णय दिनांक 28-6-97 को हो चुकी है। जिसकी अपील न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर में मुकदमा न. 61/97 अपील हेमराज/हमेरा अहीर निवासी धारता/रूपा बनाम परथा/देवा अहीर माना अहीर, शंकर नि. धारता माना अहीर निवासी धारता विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में आगामी सुनवाई तिथि दिनांक 22-9-97 नियत है। न्यायालय में निर्णय अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

(नक्शे की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

## अनुसूचित जाति के राजस्थान तहसीलदार सेवा में अधिकारी

196. श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य में अनुसूचित जाति के कितने राजस्थान तहसीलदार सेवा के अधिकारी हैं तथा इन अधिकारियों की किस-किस स्थान पर पदस्थापन/नियुक्तियां हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

राज्य में अनुसूचित जाति के 76 तहसीलदार व 85 नायब तहसीलदार वर्तमान में सेवारत हैं। इन अधिकारियों के वर्तमान में पदस्थापन के विवरण सहित सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

## विधान सभा क्षेत्र दूदू की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

197. श्री बाबूलाल (दूदू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू में सरकारी गैर मुमकिन चरागाह एवं सिवाय चक भूमि कितनी-कितनी, कहां-कहां पर है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बाबूलाल)

(2) क्या यह सही है कि उक्त सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है ? यदि हां, तो कहां व किस-किस के द्वारा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त अतिक्रमणों को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू में तहसील दूदू व फुलेरा तहसील के ग्राम आते हैं दोनों तहसीलों की सिवायचक व चारागाह भूमि निम्न प्रकार है। ग्रामवार सूची परिशिष्ट-'1' में अंकित है :—

| क्र. सं. | नाम तहसील | उपलब्ध सिवायचक भूमि रकबा हैक्टेयर | उपलब्ध चरागाह भूमि रकबा हैक्टेयर |
|---|---|---|---|
| 1. | दूदू मु. मौजमाबाद | 10655 | 12717 |
| 2. | फुलेरा मु. सांभर | 4022 | 4787 |
| | योग :— | 14677 | 17504 |

(2) जी, हां। वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र दूदू के ग्रामों की सरकारी/भूमियों पर अतिक्रमण किया हुआ है। तहसीलवार अतिक्रमण के रकबे की स्थिति निम्न प्रकार है :—

| क्र. सं. | नाम तहसील | सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण रकबा | चरागाह भूमि पर अतिक्रमण रकबा |
|---|---|---|---|
| 1. | दूदू मु. मौजमाबाद | 330 | 325 हैक्टेयर |
| 2. | फुलेरा मु. सांभर | 33 | 62 हैक्टेयर |
| | योग :— | 363 | 387 हैक्टेयर |

अतिक्रमण किस-किस द्वारा कहां-कहां कितने रकबे पर किया गया है सूची "परिशिष्ट-2" पर अंकित है।

(3) सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। सभी अतिक्रमियों के विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 91 के प्रावधानों के तहत संबंधित तहसीलदारान द्वारा अतिक्रमण हटाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

## सामुदायिक केन्द्र झाड़ोल में एक्सरे मशीन

198. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सराड़ा, जिला उदयपुर एक सम्पूर्ण जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है तथा ब्लॉक सामुदायिक केन्द्र झाड़ोल पर एक्स-रे मशीन नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां एक्स-रे मशीन लगवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी, हां। एक्स-रे मशीन क्रय करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

## खाद्य निरीक्षकों के कार्य की समीक्षा

199. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खाद्य निरीक्षकों के कार्य के मानदण्ड निर्धारित हैं ? यदि हां, तो क्या ? मानदण्ड की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पिछले दो वर्षों में इन मानदण्डों के अनुसार निरीक्षकों द्वारा कार्य किया गया है ? यदि हां, तो कितना-कितना ? निरीक्षकवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार स्तर पर कभी इनके कार्य की समीक्षा की गई है ? यदि हां, तो कब-कब ? समीक्षा उपरान्त जारी रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि समीक्षा में जिन निरीक्षकों का कार्य असन्तोषजनक रहा उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) जी, हां। खाद्य निरीक्षकों के कार्य हेतु निर्धारित मानदण्ड आदेश की प्रति संलग्न है।

(2) जी, हां। खाद्य निरीक्षकों द्वारा किये गये कार्य का वर्ष 1996 एवं 1997 (जून, 97) तक का खाद्य निरीक्षकवार विवरण संलग्न है।

(3) जी, हां। सरकार स्तर पर दिनांक 3-6-96, 2-7-96, 22-1-97, 24-4-97, 25-4-97, 23-5-97, 28-5-97, 8-7-97 व 7-8-97 को निर्देश जारी किये गये जिनकी प्रतियां संलग्न है।

(4) जी, हां। असन्तोषजनक कार्य करने वाले खाद्य निरीक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है। विवरण संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

## जिला उदयपुर के भवन विहीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

**200. श्री महावीर भगोरा** (गोगुन्दा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर जिले में कुल कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अपने निजी भवन हैं ? यदि नहीं, तो किन-किन स्थानों पर ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त जिले में भवनों के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कहां-कहां एवं इनके निर्माण हेतु क्या निर्णय लिया गया है ?

### उत्तर

(1) उदयपुर जिले में 72 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी, नहीं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी, हां। वर्ष 1997-98 में 20 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण कराया जाना हैं, जिसमें से उदयपुर में दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी गई है।

**(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)**

## जिला जोधपुर के चिकित्सालयों में रिक्त पद

**201. श्री राजेन्द्र चौधरी** (बिलाड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर जिले में कहां-कहां, किस-किस श्रेणी की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिकित्सालयों में कहां-कहां पर कब-कब से कौन-कौन से पद रिक्त हैं ?

(3) क्या सरकार इन रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

### उत्तर

(1) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के नियंत्रण वाली संस्थानों की विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) प्रश्न के भाग-1 में दी गई सूची में रिक्त पदों का विवरण अंकित है।

(3) चयनित चिकित्सक उपलब्ध होते ही पद भर दिये जायेंगे। पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पद प्रशिक्षित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरे जा सकेंगे।

**(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

## जिला चिकित्सालय श्री गंगानगर की व्यवस्थाएं

202. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्री गंगानगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला चिकित्सालय श्री गंगानगर में व्यवस्थाओं का अभाव है ? क्या सरकार इन्हें दूर करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या जिला चिकित्सालय द्वारा विकलांगों को विकलांगता प्रमाण-पत्र लेने हेतु कई चक्कर काटने पड़ते हैं ? क्या सरकार इस व्यवस्था को सुचारू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या जिला चिकित्सालय में रोशनी के अभाव में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है ? क्या सरकार अतिशीघ्र विद्युत व्यवस्था में सुधार करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

### उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, नहीं। शेष प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) जी, नहीं।

## पंचायत समिति लूणकरणसर के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उपस्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना

203. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि उप स्वास्थ्य केन्द्र के स्थानान्तरण करने में निर्णय लेने हेतु सम्बन्धित पंचायत समिति व जिला कलक्टर की राय लेना आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या राजासर भाटियान से सुरनसर, तहसील सरदारशहर एवं सुरजासर से उदरासर, तहसील डूंगरगढ़ से उप स्वास्थ्य केन्द्र के स्थानान्तरण करने में उपरोक्त प्रक्रिया अपनाई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पंचायत समिति लूणकरणसर में अनेक ग्राम पंचायत मुख्यालय बिना उप स्वास्थ्य केन्द्र के हैं जहां तक उक्त दोनों उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने चाहिए ? यदि हां, तो क्या उक्त दोनों उप स्वास्थ्य केन्द्र ऐसे ग्राम पंचायत मुख्यालयों में खोलने हेतु सरकार पुनर्विचार करेगी ?

### उत्तर

(1) जी, नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(2) जी, हां। यह सही है कि पंचायत समिति लूणकरणसर के छः ग्राम पंचायतों के मुख्यालय पर उप केन्द्र स्थापित नहीं है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वार्षिक योजना 1996-97 के बजट अभिभाषण में यह घोषणा की गई थी कि अब उप केन्द्र उन पंचायत क्षेत्रों में स्थापित किये जाएंगे जहां कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा आयुर्वेदिक, यूनानी या होमियोपैथिक पद्धति के चिकित्सालय स्थापित नहीं है।

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

पंचायत समिति लूणकरणसरण की उपरोक्त छः ग्राम पंचायत क्षेत्र के अधीन ग्रामों में उपकेन्द्र स्थापित होने के कारण पंचायत मुख्यालय पर उपकेन्द्र खोले जाने पर पुनर्विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

## टोंक शहर में पीलिया रोग का प्रकोप

**204. श्री बनवारीलाल बैरवा** (निवाई) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि माह जुलाई व अगस्त, 1997 में टोंक शहर में पीलिया रोग का प्रकोप हुआ था ? यदि हां, तो इसके फैलने का क्या कारण रहा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

जी, नहीं। शेष प्रश्न बिन्दु लम्बित नहीं होता।

## जिला स्तरीय चिकित्सा समितियों की बैठकें

**205 श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में चिकित्सा के सम्बन्ध में जिला स्तरीय समितियां बनी हुई हैं ? यदि हां, तो कब ? उक्त समितियों की बैठकें कितने दिनों में होनी चाहिए ?

(2) क्या उक्त निर्देशानुसार राज्य में जिला स्तरीय चिकित्सा समितियों की बैठकें हुई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जी, हां। राज्य में वर्ष 1994 से चिकित्सा के सम्बन्ध में जिला स्तरीय सलाहकार समितियों का गठन किया हुआ है। इनकी बैठक प्रत्येक माह में एक बार आयोजित किये जाने की व्यवस्था है।

(2) जी, हां। सलाहकार समितियों की बैठकें सामान्यतया हुई है। परन्तु प्रशासनिक एवं अन्य कारणों से, जैसे मौसमी बीमारियों की तथा परिवार कल्याण शिविर की, टीकाकरण आदि की साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठकें होने से उक्त समितियों की बैठकें सही अन्तराल में नहीं हो पाई है।

## जनजाति उपयोजना क्षेत्र की सड़क नीति

**206. श्री महावीर भगोरा** (गोगुन्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में गांवों को सड़कों से जोड़ने की क्या नीति/मानदण्ड हैं ?

(2) क्या मानदण्डानुसार सभी पंचायत मुख्यालयों/ग्रामों को जोड़ दिया गया है ? यदि नहीं, तो कितने ग्राम पंचायत मुख्या-

(श्री महावीर भगोरा)

लय जोड़े जाने शेष हैं एवं उन्हें कब तक जोड़ दिया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में गांवों को सड़कों से जोड़ने की सड़क नीति निम्न प्रकार है :—

1. 1971 की जनगणनानुसार 1000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त (1996-97) तक डामर की सड़कों से जोड़ना ।

2. आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त (1996-97) तक सभी पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ना ।

3. जनजाति क्षेत्र के 1991 जनसंख्या के आधार पर 750 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को नवीं पंचवर्षीय योजना में डामर की सड़क से जोड़ना ।

4. सभी पंचायत मुख्यालयों को नवीं पंचवर्षीय योजना में डामर की सड़क से जोड़ना ।

(2) जी, नहीं । कुल 31 पंचायत मुख्यालयों को ग्रेवल सड़क से एवं 1971 की जनगणनानुसार 1000 से अधिक जनसंख्या के 11 गांवों को डामर की सड़क से जोड़ना शेष है । इन सबकी आंशिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा शेष स्वीकृति वित्तीय वर्ष 1998–99 में सम्भव हो सकेगी जिसके आधार पर उक्त गांवों को सड़क से जोड़ा जा सकेगा ।

## पंचायत समिति बसेड़ी (भरतपुर) की सड़कों का जीर्णोद्धार

207. श्री ब्रजेन्द्रसिंह सूपा (बयाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार पंचायत समिति बसेड़ी की सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो :–

(अ) बसेड़ी से बागंथ्यर

(ब) धोती की तिबरीया से बडरीया

(स) बसेड़ी से भासलपुर की सड़कें कब क्षतिग्रस्त हुई तथा उनकी मरम्मत क्यों नहीं की गई और अब कब तक मरम्मत करा दी जायेगी ?

(2) क्या सरकार बयाना से तालचिड़ी सड़क की मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि सिंघाड़ा से तरसूमा सड़क का कार्य प्रारम्भ किया गया है ? यदि हां, तो उक्त सड़क पर कार्य कब प्रारम्भ हुआ और कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ?

(4) क्या यह भी सही है कि बाबरेम से कपूरा–मलूका सड़क का ठेका हो चुका है ? यदि हां, तो उस पर कब कार्य प्रारम्भ कर पूर्ण करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी, हां। (अ) बसेड़ी बागथर की कुल लम्बाई 5 किमी. है। वर्ष 95-96 में अतिवृष्टि एवं बाढ़ के कारण एक पुलिया व सम्पूर्ण सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी। पुलिया का पुनर्निर्माण करवा दिया गया है एवं 2 किमी. में गिट्टी से पेच रिपेयर कर दिया गया है। शेष 3 किमी. में सड़क को ऊंचा उठाना एवं पुनः निर्माण की आवश्यकता है। वर्षात समाप्ति के पश्चात् 2 किमी. में डामर के पेच करा दिये जायेंगे। लेकिन सड़क को ऊंचा उठाना एवं पुनर्निर्माण के कार्य हेतु वित्तीय संसाधन जुटाकर अगली वर्षा के पूर्व कार्य सम्पादित करना प्रस्तावित है।

(ब) धोबी को तिवरिया से बडरिया की कुल लम्बाई 4 किमी. है जिसमें से 2 पुलिया 90-91 में व 2 किमी. सड़क अतिवृष्टि एवं बाढ़ के कारण 95-96 में क्षतिग्रस्त हो गई थी। क्षतिग्रस्त दोनों पुलियों का पुनर्निर्माण प्रगति पर है व दिसम्बर, 97 तक पूर्ण हो जायेगा। 2 किमी. क्षतिग्रस्त सड़क पर गिट्टी से पेच रिपेयर कर दी है एवं वर्षात के बाद डामर से 2 किमी. सड़क पर पेच मरम्मत कर दी जायेगी। क्षतिग्रस्त 2 किमी. सड़क के पुनर्निर्माण का कार्य हेतु वित्तीय संसाधन जुटाकर अगली वर्षा के पूर्व कार्य सम्पादित करना प्रस्तावित है।

(स) बसेड़ी से माचलपुर सड़क की लम्बाई 18 किमी. है (3/0 से 21/0) जिसमें से 14 किमी. की लम्बाई (7/0 से 21/0) अतिवृष्टि एवं बाढ़ के कारण 95-96 में क्षतिग्रस्त हो गई थी। गिट्टी से पेच रिपेयर करवा दी गई है लेकिन 11 किमी. में सड़क को ऊचा करना एवं पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। 3 किमी. में (किमी. 8, 15, 16) बारिश के पश्चात् डामर का कार्य पूरा करा दिया जायेगा। शेष 11 किमी. में सड़क को ऊंचा करने एवं पुनर्निर्माण के लिये वित्तीय संसाधन जुटाकर अगली वर्षा के पूर्व कार्य सम्पादित करना प्रस्तावित है।

(2) जी, हां। बयाना तालचिडी की कुल लम्बाई 28 किमी. है इसमें से वर्ष 95-96 में 11 किमी. क्षतिग्रस्त हुये थे एवं 13 स्थानों पर सड़क कट गई थी। कटी हुई सड़क पर मिट्टी एवं बवारी रविश डालकर रास्ता शुरू करवा दिया गया है। लेकिन उस पर पुनर्निर्माण हेतु वित्तीय संसाधन जुटाकर अगली वर्षा के पूर्व कार्य सम्पादित करना प्रस्तावित है। शेष जगह पर गिट्टी से पेच रिपेयर कर दिये गये हैं एवं एक काजवे का निर्माण भी करा दिया गया है। डामर से पेच मरम्मत वर्षात के बाद करा दिया जायेगा।

(3) जी, हां। सिघाडा एवं तरसूमा दोनों डामर की सड़क पर स्थित है। इनके बीच की लम्बाई 22 किमी. है। सिंघाडा से थाना डांग तक 8 किमी. की लम्बाई के लिए सन् 1984 में 15.00 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। कृषकों द्वारा व्यवधान डालने के कारण सड़क निर्माण में देरी हुई एवं 6.7 किमी. लम्बाई की सड़क ही बन पाई। शेष कार्य के लिये नवीन स्वीकृति के अनुसार 6/96 में कार्य प्रारम्भ

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

कर दिया है एवं भूमि अवाप्ति की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है तथा मार्च, 98 तक कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा। शेष 14 किमी. लम्बाई की कोई स्वीकृति नहीं है एवं सड़क नीति के अन्तर्गत भी नहीं आती है।

(4) जी, हां। धाधरेन से कपूरा-मालूका सड़क की लम्बाई 5.70 किमी. है। सन् 1989 में 10.00 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई थी लेकिन भूमि अवाप्ति नहीं होने के कारण कृषकों द्वारा सड़क को नहीं बनने दिया गया। अब भूमि अवाप्ति की कार्यवाही हो चुकी है एवं ग्रेवल सड़क का कार्य मार्च, 98 तक पूर्ण हो जायेगा। डामरीकरण के लिये नई स्वीकृति 30 10 लाख रुपये की है जिसके तहत निविदा आमंत्रित की जा रही है।

## राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

208. श्री अमराराम (धोद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा राज्य के राजमार्गों पर कितनी धनराशि व्यय की गई ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार ने राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों में जिन किसानों की भूमि अवाप्त की, क्या उनका मुआवजा दे दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

### उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा राजमार्गों पर व्यय की गई राशि का जिलेवार विवरण प्रपत्र "क" पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं। सभी काश्तकारों को मुआवजा नहीं दिया जा सका है। भूमि अवाप्ति का मुआवजा भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा दिये गये अवार्ड के पश्चात् दिया जाता है जो कि एक लम्बी प्रक्रिया है तथा सतत् चलती रहती है। खातेदारों के असली वारिशों को पता कर भुगतान करने में व्यवधान आता है। मुआवजों के मामले जैसे-जैसे दावेदारों द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं, उन पर नियमानुसार कार्यवाही कर मुआवजे का भुगतान किया जाता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

## करौली की नजूल सम्पत्ति

209 श्री हंसराम गुर्जर (करौली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

करौली में कितने मकान नजूल सम्पत्ति के हैं और उन पर किस-किस का कब्जा है ? क्या सरकार उनको खाली कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

करौली में 92 नजूल सम्पत्तियां हैं, कब्जे का विवरण परिशिष्ट "अ" में अंकित है। जी हां, राजकीय विभागों के अतिरिक्त

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

निजी व्यक्तियों के अधीन नजूल सम्पत्तियों को नियमानुसार कार्यवाही कर खाली कराया जायेगा। चूंकि कुछ मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं, अतः समय सीमा निश्चित किया जाना संभव नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

## पंचायत समिति बौंली एवं बामनवास के ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ा जाना

**210. श्री हीरालाल (बामनवास) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास की पंचायत समिति बामनवास व बौंली के कितने ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से पूर्णरूपेण जोड़ दिया गया है ?

(2) पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने वाली सड़कों की स्वीकृति मय राशि एवं दूरी की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें। उक्त पंचायत समिति के कितने ग्राम पंचायत मुख्यालय ऐसे हैं जो सड़क से नहीं जुड़ पाये हैं ? इन्हें अब कब तक सड़कों से जोड़ दिया जायेगा ?

(3) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में 1,000 की आबादी के ग्रामों को सरकार कब तक सड़क से जोड़ने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास की पंचायत समिति बौंली एवं बामनवास में कुल 51 पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ दिया गया है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में 9 पंचायत मुख्यालय सड़क से नहीं जुड़ पाये हैं। जिनमें से 1 पंचायत मुख्यालय को जोड़ने का कार्य न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम योजनान्तर्गत प्रगति पर है तथा 8 पंचायत मुख्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की योजना में आंशिक रूप से स्वीकृत हैं। उक्त सड़कों की स्वीकृति मय राशि एवं दूरी की सूची अनुसूची-1 पर अंकित है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से शेष राशि स्वीकृत करा कर कार्यों को वर्ष 97-98 में पूर्ण कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में सन् 1971 की जनसंख्या के आधार पर 1000 या इससे अधिक आबादी के कुल 31 गांव हैं। उक्त 31 ग्रामों में से 28 ग्राम डामर सड़क से जोड़ दिये गये हैं तथा 2 ग्राम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में तथा एक ग्राम कृषि उपज मण्डी द्वारा डामर सड़क से जोड़ने के लिये प्रगति पर है। जिनको वित्तीय वर्ष 1997-98 में डामर सड़क से जोड़ना प्रस्तावित है। विधान सभा क्षेत्र बामनवास में 1991 की जनगणनानुसार 1000 से ऊपर की आबादी वाले 89 गांव हैं। इनमें से 44 गांव डामर सड़क, 13 गांव मेटल सड़क एवं 9 गांव ग्रेवल सड़कों से जुड़े हुए हैं। 23 गांव अभी

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

सड़क से जुड़े हुए नहीं है। सड़क विकास नीति के अनुसार इन सभी गांवों को नवीं पंचवर्षीय योजना में डामर की सड़क से जोड़ना प्रस्तावित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

## विधान सभा क्षेत्र डग में आश्वासित रोजगार योजनान्तर्गत निर्माण कार्य

**211. श्री बाबूलाल वर्मा (डग) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा वर्ष 1994-95 से 1996-97 में आश्वासित रोजगार योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र डग में सड़क निर्माण/भवन निर्माण के कौन-कौन से कार्य करवाये गये ? प्रत्येक कार्य का नाम, स्वीकृत राशि, खर्च की गई राशि एवं स्वीकृत सड़क की लम्बाई तथा निर्माण की गयी सड़क की नवीनतम स्थिति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पिछले तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र डग में जो कार्य मस्टर–रोल के आधार पर कराये गये हैं, उनके मस्टर रोल की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) डग विधान सभा क्षेत्र में सरकार द्वारा वर्ष 1994-95, 1996 एवं 1996-97 में आश्वासित रोजगार योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण, भवन निर्माण के कराये गये कार्यों का पूर्ण विवरण संलग्न प्रपत्र "क" में दर्शाया गया है।

(2) पिछले तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र डग में जो कार्य मस्टर-रोल पर कराये गये हैं। उनके मस्टर-रोलों की केवल एक प्रति सदन के पटल पर प्रस्तुत है एवं एक प्रति अलग से माननीय विधायक महोदय के लिये भी प्रस्तुत है।

(प्रपत्र 'क' के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें एवं मस्टररोल की प्रति प्रश्न शाखा के मूल सैट में रखी गयी)

## सरदारशहर–रावतसर सड़क का जीर्णोद्धार

**212. श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) तहसील सरदारशहर क्षेत्र में सरदारशहर–रावतसर रोड पर पिछले तीन वर्षों में रख-रखाव पर कितनी राशि व्यय की गई एवं सड़क की वर्तमान स्थिति क्या है ? क्या मौजूदा सड़क आवागमन के काबिल है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या इस सड़क के बारे में विभाग की ओर से कोई सर्वे कराया गया है कि इस सड़क पर कितनी गाड़ियां प्रतिदिन आती–जाती हैं ? गत तीन वर्षों में इस सड़क की कब-कब मरम्मत कराई गई और इस पर कितनी–कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अब इस सड़क की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) तहसील सरदारशहर क्षेत्र में सरदारशहर रावतसर सड़क पर पिछले तीन वर्षों में रख-रखाव पर निम्न प्रकार पैसा व्यय किया गया ।–

1. 1994-95 20.44 लाख रु.

2. 1995-96 22.45 लाख रु.

3. 1996-97 15.24 लाख रु.

सरदारशहर–रावतसर रोड पर सरदारशहर कि.मी. 85/0 पर आता है ।

सरदारशहर क्षेत्र कि.मी. 133/400 तक है । जिसकी वर्तमान में स्थिति निम्न प्रकार है :–

1. कि. मी. 85/0 से 102/0

सड़क के कुछ भाग में पैचेज एवं पोट होल्स पड़े हुये हैं ।

2. कि. मी. 102/0 से 110/0

सड़क पर कुछ पेचेज हैं ।

3. कि. मी. 110/0 से 133/400

सड़क वर्तमान में ठीक है । मोजूदा सड़क कुछ कि. मी. के भाग को छोड़कर आवागमन के लिये काबिल है । सड़क के जिस भाग में पैचेज एवं पोट होल्स है, उनकी मरम्मत का कार्य वर्षा ऋतु समाप्त होने पर प्रारम्भ कर ठीक करवा दिया जायेगा ।

(2) जी, हां । इस सड़क पर वर्ष में दो बार वाहनों के आवागमन का सर्वे विभाग द्वारा करवाया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

| | अक्टूबर/96 | अप्रेल/97 |
|---|---|---|
| कार/जीप/ टेक्सीज | 289 | 298 |
| बस | 114 | 125 |
| ट्रक | 527 | 975 |
| मल्टी एक्सल्ड व्हीकल्स | 56 | 108 |
| योग :— | 986 प्रतिदिन | 1506 प्रतिदिन |

गत तीन वर्षों में इस रोड पर कराई गई मरम्मत का विवरण निम्न प्रकार है :–

| | |
|---|---|
| वर्ष 1994-95 | वर्षा ऋतु से पूर्व एवं बाद में पेच रिपेयर व अन्य साधारण मरम्मत का कार्य कराया गया । |
| वर्ष 1995-96 | उपरोक्त |
| वर्ष 1996-97 | उपरोक्त |

गत तीन वर्षों में इस रोड पर जो राशि व्यय की गई उसका विवरण प्रश्न के बिन्दु सं. 1 में वर्णित है ।

(3) इस वित्तीय वर्ष में इस सड़क पर वर्षा से पूर्व दो बार पेच रिपेयर का कार्य करवा दिया गया है । अब वर्षा ऋतु के बाद इस सड़क की मरम्मत दिसम्बर, 1997 तक करवा दी जायेगी ।

## जिला झालावाड़ के पंजीकृत ठेकेदार/फर्म्स

213. श्री बाबूलाल वर्मा (बारां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) झालावाड़ जिले में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन ठेकेदारों द्वारा वर्ष 1994-95 से 1996-97 में किये गये कार्यों का विवरण जिसमें कार्य का नाम, निविदा राशि, दिनांक, कार्य प्रारम्भ व समाप्त करने की अवधि, भुगतान राशि हो, सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सभी कार्यों की दिनांक 30 जून, 1997 की नवीनतम स्थिति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त सभी कार्यों के अन्तर्गत दिनांक 30 जून, 1997 तक प्रत्येक कार्य के अनुसार कितनी-कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) झालावाड़ जिले के सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड-झालावाड़ में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों की सूची प्रपत्र "क" 1 से 2 पर संलग्न है।

(2) इन ठेकेदारों द्वारा वर्ष 1994-95, 1995-96, 1996-97 में किये गये कार्यों का विवरण प्रपत्र "ख" (1 से 37) पर अंकित कर संलग्न है।

(3) उक्त सभी कार्यों की दिनांक 30-6-1997 तक की नवीनतम स्थिति का ब्यौरा प्रपत्र "ख" के कॉलम 7 में अंकित है।

(4) उक्त सभी कार्यों के अन्तर्गत दिनांक 30-6-1997 तक प्रत्येक कार्य के अनुसार व्यय की जा चुकी राशि का विवरण प्रपत्र "ख" के कॉलम संख्या 6 में अंकित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

## भीम एवं देवगढ़ तहसीलों में सड़क निर्माणार्थ व्यय राशि

214. श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1995-96 व 1996-97 में राजसमंद जिले की भीम व देवगढ़ तहसीलों की किस-किस सड़क पर किस-किस योजनान्तर्गत कितनी-कितनी राशि स्वीकृत कर व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) भीम व देवगढ़ की नवनिर्मित, निर्माणाधीन, कालाखुदान, बरजाल, बेखाबास, जैतगढ़, सारोठ सड़कों पर डामरीकरण की अत्यन्त धीमी प्रगति के क्या कारण है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार भीम तहसील की मन्दावर—लसाडिया व कुशलपुरा राष्ट्रीय राजमार्ग 8 व देवगढ़ की ठिकर-चिबेर सड़क को योजना में सम्मिलित कर डामरीकरण

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या यह सही है कि भीम तहसील की नन्दावर-लसाडिया सड़क की मिट्टी की गुणवत्ता की शिकायतें कई बार की जा चुकी हैं ? क्या जिला स्तरीय बैठक में भी इस बाबत विभागीय कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो अब तक दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) भीम व देवगढ़ तहसीलों में विभिन्न योजनाओं में आवंटित एवं व्यय का विवरण प्रपत्र 1 से 6 पर संलग्न है।

(2) वर्ष 1996-97 में कालागुमान, बरजाल सड़क पर डामर से सरफेस ट्रेसिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। अतः डामरीकरण का कार्य आंशिक रूप से हो चुका है। पेवर का कार्य इस वित्तीय वर्ष में हो जायेगा। शेखावास तथा सारोठ की सड़कों पर मेटल का कार्य पूर्ण हो चुका है व डामर का कार्य शेष है कार्य की गति वित्तीय प्रावधानों के अनुसार रही है।

जैतगढ़ सड़क की स्वीकृति 1996-97 में प्राप्त हुई है एवं कार्य प्रगति पर है। यह कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर दिया जायेगा। अतः इस कार्यों में गति धीमी नहीं रही है।

(3) भीम तहसील में नन्दावर से लसाडिया (पंचायत मुख्यालय) को नवीं पंचवर्षीय योजना में सड़क नीति के अनुसार डामर से जोड़ना प्रस्तावित है। कुशलपुर पंचायत मुख्यालय पहले से ही ताल-लसानी सड़क से मेटल सड़क द्वारा जुड़ा हुआ है। अतः दूसरी ओर से (राष्ट्रीय राजमार्ग 8) जोड़ना सड़क नीति अनुसार प्रस्तावित नहीं है। टीकर व दीवेर दोनों ग्राम दूसरी ओर डामर की सड़क से जुड़े होने के कारण आपस में डामर सड़क से जोड़ना प्रस्तावित नहीं है।

(4) कार्य पर ठेकेदार द्वारा कुछ घटिया किस्म की बेलास्ट डाल दी गई थी, जिसको सहायक अभियन्ता द्वारा साइट से हटवा दी गई थी तत्पश्चात् जिला स्तरीय बैठक में विभागीय कार्यवाही करने के बारे में कहा गया था। बाद में मापदण्ड के अनुसार ही साइट पर सामग्री ठेकेदार द्वारा एकत्रित की गई व कार्य मापदण्डों के अनुसार करवाया गया। चूंकि कार्य मापदण्डों के अनुसार ही किया गया है अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

**(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)**

## ग्राम सोपरी से अरणिया केदार का सड़क निर्माण कार्य

215. श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सोपरी से अरणिया केदार सड़क निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो कब से ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

(2) क्या यह सही है कि इस कार्य में ठेकेदार द्वारा ढिलाई बरती जा रही है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां। इस सड़क का निर्माण दिनांक 6-3-1997 से शुरू हुआ।

(2) जी, हां। ठेकेदार द्वारा कार्य धीमी गति से किया जा रहा है। कार्य ठेकेदार को दिनांक 5-1-1998 तक पूर्ण करना है। धीमी गति के कारण ठेकेदार को नोटिस दिये जा चुके हैं एवं अन्तरिम शास्ति भी लगा दी गई है।

## ग्राम सीसवाली (बारां) के पशु चिकित्सालय परिसर में अतिक्रमण

216. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) एवं श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि बारां जिले में सीसवाली ग्राम में पशु चिकित्सालय के भवन के एक बड़े हिस्से पर इसी चिकित्सालय के रिटायर्ड कंपाउण्डर ने वर्ष 1993 से अनधिकृत कब्जा करके अपना निवास स्थान बना रखा है ? यदि हां, तो ग्राम पंचायत की शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

जी, नहीं। प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में जांच करवाई गई, जिसमें जांच अधिकारी ने अवगत कराया कि पशु चिकित्सालय ग्राम पंचायत द्वारा किये गये भवन में वर्ष 1989 से यथावत कार्यशील है व इसमें किसी हिस्से पर कोई अतिक्रमण नहीं है। यदि जिस भवन पर श्री हाड़ा कब्जा किये हुए हैं, पंचायत अपना हक मानती है तो वह विधिवत खाली करने की कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र है। विभागीय स्तर पर कोई कार्यवाही वांछित नहीं है।

## पंचायत समिति धोद (सीकर) में पशु चिकित्सालय

217. श्री अमराराम (धोद) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति धोद (सीकर) के ग्राम धोद में पशु चिकित्सालय नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार अब कब तक उक्त क्षेत्र में पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति धोद के ग्राम फागलवा में जन सहयोग से तीन लाख का भवन बना दिया है? क्या सरकार फागलवा में पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति धोद के पंचायत मुख्यालय माण्डेता में पशु चिकित्सालय की कोई व्यवस्था नहीं है ? क्या सरकार अब उक्त पंचायत मुख्यालयों में पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां। परन्तु ग्राम धोद (सीकर) में पशु चिकित्सा सुविधा हेतु पशु औषधालय नागवा का उपकेन्द्र कार्यरत है। उक्त क्षेत्र में नये पशु चिकित्सालय खोलने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वर्ष 1997-98 में निजीकरण के माध्यम से पशु चिकित्सा संस्थाएं स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

(2) पंचायत समिति धोद के ग्राम फागलवा में जन सहयोग से भवन बना हुआ है। वर्तमान में फागलवा में ग्राम आधार योजना, सीकर का उपकेन्द्र कार्यरत है। नई पशु चिकित्सा संस्था खोलने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यदि राज्य सरकार को निजीकरण नीति के तहत प्रस्ताव प्राप्त होगा तो मापदण्डों के आधार पर उचित निर्णय लिया जायेगा।

(3) जी हां। जी नहीं।

## विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की दूध डेयरी का पुनर्संचालन

218. श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : क्या दुग्ध विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में दूध डेयरी स्वीकृत है? क्या उक्त डेयरी बन्द पड़ी? यदि हां, तो कब से व क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त दूध डेयरी को पुनः चालू करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। स्वीकृत है।

जी हां, भवन भी निर्मित है। जी हां, उक्त दुग्ध अवशीतन केन्द्र दिनांक 19-4-87 से बन्द है। इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में सरप्लस विक्रय योग्य दुग्ध उपलब्ध न होने के कारण।

(2) जी हां। जुलाई, 1997 से ही शाहपुरा कोटपूतली दुग्ध मार्ग पर चरणबद्ध प्रक्रिया से प्रस्तावित दुग्ध समितियां स्थापित कर दुग्ध संकलन दिनांक 5-7-97 से प्रारम्भ कर दिया गया है जिसे फिलहाल जयपुर डेयरी संयंत्र पर लाकर प्रोसेस किया जा रहा है। शनैः-शनैः आस-पास के क्षेत्र में भी प्रस्तावित दुग्ध समितियों का गठन करने पर यदि आशान्वित न्यूनतम 8-10 हजार लीटर प्रतिदिन मात्रा तक दुग्ध संकलन पहुंच जाने पर इसे पुनः चालू करने का प्रयास किया जायेगा।

## तीस जिला तीस काम योजना में स्वीकृति के मानदण्ड

219. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या तीस जिला तीस काम योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति/ग्राम पंचायत के माध्यम से करवाये जाने वाले कार्यों की स्वीकृति जारी करने से पहले जन स्वास्थ्य

(श्री शिवनाथ सिंह)

अभियान्त्रिकी विभाग की सहमति आवश्यक है अथवा पंचायत समिति कनिष्ठ अभियंता द्वारा बनाये गये तख़मीने को आधार मानकर स्वीकृति जारी की जा सकती है।

उत्तर

तीस जिला तीस काम योजनान्तर्गत यदि पेयजल योजना का कार्य स्वीकृत किया जाता है तो वह कार्य जलदाय विभाग के निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप होना आवश्यक है। अतः उक्त स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए जलदाय विभाग की सहमति आवश्यक है।

लेकिन विधायक कोटे से पेयजल योजना स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में उक्त शर्त में शिथिलता उपलब्ध होगी, जहां विधायक द्वारा प्रस्तावित कार्य से यदि उस गांव की जनसंख्या के आधार पर जलदाय विभाग के द्वारा प्रस्तावित योजना की प्रकृति बदलती हो तो गांव के लोग प्रस्तावित पेयजल योजना का संधारण "जनता जल योजना" अथवा सामुदायिक सहयोग से स्वयं करने की व्यवस्था करने को तत्पर हों।

## पंचायत समिति सरदारशहर का कूप निर्माण प्रकरण

220. श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला चूरू में जनवरी, 1993 से अब तक कितने जलधारा कुओं की स्वीकृति जारी की गई है ? तहसीलवार/ग्रामवार स्वीकृति की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने कुएं पूर्ण हो गये, कितने अधूरे हैं और भुगतान की क्या स्थिति है ? किस-किस को कितना-कितना भुगतान कर दिया गया है एवं कितना भुगतान बाकी है ? भुगतान की तिथि एवं राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सरदार शहर में कई जगह बिना कूप निर्माण किये भुगतान कर दिया गया ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला चूरू में जनवरी, 1993 से अब तक (अगस्त, 1997 तक) जीवनधारा योजनान्तर्गत 241 कूप निर्माण कार्य की स्वीकृति जारी की गई थी। पंचायत समितिवार, ग्रामवार, व्यक्तिवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) स्वीकृत कुओं में से 211 कुओं का निर्माण पूर्ण हो चुका है। 22 कार्य अधूरे हैं तथा 8 कूप निर्माण कार्य की स्वीकृति निरस्त कर दी गई है। भुगतान की तिथि एवं राशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी नहीं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

## ग्रामीण विकास अभिकरण झुन्झुनूं का शेखावटी महोत्सव प्रकरण

**221. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) :** क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1995 से 1997 में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण झुन्झुनूं द्वारा मुरारका फाउण्डेशन नवलगढ़ को शेखावटी महोत्सव अथवा अन्य किसी प्रकार के ट्यूरिस्ट डवलपमेंट कार्यक्रमों में भागीदारी हेतु कितनी-कितनी धन राशि अनुदान/सहायता आदि के रूप में दी गई ?

(2) क्या संस्था द्वारा खर्च की गई इस राशि के संबंध में अंकेक्षण करवाया गया हैं ? यदि हां, तो क्या कोई अंकेक्षण आक्षेप पाया गया ?

(3) क्या जिला ग्रामीण विकास अभिकरण झुन्झुनूं द्वारा भी इन खर्चों की प्रमाणिकता के बारे में कोई जांच प्रस्तावित है ?

(4) क्या अन्य किसी गैर सरकारी संस्था को भी इस प्रकार के कार्यों हेतु कोई राशि इन वर्षों में दी गई है ?

**उत्तर**

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, झुन्झुनूं द्वारा वर्ष 1995-1997 के अन्तर्गत मुरारका फाउण्डेशन नवलगढ़ को शेखावटी महोत्सव तथा अन्य किसी प्रकार के ट्यूरिस्ट डवलपमेंट कार्यक्रमों में भागीदारी हेतु अनुदान स्वरूप कोई भी सहायता राशि नहीं दी गई है ।

(2) अभिकरण द्वारा संदर्भित अवधि में ऐसा कोई अनुदान नहीं दिया गया है । जिससे लेखों का अंकेक्षण करवाना अपेक्षित नहीं है ।

(3) संदर्भित अवधि में इस तरह के कोई अनुदान ही नहीं दिया गया । खर्चे की प्रमाणिकता/जांच का मामला ही नहीं बनता ।

(4) जी, नहीं ।

## जिला अजमेर में सांसद कोष से स्वीकृत राशि

**222. श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) :** क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

अजमेर जिले में वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में सांसद कोष से किस-किस ग्राम/शहर के किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

**उत्तर**

सांसद स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत वर्ष 95-96 एवं 96-97 में अजमेर जिले में सांसद योजनान्तर्गत सांसद महोदय द्वारा अभिशंषित ग्राम/शहर के कार्यों के नाम एवं स्वीकृत राशि की सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

## ग्राम मोखमपुरा (दूदू) की अपूर्ण सड़क

223. श्री बाबूलाल (दूदू) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम मोखमपुरा, पंचायत समिति दूदू को ग्रेवल सड़क से जोड़ने की स्वीकृति किस योजनान्तर्गत, कब एवं कितनी राशि की हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरपंच द्वारा सड़क पर मिट्टी डालने का कार्य मजदूरों से न करवाकर ट्रेक्टरों से करवाया गया था ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त सरपंच के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कार्य की वर्तमान में क्या स्थिति है ? कितना कार्य हो चुका है एवं कितना शेष है ? सरकार उक्त कार्य को कब तक पूर्ण करवा देगी ?

### उत्तर

(1) ग्राम मोखमपुरा पंचायत समिति दूदू को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिये डब्ल्यू.बी.एम. सड़क की स्वीकृति सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत जिला विकास अभिकरण द्वारा उनके पत्रांक 1032-41 दिनांक 6-2-97 के द्वारा रुपये 3.84 लाख के लिये जारी की गई। स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी, नहीं। मुख्यतया सड़क पर मिट्टी डालने का कार्य मजदूरों द्वारा ही करवाया गया है। कुल वास्तविक सड़क की लम्बाई 1.56 किलोमीटर में से सिर्फ 0.30 किलोमीटर में सड़क के दोनों तरफ रिहायशी मकान एवं राजकीय उच्च प्राथमिक शाला का खेल मैदान होने के कारण 860 घनमीटर की मिट्टी का परिवहन 1 कि.मी. दूरी से ट्रेक्टर द्वारा कराया गया है तथा मात्र परिवहन का भुगतान सरपंच द्वारा किया गया है। क्योंकि इस स्थल पर मिट्टी खोदना संभव नहीं था। परिवहन व्यय को सामग्री मद में सम्मिलित किया गया है तथा 60:40 श्रम:सामग्री मद का अनुपात सुनिश्चित किया गया है। अतः सरपंच के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(3) उक्त कार्य वर्तमान में अपूर्ण है। कुल वास्तविक लम्बाई 1.56 कि.मी. में से 1 कि.मी लम्बाई का कार्य पूर्ण हो चुका है। 0 50 कि.मी. में डब्ल्यू. बी. एम. की परत बिछाई एवं कुटाई का कार्य बाकी है तथा 0 06 कि.मी. में (200 फीट में) पूर्ण कार्य शेष है। इस प्रकार कुल अनुमानित प्रस्तावित लम्बाई 1.75 कि मी. के स्थान पर वास्तव में नपती करने पर कुल कार्य की लम्बाई 1.56 कि.मी. आती है। कार्य पर व्यय वास्तविक लम्बाई एवं किये गये कार्य के आधार पर किया जायेगा। इस स्वीकृत कार्य को वर्ष 97-98 में पूर्ण करा लिया जायेगा।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

## जिला ग्रामीण विकास अभिकरण नागौर द्वारा स्वीकृत सम्पर्क सड़कें

224. **श्री रूपाराम** (मकराना) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1995 से मार्च, 1997 तक विधान सभा क्षेत्र मकराना के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण नागौर द्वारा विभिन्न योजनाओं में सम्पर्क सड़कों की स्वीकृति जारी की गई ?

(2) क्या यह सही है कि स्वीकृत सड़कों का निर्माण करने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड डीडवाना को राशि उपलब्ध कराई गई है ? यदि हां, तो वर्ष 1995 से मार्च, 1997 तक स्वीकृत सड़कों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

**उत्तर**

(1) जी, हां ।

(2) जी, हां । उक्त स्वीकृत सम्पर्क सड़कों के निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड डीडवाना को 126.83 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई गयी है । सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

**(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 17 देखें)**

## बेगूं में महाविद्यालय की स्थापना

225. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बेगूं में एक भी महाविद्यालय नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार बेगूं क्षेत्र की जनसंख्या, निकटस्थ महाविद्यालय की क्षेत्र से दूरी, क्षेत्र के पिछड़ेपन को दृष्टिगत रखते हुये निकट भविष्य में बेगूं क्षेत्र में महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

जी, हां । उच्च शिक्षा के लिये वित्तीय साधनों की सीमितता के कारण बेगूं राजकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु प्राथमिकता में नहीं आता है । यदि कोई स्वयंसेवी संस्था वहां गैर सरकारी महाविद्यालय प्रारंभ करना चाहे तो प्रस्ताव पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकता है ।

## निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा संचालित महाविद्यालय

226. **श्री बाबूलाल वर्मा** (डग) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि निजी शिक्षण संस्थाओं के अधीन संचालित महाविद्यालयों में जो कि राज्य सरकार से वित्तीय सहायताएं प्राप्त करते हैं, में कार्यरत प्राचार्य/व्याख्याता/कर्मचारी आदि आरक्षण के सभी नियमों का पालन किया गया है ? यदि हां, तो सभी शिक्षण संस्थाओं के स्टाफ पेटर्न की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(श्री बाबूलाल वर्मा)

(2) निदेशालय कॉलेज शिक्षा में निजी शिक्षण संस्थाओं के अधीन संचालित महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा किस कर्मचारी का पदस्थापन किया गया है एवं कब से ?

(3) निजी शिक्षण संस्थाओं को पिछले पांच वर्षों में कितना-कितना अनुदान प्रदान किया गया ?

उत्तर

(1) जी, हां। गैर सरकारी शैक्षणिक संस्था अधिनियम के नियम 26 च में आरक्षण का प्रावधान है। इस नियम की पालना राज्य सरकार द्वारा कराई जाती है। अनुदानित शिक्षण संस्थाओं का स्टाफ पेटर्न परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) निदेशालय कॉलेज शिक्षा में निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा संचालित महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु पदस्थापित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण सदन की मेज पर उपलब्ध है।

(3) राज्य में संचालित अनुदानित शिक्षण संस्थाओं को पिछले पांच वर्षों में जो अनुदान प्रदान किया गया है उसका विवरण सदन की मेज पर उपलब्ध है। (परिशिष्ट "स")

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया)

### माणक्यलाल वर्मा इंस्टीट्यूट, भीलवाड़ा हेतु स्वीकृत राशि

227. श्री रामगोपाल गुवाल (भीलवाड़ा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

माणक्यलाल वर्मा इंस्टीट्यूट, भीलवाड़ा में अब तक सरकार द्वारा कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ? यह राशि किस-किस मद में व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट की स्थापना वर्ष 1988-89 में पोलिटेक्नीक को क्रमोन्नत कर की गई थी। इस संस्थान पर वर्ष 1988-89 से 1996-97 तक रुपये 1411.04 लाख का व्यय किया गया है। राशि का मदवार विवरण प्रपत्र (अ) पर उपलब्ध है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

### स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री विष्णु मोदी एवं अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान लोक सेवा आयोग की आर.ए.एस. मुख्य परीक्षा, 1995 एवं 1994 में अनियमितता होने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्री भीमराज भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से पाली शहर में प्रत्येक वर्ष वर्षा के मौसम में जवाई नहर एवं अन्य नालों में पानी भर जाने एवं बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाने से जन-धन की हानि के सम्बन्ध में।

(3) श्री रामनारायण मीणा एवं 2 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी जिले के आयुर्वेद चिकित्सालय, जरखोदा तथा होमियोपैथिक चिकित्सालय बाछोला में पदस्थापित चिकित्सकों के मुख्यालय से बाहर रहने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री परसादीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में जल संसाधनों के समुचित उपयोग हेतु फव्वारा सिंचाई कार्यक्रम में सब्सिडी की राशि कम कर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा टैक्सटाइल मिल बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री हरजीराम बुरडक, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के कारण जनता में व्याप्त भयंकर आक्रोश के सम्बन्ध में।

(7) श्री राधेश्याम गंगानगर एवं 19 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से श्रीगंगानगर शहर को नारकीय स्थिति से उभारने के लिए सफाई, ड्रेनेज तथा विकास हेतु अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

## नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री दयाराम परमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर (ग्रामीण) जिले के पुलिस थाना बस्सी क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री मोहनलाल बारूपाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर जिले के चीतावा थाने में दर्ज एफ. आई. आर. नं. 51/97 पर पुलिस द्वारा समुचित कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री रघुवीरसिंह मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जनजाति बहुल क्षेत्र में अवैध रूप से शराब के विक्रय के सम्बन्ध में।

(4) श्री जोगेश्वर गर्ग, सदस्य, विधान सभा की ओर से अटरू तहसील के शेरगढ़ गांव स्थित बांध के निकट खनन कार्य करने से बांध को खतरा उत्पन्न होने के सम्बन्ध में।

(5) श्री श्रवण कुमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुन्झुनूं शहर में वर्ष

(श्री अध्यक्ष)

1826 से मोहर्रम दफनाने के लिये दर्ज भूमि पर विधिवत इजाजत प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री हरिसिंह कुम्हेर, सदस्य, विधान सभा की ओर से गृह रक्षा विभाग में उप महासमादेष्टा के पद पर पदस्थापित आई. पी. एस. अधिकारी एवं विभागीय अधिकारी के वेतनमान में विसंगति को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री उगमराज मेहता, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य में खनिज आधारित करीब 50 हजार इकाइयों में थरमेक्स प्लांट लगवाकर पर्यावरण को बचाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री किशनाराम नाई, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़, जिला चूरू के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पड़े पदों के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

## स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

**श्री लक्ष्मणसिंह रावत** : अध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर।

**श्री बनवारीलाल बैरवा** : अध्यक्ष महोदय, 295 का तो हमारा भी दिया हुआ था।

**श्री अध्यक्ष** : 295 का कब दिया था? (व्यवधान) कल ही 27 को तो पढ़ा हुआ माना गया है। उन्हीं में आपका भी है। आपको जवाब मिल जाएंगे।

**श्री राधेश्याम गंगानगर** : आपने जानकारी के लिए भेजा इतने में तो.... (व्यवधान)

**श्री रतनलाल ताम्बी** : अध्यक्ष महोदय, 295 भी दिया है, स्थगन भी दिया है भीलवाड़ा मेवाड़ टैक्सटाइल मिल का.... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : जितने मेरे पास लम्बित थे .. (व्यवधान)

**श्री रतनलाल ताम्बी** : यह विधान सभा समाप्त हो जाएगी। वहां महिलाएं पुरुष बैठे हुए हैं (व्यवधान)

**श्री राधेश्याम गंगानगर** : उन्होंने विधान सभा के अन्दर 2 करोड़ की घोषणाएं की हैं।

**श्री रतनलाल ताम्बी** : भूखमरी की स्थिति आ रही है। एक तो हम जानकारी ले रहे हैं, ... (व्यवधान) 295 का जवाब अभी तक सरकार नहीं दे पायी।

**श्री अध्यक्ष** : मेरे पास जितने 295 के थे, कल 27 लगाये थे और वह सब पढ़े हुए माननीय उपाध्यक्षजी ने माने हैं और जितने पैंडिंग थे वह सब आज ले लिये।

**श्री नाथूराम अहारी** : मेरा तो नहीं आया।

**श्री रतनलाल ताम्बी** : मैंने तो पहले दिया था परसों।

**श्री अध्यक्ष** : कल आ गया था।

**श्री रतनलाल ताम्बी** : कल मेरा नहीं आया था। इसमें शामिल नहीं था भीलवाड़ा मिल का। भीलवाड़ा टैक्सटाइल मिल का कल शामिल नहीं था। स्थगन प्रस्ताव आपने जवाब के लिए भेज दिया है, ऐसा मामला नहीं है। तुरन्त सरकार का वक्तव्य देने के लिए आप निर्देश दीजिये।

**श्री अध्यक्ष** : आप बिराजिये।

**श्री रतनलाल ताम्बी** : वहां धरने पर बैठे हैं 15 दिन से सारे श्रमिक, महिलाएं, पुरुष कलेक्ट्रेट के बाहर। यह क्या हालत हो रही है?

**श्री अध्यक्ष** : आप बिराजिये।

**श्री रतनलाल ताम्बी** : यह बिराजने जैसा मामला नहीं है। सब लोग भूखे मर रहे हैं वहां तो। सरकार सो रही है इस मामले को लेकर .. (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आप बिराजिये। आप बिराजिये दो मिनट।

**श्री रतनलाल ताम्बी** : इसके बारे में मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में 6 तारीख को मीटिंग हो गयी... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : एक सैकण्ड बिराजें। (व्यवधान)

**श्री रतनलाल ताम्बी** : सरकार अभी तक कोई मन्तव्य पर पहुंची नहीं, हालत बहुत खराब है।

**श्री अध्यक्ष** : जब आसन खड़ा होता है तो कम से कम इतना सम्मान तो प्रदर्शित करो (व्यवधान)

**श्री रतनलाल ताम्बी** : आसन सहानुभूति के साथ न्याय करे तब काम चलेगा।

**श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही आवश्यक सूचना देना चाहता हूं .. (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : एक मिनट सुनें आप.... (व्यवधान)

## सूचना

## जैन समुदाय का विधान सभा भवन के समक्ष प्रदर्शन

**श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** (गंगापुर) : अध्यक्ष महोदय, हजारों की तादाद के अन्दर जैन समुदाय के लोग नीचे खड़े हैं। माननीय रामस्वरूपजी ने कल से उपवास कर रखा है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो जैन समुदाय नीचे खड़ा हुआ है, हजारों की तादाद में हैं, उनकी बातों....(व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय,....(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय मुख्य सचेतक बोल रहे हैं....(व्यवधान)

(66)



**श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :** महावीरजी, आप इसको + + + बता रहे हैं। आपको समझेंगे लोग। कल भी आपत्ति कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, आप इसको + + + बता रहे हैं.... (व्यवधान)

**श्री महेन्द्र कुमार मीणा :** मेरे साथी भी....(व्यवधान)

**श्री रतनलाल ताम्बी :** जैन मुनि का दाह संस्कार नहीं हो रहा है, यहां राजस्थान में लाखों आदमी उद्वेलित हैं सदन के बाहर। उसको आप + + + बता रहे हैं.... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक महोदय इसको + + + बता रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष :** बिराजिये, बिराजिये.... (व्यवधान)

**श्री महेन्द्र कुमार मीणा :** मेरे साथी की हालत खराब हो रही है.....

**श्री अध्यक्ष :** बिराजिये।

**श्री रतनलाल ताम्बी :** जवाब देना ही पड़ेगा उनको। आप उसको + + + बता रहे हो.... (व्यवधान)

**श्री महेन्द्र कुमार मीणा :** मेरे साथी की हालत खराब होती जा रही है... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** अंकित नहीं हो।

**श्री शैलेन्द्र जोशी :** × × ×

**श्री शांतिकुमार धारीवाल :** × × ×

**श्री महेन्द्र कुमार मीणा :** × × ×

**श्री रतनलाल ताम्बी :** × × ×

**श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल :** × × ×

**श्री अध्यक्ष :** अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

**श्री लक्ष्मणसिंह रावत :** × × ×

**श्री शांतिकुमार धारीवाल :** × × ×

**श्री रतनलाल ताम्बी :** × × ×

**श्री महेन्द्र कुमार मीणा :** × × ×

**श्री अध्यक्ष :** एक मिनट बिराजो। (व्यवधान) सुन लो आप दो मिनट। बात तो सुनिये। मैं आपकी बात सुनता हूं, आप नहीं सुनेंगे ? यह कौनसा तरीका है ? आप बिराजिये थोड़ा। (व्यवधान) मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, 4 बजे मुखबंद का प्रयोग होगा। आज समय सीमित है। कई माननीय सदस्यों को और जगह भी पधारना है, उठावने में भी जाना है, तीये की बैठक में भी कुछ माननीय सदस्य जाना चाहते हैं। थोड़ा-सा स्पेसिफिक हों और मुझे थोड़ा-सा कोपरेट करें। जो माननीय सदस्य जीरो आवर में बोलना चाहते हैं, माननीय लक्ष्मण सिंहजी ने कुछ बात उठायी है, एक-एक माननीय सदस्य बोलें तो कुछ बात भी हो।

---

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

**श्री बनवारी लाल बैरवा** (निवाई) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि आप हाउस को चला रहे हैं और एक माननीय सदस्य लेटे हुए हैं उनको उठवाइये। कल से उन्होंने अन्न, जल का त्याग कर रखा है। मान्यवर, अन्न, जल का त्याग कर रखा है।

**श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा** : बयाना नगर-पालिका के चुंगी नाके ठेके पर उठा लिये गये जिससे बयाना में इतना असन्तोष व्याप्त है कि लोग... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : अब मैं किसी क्रम से, बिराजिये सूपा साहब, मेरे को किसी क्रम से बुलाना है। मेरे पास स्लिप आई हैं। जिन्होंने पहले दिया उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। बिराजिये आप। मैं अभी एक-एक माननीय सदस्य को बुलाऊंगा।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : सीधी सी बात है। मुख्य मंत्री जी या गृह मंत्रीजी....

**श्री राधेश्याम गंगानगर** : अध्यक्ष महोदय, मेरे लिए क्या हुक्म है ?

**श्री अध्यक्ष** : बुला रहा हूं आपको एक-एक को। आप बैठें तो सही।

**श्री रामनारायण मीणा** : अध्यक्ष महोदय, आप आदेश दीजिये गृह मंत्रीजी जाकर मिल लेंगे समाज के लोगों से।

**श्री अध्यक्ष** : श्री रामगोपाल जी।

**श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** : आप अभी चलावें तो चलावें, निर्णय तो दे दो। नीचे हजारों की संख्या में जैन सम्प्रदाय के लोग खड़े हैं। माननीय सदस्य रामस्वरूप जी अनशन पर बैठे हैं तो इसका तो कुछ इंतजाम कराइये। गृह मंत्रीजी से, मुख्य मंत्रीजी से आश्वासन दिलवायें या मुख्य मंत्रीजी नीचे जाकर के उनसे मिलें। आज इनको 36 घण्टे....(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : कृपया बिराजें तो सही.... (व्यवधान) यह क्या कर रहे हैं आप ? इस तरह से तो नहीं चल सकता। आप बैठकर के देख लो कैसे चलाते हो, मैं भी देखूं आपकी काम्पीटेंसी।

**श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** : माननीय कई मंत्री बैठे हुए हैं। मुख्य मंत्रीजी भी आ गये हैं उनसे आश्वासन दिलवा दीजिये।

**श्री अध्यक्ष** : दो मिनट बिराजें आप।

**श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** : हजारों की संख्या में नीचे सम्प्रदाय के लोग बैठे हैं। माननीय रामस्वरूप जी....(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : बिराजें आप।

**श्री उगमराज मेहता** (ब्यावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वह जुलूस लेकर वहां खड़े हैं इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी से कि कुछ घोषणा करें ताकि वहां भीनमाल में जो वातावरण है वह शांत हो जाए।

**श्री अध्यक्ष** : आप शांत हो जाएं। बिराजें आप। (व्यवधान) हां, साहब।

**श्री चन्दनमल बैद** (तारानगर) : अध्यक्ष महोदय, आज हजारों स्त्री-पुरुष, जैन

(श्री चन्दनमल बैद)

समाज के लोग मौन जुलूस लेकर के रामलीला मैदान से डेढ़ घण्टे में, पौने दो घण्टे में यहां पहुंचे हैं। हमने उन्हें कहा है कि क्वेश्चन आवर में हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसलिए बहुत धीरे-धीरे चलकर के हम 12 बजे के करीब यहां पहुंचे हैं। हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि इस जैन समाज को इतना क्यों परेशान करते हो ? क्यों उनको इतनी तकलीफ देते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं ? पांच साधु भीनमाल में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनमें से कोई एक और चला जाएगा तो समूचे हिन्दुस्तान में आग लग जाएगी। इस वास्ते मैं हाथ जोड़कर आपसे, मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि छोटी-सी बात है। इस छोटी-सी बात को आप प्रेस्टिज इश्यू मत बनाइये और मेहरबानी करके जैन समाज पर कृपा करके कुछ घोषणा कीजिये जिससे वह इतनी जो अशांति हो रही है, वह उद्वेलित हो रहे हैं वह कम हो। आप कल ही कह रहे थे कि जैन समाज का बहुमत आपके साथ है। तो यह बहुमत आपके पास में आ गया है, आपके पास चलकर बहुमत आया है तो इस बहुमत को आप सम्भालिये। हम तो यहां तक ले आये शांति से, अब, मुख्य मंत्रीजी, सम्भालने का काम तो आपका है।

**श्री शैलेन्द्र जोशी :** सस्पैण्ड की घोषणा कीजिये।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल :** कृपया दया करो और इन्साफ दो आप।

**श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल :** हम अहिंसा के पुजारी हैं। आप से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि कुछ न कुछ इन्साफ करें.... (व्यवधान)

**श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) :** अध्यक्ष महोदय, जैन समुदाय के लोग एक जुलूस में, जैसा कि बैदजी ने बताया, हजारों की संख्या में भाई, बहन और बच्चे, विधान सभा के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि कल मुख्य मंत्रीजी कह रहे थे, जैन समाज के कोई बहन या भाई दीक्षा लेता है तो कितना पीड़ादायक होता है और वह अपने जीवन को इस तरह से जीने के लिए, तमाम कठिनाइयों, दुःख और सादगी नहीं, बल्कि कहना चाहिए सादगी से नीचे के स्तर पर जमीन पर सोकर के अपनी पूरी जिन्दगी व्यतीत करता है, जैन धर्म का प्रचार करता है। जैन धर्म अहिंसा में विश्वास करता है। मुख्य मंत्रीजी, जैन धर्म के लोग अभी खड़े होकर के हाथ जोड़ रहे हैं। यह संवत्सरी का असर हो रहा दिखता है, धारीवाल जी, नहीं आपकी बात नहीं कह रहा हूं, आप तो जोड़ सकते हैं। धारीवाल जी भी जोड़ रहे थे। अन्य लोग भी हैं और कुछ साधु वहां आमरण अनशन पर भी बैठे हुए हैं। हमारे माननीय सदस्य रामस्वरूप जी ने जल भी छोड़ रखा है।

कल मैंने यह मांग रखी थी और मुख्य मंत्रीजी के भाषण के पहले रख दी थी। मुख्य मंत्रीजी उसके बाद में पधारे थे। क्यों कि मांग रखी थी, मुझे मालूम था कि जैन समाज पूरा का पूरा इस प्रकरण पर उद्वेलित है इसलिए राज्य सरकार इस मांग को स्वीकार करे। मेरा मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि एक तरफ पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है दूसरी तरफ पूरे देश में इस अंत्येष्टि नहीं

(श्री परसराम मदेरणा)

होने की चर्चा है। बहुत गंभीर यह मसला बन गया है और इसको बुद्धिमानी से हल करें। मुख्य मंत्रीजी से मैं फिर निवेदन करूंगा मैं कल ही इस मांग को रख चुका हूं। बहुत विश्लेषणात्मक भाषण के बाद में, क्योंकि मैंने एक स्टैण्ड लिया था, मुझे पता था वहां पर इस तरह की मांग पर वह कायम हैं और अंत्येष्टि नहीं होगी, उसका बहुत विपरीत प्रभाव समाज में और राजस्थान में पड़ेगा।

मेरा अब आपसे अनुरोध है कि आप उस एस. पी. के निलम्बन के सम्बन्ध में विचार करके सदन के मार्फत जैन समाज को आश्वस्त करें।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मुख्य मंत्रीजी से विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आज सैकड़ों नहीं, हजारों लोगों का दो दिन का भोजन नहीं हुआ। आज तीसरा दिन चल रहा है और जैन समाज में जब तक साधु की दाह-क्रिया पूरी नहीं होती तब तक कोई भी आदमी भोजन नहीं कर सकता है। मैं सोचता हूं कि सारा देश भी इस बात को सुन करके, जान करके बहुत चिंतित है और जगह-जगह से इस प्रकार के समाचार आ रहे हैं सभी प्रकार के क्योंकि हम शांतिपूर्वक ही अपनी बात को कहने के अभ्यस्त हैं, ऐसे समाचार देश में सब नगरों में, कहीं जुलूस निकल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, मैं आपसे फिर प्रार्थना करना चाहता हूं कि उनकी एक सामान्य मांग जो प्रारम्भ से थी कि निलम्बन करके आप इसकी जांच कराएं, इस मांग को आप स्वीकार करें। सारे जैन धर्म को मानने वाले और इस प्रकार की जो भी घटना हुई है, लोगों को जो भी मानसिक पीड़ा है उसको आप शांत करने में जरूर कोई निर्णय लेकर अपना निर्णय सुनाएं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कल इस प्रसंग में काफी चर्चा हुई। कल जिस समय मैंने कहा था कि मैं उस एस. पी. का वहां से स्थानान्तरण कर रहा हूं वह भी भीनमाल से मांग आई थी उसके आधार पर किया था। उस समय मुझे भीनमाल से यह सूचना मिली थी कि इस मांग के मंजूर करने के बाद में दाह संस्कार हो जाएगा। बाद में जब सदन चल रहा था, उस समय मैं लगातार हर 10-15 मिनट में वहां से कान्टेक्ट में हूं। वहां तैयारी होने के बाद यह मैसेज गया कि गुलाबचन्द जी कटारिया ने इस्तीफा दे दिया है और उसके कारण से फिर उसमें थोड़ी ढिलाई आ गई। फिर गुलाब जी ने खुद बात की और बात करने के बाद कहा कि मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। उस समय तक लगभग पांच-साढ़े पांच बज चुके थे। जानकारी मिली कि इस समय रात को यह दाह संस्कार किसी तरह से नहीं होगा। दाह संस्कार की कल रात को वहां तैयारी कर ली थी और वह सब दाह संस्कार कर लेते। लेकिन जगह-जगह से जैन समाज के संदेश पहुंचे कि हम सब आ रहे हैं और आ रहे हैं इसलिए हम जब तक नहीं पहुंचे तब तक किसी तरह का दाह संस्कार नहीं किया जाए। मेरे पास भी ऐसे काफी तार चिट्ठियां टेलीफोन कई स्थानों से आए और यह बात सही है कि जैन समाज में इसको एक इश्यू

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बना लिया। मैं चन्दनमल जी को यही कह सकता हूं कि इसमें मेरी कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है। किसी भी समाज में जैसे अभी कटारिया जी ने कहा कि बहुत लोग भूखे बैठे हैं, यह सही है कि जालोर में, भीनमाल में, सिरोही में, पाली में सब लोग इस दाह संस्कार की प्रतीक्षा में हैं कि किसी प्रकार से यह दाह संस्कार हो जाए और हम दाह संस्कार में शामिल हों या शामिल न हों तो भी दाह संस्कार के बाद में अन्न-जल ग्रहण करें।

यह भी मेरी जानकारी में है कि कुछ साधु भी वहां पर भूख-हड़ताल पर बैठे हैं। मैं इस मामले को ज्यादा उलझाना नहीं चाहता, न ही इसमें कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न है। इतने लोग भूखे बैठे हों, साधु-सन्यासी भी इस प्रकार से भूखे बैठे हों, मुझे कल रात को जानकारी मिली कि आज जैन समाज का यहां पर एक जुलूस आ रहा है। वह जुलूस आ गया। जुलूस में कुछ कहूं उसके पहले आवश्यक है कि मैं सदन का कांसेंस लेऊं कि मैं यह बात कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं। जहां तक सरकार का प्रश्न है इस समय एस. पी. के सस्पेन्शन की जो मांग है, उस मांग को स्वीकार करता हूं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही दूसरी मांग है इसकी जुडिशियल इन्क्वायरी करवाने की, मैं जुडिशियल इंक्वायरी की भी घोषणा करता हूं। तीसरी उनकी मांग है कि ये जो भी धार्मिक स्थान हैं इन धार्मिक स्थानों में पुलिस प्रवेश नहीं करें बिना अनुमति के। इस सम्बन्ध में अभी मैं कुछ कहूं तो उचित नहीं होगा। मुझे सारी व्यवस्थाओं, अन्य राज्यों में किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, इन साधु-संतों से भी बात करके किस प्रकार की इसमें व्यवस्था लागू हो सकती है, वह व्यवस्था मैं लागू कर देऊंगा। हमारी भी इच्छा नहीं है, हम भी जाते हैं उपासरे में तो जूती खोलकर अनुमति से सब जाते हैं, सारी बात होती है तो उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, उस प्रतिष्ठा के आधार पर पुलिस का प्रवेश किस प्रकार से निषिद्ध किया जा सकता है और किन आवश्यक कार्यों में निषिद्ध के उपरांत भी पुलिस प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है, यह बैठकर के हम विचार कर लेंगे।

इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से बैदजी से, गुलाबजी से सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रसंग को यहीं समाप्त किया जाए। यह जो मैंने घोषणा की है, वे आज से ही लागू कर दूंगा।

## स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में बिजली की सप्लाई लाखेरी से होने की वजह से बीच में चम्बल नदी के कारण अधिकांश समय पोल के गिरने व लाइन में फाल्ट आने के कारण से अधिकांश समय एरिया में बिजली नहीं मिल पाती है और बिजली के नहीं मिलने से जो पांच वहां की नल योजनाएं हैं इटावा, खातोली, गैता, पीपल्दा, इन नल योजनाओं में पानी सप्लाई नहीं हो पाती है और सप्लाई न होने से वहां का एक-एक परिवार प्रभावित होता है।

**श्री अध्यक्ष :** कृपया थोड़ी शांति रखें।

**श्री रामगोपाल बैरवा :** इससे वहां का जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग की वहां पर मिलें लगी हुई हैं, 24 घण्टे में से उनको 4 घण्टे भी बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती है तो व्यापारियों का जो दृष्टिकोण था उस पर प्रभाव पड़ा है। आज वहां से एक-एक करके व्यापारी अपना व्यापार छोड़कर जाने लगे हैं।

मान्यवर, सबसे दुःख की बात यह है कि ऊर्जा मंत्रीजी हाड़ौती के होते हुए भी इस प्रकार से पीपल्दा के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष :** आप अपनी बात कहो, क्या कहना चाहते हैं। मेरे पास समय लिमिटेड है, आधा मिनट में जो बात कह सकते हो, घूमा-घूमा कर तीन-तीन, चार-चार मिनट लगा रहे हो।

**श्री रामगोपाल बैरवा :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में बारह महीने में तीन दिन भी पूरी तरह से बिजली नहीं मिल पाती है और वहां पर बिजली की हमेशा समस्या रहती है और जब-जब भी वहां के लोगों द्वारा आन्दोलन किया गया है तो माननीय मंत्रीजी के द्वारा उन आन्दोलनकारियों को, नाजायज केस बनाकर गिरफ्तार किया गया।

**श्री अध्यक्ष :** बिराजें, अब हो गई बात। इतनी लम्बी-चौड़ी न हो। यह आप और माध्यम से उठाओ। यह बात हो गयी। राजेन्द्रजी गहलोत....(व्यवधान)

**श्री रामगोपाल बैरवा :** माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मांग मैं हमेशा विधान सभा में प्रश्नों के माध्यम से, सभी के माध्यम से उठाता आ रहा हूं, इसलिए सरकार निर्णय ले। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि यह सरकार सदस्यों की भावनाओं को नहीं सुनना चाहती है तो मैं धरने पर बैठता हूं।

(श्री रामगोपाल बैरवा, सदस्य द्वारा सदन कूप में धरना)

**श्री अध्यक्ष :** पांच मिनट ठहरो आप। मैं आपकी बात समझ गया। पांच मिनट में अभी इनको निपटा दूं तब आपकी बात सुनूंगा। बिराजिये आप। (व्यवधान)

**श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) :** बहुत ही गलत परम्परा डाली जा रही है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** राजेन्द्रजी गहलोत, राजेन्द्रजी गहलोत। (व्यवधान) यह बार-बार वैल में आना अच्छा नहीं है। इस तरीके से, मौका भी दो और आकर बैठ जाओ। वहां जाओ ऊपर। इससे रेस्पेक्ट नहीं बढ़ जायेगी आपकी। (व्यवधान)

**श्री लक्ष्मणसिंह रावत :** अध्यक्ष महोदय, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। विधान सभा के सदस्यों के अधिकारों का हनन हो रहा है।

**श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से....(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आप बोलिए न । मैं आपको कब मना कर रहा हूं । क्या करूं, आप बताओ । आप कभी तो सुनते नहीं । (व्यवधान) आप फरमाइए, आपको इसीलिए कहा, बोलिए आप । अब यह बोल रहे हैं तो मैं क्या करूं । (व्यवधान) आप फरमाइए । एक मिनट ठहरें आप आप फरमाइए । (व्यवधान)

**श्री लक्ष्मणसिंह रावत** : मैं पाइंट ऑफ आर्डर रेज करना चाहता हूं । आप पाइंट ऑफ आर्डर अलाउ नहीं करते हैं । देखिए, नियम है कि एक बिजनेस खतम होता है, दूसरा बिजनेस प्रारम्भ होता है उसके बीच में ही पाइंट ऑफ आर्डर रेज किया जाता है ।

**श्री राजेन्द्र गहलोत** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं ... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : एक मिनट, पहले आप फरमाइए ।

**श्री लक्ष्मणसिंह रावत** : आप जवाब दें रहे है, माननीय मंत्री महोदय ।

**श्री रघुवीरसिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो आया है, मैं उसका जवाब दे लूं । अभी इटावा से आने वाले माननीय सदस्य ने 132 के. वी. सब स्टेशन के लिए चर्चा की है और उसके लिए वह धरने पर भी बैठ गये । माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका अतारांकित प्रश्न आया था उसका जवाब मैंने दे दिया कि टेक्नीकली अप्रूवल हो गयी है और इसके फाइनेंस की व्यवस्था की जा रही है वहां के लिए लेकिन अब उत्तर जाने के बाद ये धरने पर बैठे हैं, यह राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन इनको मालूम है, इको मालूम है कि 132 के. वी की टैक्नीकली अप्रूवल हो गयी है ।

**श्री अध्यक्ष** : बिराजिए माननीय लक्ष्मण सिंहजी (व्यवधान) बिराजिए । No. No. No nuisance, please. रामगोपालजी बिराजिए । (व्यवधान)

**श्री रामगोपाल बैरवा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि 34 के. वी. का ग्रिड चम्बल पर पिछले तीन साल से स्वीकृत है और तीन साल से स्वीकृत होने पर भी इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है । माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अतारांकित प्रश्न है....

**श्री अध्यक्ष** : अंकित मत करो । कोई अंकित नहीं होगा रामगोपालजी जो बोलेंगे ।

**श्री रामगोपाल बैरवा** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : बिराजिए । क्यों समय जाया कर रहे हैं, इस तरह आप ? क्यों आप मजबूर कर रहे हैं, इस तरह से करने के लिए ? आप बोलें ।

## व्यवस्था का प्रश्न

## लोकायुक्त की रिपोर्ट की प्रति का सदस्यों को वितरण एवं उस पर चर्चा

**श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया मेरी बात

---

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

को सुन करके रूलिंग देंने का कष्ट करें। रूल 294, 126 एण्ड 3 ए, अध्यक्ष महोदय, यह सदन नियमों से और परम्पराओं से चलता है और हम इन नियमों की अनुपालना करवाने के लिए यहां पर पाइंन ऑफ आर्डर रेज करते हैं। कुछ गलत परम्परा इस प्रकार की पड़ती जा रही हैं, विद ड्यू रिगार्ड्स कि पाइंट ऑफ आर्डर सुना नहीं जाता है या अधूरा सुना जाता हैं और उसकी कोई रूलिंग नही दी जाती है। कृपया सुनिए, 2941 कल हमने यहां पर पाइंट ऑफ आर्डर रेज करने का प्रयास किया था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने उसको पूरा नही सुना और इस कारण से उसको बिना पूरा सुने ही निरस्त कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, हमने जो ये नियम बनाए हैं, अगर इन नियमों का अनुपालन हम लोग ही नहीं करेंगे तो हमारी इस संस्था का बहुत डिवेल्यूएशन होगा। अध्यक्ष महोदय, इसका स्पष्ट प्रावधान है रूल 126 के अन्दर और 3 ए जो उसको सपोर्ट करता है, रूल 3 ए के अन्दर है, प्रतिवर्ष यहां पर जो भी रिपोर्ट टेबल पर ले की जाएगी, उसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा और कब डिस्कशन किया जाएगा यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी। लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से सुप्रीम यह हाउस है और उससे सुप्रीम ये रूल्स हैं जो आपने बनाए हैं। मैं माभड़ाजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने अपने कार्यकाल में रूल 3 के अन्दर अमेंडमेंट करके रूल 3 ए को इनकारपोरेट किया था जिसमें की इस विधान सभा के तीन सेशन बुलाने का और इसकी कम से कम 60 दिन सिटिंग करवाने का प्रावधान किया गया। अगर सरकार के पास बिजनेस नहीं है तो रूल 3 ए के अन्दर प्रावधान है कि 126 के अन्दर जो भी बोर्ड और कारपोरेशन हैं, पब्लिक अण्डरटेकिंग हैं उनकी रिपोर्ट पर इसमें चर्चा की जाएगी। अब अध्यक्ष महोदय, कल कार्य सूची के अन्दर यहां पर लोक सेवा आयोग और लोकायुक्त की रिपोर्ट टेबल करनी थी, दोनों ही रिपोर्ट टेगल की गयी। पहली चीज तो मैं आपसे चाहूंगा कि हमारे अधिकारों की रक्षा करें। आपने लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट तो सर्क्यूलेट कर दी लेकिन लोकायुक्त की रिपोर्ट जो एक बड़ी ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, जिसमें कि बहुत गम्भीर मसला है. जिसमें चार आई. ए. एस. ऑफिसर्स के ऊपर लोकायुक्त ने एस्पर्शंस कास्ट किये है, बहुत गम्भीर मसले की रिपोर्ट सरकार जान बूझकर सदन से छिपा करके एक तरह से सदन की अवमानना करते हुए सिर्फ एक प्रति यहां पर भिजवाई है और उस प्रति की कापी भी लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं करवाई है। मैंने उसकी खोज करी तो मालूम पड़ा कि एक प्रति वहां पर पड़ी हुई है। तो अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है, यह गहन चिंता की बात है और आपको इस पर सोचना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, सरकार पारदर्शिता की बात करती है, भय, भूख और भ्रष्टाचार की बात करती है लेकिन जहां पर आई. ए. एस. अफसरों के ऊपर लोकायुक्त की टिप्पणी है, उन पर एस्पर्शंस कास्ट

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

किये गये हैं, उस रिपोर्ट को सर्क्यूलेट नहीं करना चाहती है, पब्लिक नहीं करना चाहती है। तो पहली तो मैं आपसे एक रूलिंग चाहूंगा कि क्या रूल 294 में जो हम अपना पाइंट आफ आर्डर रेज करते हैं क्या उनको आधा-अधूरा ही सुना जाये ? क्या चेयर का यह कर्त्तव्य नहीं है....

**श्री अध्यक्ष** : पूरा सुना होगा।

**श्री लक्ष्मणसिंह रावत** : कल इसको आधा-अधूरा क्यों सुना गया था ? हमारे अधिकारों की पालना करते हुए क्या 294 पूरा सुन करके यहां पर रूलिंग नहीं देनी चाहिए ? अगर यह एक गलत परम्परा पड़ गयी तो मेरा ख्याल है यह एक बहुत बड़ी बात होगी। दूसरा, कृपया 126 की अनुपालना और 3 ए की अनुपालना करवाइये, यह मेन्डेटरी इस हाउस के लिए है यह विधान सभा के लिए आवश्यक है कि हम इस रिपोर्ट पर चर्चा करें और इसके लिए अगर सदन का समय बढ़ाया जाता है तो बढ़ाया जाये। लेजिस्लेटिव वर्क खतम हो जाता है तो उसके पश्चात् में लोकायुक्त की महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, उस पर चर्चा करवाए।

**श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई)** : राजस्थान के चार सीनियर आई. ए. एस. अधिकारियों के खिलाफ इसमें आरोप हैं।

**श्री अध्यक्ष** : ये बोल रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि आप ज्यादा विद्वान हैं और ये कमजोर हैं ?

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : 126 (सी) की पालना नहीं हुई है। उसमें राजस्थान के चार सीनियर आई.ए.एस. अधिकारी हैं।

**श्री अध्यक्ष** : विराजिए। यह बीच में कोई अच्छी बात नहीं है, शैलेन्द्र जी।

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : मेरी प्रति क्यों नहीं मिली, इस बात की आपत्ति है। मैं एक विधायक हूं, मुझे एक प्रति निश्चित मिलनी चाहिए थी। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने सदन की मेज पर रख दी तो विधायक होने के नाते हरेक को एक-एक कापी सर्क्युलेट करनी चाहिए थी। अण्डर 126 (सी) प्रोविजन ...

**श्री अध्यक्ष** : एक माननीय सदस्य को अनुमति दी, बार-बार खड़े हो गये।

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : 126 (सी) के अंदर कांस्टीट्यूशनल राइट है। I should get one copy. जानबूझ कर कापियां उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं।

**श्री अध्यक्ष** : शैलेन्द्र जी का अंकित न करें।

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : आप फरमाइए। आपको और कुछ कहना है ? (व्यवधान) आप किस पर बोल रहे हैं ?

**श्री लक्ष्मणसिंह रावत** : रूलिंग तो देंगे ?

---

+ + + अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**श्री अध्यक्ष :** रूलिंग मैं दूंगा ।

**श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा) : माननीय लक्ष्मण सिंहजी रावत ने जो पाइंट आफ आर्डर रखा है वह इम्पार्टेन्ट है ।

**श्री अध्यक्ष :** मैं उसकी रूलिंग दूंगा अभी । (व्यवधान) जीरो आवर चल रहा है, कृपया बिराजें । (व्यवधान) क्या कर रहे हैं आप ? किस मामले में बार-बार खड़े हो रहे हैं ?

**श्री रामनारायण मीणा :** हमने पहले चिट दी है, जे. के. सिन्थेटिक्स, कोटा....

**श्री अध्यक्ष :** मैं जीरो आवर में बुला रहा हूं न आपको । (व्यवधान) मैं जीरो आवर में बुला रहा हूं, बिराजे आप । समय क्यों जाया कर रहे हैं ? किसी ने पाइंट आफ आर्डर उठा दिया, उस पाइंट आफ आर्डर को सुनना तो पड़ेगा ही ।

**श्री रामनारायण मीणा :** यही तो हम कह रहे हैं, सदन में क्या कहा जाता है और वहां क्या हो रहा है ?

**श्री अध्यक्ष :** मैं वही सुन रहा हूं ।

**श्री रामनारायण मीणा :** पहले उसी को लिया जाए ।

**श्री अध्यक्ष :** यह विधान सभा सुनने के लिए ही बैठी है हर माननीय सदस्य बीच-बीच में खड़े होकर बोलने लगता है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा । (व्यवधान) बिराजें आप । उन्होंने कोई रूलिंग पूछी है, उन्होंने कहा है यह मेरा पाइंट आफ आर्डर है । उसको नहीं सुनूंगा ? देऊंगा मैं रूलिंग । बिराजिये ।

**श्री रामनारायण मीणा :** उसकी रूलिंग दे दें, फिर इसको लिया जाए ।

**श्री अध्यक्ष :** बिराजें आप । श्री राजेन्द्र गहलोत ।

## स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

**श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य और चिकित्सा राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जोधपुर में पी. जी. एस. कालोनी में लम्बे समय से एक डिस्पेंसरी की मांग चल रही है । माननीय मंत्रीजी ने कई बार आश्वासन दिया है....

**श्री अध्यक्ष :** यह तो आप मंत्रीजी से बात कर लें ।

**श्री राजेन्द्र गहलोत :** यह आवासन पूरा नहीं होने से लोगों में भारी रोष है । मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा इस सम्बन्ध में कार्यवाही करें ।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : यह ठीक है कि पी. जी. एस. कालोनी, जिसके अन्दर बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और अलंकृत सैनिक रहते हैं, जिन्होंने सीमाओं पर बहुत बड़े कीर्तिमान स्थापित करके देश की रक्षा की है, में काफी लम्बे समय से मांग थी । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि इसी वित्तीय वर्ष के अन्दर वहां डिस्पेंसरी खोलने का काम किया जायेगा ।

**श्री अध्यक्ष :** श्री जुबेर खान जी ।

**श्री राजेन्द्र गहलोत** : अध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा....

**श्री अध्यक्ष** : सबका नम्बर आ रहा है, आप कृपया बैठ जाएं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : अध्यक्ष महोदय, इसी सदन के टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य, कह रहे हैं कि गम्भीर अवस्था के अन्दर लेटे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मंत्री हूं इसलिए या तो इनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आप कोई व्यवस्था करेंगे या प्रतिपक्ष के नेता से कहें, वे उन्हें अन्न-जल ग्रहण कराएं।

**श्री अध्यक्ष** : मैं अध्यक्ष हूं, मैं ज्यूस पिलाऊंगा इनको। बिराजें आप। जुबेर खानजी।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि एक अबला के परिवार की ना इतनी पीड़ा है उसको मैं आपकी मार्फत सदन को कह रहा हूं। 5 सितम्बर, 1997 को शाम को लगभग 7–7.30 बजे संगरिया थाने के गांव किशनपुरा उतरादा में दो नवयुवकों को कुछ लोग जबर्दस्ती ले गये। उनकी मां चीखती रही, गिर पड़ी, उसको धक्का देकर ले गये। नवयुवक धर्मपाल जाट, जिसकी उम्र 22 साल और उसका छोटा भाई दीपचंद, जिसकी उम्र 20 साल, पुत्र श्री रामेश्वर जाट को किडनेप किया गया। उसकी मां चोटाला अपने भाई के पास गयी कि ऐसा-ऐसा हो गया, क्योंकि उसका पति कहीं बाहर गया हुआ था। उन्होंने रात को 10.30 बजे जाकर संगरिया थाने में एफ. आई. आर. दर्ज कराई। अनपढ़ औरत थी, बोल दिया कि दो आदमी थे गांव के ही, जिनको मैं पहचानती हूं, बाकी जीप में छह आदमी थे। उन्होंने नामजद रिपोर्ट दर्ज करा दी। 521 नम्बर की एफ.आई.आर. दर्ज की गई। उसके बाद 8 तारीख को बड़े लड़के धर्मपाल की लाश मिली 73 लीलावाली हैड के पास। उसका पोस्टमार्टम कराया गया। उसके जगह-जगह बदन पर चोटें लग रही थीं। 9 सितम्बर को छोटे भाई दीपचन्द जाट की लाश मिली। उसका भी पोस्टमार्टम कराया गया। उसके बाद भी मुल्जिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो उसकी मां कुछ लोगों को लेकर थाने पर पहुंची और कहा कि उनको आप गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं जबकि वे गांव में टहल रहे हैं। तो पता चला कि माननीय थानेदार ने गलत नामों की रिपोर्ट दर्ज की। उन्होंने नाम बताया कि एक का नाम तो है मांगीलाल। उनकी मां गुड्डी ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसमें एक मुल्जिमान का नाम मदन बताया, लेकिन उसके बाप का नाम नहीं लिखा। दूसरा नाम लिखाया रामसिंह, उसकी जगह नाम लिख दिया साहब सिंह। ऐसे नाम लिख दिये जो व्यक्ति गांव में रहते ही नहीं हैं।

मेरा आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि वह बुढ़िया औरत अपनी बच्ची और परिवार के साथ यहां आई हुई है, आप उस औरत की मदद के लिए व्यवस्था करें, कि दुबारा सही एफ आई आर. दर्ज कराकर अनुसंधान किया जाये और जिस एस. एच. ओ. ने यह भारी गलती की उसको सजा दी जाये।

**श्री अध्यक्ष :** बिराजें (व्यवधान) कृपया इसमें नहीं। (व्यवधान) आपका अभी आ रहा है। (व्यवधान)

**श्री कैलाश मेघवाल** (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है उसके लिए उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि अभी जीरो आवर के बाद ही इस सारे प्रकरण का, चूंकि डबल मर्डर केश है, इस डबल मर्डर केश में किसी तरह का कोई गुनाहगार बचे नहीं और कोई बेगुनाह फंसे नहीं, ऐसी स्थिति के लिए डी. आई. जी., बीकानेर को विशेष तोर से निर्देशित करूंगा।

**श्री अध्यक्ष :** श्री बनवारीलाल बैरवा।

**श्री बनवारीलाल बैरवा** (निवाई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र निवाई के गांव राहोली के अन्दर दिनांक 11 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में वहां के हरिजनों को प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया। उनके कुओं के अन्दर विष्टा डाल दी गयी, गोबर डाल दिया गया, लकड़ी डाल दी गयी। उनके बाड़ों को आग लगा दी गयी और उसके बाद आज तक उन मुल्जिमान के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, उनको पकड़ा नहीं जा रहा है और उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं हुई है। आप कुछ व्यवस्था करें कि उनके खिलाफ कार्यवाही करें। मैं माननीय मंत्री महोदय से चाहूंगा कि वे इस बारे में कुछ फरमाएं।

**श्री कैलाश मेघवाल** (गृह मंत्री) : आपकी और मेरी बात हो चुकी है। मैंने एस. पी. को दो-तीन बार निर्देशित किया है और कल ही आपकी और मेरी बात-चीत हुई है। अभी दोनों मिलकर एस. पी. से कहेंगे कि जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार करें।

**श्री अध्यक्ष :** श्री रघुवीर सिंहजी।

**श्री रघुवीर सिंह** (सराड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे ज्ञात हुआ है कि बांसवाड़ा जिले में अनुसूचित जनजाति के 300 पद अध्यापकों के जिला परिषद द्वारा जनरल द्वारा भरे जा रहे हैं। यह उदयपुर सब-प्लान एसिया के, जनजाति सब-प्लान एरिया के लोगों के साथ बड़ा अन्याय होगा। पंचायत राज मंत्रीजी नजर नहीं आ रहे हैं, जनजाति मंत्री हैं उनसे मैं अभी आश्वासन चाहूंगा कि क्या यह वास्तव में सही है, अगर सही है तो क्या ये 300 अध्यापकों के पद भरे जाएंगे या यह बैकलाग रहेगा? अगर वहां जनजाति के व्यक्ति नहीं मिलते हैं तो जितने ट्रेनिंग सेन्टर थे वहां क्या सरकार जनजाति के पद बढ़ाकर वहां के लोगों को बेनीफिट नहीं दे सकती है? मैं यह आश्वासन चाहूंगा।

**श्री महावीर भगोरा** (गोगुन्दा) : जीरो आवर में मैं भी बोल सकता हूं।

**श्री अध्यक्ष :** No. This is not the way. Please, sit down... (interruption) No. No. Please, sit down. पहले मिनिस्टर बोल रहे हैं। बैठिये आप।

**श्री नन्दलाल मीणा** (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास) : अध्यक्ष महोदय, जो कुछ थोड़ी-बहुत मेरी जानकारी है उसके

(श्री नन्दलाल मीणा)

आधार पर स्पष्टीकरण दे रहा हूं। यह सही है कि 1995 से जनजाति उप-योजना क्षेत्र के लिए स्केल नम्बर एक से 6 तक की सेवाओं में 45 प्रतिशत आरक्षण किया गया है और ये तृतीय वेतन श्रृंखला के अध्यापक भी उसमें शामिल हैं। सराड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है उसके बारे में विभाग से टिप्पणी प्राप्त करके स्पष्ट कर दूंगा। परन्तु जो आदेश यहां पर प्रसारित हुआ है प्रशासनिक विभाग के माध्यम से, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि उप-योजना क्षेत्र में जहां पर यह पद उसी जिले के मूल निवासियों से, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों से अगर नहीं भरे जाते हैं... ऐसी स्थिति में पास के जिलों से वह पद भरे जाएंगे। बांसवाड़ा में यह पद 45 प्रतिशत आरक्षण के बावजूद भी यदि ट्रेण्ड टीचर्स उपलब्ध नहीं हुए तो यह डूंगरपुर, उदयपुर जिले से और चित्तौड़गढ़ के प्रतापगढ़ सब डिवीजन भरे जाने चाहिए थे। मैं इस बारे में पूरी जानकारी करके ही स्थिति स्पष्ट कर सकूंगा।

**श्री अध्यक्ष** : श्री रिछपाल सिंहजी।

**श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)** : अगर फिर भी पूरे पद नहीं भरे जा सके तो क्या राजस्थान के आदिवासियों से भरने की बात करेंगे आप ?

**श्री नन्दलाल मीणा** : यह अलग मुद्दा है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : विराजिये। अभी यह नहीं है। (व्यवधान) दिस इज नॉट....आप बोलिये। (व्यवधान) जितेन्द्र जी बोलेंगे। (व्यवधान)

**श्री रामनारायण मीणा** : लेकिन उस सब डिवीजन से नहीं मिले तो राजस्थान के आदिवासियों (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : रामनारायण जी, जितेन्द्रजी को बोलने दें पहले। नीनामा साहब, आप बोलें। (व्यवधान)

**श्री जितेन्द्र नीनामा (घाटोल)** : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है मंत्री महोदय से। क्या, मंत्री महोदय, आप ट्रेनिंग सेन्टर्स में 41 प्रतिशत आरक्षण के हिसाब से कोटा बढ़ाना चाहते हैं या नहीं ? (व्यवधान)

**श्री रामनारायण मीणा** : यदि आपको डूंगरपुर में नहीं मिले, उदयपुर में नहीं मिले और फिर भी खाली रहे तो क्या राजस्थान के आदिवासियों से भरने की बात करेंगे ? (व्यवधान)

**श्री जितेन्द्र नीनामा** : जब तक आप कोटा 41 प्रतिशत ट्रेनिंग सेन्टर्स में नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारे पद भरे नहीं जाएंगे और आदिवासियों का भला नहीं हो सकेगा और सरकार यों ही + + + जब तक आप ट्रेनिंग सेन्टर्स में हमारा कोटा नहीं बढ़ायेंगे तब तक हमारा कोई भला नहीं होगा और सरकार, यों ही मुख्य मंत्री आपके भाषण देते रहेंगे तो कोई हमारा आदिवासियों का लाभ होने वाला नहीं है।

---

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

**श्री अध्यक्ष** : बिराजिये ।

**श्री रिछपालसिंह मिर्धा** (डेगाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से ...(व्यवधान)। क्या आप कह रहे हैं कुछ ? फरमाओ ।

**श्री अध्यक्ष** : हां, फरमाइये ।

**श्री नन्दलाल मीणा** : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही निवेदन किया कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है फिर भी....

**श्री अध्यक्ष** : पूरी जानकारी होने पर ही कहें । विराजें आप । (व्यवधान) रघुवीर सिंहजी, बैठिये । (व्यवधान) यह कोई डिस्कशन का विषय नहीं है । आपने ध्यान में ला दिया, बैठिये आप । (व्यवधान) Please, sit down. Please, sit down, I tell you....(interruption)....No, No, No discussion. This is not the debating point. श्री रिछपाल सिंहजी ।

**श्री जितेन्द्र नीनामा** : आप इतना तो आश्वासन दें कि यदि 41 पर्सेन्ट ट्रेनिंग सेन्टर्स....(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : रिछपाल सिंहजी ।

**श्री जितेन्द्र नीनामा** : पद खाली पड़े हैं । (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : बात हो गई है । आपके ध्यान में आ गई है । (व्यवधान)

**श्री नन्दलाल मीणा** : अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट निर्देश है कि जिस जिले में 45 प्रतिशत आरक्षण की पूर्ति नहीं होती है तो....

**श्री रिछपालसिंह मिर्धा** : अध्यक्ष महोदय, तीन बार आपने मेरा नाम पुकार दिया, मुझे भी बोलने दें । (व्यवधान)

**श्री नन्दलाल मीणा** : तो ट्राइबल सब-प्लान एरिया के दूसरे जिलों से भरेंगे । (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : यह मैंने पूरी सुन ली । आप कहें तो मैं वरबेटम रिपीट कर दूं । (व्यवधान) माननीय सदस्यों को, जिन्होंने कान लगाकर नहीं सुना तो सुनाऊं । (व्यवधान)

**श्री नन्दलाल मीणा** : यदि बांसवाड़ा जिले में ऐसा हुआ है तो उसको दिखवाउंगा परन्तु हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि आज की तारीख में एस.टी.सी. और बी. एड. के जो स्थान या जो विशेष प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे हैं 45 प्रतिशत की आवश्यकता के हिसाब से, वह पर्याप्त नहीं है । हम बराबर शिक्षा विभाग से और केन्द्र में जो शिक्षा परिषद है, उससे सम्पर्क साधे हुए हैं ताकि विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सके । मैं समझता हूं कि इसमें बहुत जल्दी हम निर्णय लेने की स्थिति में होंगे । (व्यवधान)

**श्री दलीचन्द** (दानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से सिर्फ एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं । (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : क्या कह रहे हैं आप यह सब ? (व्यवधान) किसी माननीय सदस्य ने बात उठाई है, बात खतम हो गई । (व्यवधान) इस तरह से अलाउ करूंगा तो सब जने बोलेंगे । (व्यवधान) रिछपाल सिंहजी ।

श्री रिछपालसिंह मिर्धा : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं सूची में शामिल करने....(व्यवधान)

श्री बलीचन्द : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जो 105 पोस्टें हैं.... (व्यवधान) उनको सामान्य वर्ग से भरने का जो आदेश दिया है, मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगा... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपकी इसमें नहीं है, विराजिये। (व्यवधान)

श्री रिछपालसिंह मिर्धा : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थानी भाषा राजस्थान की संस्कृति .. (व्यवधान)

श्री बलीचन्द : अगर यह बैकलाग सामान्य वर्ग से भर दिया जाएगा और पिछले साल अगर इनको स्थानीय नहीं मिलेंगे... (व्यवधान) बैकलाग कहां से भरोगे? यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री रिछपालसिंह मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, डैली बोलचाल में यह भाषा बोलते हैं। इस भाषा को केन्द्रीय साहित्य अकादमी, नई दिल्ली, द्वारा 1972 में मान्यता दी थी। आकाशवाणी, जयपुर से भी राजस्थानी भाषा में समाचार प्रसारित किये जाते हैं। राजस्थानी भाषा की कई फिल्में बन चुकी और कई फिल्में निर्माणाधीन हैं। अतः माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थानी भाषा को मान्यता देने के लिए मैं आपके माध्यम से, माननीय उप मुख्य मंत्रीजी यहां विराजमान हैं उनसे निवेदन करता हूं कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दी जाये। (व्यवधान)

श्री अचल सिंह (डीग) : अध्यक्ष महोदय, बृज भाषा को भी मान्यता मिलनी चाहिए। बृज भाषा को भी मान्यता मिलनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जिस दिन इस सदन में सदस्य के रूप में शपथ ली थी उस दिन की कार्यवाही में अंकित है। सदन को मालूम होगा... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये। भीमराज जी, विराजें आप। (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : सदन के माननीय नेता महोदय ने उसी दिन यह ...

श्री रिछपालसिंह मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, राजस्थानी भाषा का अपना सबका.... (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : हमारे सदन के वरिष्ठ सदस्य श्री पूनमचन्द जी साहब यहां आसन पर विराजमान थे। (व्यवधान)

श्री रिछपालसिंह मिर्धा : राजस्थानी भाषा को मान्यता दी जाए।

श्री अध्यक्ष : विराजें। (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस दिन मैंने इस सदन में सदस्य के रूप में शपथ ली थी, हमारे वरिष्ठ माननीय विधायक श्री पूनमचन्द जी साहब उस दिन आसन पर विराजमान थे, सदन

(श्री भीमराज भाटी)

के नेता माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उस दिन हां भरी थी, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने हां भरी थी कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलना अत्यन्त आवश्यक है। राजस्थानी भाषा जो इतनी धनाढ्य है, राजस्थानी भाषा का जो संग्रह है, जो पुराने गीत हैं, जो पुरानी सारी बातें हैं, उसकी मान्यता के लिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सदस्यता का समय ही खतम हो जायेगा और उसके बावजूद आज तक कुछ भी कार्यवाही नहीं की गयी।

**श्री अध्यक्ष** : विराजें आप।

**श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़)** : एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए। (व्यवधान)

**श्री भीमराज भाटी** : और यह रिपोर्ट आ चुकी, सारी रिपोर्ट आ चुकी। (व्यवधान) उसके बावजूद आज तक कुछ नहीं हुआ। (व्यवधान)

**श्री जगदीप धनखड़** : सदन को एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए।

**श्री भीमराज भाटी** : इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक गैर सरकारी संकल्प भी रखा हुआ है ...

**श्री अरुण सिंह** : अध्यक्ष महोदय, सरकार से निवेदन करता हूं कि बृज भाषा को भी मान्यता मिलनी चाहिए। (व्यवधान)

**श्री भीमराज भाटी** : उस संकल्प पर भी मेरी बारी आई थी, उसको भी सदन में नहीं आने दिया गया। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थानी भाषा को .. (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : कृपया बिराजें। (व्यवधान)

**श्री भीमराज भाटी** : इस सदन का.... (व्यवधान) इसके लिए यह व्यवस्था की जाए। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : बिराजें। श्री ओम प्रकाश जी।

**श्री हरिसिंह (कुम्हेर)** : अध्यक्ष महोदय, बृज भाषा को भी मान्यता दी जाए। अगर भाषा को मान्यता का प्रश्न आ रहा है तो बृज भाषा को भी मान्यता दी जाये। (व्यवधान)

**श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी)** : अध्यक्ष महोदय, मैंने दो पर्ची दी हैं। एक तो दी है कोटा जे. के. सिन्थेटिक्स में कल रात को साढ़े 12 बजे सातों यूनिट बन्द कर दी, उससे 5 हजार से ऊपर के मजदूरों की भूखे मरने की स्थिति पैदा हो गयी। एक तरफ राज्य सरकार ने उनको 10 (के) का नोटिस दिया था उसकी अवहेलना की जा रही है और अवहेलना करते हुए तालाबन्दी कर दी गई उससे आज मजदूरों को रोजी-रोटी की समस्या पैदा हो गई है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : विराजिये।

**श्री ओमप्रकाश शर्मा** : पहले भी पांच यूनिट बन्द कर रखी थी और हाईकोर्ट से स्टे लिया था।

**श्री अध्यक्ष** : बिराजें आप।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : वहां पर स्टे ओ लिया था वह प्रापर्टी को खुर्द-बुर्द नहीं करें इस बात का था परन्तु वहां के मालिकों ने मजदूरों के साथ अन्याय किया है। वहां के सारे मजदूर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां और बाहर के जो मजदूर लोग हैं उन सारे मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें। आपकी बात सुन ली। बिराजिये।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही... (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : अध्यक्ष महोदय, दुबारा मुझे एक मिनट निवेदन करना है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जे. के. सिन्थेटिक्स के बाबत कल ही मंत्री महोदय ने यहां पर आश्वासन दिया था कि.... (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात रख रहा हूं.. (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इन्डस्ट्रियल डिस्प्युट्स एक्ट की धारा 10 (के) का नोटिस उनको दे दिया गया है कि वह ताला बन्दी नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, यह आदेश सरकार का है, इस आदेश को मैं फाड़ता हूं. (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, तालाबन्दी की है वह गलत की है। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : राज्यादेश की पालना अगर कोई मिल मालिक नहीं करता है तो .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : धारीवाल साहब, बिराजें आप। ओमप्रकाश जी, बैठिये आप। थैंक्यू वास जी मदान। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : राज्य सरकार के कुर्की के आदेश की भी, वह पांच हजार आदमी आज बेरोजगार हो गये हैं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बोल गये हैं, आप बैठिये, धारीवाल साहब। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पांच हजार आदमी सरकार के नोटिस के बावजूद भी.... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, कल ही मंत्री महोदय ने कहा है। मंत्री महोदय के राजस्थान में आदेश नहीं चले। मंत्रीजी ने यहां घोषणा कर दी। (व्यवधान) जो सरकार के आदेश... (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं यह प्रति भी फाड़ता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : धारीवाल जी, बिराजें आप। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, सरकार का यह आलम है कि एक रोज यहां पर यह कह दिया गया कि आप तालाबन्दी नहीं कर सकते और उन्होंने रात को ही तालाबन्दी कर दी। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : धारीवाल साहब का अंकित नहीं हो। अर्जुनदास जी मदान। (व्यवधान)

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : × × ×

**श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से यह आश्वासन दिलाया गया था... (व्यवधान).... और आज रात साढ़े 12 बजे माननीय मंत्रीजी के आश्वासन के बाद.... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : विराजें आप। (व्यवधान) रामगोपाल जी, मैं आपका नाम लेकर कह रहा हूं कि आप बैठिये। (व्यवधान)

**श्री रामगोपाल बैरवा** : अध्यक्ष महोदय, यह गरीबों से जुड़ा हुआ मामला है। कल रात आश्वासन दिया उसके बाद साढ़े 12 बजे तालाबन्दी हो गयी। यह श्रमिकों और गरीबों का मामला है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण दिलायें। (व्यवधान)

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : × × ×

**श्री अर्जुनदास मदान** (लाडपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है।

**श्री अध्यक्ष** : धारीवाल साहब, संसदीय मर्यादा भी कोई चीज है। विराजें आप। मैं आपको मौका दूंगा। संसदीय मर्यादा भी कोई चीज है। एक माननीय सदस्य एक समय बोलेंगे। बोलें आप। (व्यवधान)

**श्री अर्जुनदास मदान** (लाडपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र का विषय है। यहां पर उपस्थित सभी पक्ष-प्रतिपक्ष के लोगों ने लिखित में आपसे निवेदन किया है कि हम इसके ऊपर चर्चा चाहते हैं। महोदय, मुझे बहुत दुःख है कि कल ही तो इसी प्रकरण के ऊपर विचार-विमर्श कर रहे थे और, धारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 की जो धारा है 10 (के), वह यह कहती है कि जब आपने यह निर्देशित कर दिया कि वह किसी भी तरह से लाक-आउट नहीं करेंगे, उसने फिर भी रात को 12 बजे लाक-आउट कर दिया। अब उसके अन्तर्गत नियम यह कहता है कि अगर 10 (के) का कोई भी वायोलेशन करता है तो धारा 24 (के) के अन्तर्गत या 30 (ए) के अन्तर्गत कार्यवाही होगी। इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रोविडेंट फंड का भी वायोलेशन चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल मात्र इतना निवेदन करता हूं कि जे. के. का यह जो प्रतिष्ठान है इसमें यह परिस्थितियां जो पैदा होती चली जा रही हैं, यह देश के औद्योगीकरण के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है। आप कल्पना करिये, मैं जे. के. की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपको कई एक्जाम्पल्स दे सकता हूं कि एम्प्लायर वेतन तो मजदूरों को देता है, जो नहीं देता लेकिन पी. एफ. का पैसा, सी. टी. डी. का पैसा, एल. आई. सी. का पैसा, ग्रेचुएटी का पैसा तक भी खा जाते हैं और यही हालत आज जे. के. सिंथेटिक्स के मजदूरों की हैं। मैं निवेदन करता हूं मंत्री महोदय से कि केवल यह बता दें, सैक्शन 10 (के) का वायोलेशन करने के बाद वहां

---

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अर्जुनदास मदान)

के एम्प्लायर के प्रति जो कार्यवाही अपेक्षित है धारा 24 (ए) के अन्तर्गत क्या कार्यवाही करेंगे और करेंगे तो कब करेंगे ?

**श्री अध्यक्ष :** विराजिये, विराजिये।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल :** × × ×

**श्री अध्यक्ष :** श्री विजय सिंह जी। (अनुपस्थित) श्री प्रताप सिंह जी सिंघवी। (अनुपस्थित)

**श्री नन्दलाल मीणा :** अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब दे रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष :** एक मिनट ठहरिये आप। जवाब अभी दे दो। धारीवाल साहब।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल :** वही बात है, साहब, मेरा निवेदन यह था कि कल ही मेरा प्रश्न था इस बाबत, जे. के. के बाबत और कल ही मंत्री महोदय ने जवाब दिया था कि हमने 10 (के) का नोटिस उनको दे दिया है, वह किसी हालत में तालाबन्दी नहीं कर सकते। साथ ही साथ उन्होंने मजदूरों के ऊपर भी पाबंदी लगाई थी कि कोई हड़ताल नहीं करेगा। लेकिन मजदूर तो अनुशासन में रहे और मालिकों ने, जिनके प्रति कल ही सरकार को हमने चेता दिया था कि ऐसा होगा और रात को चुपचाप तालाबंदी कर दी, यह हालत है।

**श्री अध्यक्ष :** रामकिशन जी। विराजिये आप।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल :** अब राजस्थान सरकार के आदेश की खुलेआम अवहेलना कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, और कचरे में डाल दिया है आदेश को....

**श्री अध्यक्ष :** विराजिये। आप आधा तो पहले ही बोल चुके हैं। विराजिये।

**श्री रामकिशन वर्मा (कोटा) :** अध्यक्ष महोदय, जे. के. के लोगों ने, जे. के. के मालिकों ने कोटा को जितना निचोड़ना था, निचोड़ लिया, लोगों का शोषण किया....

**श्री अध्यक्ष :** यह तो आपने कल भी कहा।

**श्री रामकिशन वर्मा :** गरीबों के साथ अन्याय किया। उनके लोटे, बरतन सब बिकवा दिये। कपड़े भी बेचकर वे अपने बच्चों की फीस दे रहे हैं। वे लोग आज रोटी को मोहताज हो रहे हैं। ऐसी हालत में राज्य सरकार यह कहती है कि हम उनको खुलवाएंगे। उसके बाद रातोंरात लाक-आउट करवा दिया। मजदूरों के साथ अन्याय किया। राज्य सरकार इस बात पर बिलकुल चिंतित नहीं है कि उसके कारण आज इन....

**श्री अध्यक्ष :** रामगोपाल जी। विराजिये, विराजिये।

**श्री रामकिशन वर्मा :** राजस्थान में कोटा का नाम बदनाम हुआ है। जे. के. ने एक फैक्ट्री से लाभ कमाकर छह फैक्ट्रीज चालू कर दीं, हिन्दुस्तान में उसका नाम छठा आ गया और शोषण करते रहे।

---

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री रामकिशन वर्मा)

मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है, उनको न्याय दिलाया जाए। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : रामगोपाल जी को बोलने दें। अब आप खतम करिये। आप पहले बोल चुके हैं। (व्यवधान)

**श्री मोहनलाल बारूपाल** : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कम बोलता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : आप किस पर बोलना चाहते हैं ? एक मिनट, आप किस पर बोल रहे हैं ?

**श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, कोटा के जे. के. सिंथेटिक्स का एक श्रमिकों से जुड़ा हुआ गम्भीर मसला है उसके ऊपर कल भी हाउस में चर्चा हुई थी और हाउस में चर्चा के बाद....

**श्री मोहनलाल बारूपाल** : मैंने पर्ची दी थी। कल भी आप मेरा नाम बोले थे। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : अभी ?

**श्री मोहनलाल बारूपाल** : हां, मोहनलाल बारूपाल। मैं बैठा बैठा देखता रहा।

**श्री अध्यक्ष** : आपकी पर्ची....

**श्री मोहनलाल बारूपाल** : 295 की है, 295 की।

**श्री अध्यक्ष** : 295 का है। एक मिनट, अभी वह अलग है। विराजिये आप। मैं आपको बुलाता हूं।

**श्री रामगोपाल बैरवा** : ....मंत्रीजी ने यह आश्वासन दिया था, वहां के मैनेजमेंट के द्वारा श्रमिकों के साथ जिस तरह से अन्याय किया जा रहा है, उस अन्याय को रोककर, श्रमिकों को 2-3 महीने से भुगतान नहीं किया जा रहा है, वह भुगतान दिलाया जाए, अध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख की बात है, कल यहां पर सरकार ने आश्वासन दिया कि हम श्रमिकों की व्यवस्था करेंगे उसके बाद मैनेजमेंट और प्रशासन ने मिलकर रातों-रात तालाबन्दी कर दी। इससे बड़ी दुःख की बात और इस सरकार के लिए शर्म की बात और क्या हो सकती है। सरकार के आदेश के बावजूद, सरकार के आश्वासन के बावजूद जे. के. का प्रशासन इस तरह से हावी होता रहे, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज फिर माननीय मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं कि जो गरीबों के साथ और वहां के श्रमिकों के साथ अन्याय हो रहा है और प्रशासन इस तरह दिनों-दिन हरकत करता जा रहा है; माननीय मंत्रीजी द्वारा, सरकार क्या कदम उठाना चाहती है, अपना स्पष्टीकरण दें। आपका जो मानस है उसको स्पष्ट करें।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय रतनलालजी ताम्बी।

**श्री रतनलाल ताम्बी** : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान की एक गम्भीर समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिससे मेरा जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ है....

**श्री रामनारायण मीणा** : माननीय अध्यक्ष महोदय...

**श्री अध्यक्ष** : बैठिये ना आप।

**श्री रामनारायण मीणा** : मेरा भी स्थगन प्रस्ताव था। इसी उद्योग वाले के ऊपर मेरे भी हस्ताक्षर हैं।

**श्री रतनलाल ताम्बी** : यह बीच में कहां आ गये। बात ही नहीं हो पा रही है।

**श्री अध्यक्ष** : उसकी एक पर्ची और है। मैं एक ही बात बोलने दूंगा।

**श्री रामनारायण मीणा** : हां, इसी पर बोल लूंगा।

**श्री अध्यक्ष** : किस पर? जे. के. पर? बोलो।

**श्री रामनारायण मीणा** : हां, इसी पर बोल लूंगा।

**श्री अध्यक्ष** : एक मिनट ठहरो साहब।

**श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)** : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्रम मंत्रीजी विराजमान हैं और माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी विराजमान हैं, कोटा नगरी राजस्थान की पहली औद्योगिक नगरी है और उसके बाद दूसरी जगह उद्योग लगे, जे. के. की जो इकाइयां कोटा में कार्यरत हैं, उनमें पहले एक यूनियन हुआ करती थी, काम चल रहा था, इस उद्योग को राजनीतिकरण करके जिन लोगों ने बन्द कर दिया, मैं उनको कंडेम करना चाहता हूं। उस यूनियन को तोड़कर दूसरी यूनियन बना दी सत्ताधारी दल ने (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आप कंडेम तो करना चाहते हैं, करते रहना, अब आप क्या फायदा कराना चाहते हैं, वह बोलो जल्दी से जल्दी, फटाफट।

**श्री रामनारायण मीणा** : यूनियन बनाकर मजदूरों को डिवाइड किया गया और डिवाइड करके वहां अशांति फैलाई गयी। सरकार को आदेश दिया जाए.... (व्यवधान)

**श्री ओमप्रकाश शर्मा** : जो शुरू से राजनीति कर रहे हैं.... (व्यवधान) इसमें राजनीति का कोई मतलब ही नहीं है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : विराजिये, विराजिये, विराजिये। माननीय ताम्बी साहब। विराजिये विराजिये। (व्यवधान) केवल ताम्बी साहब का लिखें, और किसी का नहीं।

**श्री ओमप्रकाश शर्मा** : × × ×

**श्री रामनारायण मीणा** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : ताम्बी साहब, आप बोलें।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : × × ×

**श्री रतनलाल ताम्बी** : राजस्थान में पांच लाख किसानों को जलोत्थान सिंचाई योजना के माध्यम से.... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : केवल ताम्बी साहब का ही रिकार्ड करें। ताम्बी साहब को बोलने दें। (व्यवधान)

---

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**श्री रामनारायण मीणा :** × × ×

**श्री अध्यक्ष :** आपको भी कुछ कहना है, अमराराम जी ? बोलें। एक मिनट ताम्बी साहब, ठहरिये।

**श्री अमराराम (धोद) :** हां, मुझे इतना ही कहना है मंत्रीजी से....

**श्री अध्यक्ष :** इस बारे में थोड़े ही कहना है जे.के. पर ?

**श्री अमराराम (धोद) :** जे. के. के बारे में इतना ही कहना है, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं वह कतई नहीं है। यह तो राजस्थान सरकार और मिल मालिकों की मिली भगत के कारण उन्होंने आदेश निकाल दिया। जिस सरकार का आदेश लागू नहीं हुआ हो तो आज मंत्रीजी घोषणा करें....

**श्री अर्जुनदास मदान :** सरकार ने तो इतनी मदद की है, शायद आप तो पहले ही बंद करा देते। (व्यवधान)

**श्री अमराराम (धोद) :** एक तो यह है कि 30 (ए) का प्रोविजन है, उसमें उसको टेक-ओवर करे और दूसरा अगर नहीं है तो गृह मंत्रीजी यहां विराज रहे हैं, अपनी पुलिस को दूर ले ले, आज भी मजदूर तो सरकार के आदेश की पालना कर रहे हैं कारखाने के अन्दर....

**श्री नन्दलाल मीणा :** अभी अगर राज्य सरकार मदद नहीं करती तो....

**श्री अध्यक्ष :** आप कुछ कह रहे हैं, मंत्रीजी ?

**श्री अमराराम (धोद) :** आप पुलिस हटा लें, फिर अपने आप....

**श्री अध्यक्ष :** विराजिये, विराजिये। आप मंत्रीजी की बात सुनें।

**श्री नन्दलाल मीणा (राज्य मंत्री, श्रम) :** अध्यक्ष महोदय, जे. के. सिंथेटिक्स समूह पर कल यहां सदन में प्रश्नकाल के दौरान चर्चा हुई थी और यह फैक्ट्री, इसका समूह जिनमें लगभग 5000 श्रमिक सेवारत हैं, राजस्थान हाई कोर्ट के स्थगन के बाद में जल्दी से जल्दी चालू हो, मैंने इस बात का आश्वासन दिया था। अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 (के) के अन्तर्गत उनको प्रतिबन्धित किया गया था कि प्रबंधन पक्ष तालाबंदी नहीं करेगा और श्रमिक पक्ष किसी प्रकार की हड़ताल, घेराव, धरना आदि का प्रदर्शन नहीं करेगा। परन्तु मुझे अफसोस है कि आज रात्रि से इस समूह में तालाबन्दी हुई है। औद्योगिक विवाद अधिनियम में इस बात का प्रावधान है कि यदि 10 (के) के अन्तर्गत प्रबन्धन पक्ष या श्रमिक पक्ष उल्लंघन करता है तो औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 30 (ए) के अन्तर्गत प्रोसीक्यूशन की कार्यवाही की जा सकती है। राज्य सरकार निश्चित रूप से 10 (के) के उल्लंघन के उपलक्ष में, सजा के तौर पर नहीं परन्तु इस तरह का जो दुस्साहस किया है, आदेश की अवहेलना की है, इसके खिलाफ 30 (ए) की कार्यवाही शीघ्र करने का प्रयास कर रही है।

**श्री अध्यक्ष :** विराजिये। श्री राजेन्द्र जी। (व्यवधान) आपका नम्बर आ जाएगा। Do not try to raise your hand.

---

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) :** अध्यक्ष महोदय, जैतारण में 23 अगस्त की रात को एक माया मदारी नाम की महिला....

**श्री राधेश्याम गंगानगर :** मेरा नाम पुकारा था।

**श्री अध्यक्ष :** उनके लिए कह रहा हूं, उनका आ गया है नम्बर।

**श्री राजेन्द्र चौधरी :** ....जो कि पीड़ित थी, उसके प्रसव पीड़ा थी, वह जैतारण हास्पिटल में आई 4 बजे और 4 बजे के बाद में आठ बजे तक वह वहां पर पीड़ित अवस्था में रही, उसके ब्लीडिंग होती रही। डाक्टर, जो जीवन सिंह वहां था, ने 2000 रुपये की मांग की। 2000 रुपये दे दीजिये तो ही मैं इलाज करूंगा। उसने इलाज नहीं किया और 8 बजे के करीब जैतारण गांव के कुछ लोग इकट्ठे हो गये और इकट्ठे करके उन्होंने जीप किराये पर की। ब्यावर की तरफ उसको ले जाने लगे। तीन किलोमीटर जाने के बाद में उस महिला की डेथ हो गयी। उसके बाद में उस महिला की बोडी को वापस लाया गया। उसके बाद में पूरा गांव इकट्ठा हो गया, पूरी रात को लोग बैठे रहे। सुबह पूरा जैतारण बन्द रहा और उस समय पुलिस ने भयंकर लाठीचार्ज किया, कई व्यक्तियों को अरेस्ट किया, गृह मंत्रीजी। ऐसी स्थिति के अन्दर केवल कार्यवाही यह हुई कि डाक्टर को वहां से हैडक्वार्टर भेज दिया गया कलक्टर के द्वारा, जबकि इस डाक्टर का पुराना इतिहास है कि बोरून्दा के अन्दर था वहां पर पब्लिक ने इसके साथ मारपीट की। इसी तरह से जैतारण में भी दूसरी जगह उसकी पोस्टिंग हुई थी क्षेत्र के अन्दर, वहां पर की गयी थी। बाबू लाल माली का पुलिस ने एक हाथ तोड़ दिया, इतना जबरदस्त पुलिस ने उसको मारा है। मांगीलाल रैगर 55 साल का था, उसके दोनों हाथ तोड़ दिये। उसके अलावा पन्ना लाल गौड़, उसकी पत्नी प्रसव में थी, पैसा नहीं देने के कारण उसकी डैथ हो गयी वहां जैतारण के अन्दर इसी डाक्टर के कारण। इसके अलावा भजनाराम माली की लड़की थी, उसकी प्रसव पीड़ा के दौरान डैथ हो। अध्यक्ष महोदय, इतना भीषण आफेंस करने वाला डाक्टर है, जहां डाक्टर के बारे में यह माना जाता है कि वह तो भगवान का अवतार है और वह चिकित्सा करेगा। ऐसे डाक्टर के खिलाफ भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी उलटे, गृह मंत्री महोदय, निर्दोष

(13.00)

लोगों को, जो इस बात का प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस ने बुलाकर मारा। वहां जैतारण में भारी असन्तोष है इस बात का। मैं चाहूंगा, गृह मंत्री महोदय, आप इस बारे में जांच करके दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जरूर कार्यवाही करेंगे और चिकित्सा मंत्रीजी, आप भी ऐसे डाक्टर के खिलाफ जरूर कार्यवाही करेंगे।

**श्री अध्यक्ष :** श्री जितेन्द्र सिंहजी। डा. जितेन्द्र सिंहजी।

**श्री रतनलाल ताम्बी :** मेरा क्या हुआ, अध्यक्ष महोदय ?

**श्री अध्यक्ष :** एक मिनट।

**श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) :** अध्यक्ष महोदय, अभी बिलाड़ा से आने वाले

(श्री परसराम मदेरणा)

माननीय सदस्य ने जो गृह मंत्रीजी का ध्यान ग्राकर्षित किया है, महिला की मृत्यु हुई, लोगों ने डिमोस्ट्रेशन किया, लेकिन पुलिस ने जिस बर्बरता से लाठीचार्ज किया है ग्रौर फ्रैक्चर्स हुए हैं, यह बहुत शोचनीय प्रश्न है आपके सामने ग्रौर मैं भी यह चाहूंगा, वह लोग मुझ से मिले थे, एक शिष्टमण्डल में ग्राए, मैंने उनसे कहा था कि आप रुक जाना, आप गृह मंत्रीजी से मिलो, इस सम्बन्ध में आप जांच करवाइये। जो पुलिस के ग्रधिकारी हैं जिन्होंने इस तरह से निर्दयता के साथ लोगों से मारपीट की है, एक तरफ डाक्टर का तो ट्रांसफर किया है, मेडिकल डिपार्टमेंट उसकी गलती मान रहा है, दूसरी तरफ पुलिस जो है, बहुत एक्सेस उन्होंने फोर्स यूज किया है ग्रौर जिन लोगों ने उनके फ्रैक्चर किया है, हड्डियां टूटी हैं, ग्राप इस में जांच करके पुलिस के जो ग्रधिकारी ग्रौर कर्मचारी दोषी हैं उनको निश्चित तौर पर दण्डित करें।

**श्री ग्रध्यक्ष** : डा. जितेन्द्र सिंहजी।

**डा. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी)** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना, जो ग्रभी 28 तारीख को हुई, के विषय में मुख्य मंत्रीजी का और विद्युत मंत्रीजी का ध्यान ग्राकर्षित करना चाहूंगा। एक व्यक्ति के इल्लीगल बिजली के कनेक्शन के कारण एक पूरा परिवार समाप्त हो गया। अभी जो ग्रंधड़ ग्राया था उसमें तार टूट कर गिर गये। उसने इल्लीगल कनेक्शन ले रखा था। उस दुर्घटना के ग्रन्दर पूर्ण परिवार में श्री नारायण सिंह राजपूत, उनकी पत्नी भतेरी देवी ग्रौर उनकी लड़की दीपा, दोनों एक साथ चिपक कर मर गये। उसके बावजूद भी, जिस व्यक्ति के कारण यह मृत्यु हुई उनकी, उनमें संवेदना नाम की चीज नहीं है ग्रौर वह दूसरे दिन वहां से बरी हो गया बिना किसी बात के। पता नहीं यह ग्रसंवेदनशीलता कैसे है इस तरह की। महोदय से निवेदन है कि जो परिवार समाप्त हो गया सारा, उसमें सिर्फ दो अबोध बच्चे बचे हैं, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उनको कम से कम एक-एक लाख रुपये दें ताकि उन बच्चों का भरण-पोषण हो सके।

**श्री ग्रध्यक्ष** : बिराजिये। ताम्बी साहब।

**डा. जितेन्द्र सिंह** : महोदय, इसके साथ एक छोटा-सा निवेदन करूंगा। माननीय गृह मंत्रीजी बैठे हुए हैं यहां पर, मेरे विधान सभा क्षेत्र का....

**श्री ग्रध्यक्ष** : एक बार में एक ही इश्यू। प्लीज, कोग्रापरेट मी।

**डा. जितेन्द्र सिंह** : अच्छा ठीक है।

**श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री)** : ऐसे ही दे दो आप। मैं कार्यवाही करा दूंगा, ग्राप दे दो।

**श्री ग्रध्यक्ष** : एक सैकण्ड ठहरिये। बोलिये अब।

**श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)** : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान की लगभग एक हजार लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, जलोत्थान सिंचाई योजना, जिनसे पांच लाख किसान प्रभावित हो रहे हैं, उस सम्बन्ध में विद्युत

(श्री रतनलाल ताम्बी)

मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। विद्युत मंत्री महोदय कहने को और माने जाने को किसानों के बहुत हितैषी माने जाते हैं। बारां जिले में भी पता नहीं इनके किसानों, इनका मामला, बहुत लिफ्ट है, उठाया या नहीं उठाया, मैं अपने भीलवाड़ा जिले की बात आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : कृपया संक्षिप्त में इन चीजों को कहें।

श्री रतनलाल ताम्बी : क्या साहब ?

श्री अध्यक्ष : बारां में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, you are not concerned with it. आप पर्टिकुलरली जहां से....

श्री रतनलाल ताम्बी : नहीं, यह एक उदाहरण दिया है मैंने तो। मैं भीलवाड़ा जिले की बात कर रहा हूं। भीलवाड़ा जिले और राजस्थान की बात भी मैंने इसमें ली है, जो दिया है मैंने, कि करीब-करीब एक हजार लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स हैं। दस वर्ष पहले लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के किसानों पर कृषि की जो दरें थीं, बिजली की लागू थी, पचास पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से ली जाती थीं। अभी नवम्बर, 96 में दरें बढ़ाकर उन किसानों को व्यावसायिक किसानों की श्रेणी में मानकर 1/4 उनकी रेट मानकर 78 पैसे करीब और ईंधन प्रभार लगाकर 81 पैसे प्रति यूनिट कर दिया। यह इतनी रेट एक साथ बढ़ाना, राजस्थान के किसानों पर बहुत बड़े अन्याय की पराकाष्ठा है। इससे लिफ्ट इरिगेशन स्कीमें बन्द हो रही हैं। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, इसके बाद 75 रुपये प्रति हार्स पावर प्रति माह उन पर मिनिमम चार्जेज और लागू कर दिये। लिफ्ट इरिगेशन स्कीमें साल में चार महीने चलती हैं और बारह महीने का देना पड़ेगा....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : इसलिए सारी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स भीलवाड़ा जिले में जो हैं, उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं, काट दिये काफी और उसके साथ-साथ वहां पर ट्रांसफार्मर हटाये जा रहे हैं। उन लोगों के सामने भूखमरी पैदा हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री महेन्द्र कुमारजी।

श्री रतनलाल ताम्बी : इसलिए मैं आपकी मार्फत राज्य सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, जो कृषि की दरें हैं, वह उन किसानों की भागीदारी से बनी हुई जो लिफ्ट्स हैं, उन पर वह दरें लागू रखी जाएं, मिनिमम चार्जेज तत्काल हटाये जाएं वरना यह सारे किसान, पांच लाख राजस्थान के, बरबाद हो जाएंगे....

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री रतनलाल ताम्बी : एक मामला और है।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र....

श्री अध्यक्ष : नहीं। समाप्त करें। नहीं, नहीं। नो। वन एट ए टाइम।

**श्री रतनलाल ताम्बी** : ठीक है, आप ग्रौर देंगे ग्रवसर मुझे भीलवाड़ा के लिए ?

**श्री ग्रध्यक्ष** : हां, बिराजें ग्राप।

**श्री महेन्द्र कुमार मीणा** (सिकराय) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकराय के ग्रन्दर भांडारेज कस्बा है जो कि दौसा जिले का सबसे बड़ा कस्बा है, वहां की आबादी बीस हजार के करीब है। वहां कस्बे के बीच में पहले एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र था। मान्यवर, उस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को स्वास्थ्य विभाग ने कस्बे से दो किलोमीटर दूर जंगल के ग्रन्दर खोल दिया है। गरमी ग्रौर बरसात के ग्रन्दर कोई भी, हमारी माता, बहनें, बुजुर्ग उस ग्रस्पताल के ग्रन्दर जा नहीं सकते, साधनों का ग्रभाव है। इसलिए मेरी प्रार्थना है स्वास्थ्य मंत्रीजी से कि उस स्वास्थ्य केन्द्र को ग्राम के बीच में ही खोलें जिससे सबको सुविधा मिल सके।

**श्री रतनलाल ताम्बी** : मेरे इश्यू का भी विद्युत मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं।

**श्री ग्रध्यक्ष** : बिराजें। मंत्री महोदय कुछ कह रहे हैं ?

**श्री रघुवीर सिंह कौशल** (ऊर्जा मंत्री) : माननीय सदस्य ने जो बात रखी है, वह सचमुच विचारणीय है। मैं इस विधान सभा सत्र के बाद इस पर गम्भीरता से विचार करूंगा ग्रौर माननीय सदस्य को बुलाकर इनसे राय-मशविरा लूंगा।

**श्री ग्रध्यक्ष** : श्री राधेश्यामजी गंगानगर।

**श्री रतनलाल ताम्बी** : मेरा एक निवेदन और है, साहब। एक सैकण्ड, साहब। मैं निवेदन यह कह रहा हूं, तब तक कनेक्शन नहीं काटे जाएं, ट्रांसफार्मर नहीं हटाये जाएं वरना दुबारा चार्ज होगा।

**श्री ग्रध्यक्ष** : ग्राप बात कर लेना।

**श्री रतनलाल ताम्बी** : तब तक यह व्यवस्था कर दीजिये। यह निर्देश दें।

**श्री ग्रध्यक्ष** : ग्राप बात कर लेना।

**श्री राधेश्याम गंगानगर** (श्री गंगानगर) : परम सम्माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रापके माध्यम से मैंने प्रक्रिया के नियम 50 के ग्रन्तर्गत एक स्थगन प्रस्ताव लगाया था लेकिन वह....

**श्री ग्रध्यक्ष** : वह तो उसकी व्यवस्था दे दी मैंने।

**श्री राधेश्याम गंगानगर** : ग्रापने व्यवस्था दे दी....

**श्री ग्रध्यक्ष** : हां।

**श्री राधेश्याम गंगानगर** : उसके लिए मैं ग्रापका ग्राभारी हूं, आपने मुझे समय भी दिया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले बजट सत्र में, दो करोड़ रुपये की गंगानगर की बिगड़ती हालत के लिए माननीय मंत्रीजी ने यहां घोषणा की थी ग्रापके सामने और उससे पूर्व 95 में ही हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने ग्रौर 94 में भी, उस वक्त जब मैंने यह बताया कि ग्राठ-ग्राठ इंच गलियों में पानी है, सड़क नाम

(श्री राधेश्याम गंगानगर) :

की कोई चीज नहीं है, नाले-नालियों में बच्चे गिर रहे हैं और कम से कम नौ बच्चे छोटे-छोटे, आठ-आठ साल के, जिनके लिए रिपोर्ट लिखाई गयी और वह सारी प्रोसिडिंग्स, आपको मैंने यहां निवेदन किया।

**श्री अध्यक्ष :** वह तो पुरानी बात हो गयी, राधेश्याम जी।

**श्री राधेश्याम गंगानगर :** बात तो पुरानी है लेकिन याद इसलिए करा रहा हूं कि किस तरह के हमारे मंत्री महोदय हैं, इन्होंने चीफ मिनिस्टर के कहने पर....

**श्री अध्यक्ष :** यह सब बातें आपने बुलाई, 1996 के सत्र में फरमाई थीं, अब वह तो एक साल पुरानी बात हो गयी।

**श्री राधेश्याम गंगानगर :** मैं निवेदन यह कर रहा हूं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने आदेश दिये, मैं जब यहां अपना भाषण दे रहा था तो मुख्य मंत्री ने अपनी टेबल पर मुझे बुलाया, मैं उनके पास जब उपस्थित हुआ, तो उन्होंने कान में पूछा, भाई क्या समस्या है, सारी समस्या देखी उन्होंने, चैक करवाया, उन्होंने पचास लाख रुपये तुरन्त देने की मेरे को वहीं बात की, जो हाउस में घोषण नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने मेरे को विश्वास दिलाया था।

**श्री अध्यक्ष :** अब आप बात कर लेना।

**श्री राधेश्याम गंगानगर :** एक ही मिनट, साहब। बात कहां करूं, बात कर-करके तो थक गया जी, बहुत जरूरी मामला है, वहां मौतें हो रही हैं, हजारों आदमियों को पीलिया हो रहा है, इस तरह से हेपेटाइटिस की बीमारी फैल रही है, बहुत सीरियस मामला है। वैसे भी मेरे साथ में, मैं धन्यवाद करूंगा, 25 विधायकों ने इस पर हस्ताक्षर किये हैं मेरी मदद में, मेरे उस क्षेत्र की इतनी भारी समस्या के लिए तो, माननीय, यह 10 मई, 1995 की बात है, उससे पूर्व मंत्री महोदय, आप और हमारे चिकित्सा मंत्री, सी. एम. के आदेश पर गंगानगर की एक-एक गली में फिरे, एक-एक नाला और नालियां, सड़कें इन्होंने जाकर देखीं कि कहीं राधेश्याम जी गलत तो नहीं कह रहे हैं। उसको देखने के उपरांत यहां टेण्डर कर दिये गये, चीफ इंजीनियर को वहां भेज दिया गया, स्कीम बन गयी। टाटा और तीन-चार बड़ी बड़ी कम्पनियों के टेण्डर आ गये और बड़े बड़े राष्ट्रीय अखबारों में उनका विज्ञापन आ गया, आज तक यहां कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने पिछले सैशन में यह कहा था कि अगर मंत्री महोदय आज दुबारा मेरे यहां जो दो करोड़ की आपने घोषणा की, नहीं देंगे तो मैं यहां मरण-व्रत रखूंगा। तो आपने प्यार से यह कहा कि भाई, आत्म-दाह मैं आपको नहीं करने दूंगा, बोलो, क्या करना है, मैं आपको दे दूंगा। यह आपके सामने की बात है। इस तरह का प्रामिस किया, और हजारों आदमी, बच्चे, औरतें और बूढ़े पीलिया से मर रहे हैं और सैकड़ों आदमी इस हेपेटाइटिस के मरीज हो गये हैं और 45 आदमियों की मौत हो गयी है। ऐसे गम्भीर मामले पर यह सब यहां जो मंत्रीजी बैठे हैं, आप कल आएंगे नहीं तो फिर बोलने का जो आपने समय दिया है, कृपा की है उसका तो कोई फायदा हुआ

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

नहीं। मैंने अखबार में नाम लिखवाने के लिए तो कहा नहीं है। मुझे नाम नहीं चाहिए। मैं तो चाहता हूं, गवर्नमेंट से निवेदन कर रहा हूं इतनी भारी समस्या है हजारों आदमी....

**श्री अध्यक्ष** : आप और हम सब जीरो आवर में एटरेंडम बात बताते हैं इसमें मंत्रीजी क्या जवाब देंगे? उनको पता होगा तो उसके बारे में जवाब दे देंगे। बिराजिये।

**श्री राधेश्याम गंगानगर** : मैंने आंकड़े दिये हैं। जीरो आवर में अभी मंत्री ने आपके सामने जवाब दिया है। चार मंत्रियों ने जवाब दिया। आप कम से कम जवाब तो दिलवाइये। प्रोसिडिंग्स बोल रही है कि दो करोड़ रुपये की हां भरी, आपने टेण्डर करवा लिये, आपने यह कह दिया कि आपका कार्य हो जायेगा चाहे मैं गवर्नमेंट से दूं या किसी एजेन्सी से लोन लेकर दूं, आपका काम, राधेश्याम जी, नहीं रुकने दूंगा और ये मंत्री महोदय... (व्यवधान) मैं आपसे प्रार्थना करूंगा....

**श्री अध्यक्ष** : बिराजिये, आपकी बात पूरी सुन ली मैंने।

**श्री राधेश्याम गंगानगर** : साहब, इतना सीरियस मामला है।

**श्री अध्यक्ष** : तो अब मैं क्या कर सकता हूं, बताओ ?

**श्री राधेश्याम गंगानगर** : आप मंत्रीजी से स्टेटमेंट दिलवाइये।

**श्री अध्यक्ष** : मैं स्टेटमेंट दिलवाऊ ? Under which provisions? How I can compel a minister ?

**श्री राधेश्याम गंगानगर** : मैं यह अर्ज करता हूं कि इस हाउस में कोई बात कह दी जाये और उसको पूरा नहीं किया जाये तो उसके मालिक तो आप हो, मैं तो हूं नहीं। मेरा मतलब है कि आप स्टेटमेंट दें, आपकी प्रोसिडिंग्स मैंने लगा कर दी है, जो एश्योरेंस दिया है मैंने उसकी प्रोसिडिंग्स लगा कर दी है।

**श्री जगदीप धनखड़** : अध्यक्ष जी, मंत्री को अपने आप ही बोल देना चाहिए। आपका इतना कहना काफी है। यह सुझाव काफी है।

**श्री अध्यक्ष** : बिराजिये, एक मिनट आप। मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं फिर भी आप बोले जा रहे हैं।

**श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने आपके कान में क्या बात कही इसकी मुझे जानकारी नहीं है। आप उनसे बात कर लीजिये, वे 50 लाख दें या जितना दें बहुत अच्छी बात है। यह नगरपालिका अपने बजट से कराती है। सरकार भी जितना हो सके, उतनी मदद करती रहती है।

**श्री हरिसिंह (महुआ)** : सरकार भी तो अनुदान देती है।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : देती हैं न, पर ज्यादा तो अनुदान नहीं दे सकती। अपनी सीमा से उतना ही तो देगी न।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आपने घोषणा नहीं की ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरी बात सुनिये। मैंने कोई घोषणा नहीं की।

श्री राधेश्याम गंगानगर : प्रोसिडिंग्स भेजी है मैंने आपको।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप मुझे ला दीजिये, कहां है ?

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैंने दी है प्रोसिडिंग्स आपको।

श्री भंवरलाल शर्मा : तो आप मुझे दिखा दीजिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं तो माध्यम से दूंगा, आप हमारी तो सुनते नहीं है। आप वहां पधारे तो थे न ?

श्री अध्यक्ष : पूरी बात तो सुन लीजिये, माननीय राधेश्याम जी।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं वहां बिलकुल गया हूं, मना नहीं करता। वहां गये थे, जाकर के हमने एस्टीमेट बनवाया कि इस पर कितना खर्चा हो सकता है। अब ये खर्चा कौन करे सवाल इतना ही है। तो सारी जो नगरपालिकाएं हैं, वह अपनी सड़कों की व्यवस्था स्वयं करती हैं। सरकार भी जितनी आवश्यकता हो उतना ...

श्री राधेश्याम गंगानगर : यह आपका स्टेटमेंट है, 50 अखबारों में है। यह आपका स्टेटमेंट है जो आपने वहां दिया। उसके बाद यहां मैंने आपसे अर्ज की। मेरी अर्ज आपने मानी।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरी बात तो सुनिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि ...

श्री राधेश्याम गंगानगर : और यह सारे हाउस को मालूम है।

श्री अध्यक्ष : पूरी बात तो सुनिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : नगरपालिकाएं अपने साधनों से सब काम करती हैं। सरकार भी यदा-कदा उसकी मदद करती है। अब जितना कर सकें उतनी करेंगे.... (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : अपनी बात से अगर इस तरह, आप इतने बड़े मंत्री हैं और आप इस तरह अपनी बात से....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। श्री दलीचन्द जी। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : निर्णय तो कुछ ही नहीं हुआ है। मैं तो अब भूख-हड़ताल पर बैठता हूं। आप मुझे मारना ही चाहते हैं तो मर जाता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैंने तो आपकी पूरी बात सुनी है। बिराजिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं अर्ज करता हूं, आप बात से ही बदल रहे हैं। तीन साल से बराबर आप कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : प्लीज कोआपरेट मी।

श्री राधेश्याम गंगानगर : दो मंत्री वहां गये, दोनों मंत्रियों ने एक-एक खड्डे को देखा....

**श्री अध्यक्ष** : राधेश्याम जी, मैंने आपकी पूरी बात सुन ली है।

**श्री राधेश्याम गंगानगर** : जहां बच्चे मरे थे, जहां पशु मरे थे, जहां आदमी मरे थे। एक-एक चीज को आपने देखा है और उसके बाद में भी....

**श्री अध्यक्ष** : अब अंकित नहीं करें, बिराजिये आप।

**श्री राधेश्याम गंगानगर** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : राधेश्याम जी, बिराजिये आप। मैंने आपकी पूरी बात सुनी है।

**श्री जगदीप धनखड़** : अध्यक्ष जी, इस बारे में माननीय मंत्री महोदय ने, सदन के नेता मुख्य मंत्री के ऊपर बड़ी गम्भीर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि मुख्य मंत्री आपके कान में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी कि ऐसा....

**श्री अध्यक्ष** : माननीय धनखड़ साहब, बिराजिये। क्यों समय जाया कर रहे हैं, No further discussion. Please, co-operate me.

**श्री जगदीप धनखड़** : सरकार को पता ही नहीं चल रहा है।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य को बोलने दें। आप तो हमेशा ही बोलते हैं, जो कभी नहीं बोलते हैं उनको तो बोलने दें आप।

**श्री जगदीप धनखड़** : मैं पिछले सत्र में तो निलम्बित रहा, आप कैसे कह सकते हो कि मैं हर बार बोलता हूं ?

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं। बिराजिये आप।

**श्री मुलकराज सिंह** (रायसिंहनगर) : माननीय अध्यक्ष जी, गंगानगर का मामला है जो राधेश्याम जी ने उठाया है, वहां बारिश जब होती है तो घुटनों से ज्यादा पानी गलियों में भरा हुआ होता है और बहुत गम्भीर समस्या है। माननीय अध्यक्षजी, इसको आप देख करके....

**श्री अध्यक्ष** : आप मंत्री जी से मुख्य मंत्रीजी से बात कर लें, माननीय सदस्य, आप कृपा करके बिराजिये।

**श्री मुलकराज सिंह** : मंत्रीजी से डिस्कस करके इसको स्वीकृत करावें।

**श्री राधेश्याम गंगानगर** : "रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई।" आदरणीय भंवरलाल जी शर्मा।

**श्री रतीचन्द** (दानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आयुर्वेद मंत्रीजी और गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक 19 वर्षीय महिला को बुखार हुआ और वह लेन्थान आयुर्वेदिक औषधालय में इलाज करवाने के लिए गयी। वहां पर एक कम्पाउण्डर रहता है, उसने उसको दो इंजेक्शन लगाये, उस इंजेक्शन के रिएक्शन होने के कारण उस महिला की मृत्यु हो गई। उस महिला का जब बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें यह पाया गया कि इंजेक्शन के रिएक्शन होने के कारण उस

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री दलीचन्द)

महिला की मृत्यु हुई। उसके बाद में थाना सदर में एफ.आई.आर. लॉज कराई गयी। न तो आज तक उस महिला की मृत्यु के लिए उस कम्पाउण्डर को सस्पैंड किया गया और न ही कम्पाउण्डर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। महिला अभी पिछले सप्ताह ही मरी है लेकिन आज तक उसका कोई न्याय नहीं है। इसलिए मैं गृह मंत्री महोदय से यह आग्रह करूंगा कि उसकी जानकारी लेकर उस थाना प्रभारी से बात करके उस कम्पाउण्डर को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कराया जाए, सस्पैंड कराया जाए।

श्री अध्यक्ष : धनखड़ साहब, आपको कुछ कहना है ? किस पर कहना है ?

श्री जगदीप धनखड़ : हां, वही मानवाधिकार के विषय पर।

श्री अध्यक्ष : हां, फिर उसी पर बोलिये आप इधर-उधर क्यों बोल रहे थे ?

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : नहीं-नहीं और किसी विषय पर नहीं। माननीय अध्यक्षजी, मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी का, जो यहां नहीं है, और गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा मानवाधिकारों के दो मुद्दों की ओर। यह हनन, मान्यवर, अत्यन्त चिन्ता का विषय है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सदन में कहा कि राजस्थान विश्वविद्यालय के कुछ होस्टल्स को खाली करा लिया गया और कुछ होस्टल्स को खाली नहीं कराया गया। उन्होंने कहा कि उन होस्टल्स को खाली नहीं कराया गया जिनमें छात्र प्रथम डिवीजन के थे। मान्यवर, जिन होस्टल्स को खाली कराया गया है उनके छात्र भी प्रथम डिवीजन के हैं। गोखले होस्टल में जो एडमिशंस किये गये उसमें पहले छात्र की पर्सेंटेज है 83 से ज्यादा और सामान्य श्रेणी में जो आखिरी छात्र एडमिट किया गया उसकी पर्सेंटेज आफ मार्क्स है 72, यहां तक कि शिड्यूल्ड कास्ट केटेगरी के जो छात्र एडमिट किये गये उनमें भी आखिरी छात्र की पर्सेंटेज 61 है।

मान्यवर, ऐसे छात्रों को अचानक शैक्षणिक जीवन व्यतीत करते समय हटा देना, उनके जीवन पर कितना प्रतिकूल असर डालेगा, इसका अन्दाज लगाया जा सकता है। जब माननीय मुख्य मंत्री ने दो होस्टल्स के बारे में निर्देश दे दिये कोई ऐसी बात नहीं है कि इन छात्रों के सम्बन्ध में एक ऐसा मापदण्ड अपनाया जाए, जो इनके शैक्षणिक जीवन पर प्रतिकूल असर न डाले।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती शशीदत्ताजी।

श्री जगदीप धनखड़ : दूसरी बात, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : एक ही बात बोलिये।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं-नहीं, इसी प्रकरण पर मानवाधिकारों के हनन पर ही है। देश की आजादी की स्वर्ण जयन्ती है और इस वर्ष में क्या हम ऐसी स्थिति को बरदाश्त कर सकते हैं कि "अन्धेरी नगरी चौपट राजा" जैसे कार्य करें ? यदि अगर अभियुक्त एक आदमी है तो क्या पुलिस उसके रिश्तेदार को बैठा सकती है ? नहीं

(श्री जगदीप धनखड़)

बैठा सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं जानकारी की थाने में, हनुमानसिंह को बैठा रखा है थाने में, जो + + + हैडमास्टर है, कि आपका बेटा लिप्त है राजीव को बैठा रखा है ...(व्यवधान)

**श्री श्रवण कुमार** (पिलानी) : थाने में बन्द कर दिया। इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं... (व्यवधान)

**श्री जगदीप धनखड़** : और यही कार्य चल रहा था हनुमानसिंह, भागीरथ, रामधन और रवीन्द्रपाल गोदारा के प्रति। माननीय अध्यक्ष महोदय, कितनी चिन्ता का विषय है कि जो अध्यापक हैं, जो बुजुर्ग आदमी है और सरकार यदि यही करती है तो मैं जानना चाहता हूं गृह मंत्री महोदय से कि क्या मधुकर टण्डन के परिजनों को बैठाया था? यह दोहरा मापदण्ड छोड़िये। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आप चाहे राजस्थान की राजधानी के थानों में इस प्रकार के मानवाधिकारों के हनन के लिए आप चार विधायकों को भेज सकते हैं। मैं खुद देखकर आया हूं। आप गृह मंत्रीजी को निर्देश दें....

**श्री अध्यक्ष** : धनखड़ साहब, आपने अपनी बात कह दी। प्लीज, बिराजिये।

**श्री जगदीप धनखड़** : गृह मंत्रीजी को निर्देश दीजिये कि ऐसे मामलों में तत्काल जांच कराएं। (व्यवधान)

**श्रीमती कमला** : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका जबाब, माननीय गृह मंत्रीजी बैठे हैं उनको बयान देना चाहिए कि यह गलत हो रहा है, यह आगे नहीं किया जायेगा।

**श्री अध्यक्ष** : बिराजें, बिराजें। (व्यवधान)

**श्रीमती कमला** : इसमें बिराजने की क्या बात है? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आप बिराजें, क्या कर रहे हैं आप?

**श्रीमती कमला** : किसी ने गुनाह किया है वह भोगेगा, उसके सारे परिवार को सजा देने का क्या मतलब है?

**श्री अध्यक्ष** : जिनको अनुमति देते हैं वह तो बोलेंगे कि नहीं?

**श्रीमती कमला** : नहीं, यह बैठे हैं, आप इनको कहिये मंत्रीजी को... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : हमारे जो मन में आवें, वह खड़े होकर बोल देते हैं।

**श्रीमती कमला** : आप आदेश दे सकते हैं कि पहले जवाब दें। आप आदेश देना नहीं चाहते।

**श्री जगदीप धनखड़** : अध्यक्षजी, आप अपनी शक्ति पहचानिये।

**श्रीमती कमला** : यह तो अधिकारों का हनन है इस तरह से। हम सुन रहे हैं चुपचाप, यहां मंत्रीजी बैठे हैं जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। (व्यवधान)

**श्री श्रवण कुमार** : आप ऐसी बातों को हंसी में टाल देते हो।

---

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री श्रवण कुमार)

(व्यवधान) जिन लोगों पर अन्याय किया जा रहा है उसको बरदाश्त नहीं कर सकते और आप हंसी में टाल रहे हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, बात कर लेंगे।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मंत्रीजी को आदेश दीजिये, यह कानून का उल्लंघन है, यह अधिकारों का उल्लंघन है और यह सरासर कानून की आड़ में तमाम लोगों को दुःखी करने का क्या मतलब है ? (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्षजी, मानवाधिकारों का यह सबसे ज्यादा उल्लंघन है। (व्यवधान) यह आपके सामने भी मुद्दा है। (व्यवधान) यह आपके सामने बात है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : क्या यह बात भी वह बिना मुख्य मंत्री के पूछे नहीं कहेंगे ? (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : यहां बैठे हुए जो भी हैं, जवाब दें। गृह मंत्रीजी जवाब दें इसका।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्रीमती कमला : क्या इतनी-सी बात भी गृह मंत्रीजी बिना मुख्य मंत्रीजी को पूछे नहीं बोलेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्रीमती कमला : यह जो गलत कार्यवाही हो रही है....(व्यवधान) और आगे नहीं होगी। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं कि जिन्होंने अपराध किया है, जिन्होंने बलात्कार किया है उन लोगों को सजा दी जाए परन्तु उनके परिजनों को पीड़ित नहीं करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : (व्यवधान)... कोई जवाब देना जरूरी नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : अब कोई सरकार का बहाना लेकर आप पूरे समाज को दण्डित करेंगे क्या ? (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : गृह मंत्रीजी इसका जवाब दें, उन परिजनों को क्यों तंग किया जा रहा है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। श्रवणजी, क्या हो रहा है ?

श्रीमती कमला : यह बहुत गलत हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जाएं। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : हम बिराज जाएंगे। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : कोई घटना घटी है उसमें जिन्होंने गलत काम किया है उनको सजा दिलवाइये।

श्री श्रवण कुमार : परिजनों को परेशान किया जा रहा है उनके साथ अन्याय किया

(श्री श्रवण कुमार)

जा रहा है। उसको बरदाश्त नहीं किया जाएगा। (व्यवधान)

**श्री जगदीप धनखड़ :** अध्यक्षजी, चार दिन से एक प्रधानाध्यापक को बैठा रखा है, भोजन नहीं देते। (व्यवधान)

**श्रीमती कमला :** या तो कहिये कि यह गलत बयानी कर रहे हैं, या यह कह दें कि उसको बन्द किया जाएगा। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, कृपया बिराजें।

**श्रीमती कमला :** आप इनको निर्देश दें। (व्यवधान) आप गृह मंत्रीजी को निर्देश दें कि इस तरह की कार्यवाही नहीं की जाएगी।

**श्री अध्यक्ष :** देखकर कह सकता हूं। इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। आप लोगों ने बात कही है, आपकी बात सुन ली है। (व्यवधान)

**श्री श्रवण कुमार :** यह क्या बात हुई ? सब का जवाब दिलवाते हो, हमको भी जवाब दिलवाओ। (व्यवधान)

**श्रीमती कमला :** अध्यक्ष महोदय, मिट्टी के माधव की तरह बैठे हैं यहां पर, क्यों नहीं जवाब दे सकते ? (व्यवधान)

**श्री जगदीप धनखड़ :** अध्यक्ष महोदय, हमने पहले सूचित किया था।

**श्री श्रवण कुमार :** अध्यक्ष महोदय, आप सबको जवाब दिलवाते हो तो हमारी बात का भी जवाब दिलवाओ। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** बिराजें श्रवणजी, आपकी बात पूरी सुन ली है। (व्यवधान)

**श्रीमती कमला :** जो गलत कार्यवाही हो रही है उसका जवाब तो देना चाहिए गृह मंत्रीजी को....(व्यवधान)

**श्री श्रवण कुमार :** हमारी क्या बात सुन ली ? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** आपकी बात पूरी सुन ली है। मेरे पास संसदीय मर्यादाएं हैं और समय की मर्यादा है। (व्यवधान)

**श्रीमती कमला :** फिर मंत्रीजी किस काम के हैं कि यहां बैठे हुए हैं ? (व्यवधान)

**श्री श्रवण कुमार :** हम तो बैठेंगे, जब इसका जवाब देंगे।

**श्री कैलाश मेघवाल** (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ से आने वाले माननीय विधायक ने मुझे अभी यह बात बतायी थी और मैंने उनसे यह कहा है कि कोई भी तफतीश नियमों की परिधि में और जो दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्य प्रणाली है उसके अन्तर्गत ही होनी चाहिए और इसके इतर अगर कोई कार्यवाही है तो मैं उसको दिखवा लूंगा, और नहीं होगी।

**श्रीमती शशीदत्ता :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। माननीय गृह मंत्रीजी, कृपया ध्यान दें कि

(श्रीमती शशीदत्ता)

इस सदन में कई दिन से बलात्कार पर चर्चा होती रही है और आपने कार्यवाही भी की है इस सदन के माननीय सदस्यों द्वारा काफी दबाव डालने के बाद। मैं जिस विषय को यहां माननीय होम मिनिस्टर की नालेज में लाना चाहती हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, 19 जुलाई, 1997 को नावां शहर में एक....

**श्री अध्यक्ष** : यह आप क्या पुरानी, रिसेंट आकरेंस की कोई बात नहीं है। प्लीज सिट डाउन। No, I will not hear. रिसेंट आकरेंस नहीं है कोई। दो महीने पुरानी बात आप आज कह रहे हैं।

**श्रीमती शशीदत्ता** : अध्यक्ष महोदय, मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हुए हैं। क्या बात कह रहे हैं ? आज तक मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हुए हैं। सवर्ण जाति का मामला होता है तो आप उठा लेते हैं। नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह बहुत इम्पोंटट मैटर है। यह क्या मतलब है, हरिजन महिला का मामला है. यह सभी उठाते हैं तो आप नहीं बोलते।

**श्री अध्यक्ष** : दो महीने पुरानी बात कह रहे हैं अब।

**श्रीमती शशीदत्ता** : अध्यक्ष महोदय, मुल्जिम आज तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि क्या इसमें एक वकील, मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का रीडर और एक पार्षद् इन्वाल्व हैं ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि जब औरों के मामले में यह जवाब देते हैं तो अपने इस अनुसूचित जाति के मामले में कार्यवाही करेंगे ? मुझे जवाब दिलवाओ।

**श्री कैलाश मेघवाल** : माननीय अध्यक्ष महोदय, 19-7-1997 की जिस घटना का वर्णन माननीय विधायिका ने लिखा है, उसकी सूचना एस. पी. के यहां पर रजिस्ट्री के द्वारा प्राप्त हुई 23-8-1997 को। 23-8-1997 को एक रजिस्ट्री प्राप्त हुई जिसमें इस तरह के एलीगेशंस लगाये गये थे। चूंकि एस. पी. के यहां आई और जो पीड़िता थी वह न तो कहीं थाने पर गयी, न कहीं पुलिस में गयी। एस. पी. ने इस बात के निर्देश दिये गये कि इसमें जांच करके इसमें आगे और कार्यवाही की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि प्राथमिक जांच में बलात्कार होना पाया गया है और मुल्जिम भी आइडेंटीफाई हो गये हैं और उनके बारे में अग्रिम कार्यवाही की मैंने आज सवेरे ही। जिस समाचार पत्र के माध्यम से आपने यहां मसला उठाया है उसके माध्यम से मेरी जानकारी में आया, मैंने उनसे सारी रिपोर्ट भी ले ली और एस. पी. को निर्देश दिये हैं कि क्या परिस्थितियां थीं, कैसी थीं, इन परिस्थितियों के आधार पर वे तुरन्त अपनी निगरानी में इस प्रकरण में पूरी कार्यवाही कराये।

**श्री अध्यक्ष** : श्री दयाराम परमार।

**श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी)** : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक बात निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : नो, वंस एट ए टाइम। बिराजें, प्लीज सिट डाउन। श्री दयाराम परमार, (अनुपस्थित)। श्री मोहनलाल बारूपाल

## नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

## चीतावा थाना जिला नागौर में दर्ज F.I.R. नं. 51/97 पर पुलिस द्वारा समुचित कार्यवाही नहीं किया जाना

**श्री मोहनलाल बारूपाल** (जायल) : अध्यक्ष महोदय मैं आपकी कृपा से गृह मंत्रीजी को बताना चाहता हूं कि नागौर जिले के चीतावा गांव में घाटवा के सुगनाराम पुत्र श्री बन्नाराम जाति मेघवाल पर दिनांक 10-7-97 को अपने कुएं पर सोये हुए पर रात्रि को एक बजे चार-पांच व्यक्तियों ने भयंकर प्रहार किया था, कनपटी पर लाठियों से मारा जिससे वह बेहोश हो गया और जबड़ा टूट गया। बाद में गर्दन व कान पर चोटें मारीं जिससे कान भी टूट गया व गर्दन पर भी गहरे घाव हो गये। बाद में उनको मृत समझ कर पास के कमरे का ताला तोड़ा तभी उनकी पुत्री व पत्नी जाग गयी। पत्नी को भी लाठियों से मारा जिससे उनका सिर फूट गया। कमरे से सामान ले गये तथा उनके हाथ की घड़ी लेकर भाग गये। उसके बाद उनकी पत्नी व लड़की के चिल्लाने के बाद पड़ोसी लोग आए और उनको ऊंट गाड़ी में लेटाकर घाटवा गांव पहुंचे तथा पास के चिकित्सालय कुकुनवाली में प्राथमिक उपचार कराया। वहां से डाक्टर ने जयपुर इलाज के लिए भेज दिया। जयपुर में इनके जबड़े का तीन बार आपरेशन हुआ।

पुलिस थाना चीतावा में एफ.आई.आर. नं. 51/97 दर्ज कराई गयी परन्तु पुलिस ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की तथा पता करने के लिए पूछते हैं तो पुलिस कार्यवाही करने के बजाय मुस्तगीस को ही धमका रही है तथा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि इस मामले में तुरन्त कार्यवाही की जाए तथा अनुसूचित जाति के लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से एक निवेदन करना चाहूंगा। मैं थोड़ा इनके विषय में और थोड़ा आपके राज के लिए एक कविता सुना देता हूं कि आपका राज कैसे चला रहा है। अध्यक्ष महोदय,

"धर्मत धर्म ना करे, नरपत करे न न्याय,  
और भजन करे न भक्त, कीजे कौन उपाय,  
कीजे कौन उपाय सलाह एक मानो म्हारी,  
और जाते दीखे मायं, नदी आवे जद भारी,  
जाय दरिंदा खांसता, बठे पकड्या टिके न खाय  
धर्मत धर्म ना करे, नरपत करे न न्याय।"

**श्री अध्यक्ष** : माननीय श्री रघुवीर सिंहजी।

## जनजाति बहुल क्षेत्र में अवैध रूप से शराबों की बिक्री

**श्री रघुवीर सिंह** (सराड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत जनजाति बहुल क्षेत्र में अवैध रूप से शराब के विक्रय के सम्बन्ध में एवं

(श्री रघुवीर सिंह)

सरकार द्वारा शराब माफियाओं को प्रोत्साहन के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, समय-समय पर हम अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री कमेटी के सदस्य परामर्शदात्री कमेटी की मीटिंग में तथा विधान सभा में भी जनजाति बहुल क्षेत्र में सम्पूर्ण शराबबंदी के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि जनजाति बहुल क्षेत्र में दिनों-दिन अंग्रेजी शराब व देशी शराब का विक्रय बेहिसाब से कर रहे हैं।

सरकार की नीति के अनुसार चालू वित्त वर्ष में छोटे-छोटे समूह बनाकर ठेके देने का प्रावधान था परन्तु शराब माफियाओं के आगे घुटने टेकते हुए सरकार ने बड़े समूहों को ही ठेके दे दिये। यही नहीं पूर्व में ठेके देते समय 17 प्रतिशत राशि अमानत के रूप में जमा की जाती थी परन्तु इस वर्ष शराब माफियाओं को छूट देते हुए 5 प्रतिशत ही राशि जमा की गयी थी। इससे सरकार को कितना नुकसान हुआ है ?

1 अप्रेल, 1997 से 21 अप्रेल, 1997 तक पुराने ठेकेदारों द्वारा ही शराब विक्रय कराना ठेकेदारों को प्रोत्साहन देना नहीं है ? इस अवधि का क्या हिसाब किताब रहा, इसका लेखा-जोखा नहीं है। जबकि पूर्व में ऐसा कभी नहीं हुआ करता था।

जनजाति बहुल क्षेत्र में हर 12 से 15 कि.मी. दूरी पर अंग्रेजी शराब की दुकानें खोल दी गयी हैं तथा अवैध रूप से शराब की बिक्री हो रही है। जिससे टी.एस.पी. एरिया में रहने वाले लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक बर्बादी हो रही है जिसके लिए सीधे सरकार दोषी है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जनजाति बहुल क्षेत्र में पूर्ण शराबबंदी करने की व्यवस्था कराएं।

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानेश्वर वर्मा। (अनुपस्थित), श्री श्रवण कुमार जी।

## मोहर्रम दफनाये जाने की इजाजत

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, झुन्झुनूं शहर में 1826 से मुस्लिम समुदाय के शहर काजी के नाम से मोहर्रम दफनाने के लिए खसरा नम्बर 545 एवं खसरा नम्बर 546 में दर्ज है। पटवारी एवं गिरदावरी की रिपोर्ट भी करबला कब्रिस्तान के नाम से दर्ज है। इसके अलावा कोर्ट का आदेश भी है कि इसमें मोहर्रम को दफनाने से नहीं रोकें। इन सबके उपरांत नगर-परिषद झुन्झुनूं ने चारदीवारी बनाने के लिए भी दिनांक 24-7-97 को मंजूरी देने में कोई एतराज नहीं किया है लेकिन इसके बारे में कलक्टर, झुन्झुनूं ने अनुमति नहीं दी है और बिना वजह विवाद का मुद्दा बना दिया है।

अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि मोहर्रम दफनाने हेतु उपरोक्त स्थान पर

(श्री श्रवण कुमार)

विधिवत इजाजत दिलवाने की व्यवस्था करावें ताकि हिन्दु-मुस्लिम सद्भावना बनाई रखी जा सके और बिना वजह का विवाद पनपने से रोका जा सके ।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह जी (कुम्हेर)।

## उप महाक्षमादेष्टा (गृहरक्षा) के वेतनमान में विसंगति

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत निम्नलिखित लोक महत्व के विषय का सभा कार्य में विशेष उल्लेख करना चाहता हूं तथा इस प्रकार गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

यह कि सन् 1979 में गृह रक्षा विभाग में सेवा नियमों में संशोधन कर उप-महाक्षमादेष्टा के पद पर विभागीय अधिकारी को भी पदस्थापित किये जाने का प्रावधान किया गया । पूर्व में इस पद पर केवल आई.पी.एस. अधिकारी ही पदस्थापित होते थे । नियमों में उक्त संशोधन के आधार पर डी. पी. सी. के माध्यम से विभागीय अधिकारियों को प्रोन्नत कर उक्त पद पर पदस्थापित किया जाने लगा किन्तु सर्वमान्य एवं न्याय द्वारा स्थापित सिद्धान्त, जिसके अनुसार समान कार्य का समान वेतन मिलना अनिवार्य है, का पालन अभी तक राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है और उप महाक्षमादेष्टा के पद पर प्रोन्नत एवं नियमानुसार कार्यरत विभागीय अधिकारी को वह वेतन मिलने का प्रावधान नहीं किया गया है, जो वेतन इस पद पर कार्यरत आई. पी. एस. अधिकारी को दिया जाता है । दोनों प्रकार के अधिकारियों का कार्य व विभागीय जिम्मेदारी एक जैसी है तथा एक जैसा ही कर्तव्य वहन करना होता है । इस विसंगति को दूर करने में जो आर्थिक भार होगा उसका केवल पचास प्रतिशत ही राज्य सरकार को वहन करना होगा और आर्थिक भार भी नगण्य है किन्तु विसंगति अत्यधिक अनुचित है ।

आई पी. एस. अधिकारी जो इस पद पर लगाये जाते हैं उन्हें भारतीय पुलिस सेवा के डी. आई जी. का वेतनमान 5100-6150 देय है तथा विभागीय अधिकारी जो इस पद पर कार्यरत होता है उसे 3450-5000 दिया जाता है, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के चयनित वेतनमान से भी कम है । इस नियम विरुद्ध विसंगति को दूर किया जाना न्याय, विभाग एवं कर्मचारियों के हित में व अनुकूल है । अतः इसका विशेष उल्लेख कर गृह मंत्रीजी का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु आकर्षित है ।

श्री अध्यक्ष : श्री उगमराज जी मेहता ।

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, मेरी दो पर्चियां हैं । जब मैं दो विषय बोलने लगा तो आपने कहा बाद में लूंगा ।

श्री अध्यक्ष : एक विषय है ।

श्री रतनलाल ताम्बी : अलग विषय है ।

श्री अध्यक्ष : सबके लिए एक है । नो, नो । श्री उगमराज जी मेहता ।

## खनिज इकाइयों में थरमेक्स प्लान्ट लगाने की बाध्यता से उत्पन्न स्थिति

**श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) :** अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय पर्यावरण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य में खनिज आधार पर करीब 50,000 इकाइयां लगी हुई हैं। राजस्थान में यह राजस्व की आय का मुख्य स्रोत है। राजस्थान राज्य रेगिस्तानी इलाका भी है। उद्योग की दृष्टि से पहले राजस्थान भारत के अन्य राज्यों से पिछड़ा हुआ था, अब पहले से 5वां स्थान आता है। जिन उद्योगों की मैं बात कर रहा हूं उससे पर्यावरण भी होता है। पहले पर्यावरण बहुत होता था परन्तु माननीय पर्यावरण मंत्री महोदय के अथक प्रयास से पर्यावरण कम होने लगा है।

माननीय उप मुख्य मंत्रीजी, पर्यावरण मंत्रीजी व इस विभाग के अधिकारियों के साथ दो-तीन बार मीटिंग भी हुई है। ब्यावर में इन उद्योगों की संख्या करीब 100 से अधिक है। पहले 10 से 15000 एस पी एम. धूलकण आते थे। इन उद्योगों ने समय-समय पर यंत्र लगाकर एस.पी.एम. की मात्रा कम की है। अब 1100 से 1500 एस.पी.एम. आये हैं। वातावरण में ही 800 से 1000 एस. पी. एम. आते हैं। आपके विभाग के आदेशों के अनुसार 600 एस. पी एम. आने चाहिए। मेरा निवेदन है कि बाहरी वातावरण और फैक्ट्री के अन्दर के वातावरण को घटाकर धूलकण की मात्रा कम होनी चाहिए जिससे उद्योग भी बंद नहीं होवें तथा वातावरण पर भी नियन्त्रण हो सके।

पिछली बार 13 यूनिटों की रिपोर्ट के अनुसार धूलकण 1000, 1500 आने पर इनके विद्युत कनेक्शन विच्छेद कर दिये गये। आपके साथ इन उद्योगों के व्यक्तियों की वार्ता हुई। इनके द्वारा कहा गया कि हमें तकनीकी सहायता विभाग द्वारा कराई जावे। विभाग के तकनीकी अधिकारी हैं परन्तु विभाग के उच्च अधिकारी ने मना कर दिया कि हमारी ओर से कोई जानकारी नहीं देना चाहते। इन 13 इकाइयों ने 50/- रु. के स्टाम्प पेपर अण्डर टेकिंग दि. 4-8-1997 को दे दी परन्तु आपके आदेश की पालना दिनांक 26-8-1997 तक नहीं की गई। आखिर इन इकाइयों से अलग एक ओर से अण्डर टेकिंग 10/- रु. के स्टाम्प पर ली गई कि अगर नवम्बर, 1997 तक 600 एस. पी. एम. नहीं लावेंगे तो स्वत: ही विद्युत कनेक्शन विच्छेद हो जायेंगे।

अत: आपसे निवेदन है कि आपके विभाग के उच्च अधिकारियों की इस प्रकार कार्यवाही से उद्योग बंद हो जावेंगे, आप शीघ्र ही एक मीटिंग बुलावें जिसमें अजमेर जिले के इन उद्योगों के सम्बन्धित व्यक्तियों को सुना जावे ताकि कोई रास्ता साफ हो सके, उद्योग भी बंद नहीं होवें साथ ही पर्यावरण भी कम नहीं हो, जिससे इस बारे में जनता को भी कोई शिकायत नहीं हो सके। इन उद्योगों ने थरमेक्स कम्पनी से सम्पर्क कर उनसे तकनीकी सहायता लेने

(श्री उगमराज मेहता)

का तय करके एक ग्राइंडर भी मशीनरी का दे दिया है। इस हेतु आपको भी सूचित किया गया तथा माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय के कक्ष में आप तथा आपके विभाग के उच्च अधिकारियों के सामने तय हो गया था कि इनसे अण्डर टेकिंग ली जावे कि थरमेक्स मशीन लगाने के बाद धूलकण एस.पी.एम. की मानिटरिंग करवा ली जावे और इसके एस. पी.एम. पहले से कम आवे तो सभी इकाइयों को थरमेक्स प्लांट लगवाने हेतु कार्यवाही करें। विभाग को कहा गया कि इस प्रकार अण्डर टेकिंग लेकर इन इकाइयों के विद्युत कनेक्शन चालू करने के आदेश निकाले जावें। परन्तु आपके और उप मुख्य मंत्रीजी के कहने के उपरांत भी इन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। यहां की दूसरी अण्डर टेकिंग ली। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप तुरन्त मीटिंग बुलावें और इसका समाधान निकालें।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय श्री किशनारामजी।

## डूंगरगढ़ के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

**श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) :** अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ जिला चूरू के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पड़े पदों की ओर माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, ग्राम लिखमीसर उतराद जिसमें छात्र-छात्राओं की कुल संख्या 450 हैं जिसमें केवल दो अध्यापक हैं, ग्राम जाखासर नया जिसमें छात्र-छात्राओं की संख्या 300 हैं, ग्राम जैसलसर जिसमें संख्या 300 हैं, जिसमें भी केवल दो-दो अध्यापक ही पदस्थापित हैं तथा इसी तरह ग्राम जोगलसर तहसील सुजानगढ़ जो कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है, जिसमें छात्र-छात्राओं की संख्या भी 300 से अधिक है जिसमें केवल 2 अध्यापक ही पदस्थापित हैं।

महोदय, काफी लम्बे समय से मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी का भी इस ओर ध्यान आकर्षित कर चुका हूं कि नियमानुसार रिक्त पड़े पदों को तत्काल प्रभाव से भरा जावे। परन्तु बड़े खेद के साथ मुझे अवगत इस सदन के माध्यम से करवाना पड़ रहा है, उक्त पदों को तत्काल प्रभाव से भरने के आदेश शिक्षा अधिकारी, चूरू को प्रदान कर अनुग्रहित करें ताकि छात्र-छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े।

## स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

**श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने एडजोर्नमेंट मोशंस के सम्बन्ध में एक व्यवस्था दी है कि राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त करने पर व्यवस्था दी जाएगी। इसमें एक पुट यह है कि दो दिन और असेम्बली चलने की सम्भावना है। मैं नहीं समझता हूं कि इस बीच जानकारी आने की कोई सम्भावना बनती है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें दो मिनट अगर बोलने की इजाजत दें तो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उजागर हो सकेगा और राज्य सरकार उसमें कार्यवाही कर पाएगी।

(श्री किशन मोटवानी)

विष्णु मोदीजी के साथ मेरा जो एडजोर्नमेंट मोशन था, वह आर.पी.एस.सी. के पेपर आउट होने के सम्बन्ध में था। यह निर्विवाद सत्य है कि इसमें इन्वेस्टीगेटिंग एजेंसी ने तत्परता के साथ इन्वेस्टीगेट किया है। किन्तु जब सुई एक हाइएस्ट पोजीशन की ओर इंगित कर गयी तो उसके बाद उस इन्वेस्टीगेशन में शिथिलता आ गयी। मैं समझता हूं कि सारा सदन इस बात से सहमत होगा कि आर.पी.एस.सी. का आर.ए.एस., आर.पी.एस. और अलायड एक्सामिनेशन एक महत्वपूर्ण एक्सामिनेशन है, जिससे हमारी आने वाली प्रशासनिक पीढ़ी हम इस प्रदेश को देते हैं उसमें अगर इस तरह की अनियमितता, इस तरह की ब्लंडर उत्पन्न हो जाए तो उसको रेक्टिफाई करने में हमें गुरेज नहीं रखना चाहिए। सुई अगर किसी भी हाइएस्ट पाइण्ट तक आती है तो मैं यह महसूस करता हूं कि जो इन्वेस्टीगेटिंग एजेंसी है, इस समय वह लोवर लेवल की है, मैं समझता हूं कि एडिशनल एस.पी. रैंक का व्यक्ति उसको इन्वेस्टीगेट कर रहा है और इस समय सुई जिसकी तरफ इंगित कर रही है वह डी. जी. लेवल का व्यक्ति रहा है, इसमें मैं यह एक सुझाव दूंगा कि राज्य सरकार इसमें समकक्ष लेवल के व्यक्ति को इन्वेस्टीगेशन सुपुर्द करे और इस इन्वेस्टीगेशन को एक शक्ति देकर के इसके परिणाम निकाले। जब तक परिणाम नहीं निकलेंगे तब तक राजस्थान की जनता को इस राज्य सरकार पर विश्वास नहीं होगा। इसलिए विश्वास बनाये रखने के लिए मेरा निवेदन है कि इस इन्वेस्टीगेशन को उच्चस्तरीय करवाएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। अधिसूचनाएं।

श्री रोहिताश्वजी, परिवहन राज्य मंत्री, परिवहन विभाग की एक अधिसूचना मेज पर रखेंगे।

## सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि

## अधिसूचनाएं

### परिवहन विभाग

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा (राज्य मंत्री यातायात) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 7 (105) परि. /रूल्स/एच. क्यू. /95 दिनांक 28 जुलाई, 1997 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। माननीय श्री परसराम मदेरणा।

## समितियों के प्रतिवेदन

### राजकीय उपक्रम समिति, 1997–98 का 40वां, 41वां, 42वां एवं 43 वां प्रतिवेदन

श्री परसराम मदेरणा (सभापति, राजकीय उपक्रम समिति) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, राजकीय उपक्रम समिति 1997–98 समिति के निम्नांकित 4 प्रतिवेदन सदन में उप-स्थापित करता हूं :–

(1) राजस्थान लघु उद्योग निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 1978–79) से

(श्री परसराम मदेरणा)

सम्बन्धित दसवीं विधान सभा के दसवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक 40वां प्रतिवेदन।

(2) गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1978-79) से सम्बन्धित दसवीं विधान सभा के 15वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक 41 वां प्रतिवेदन।

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1982-83 (दसवीं विधान सभा) के राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल से सम्बन्धित 17वें प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक 42वां प्रतिवेदन, एवं

(4) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1979-80) से सम्बन्धित दसवीं विधान सभा के द्वितीय प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का 43 वां प्रतिवेदन।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय श्रीमती उजलाजी अरोड़ा, सभापति, प्राक्कलन समिति "ख"

## प्राक्कलन समिति "ख, 1997-98 का 12 वां प्रतिवेदन

**श्रीमती उजला अरोड़ा** (सभापति, प्राक्कलन समिति "ख") : अध्यक्ष महोदय, मैं, सभापति, प्राक्कलन समिति "ख" 1997-98 समिति का खाद्य एवं नागरिक रसद (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) विभाग से सम्बन्धित 12वां प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करती हूं।

**श्री अध्यक्ष :** याचिकाओं का उपस्थापन। श्री हरिनारायणजी बैरवा, सदस्य, विधान सभा 14 याचिकाएं उपस्थापित करेंगे।

## याचिकाओं का उपस्थापन

**श्री हरिनारायण (खण्डार) :** अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित 14 याचिकाएं सदन में उपस्थापित करता हूं :—

## ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भगवतगढ़ का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की क्रमोन्नति

(1) ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भगवतगढ़ को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने बाबत,

## दी जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई-माधोपुर को पुनः चालू किया जाना

(2) दी जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर को पुनः चालू कराने बाबत,

## अतिरिक्त तहसील चौथ का बरवाड़ा (सवाई माधोपुर) तहसील में क्रमोन्नयन

(3) अतिरिक्त तहसील चौथ का बरवाड़ा (सवाईमाधोपुर) को तहसील में क्रमोन्नत करने बाबत,

(श्री हरिनारायण)

### ग्राम चक चैनपुरा (सवाई माधोपुर) में नाली व सड़क निर्माण

(4) ग्राम चकचैनपुरा (सवाईमाधोपुर) में नाली व सड़क निर्माण बाबत,

### पीपल्दा (खण्डार) जलोत्थान सिंचाई परियोजना

(5) पीपल्दा, (खण्डार) जलोत्थान सिंचाई परियोजना को चालू कराने बाबत,

### ग्राम चक चैनपुरा वार्ड नं. 1 नगर पालिका सवाई माधोपुर में कन्या विद्यालय

(6) ग्राम चकचैनपुरा वार्ड नं. 1 नगर पालिका सवाई माधोपुर में कन्या विद्यालय खोलने बाबत,

### ग्राम लहसोड़ा व ग्राम कुशतला (सवाई माधोपुर) में 33 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन

(7) ग्राम लहसोड़ा व ग्राम कुशतला (सवाईमाधोपुर) में 33 के. वी. ग्रिड सब-स्टेशन बनाने बाबत,

### ग्राम मेडोलो, जिला सवाई माधोपुर में एनीकट

(8) ग्राम मेडोलो, जिला सवाई माधोपुर में एनीकट बनाने बाबत,

### बहरावण्डाकलां तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व मातृ शिशु कल्याण केन्द्र

(9) बहरावण्डाकलां तहसील खण्डार, जिला सवाई माधोपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व मातृ शिशु कल्याण केन्द्र खोलने बाबत,

### वृहत इन्दिरा गांधी जलोत्थान सिंचाई परियोजना को नवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करना

(10) वृहत इन्दिरा गांधी जलोत्थान सिंचाई परियोजना को नवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल कर चालू कराने बाबत,

### बहरावण्डाकलां (सवाई माधोपुर) में प्राथमिक कन्या विद्यालय

(11) बहरावण्डाकलां (सवाईमाधोपुर) में प्राथमिक कन्या विद्यालय खोलने बाबत,

### गालब नदी पर ग्राम गुणशीला व नया गांव के बीच में एक एनीकट

(12) गालब नदी पर ग्राम गुणशीला व नया गांव के बीच में एक एनीकट बनवाने बाबत,

(श्री हरिनारायण)

## जयपुर से सवाई माधोपुर तक चलने वाली परिवहन निगम की बस को वनखण्डी हनुमानजी ग्राम फलौदी (सवाई माधोपुर) तक चलाना

(13) जयपुर से सवाई माधोपुर तक चलने वाली परिवहन निगम की बस को वनखण्डी हनुमानजी ग्राम फलौदी (सवाई माधोपुर) तक चलाने बाबत, एवं

## गणेश मन्दिर रणथम्भौर दुर्ग (सवाई माधोपुर) का ट्रस्ट

(14) गणेश मन्दिर रणथम्भौर दुर्ग (सवाईमाधोपुर) को ट्रस्ट बनवाने बाबत।

**श्री अध्यक्ष** : श्री महावीर जी भगोरा सदस्य, विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

## कारछा से धारपुर वाया बागपुर रोड का डामरीकरण

**श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा)** : अध्यक्ष महोदय, मैं कारछा से धारपुर वाया बागपुर (ग्राम पंचायत कारछा पंचायत समिति खैरवाड़ा, जिला उदयपुर) रोड का डामरीकरण कराने विषयक चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री रामनारायणजी मीणा, सदस्य, विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

## बम्बोरी (बूंदी) को सड़क से जोड़ा जाना

**श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)** : अध्यक्ष महोदय, मैं जिला बूंदी की ग्राम पंचायत बम्बोरी को सड़क से जोड़ने हेतु तीन किलोमीटर तक डामर की पक्की सड़क का निर्माण कराने बाबत 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री भीमराज भाटी, सदस्य, विधान सभा दो याचिकाएं उपस्थापित करेंगे।

**श्री भीमराज भाटी (पाली)** : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित 2 याचिकाएं उपस्थापित करता हूं :—

## उदय पथ "जी" ब्लाक श्याम नगर विस्तार, जयपुर की सड़कें

(1) उदय पथ "जी" ब्लाक श्याम नगर विस्तार, जयपुर में सड़कों की समुचित व्यवस्था बाबत, एवं

## भरटिया ग्राम पंचायत मुख्यालय भाकरीवाला पंचायत समिति रोहट जिला पाली में भीलों का घोरा का जीर्णोद्धार

(2) भरटिया ग्राम पंचायत मुख्यालय भाकरीवाला पंचायत समिति रोहट, जिला-पाली में भीलों का घोरा का जीर्णोद्धार करवाने बाबत।

## ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

### रावतभाटा (चम्बल) से रामगंज मंडी, योजना के स्वीकृत कार्य में धीमी प्रगति से रामगंज मण्डी कस्बे में समुचित पेयजल उपलब्ध न होने से असुविधा

**श्री अध्यक्ष :** ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री रामकिशनजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा रावत भाटा (चम्बल) से रामगंज मण्डी योजना के स्वीकृत कार्य में धीमी प्रगति से कोटा जिले के रामगंज मण्डी कस्बे में समुचित पेयजल उपलब्ध नहीं होने से जनता को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

**श्री रामकिशन वर्मा (रामगंज मण्डी) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 131 के तहत ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पेश करता हूं।

**श्री भंवरलाल शर्मा (जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्षेत्रीय जल योजना, रामगंज मण्डी के गांव सुकेत मय 14 गांवों के लिए स्वीकृत हुई थी। जिसकी लागत 11.22 लाख रुपये अनुमानित है। इसके अन्तर्गत जो काम होने चाहिए थे उसमें इन्टेक वेल है, पम्पिंग मशीन है, रॉ वाटर राइजिंग मेन, फिल्टर प्लान्ट, ग्रेविटी मेन, स्वच्छ जलाशय, उच्च जलाशय, विद्युतीकरण, कण्ट्रोल डिवाइसेज, आदि काम होने हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं, इसमें जो पाइप लाइन बिछाने का काम था वह करीब-करीब पूरा हो गया और मेरा यह विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में पाइप लाइन तो बिछ जाएगी, जो नौ जलाशय बनने थे उनमें से छः का निर्माण हो चुका, तीन अभी निर्माणाधीन हैं वे भी जल्दी पूरे हो जायेंगे।

इसमें जो बड़ी दिक्कत आयी, वह यह आयी है कि जो इन्टेक वेल है, वह एक पहाड़ी पर है और यह जो फिल्टर प्लान्ट बनेगा, वह भी एक पहाड़ी इलाका है। उसमें हमने जब ठेकेदार को ठेका दिया था तो दुर्भाग्य से वह अपना काम पूरा नहीं कर सका। अब हमने नये ठेकेदार को इन्टेक वेल के लिए तो ठेका दे दिया है और उसको आर्डर्स भी इश्यू कर दिये जायेंगे। लेकिन जो स्वच्छ जलाशय है उसका जो ठेकेदार है वह ठीक काम नहीं कर रहा है। हमने रिस्क ऑन कास्ट पर अब दूसरे को काम देने का तय कर लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगली गर्मी से पहले-पहले ये दो काम तो शायद पूरे नहीं हो पायेंगे लेकिन अलग से व्यवस्था करके, यह पानी आपके गांवों में पहुंचाने की व्यवस्था हो जाएगी।

**श्री अध्यक्ष :** हो गया, आपका। आप तो धन्यवाद दे दो।

**श्री रामकिशन वर्मा :** अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी को धन्यवाद तो दूंगा ही, परन्तु मंत्री महोदय से एक निवेदन करूंगा कि 4 साल के अन्दर 14 किलोमीटर पाइप लाइन डाली, अगर यही गति रही, आपके आश्वासन के बाद भी, तो 9 साल और लग जायेंगे। रामगंज मण्डी क्षेत्र मजदूर क्षेत्र है, अनुसूचित जनजाति के लोगों का क्षेत्र है,

(श्री रामकिशन वर्मा)

गांव के लोगों का क्षेत्र है और रामगंज मंडी कस्बे के अलावा 14 बड़े गांव इसमें शामिल किये गये हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह पानी बिना फिल्टर एक दफा, जैसे कि मैंने अभी अधिकारियों से चर्चा की है, मार्च तक आ जाए। उसके लिए आप कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से मार्च तक पानी आ जाएगा और उसके बाद छोटे-मोटे काम अपन करते रहेंगे।

जहां तक आपने इन्टेक वेल की बात कही है, मैं जहां तक समझता हूं, पूरी कोशिश के बावजूद इन्टेक वेल 4 साल में नहीं बन पाया। ठीक है, वह ठेकेदार की गलती रही। उसे ब्लैक-लिस्टेड तो करें, साहब। इस बात की कोशिश करें कि आने वाला भी कहीं यही न करे और फिर हम 4 साल तक इन्टेक वेल के लिए बैठे रह जायें। गर्मी के अन्दर ही इन्टेक वेल बनता है। क्यों कि जब रावतभाटा से पानी नीचे उतरेगा तब यहां इन्टेक वेल का आप निर्माण कर पायेंगे और प्लास्टिंग वगैरह जो भी दूसरे काम हैं वे आप पहले करवा लें, मजदूर बढ़ा दें। जब आप खुद ही जून की कह रहे हैं तो मार्च में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों को आप पर विश्वास हो, मैं आपका स्वागत करूंगा, सबके सामने यह कहता हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी का भी स्वागत करूंगा और यह कहूंगा कि चलकर पानी का उद्घाटन कीजिये और आम जनता को पानी पिलवाइये। हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन आम जनता को पानी नहीं मिले, हम रोज विधान सभा में बोलते रहें, अखबार में नाम आए, इससे हमारा कोई काम होने वाला नहीं है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि मार्च तक हो जाए।

**श्री अध्यक्ष :** मार्च तक हो जाए, इतना ही कह रहे हैं।

**श्री भंवरलाल शर्मा :** अध्यक्ष महोदय, अभी जो पिछले दिनों प्रगति हुई है उसकी जानकारी आपको अवश्य है। छह कुए, छह जलाशय अभी बने हैं और वे पूरे हो गये हैं। लाइन डल रही है, यह आपको मालूम है। जो प्राब्लम आयेगी वह इन्टेक वेल की आयेगी और आपका ठीक सुझाव है कि इन्टेक वेल जब तक बने, पम्प लगाकर रा-वाटर आपको पहुंचा दिया जाये। मैं निश्चित रूप से इसमें देखूंगा कि यह समय से पूरा हो और जो आपकी इच्छा है वह पूरी हो, और आपको पानी मिले। आप भी समय-समय पर सहयोग करते रहें।

**श्री रामकिशन वर्मा :** एक प्रश्न और करना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष :** बस हो गयी। आपकी पूरी बात हो गयी।

**श्री रामकिशन वर्मा :** एक महत्वपूर्ण बात रह गयी, साहब। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि 11 करोड़ 35 लाख की योजना अपनी इस सुस्ती के कारण, ठेकेदार की लापरवाही के कारण 23 करोड़ तक पहुंच गयी। ऐसा नहीं हो कि यह 43 करोड़ हो जाए। राजस्थान की जनता को अपन लोग बचायें। वरना 27 करोड़ की जो आप आगामी योजना ला रहे हो उसका कोई उपयोग नहीं होगा। मेरा आपसे यह

(श्री रामकिशन वर्मा)

निवेदन है कि पैसे का उपयोग हो। आप जैसे सीनियर मंत्री के सामने अगर यह काम पूरा नहीं हो तो बहुत अफसोस होगा। यह बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं आपकी चिन्ता के साथ हूं।

श्री रामनारायण मीणा (तैनवां) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : आपको अब क्या कहना है? यह तो यहां की बात हो रही है।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय मंत्रीजी, आपकी सहृदयता और आपकी कार्य-कुशलता से हम बहुत खुश हैं।

श्री अध्यक्ष : आपको क्या चाहिए जो आप बोल रहे हैं।

श्री रामनारायण मीणा : मार्च में रामगंज मण्डी को पानी मिले, क्योंकि वहां पर बहुत प्राब्लम आती है। हम भी जाते हैं, आप भी जाते हो, मार्च में पानी मिले। आपने जून का कहा, जून में तो गर्मी खतम हो जाती है। इस साल मार्च में मिले, मार्च आने वाला है, कृपा करके आप मार्च में पानी देने की बात करें।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, वह कह दिया इन्होंने।

श्री रामनारायण मीणा : वे कहना चाह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कह दिया न।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्यगण, हमारी कोशिश तो यही होगी कि जल्दी से जल्दी हो। लेकिन समय लगेगा। आप यहां पर काहे की घोषणा कराते हो, ऐसी क्या घोषणा करें? मन की इच्छा है–पहुंचे, वह कोशिश करेंगे।

श्री रामकिशन वर्मा : इच्छा-शक्ति आपकी प्रबल होनी चाहिए, तो काम भी होगा।

श्री अध्यक्ष : विराजिये-विराजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : यदि आप मेरे साथ रहोगे तो निश्चित रहेगी।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

## अनुपूरक/अतिरेक अनुदान की मांगों पर विचार

अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 1997-98 (प्रथम संकलन) तथा वर्ष 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1989-90 एवं 1990-91 के लिए अतिरेक मांगों पर अग्रेत्तर विचार होगा।

माननीय श्री राधेश्यामजी! मैं सभी माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि चार बजे गुलबंद होगा, पांच मिनट से ज्यादा कोई नहीं लें।

श्री देवीसिंह राठौड़ : सात मिनट से ज्यादा नहीं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, पांच मिनट। माननीय मुख्य सचेतक महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, लम्बी तो आप देते हों, 50 की, 30 की, पांच बजे....

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : आगे बोलने वाले नहीं बोलेंगे। आसन की मजबूरी है, माननीय सदस्य।

श्री अध्यक्ष : रानेश्यामजी, आप बोलिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, अनुदान की मांग संख्या 46, 27, 34 और 19 के विषय में मैं अपने इलाके और राजस्थान के बारे में कुछ सुझाव आपके माध्यम से मंत्री महोदय को देना चाहूंगा।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय है नहीं, तो फिर मैं किसको सम्बोधित करूं ? आप जिम्मेदारी किस पर डालेंगे ?

श्री अध्यक्ष : प्रोसिडिंग्स जब देखी जाती हैं बाद में।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आदरणीय, मेरा निवेदन है कि गंग कैनाल महाराजा गंगासिंहजी के टाइम श्री गंगानगर में बनी। जब भयकर अकाल था और बहुत आंधियां आती थीं, काली, पीली, लाल और बड़ा जबरदस्त अकाल पड़ता था, उस वक्त लोगों से कर्जा लेकर उन्होंने गग कैनाल और बीकानेर कैनाल का निर्माण किया था जो बिलकुल पक्की थी। उसमें से एक बूंद भी पानी पंजाब वाले नहीं ले सकते थे। उसकी एज 50 वर्ष की थी आज पचास साल ही नहीं, उसको बीस साल और ज्यादा हो गये। जिस सुन्दर तरीके से चूने और लिग्नाइट से वह बनाई हुई योजना थी, उसने अपनी आयु से बीस साल अधिक व्यतीत कर लिये। आज उसकी हालत यह है कि जगह-जगह से

(15.55)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

ऐसी टूट-फूट गयी है और ऐसी हालत में हो गयी है कि न जाने किस वक्त बिलकुल खतम हो जाने। नीचे का पानी गंगानगर जिले में खारा है, पीने के पानी की बड़ी भारी समस्या हो सकती है। गंगनहर की वर्तमान स्थिति ऐसी है कि यह पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और यह नहर कब बंद हो जाए, इस बाबत अनुमान लगाना कठिन है। गंगनहर की उम्र पचास वर्ष आंकी गयी थी। यह तो पुख्ता निर्माण की वजह है कि गंगनहर अपनी उम्र से भी बीस वर्ष ज्यादा जैसे-तैसे चल पाई है। अब जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। 28 सितम्बर, 1983 को तत्कालीन मुख्य मंत्री, शिवचरणजी माथुर सहित पूरी केबिनेट, नहर का निरीक्षण करने गयी थी। निरीक्षण के उपरांत बैठक में यह तय किया गया था कि पूरी तरह की लाईनिंग जरूरी है और इस कार्य हेतु 87 करोड़ 50 लाख रुपये मंजूर किये गये थे। लगभग 14 वर्ष बीत जाने पर भी अभी तक यह निर्माण अधरझूल में लटक रहा है। आज से 14 वर्ष पूर्व बनायी गयी। इस योजना पर आज तक कुछ भी कार्य नहीं हो पाया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, मेरी जानकारी में ऐसा

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

आया है कि सारे राजस्थान में कुछ योजनाओं का चयन करना था वर्ल्ड बैंक को, वर्ल्ड बैंक की टीम आई थी, उस वर्ल्ड बैंक की टीम ने गंग कैनाल सिस्टम का चयन किया है और पक्की नहर बनाने, वितिरिकाएं और पक्के खाले बनाने के लिए 500 करोड़ की योजना है। ऐसी मुझे जानकारी मिली है। मैं आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से, सरकार से यह जानना चाहूंगा, जब भी बोलें तो इस बात का जिक्र करें कि क्या ऐसी कोई योजना, जो वर्ल्ड बैंक ने 500 करोड़ रुपये की मंजूरी की हो, विचाराधीन है ? मैंने पहले कहा है, साहब। गंगनहर श्री गंगानगर जिले में भारत-पाकिस्तान की उत्तरी-पूर्वी रेखा के साथ-साथ करीब 150 किलोमीटर की लम्बाई को घेरे हुए हैं। आज गंगनहर एक लाख सत्तर हजार किलोमीटर की फसलें, विशाल खरल, 4430 वर्ग किलोमीटर खेत की प्यास को बुझा रही है। खुशहाली बिखेरे हुए है। चिन्ता का विषय यह है कि पंजाब ने भी गंगनहर की अस्मिता के साथ खेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। समझौते के अनुसार पंजाब इस नहर का एक बूंद पानी का हकदार भी नहीं है। मगर दुस्साहस दिखाया इसने। बिना राजस्थान सरकार की मंजूरी के जो बुर्जी का नाला है जी, 86,500 की बुर्जी में एक नहर पंजाब द्वारा अनधिकृत रूप से बनाई गयी है। माइनर पर मोगे पर गेट नहीं है अतः इसमें वर्ष के 365 दिन पानी बहता है जबकि गंगानगर के कृषक कहीं-कहीं तो एक महीने में एक बारी के लिए तरसते रहते हैं। पंजाब के कृषक पम्प लगाकर भी पानी की चोरी करते हैं, जिन्हें कोई डर नहीं है।

पंजाब के क्षेत्र में बीकानेर कैनाल दयनीय हालत में है। राजस्थान सरकार रख-रखाव का बराबर भुगतान कर रही है मगर वह किस पर खर्च हो रहा है ? इसकी जांच करना जरूरी है। नहर में सिल्ट जमी पड़ी है। इससे जिस मात्रा में पानी बहना चाहिए उस मात्रा में पानी नहीं बहता। नहर के साथ-साथ खालों को पक्का करना भी जरूरी है अन्यथा सेम के कारण जिस प्रकार पड़ोसी राज्य पंजाब में नुकसान हो रहा है उसी प्रकार राजस्थान में भी इस नुकसान से हमें मौके पर बचना चाहिए।

इसके अलावा इन्दिरा गांधी नहर भी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। जगह-जगह नहर

(14.00)

टूटी हुई है। पशु इसमें चरते रहते हैं। रख-रखाव की ओर उचित ध्यान नहीं है। जितनी मात्रा में पानी बहना चाहिए उस मात्रा में पानी नहीं बहता। 18,400 क्यूसेक्स की कैनाल में मात्र 8000 क्यूसेक्स ही पानी बहता है। पानी बहना चाहिए। रख-रखाव न होने पर किसानों के लिए सेम परेशानी का कारण बन चुकी है। वहीं रावतसर, सूरतगढ़, नोहर, पीलीबंगा तथा बीकानेर से लूणकरणसर तक के बड़े भू-भाग में सैकड़ों गांव सेम के शिकार हो चुके हैं। सिल्ट जमी होने के कारण नहर की चौड़ाई आधी रह गई है। माननीय सिंचाई मंत्रीजी इस ज्वलंत समस्या की ओर ध्यान देकर जो नहर की चौड़ाई आधी हो चुकी है....

**श्री खेतसिंह राठौड़** : मंत्रीजी नहीं है।

**श्री राधेश्याम गंगानगर** : मैंने कहा है पहले, मंत्रीजी यहां नहीं बिराज रहे हैं।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा निवेदन है कि जिन डिमांड्स पर यहां चर्चा हो रही है उनके मंत्री तो यहां एक बैठे हैं....

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : मैं बैठा हूं।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : एक आप बिराजे हैं।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : डिमांड्स पर कहां चर्चा हो रही है ?

**श्री खेतसिंह राठौड़** : बाकी न तो कोई पानी वाले हैं, न सिंचाई वाले हैं और न अकाल वाले हैं।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : चर्चा कहां कर रहे हैं, यह तो पढ़ रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री किशन गोपाल कोगटा** : यह सब रिकार्ड में आ जायेगा।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : जोइंट रेस्पांसिबिलिटी है।

**श्री बनवारीलाल बैरवा** : उपाध्यक्ष महोदय, डिमांड पर चर्चा हो रही है।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : इतना लाइटली मत लो। इस मामले को थोड़ा-सा सीरियसली लो और उनको कहो कि यहां आकर बैठे।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : आप पीछे मुड़ कर तो देखो।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : खास तौर से सिंचाई मंत्रीजी को कहिये, कोरा × × × मुंडाने से कुछ नहीं होता।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : उनको तो अभी हम बुलवा लेते हैं, जरा पीछे भी मुड़ कर देख लो। (व्यवधान)

**श्री राधेश्याम गंगानगर** : सिंचाई मंत्री महोदय, सिंचाई विभाग द्वारा श्री गंगानगर में एक नहर बुर्जी संख्या 57500 से 57572, एच नहर बुर्जी संख्या 72 से 87 में सिल्ट निकालने का कार्य 1996-97 में किया गया और 51,225 रुपये तथा 49,900 रुपये का भुगतान उठाया गया लेकिन मौके पर कोई सिल्ट नहीं निकाली गई। इसी वर्ष बुर्जी संख्या 57 से 120 में बराबर कटिंग का कार्य किया गया तथा एक लाख नौ हजार रुपये का भुगतान उठाया गया परन्तु मौके पर कार्य नहीं हुआ। इन दोनों कार्यों में या तो कटिंग हो सकती है या सिल्ट निकाली जा सकती है। दोनों काम एक ही समय में कभी तकनीकी हिसाब से न तो होते हैं, न कभी हुए हैं। दोनों कार्यों के पैसे उठा लिये गये और कार्य वहां मौके पर हुए ही नहीं।

एन. एन. नहर पर गुड्डवाला सब रेस्ट हाउस की मरम्मत के नाम पर लगभग

---

× × × शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार प्रतिस्थापित किया गया।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

30,000 रुपये उठाये गये 1995–96 में जबकि मौके पर गुड्डवाला में कोई रेस्ट हाउस है ही नहीं। इनके अन्दर ऐसी भयंकर अनियमितताएं हुई हैं, यह बहुत बड़ा जांच का विषय है।

इसी प्रकार सी.सी माइनर, बुर्जी संख्या 0 से 21 तक, एन.एम. माइनर 0 से 14 तक, बी. बी. माइनर 46 से 50 तक, एफ. ब्रांच 66 से 70, 70 से 75, 105 से 145 तक, करणी जी ब्रांच 50 से 72, 72 से 97 97 से 121 तक बरम काटने का कार्य कागजों में दिखाया गया है और भुगतान उठाया गया है लेकिन मौके पर कोई कार्य नहीं हुआ है। माइनर 12 से 24, फीडर 25 से 30, 62 से 67, 67 से 72 तक नहर पर मिट्टी डालने का भुगतान उठाया गया और कागजों में कार्य दिखाया गया परन्तु कार्य मौके पर हुआ ही नहीं है। इस तरह की अनियमितताएं हुई हैं। गंगनहर में मरम्मत के नाम पर लाखों रुपये के घपले की जांच कराने का विषय है। भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए।

इसी प्रकार मोगा लेवल से नीचे लगा कर 80–90,000 रुपये तक लिया जाता है। 4 पी. एस., 6 पी. एस., 13 पी. एस., 16 पी. एस., 61 आर. बी. आदि में मोगों की जांच करवाई जाए तो आपके सामने खुली किताब की तरह आ जाएगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया जल्दी समाप्त करें। दो मिनट से ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा।

**श्री राधेश्याम गंगानगर** : गंग कैनाल सिस्टम में 219 मोगें हैं, 200 मोगें ओवर ड्रा कर रहे हैं। समस्त मोगें 1-12-1993 से 30-8-1997 के बीच लगाये गये हैं। अगर जांच की जाए तो मोगों में व्याप्त भ्रष्टाचार की आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसी तरह से भाखड़ा नहर में है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अलवर के अन्दर नदी की मिट्टी उठाने में 50 लाख का घोटाला हुआ जिसमें मिट्टी उठायी ही नहीं गयी। राजस्थान पत्रिका और जनसत्ता में इसका उल्लेख है। बीसलपुर परियोजना निरस्त हुई, निविदा पुनः मंजूर करने से सरकार को 30 लाख रुपये का नुकसान हुआ। इसकी आज तक कोई जांच नहीं करवाई गई।

हनुमानगढ़ जिले में सिद्धमुख सिंचाई परियोजना है, इसमें हाई कोर्ट का मामला दर्ज कर तीन माह में जांच कराने का आदेश है। जज ने यह कहा है कि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी इंक्वायरी डे-टू-डे होनी चाहिए।

कलिजरा योजना में भ्रष्टाचार है। पांच अभियन्ताओं को आरोप पत्र दिये गये। इस तरह से जीवनदायिनी इंदिरा गांधी नहर का है। जगह-जगह से भ्रष्टाचार की बू आती है। अगर इसकी पूरी जांच कराई जाए, सी. बी. आई. से जांच कराई जाए तो इसमें करोड़ों रुपये की अनियमितता पाई जाएगी। राजस्थान सरकार को इस मामले में आगे बढ़ कर इसकी जांच करानी चाहिए।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

इसी तरह से आपके भ्रष्टाचार के कई किस्से हैं । पांचवां बांध के निर्माण में करोड़ों रुपये की हेराफेरी की गई । इसी तरह से विश्व बैंक से स्वीकृत राशि का मात्र 20 प्रतिशत भाग ही खर्च हो सका । इसी प्रकार से टेंडरों में हेराफेरी, गंगनहर लिंक चैनल खंड में निविदा घोटाला । जो निविदाएं ली गयीं उसमें लाखों रुपयों का घोटाला है । जिस आदमी ने टेंडर ही नहीं दिया था उसको काम दिया गया । इसी तरह गंग कैनाल, जो छह मासी नहर थी उसको बारह मासी नहर करने के लिए करोड़ों रुपये का काम ठेकेदारों ने किया । एक्स.ईन., ए.ईन. और बड़े-बड़े अधिकारी थे । और ऐसी बात भी सुनने में आयी कि दोनों मंत्री, डिप्टी मिनिस्टर और हमारे बड़े मंत्री आपस में इस बात में मतभेद भी रखते थे, दोनों मंत्रियों की आपस में बहस भी हुई । आज तक ठेकेदारों को एक पैसे का भुगतान नहीं हुआ और कई अधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में वहां से ट्रांसफर हुए । इतना घोर भ्रष्टाचार इसके अन्दर हुआ है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : अब आप समाप्त करें, माननीय सदस्य । मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि आप एक मिनट सुनिये ।

**श्री राधेश्याम गंगानगर** : ऐसा निवेदन है कि इसमें सिंचाई पर भी मुझे अपने इलाके की बात कहनी है, उपाध्यक्ष महोदय ।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप सुनने का कष्ट करिये ।

**श्री राधेश्याम गंगानगर** : उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय ने मुझे कहा था कि आपको पूरा टाईम मिलेगा, बाकी को पांच-पांच मिनट ।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप कानों से मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं ?

**श्री राधेश्याम गंगानगर** : हुकम करिये ।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दोनों तरफ से मेरे पास करीब 20–25 माननीय सदस्यों के नाम हैं, चार बजे मुख बंद होगा, तीन बजे तीन आदरणीय मंत्रियों के उत्तर होंगे, अब एक घण्टे में आप पूरा समय कहां ले रहे हैं ? 20 माननीय सदस्यों को समय देना है ।

**श्री राधेश्याम गंगानगर** : मैं केवल पांच मिनट लूंगा ।

**श्री उपाध्यक्ष** : पांच मिनट नहीं दे सकता । एक मिनट ।

**श्री राधेश्याम गंगानगर** : उपाध्यक्ष महोदय, चार मिनट ।

**श्री उपाध्यक्ष** : एक मिनट । एक मिनट में समाप्त करें ।

**श्री राधेश्याम गंगानगर** : तीन विभाग हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैंने वो छोड़ दिया । वो जानकारी देंगे । मंत्रीजी आ गये, इनको दोबारा कह दूं । ऐसा सुना है कि गंग कैनाल के अन्दर विश्व बैंक की टीम आई थी, उसने 500 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट गंग कैनाल का सैंक्शन किया है, आप थोड़ा-सा यह जानकारी दें तो हमें मालूम हो जाए ।

(118)



(श्री राधेश्याम गंगानगर)

मंत्री महोदय, आप यहां विराज नहीं रहे थे, सिचाई मंत्रीजी, आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री): जोर से मत बोलो, मेरे कान खुले हैं, मैं आपकी बात बिलकुल लिख रहा हूं।

श्री राधेश्याम गंगानगर: नहीं उस वक्त आप यहां मौजूद नहीं थे इसलिए जोर से बोलना पड़ रहा है।

पी. एच. ई. डी. मंत्रीजी, मैं यह निवेदन कर रहा था कि 34 करोड़ की एक योजना गंगानगर और 10 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मन्जूर हुई थी उस योजना का एक्स. ईएन. भी चला गया, एस. ई. भी चला गया, काम भी शुरू हो गया लेकिन आज तक उस योजना में कितना पैसा अलाट हुआ, यह आप बतायें। वह योजना दो साल से, तीन साल से मन्जूर हो गयी, खर्चा लग रहा है लेकिन वह अधर में पड़ी है। क्योंकि इन्होंने हुडको से लोन लेने की बात की थी। इन्होंने स्कीम मन्जूर कर दी, हुडको ने अपने हाथ पीछे खींच लिये। तो क्या गवर्नमेंट अपने साधनों से करेगी या नहीं करेगी? गवर्नमेंट का क्या मानस है, कृपया इसकी भी जानकारी दें।

इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में पाइप लाइन लगाने की बात है। लोग घरों में कनेक्शन चाहते हैं और बहुत सारे कनेक्शन लोगों ने नाजायज लगा रखे हैं, उनको हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से स्वीकृति नहीं है, अगर डिपार्टमेंट उनको स्वीकृत करे और कनेक्शन देने की बात करे तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा आय हो सकती है।

इसके साथ ही जो जी. एल. आर. लगाये हुए हैं, वहां लोग गंदा पानी पी-पीकर हेपेटाइटिस और पीलिया के शिकार हो रहे हैं। इसकी जानकारी आपको पिछले दिनों में मिली। इसके लिए बहुत-सी टीमें भी आयी थीं। बी. बी. सी. लंदन की भी आयी थी, स्टार टी. वी. वालों की भी आयी थी और यहां के भी मंत्री तो बहुत लेट गये थे लेकिन यहां से भी गये। उन्होंने देखा। हरियाणा के भी मंत्री आये, पंजाब के भी आये। उनकी हालत खराब हो रही है। गन्दा पानी पाइप लाइन में मिक्स हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें, माननीय सदस्य। समाप्त करें।

श्री राधेश्याम गंगानगर: एक सैकण्ड में खतम हो रहा है। खतम कर रहा हूं। बिलकुल आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं यह निवेदन कर रहा था उन जी.एल.आर. में अगर दो फिल्टर लग जाएं, एक फिल्टर जहां भी है वह जाम हो जाता है और मजबूरी में लोगों को गन्दा पानी पीना पड़ता है जिससे बीमारियां फैलती हैं, मेरी आपके माध्यम से मंत्रीजी से प्रार्थना है वह कि इस मामले में पूरी तरह सोचकर घोषणा करेंगे सदन में, जो बातें मैंने आपके सामने प्रस्तुत की हैं।

साथ ही, यहां पर अकाल मंत्री विराजमान हैं, मैं निवेदन करूंगा, अभी पिछले दिनों में वर्षा बड़ी भयकर हुई उसमें हजारों मकान गरीबों के गरीब-हरिजन कालोनियों

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

में टूट गये। उन मकानों का सर्वे भी हुआ। पिछली बार भी और उससे पिछली बार जब आप हनुमानगढ़ पधारे थे, एक भी आदमी को गंगानगर में मुआवजा नहीं मिला जबकि आपने हाउस में घोषणा की थी। सर्वे कराया था। गरीब आदमी जो आज तक सड़क पर बैठे हैं, जिनके पेट में रोटी नहीं है, उनके लिये आपको संवेदनशील होना चाहिए और सोच समझकर इसकी घोषणा करनी चाहिए।

साथ ही मैं पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर साहब से दो शब्दों में निवेदन करूंगा। गंगानगर जिले की सड़कों की कैसी हालत है, इससे आप पूरी तरह परिचित हैं। खासकर मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान का बार्डर है, गंगानगर आपके राजस्थान की शान है, नक्शे में सबसे ऊपर है लेकिन सड़कों के बारे में राजस्थान में सबसे नीचे अगर कोई है तो वह गंगानगर जिला है। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा, आप जयपुर से गंगानगर जाओ, अभी उप मुख्य मंत्रीजी नहीं विराज रहे हैं, इधर चंदनमल जी नहीं है, पता नहीं लोगों को दिखता है या नहीं, रतनगढ़ से लेकर ठेठ हनुमानगढ़ तक चार-चार मंत्री हैं, इतने खड्डे हैं कि सड़क नाम की चीज 60-60 किलोमीटर तक नहीं है। 60 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए चार घण्टे लगते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, इनसे प्रार्थना कर रहा हूं आपके माध्यम से कि कृपया आप इस मामले में घोषणा करेंगे और गंगानगर जिले से जयपुर की सड़क बनवाएंगे।

**श्री उपाध्यक्ष :** अब विराजें आप।

**श्री राधेश्याम गंगानगर :** धन्यवाद। आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

## व्यवस्था

## अतिरेक मांगों की प्रस्तुति में विलम्ब नहीं होना चाहिए

**श्री उपाध्यक्ष :** कल दिनांक 11 सितम्बर, 1997 को मंत्री महोदय की ओर से अतिरेक मांगें विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत किये जाने के समय श्री हरिसिंह कुम्हेर, सदस्य, विधान सभा ने इस आशय का व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि अतिरेक की मांगें बहुत विलंब से प्रस्तुत की गयी हैं। इसके साथ ही जिन मदों में स्वीकृति से अधिक व्यय हुआ है, उन मदों के पूरे विवरण के साथ, किन कार्यों में यह अतिरेक व्यय किया गया, इसका उल्लेख नहीं है। पी. ए. सी के प्रतिवेदन, जिसमें ऐसा उल्लेख होना बताया गया है, वह भी अभी तक सदस्यों को सर्क्यूलेट नहीं किये गये हैं जिससे यह पता नहीं कि किन कारणों से पी. ए. सी. ने इन एक्सेस डिमाण्ड को नियमित किये जाने हेतु रिकमण्ड किया है।

माननीय सदस्य के इस व्यवस्था के प्रश्न के समर्थन में माननीय सदस्य श्री रमाकांतजी शर्मा ने भी यह कहा कि सरकार के नियमों, आदेशों की उपेक्षा कर जो यह अधिक व्यय किया गया है, उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई न कोई कार्यवाही होनी चाहिए और सदन को इसकी

(श्री उपाध्यक्ष)

जानकारी दी जानी चाहिए अन्यथा हमारा वित्तीय प्रबन्ध बिगड़ता चला जाएगा।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय ने उसी समय माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये प्रश्नों का स्पष्टीकरण कर दिया था। मैंने इस व्यवस्था के प्रश्न को रिजेक्ट कर इस पर अपनी रूलिंग विस्तृत रूप से देने हेतु कहा था।

ज्ञातव्य है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लेखों में विधान सभा द्वारा अनुमोदित राशियों से अधिक व्यय के मामलों का उल्लेख होता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के ये लेखे सदन में प्रस्तुत किये जाने पर सभी माननीय सदस्यों को भेजे जाते हैं। इन लेखों की जांच सदन की जनलेखा समिति करती है जो अपना प्रतिवेदन सदन को देती हैं। समिति के इन अतिरेक मांगों से सम्बन्धित प्रतिवेदन गत सत्र में दिनांक 13 व 14 मार्च, 1997 को सदन में उपस्थापित हुए हैं और समिति की सिफारिश पर ही इस अतिरेक व्यय को संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत नियमित किये जाने हेतु यह मांगें सदन के समक्ष आयी हैं।

मैंने जनलेखा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को देखा है। समिति ने इस व्यय को संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत नियमित करवाने की सिफारिश के साथ-साथ समय पर उत्तर नहीं देने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने और इसकी पुनरावृत्ति रोकने सम्बन्धी कारगर कदम उठाने तथा विभागों द्वारा बजट मैन्युअल, नियमों का पूर्ण रूप से पालन नहीं करने का उल्लेख करते हुए भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिये वित्त विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने की सिफारिश की है। जनलेखा समिति के प्रतिवेदन मुद्रणाधीन होने के कारण सभी माननीय सदस्यों को उपलब्ध नहीं कराये जा सके हैं। जनलेखा समिति सदन की ही समिति है और इस समिति की सिफारिश पर ही यह अतिरेक की मांगें सदन में विचार एवं मतदान हेतु आई हैं। जनलेखा समिति सदन का ही सूक्ष्म रूप है। भविष्य में ये अतिरेक मांगें इतने विलम्ब से पेश न हों, इसके लिए राज्य सरकार सतर्क रहे। अतः माननीय सदस्य, श्री हरिसिंह (कुम्हेर) व श्री रमाकान्त शर्मा द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न को मैं अग्राह्य करता हूं।

श्री रामप्रताप कासनियां।

**श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) :** उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी पाइंट आफ आर्डर था। अध्यक्ष महोदय ने उस समय कहा था कि उसकी व्यवस्था दी जायेगी। उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कल जो मेरा पाइंट आफ आर्डर था, आज सुबह अध्यक्ष जी ने कहा था कि इसकी व्यवस्था दे दी जायेगी, उसकी व्यवस्था आप कब दे रहे हैं ?

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय अध्यक्षजी आएंगे, व्यवस्था दे देंगे।

## अनुपूरक/अतिरेक अनुदान की मांगों पर विचार

**श्री रामप्रताप कासनियां** (पीलीबंगा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं घग्घर डिप्रेशन में जी. डी. सी. द्वारा पानी भरा जाता है। इस जुलाई माह के अन्दर बिना किसी खतरे, बिना किसी कारण के इंदिरा गांधी नहर का पानी डिप्रेशन में डाला गया है। उसकी तारीख भी मैं निवेदन करना चाहूंगा। तारीख 26-7-1997 से 27-7-1997 तक 9.00 ए. एम. तक 500–600 क्यूसेक्स पानी चलाया। इसके अलावा तारीख 31-7-1997 से 4-8-97 तक 1010 क्यूसेक्स और बीच में एक-दो बार कम हुआ है 800 क्यूसेक्स तक। मेरा इसमें यह निवेदन है कि जी डी.सी. में पानी उस वक्त छोड़ा जाता है जब नाली बैड के अन्दर पानी लेने की क्षमता नहीं हो और गांवों को खतरा हो जाए। यह बिना किसी कारण, बिना किसी खतरे के नाली बैड में पानी आया ही नहीं और इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी डिप्रेशंस में डालने के पीछे क्या औचित्य है ? मैंने पिछले वर्ष भी निवेदन किया था कि इसी तरह से इंदिरा गांधी नहर का पानी डिप्रेशनों में डाला गया है और उसकी जांच भी हुई थी परन्तु वहां जो भी सम्बन्धित एस ई. हैं उन्होंने जांच की और मैं हनुमानगढ़ गया तो उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की कि अबकी बार तो यह गलती हो गई और आइन्दा नहीं होगी, कृपया आप इसमें हमारा पीछा नहीं करें। मैंने सोचा, क्या पता, इनको कोई सद्बुद्धि आ आएगी। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें बार-बार पानी छोड़ने के पीछे जो बीमारी है वह मछली के ठेकेदार हैं। इसमें दो तरह के ठेकेदार हैं। एक तो डिप्रेशनों के आगे के ठेकेदार हैं और दूसरे ओटू हैड के ठेकेदार हैं। जब यह डिप्रेशन पूरी तरह से पानी से भर जाते हैं तब तो ओटू वाला ठेकेदार इंजीनियरों से सांठ-गांठ करता है पानी छोड़ने के लिए ताकि पानी का लिंक एक हो जाए, ओटू से लेकर डिप्रेशन तक पानी का लिंक हो जाए तो, उपाध्यक्ष महोदय, एक मछली 90 किलोमीटर प्रति घण्टे की स्पीड से पानी के अगेंस्ट, सामने चलती है और ओटू वाले ठेकेदार को डिप्रेशनों की मछली मिलती है और जब डिप्रेसंस में पानी बिलकुल कम हो जाता है तब डिप्रेशन वाला ठेकेदार पानी छुड़ा लेता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस विषय की जांच करवाएं। इसमें जो दोषी इंजीनियर है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करवाएं। पिछले साल भी इस तरह से पानी छोड़ा गया था, भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा प्रथम चरण की जो भूमि है वह बहुत उपजाऊ भूमि है परन्तु किसी कारणवश वह अनकमांड रह गई। अभी उस भूमि में पानी लग सकता है। सरकार का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा भूमि सिंचित हो और ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा हो। अभी सरकार लाखों करोड़ों रुपये लगा करके इतनी महंगी-महंगी योजनायें सैकण्ड और थर्ड चरण की बना रही है, मैं उसके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं परन्तु मैं निवेदन करना चाहूंगा कि

(श्री रामप्रताप कासनियां)

जब प्रथम चरण के अन्दर भूमि उपलब्ध है और पानी दिया जा सकता है और बहुत कम खर्चीली स्कीम है तो प्रथम चरण में ही पानी क्यों नहीं दिया जाता ? सैकण्ड चरण के अन्दर और थर्ड चरण के अन्दर एक मुरब्बा के अन्दर जितना अनाज पैदा होता है, प्रथम चरण की भूमि में दो बीघा के अन्दर उतने अनाज की पैदावार हो सकती है। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि प्रथम चरण की अन-कमाण्ड भूमि जो पानी से वंचित रह गई है उसको पानी दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सी.ए.डी. मंत्री महोदय तो यहां पर विराजमान नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, समय कम है, आप स्पीड तेज करें।

**श्री रामप्रताप कासनियां** : मैं स्पीड तेज कर देता हूं। अनपढ़ आदमी हूं, सर, मैं। स्पीड तेज कैसे करूं ?

उपाध्यक्ष महोदय, सेम की समस्या के समाधान हेतु माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, मंत्रीजी ने पैसा तो उपलब्ध करवा दिया पर इनकी जो मशीनरी है वह मौके पर काम सही नहीं कर रही है। बड़े खेद का विषय है कि जो यह ट्यूबवैल लगाये गये हैं, दो किलोमीटर लम्बी पाइप लाइन है उसके अन्दर ट्यूबवैलों को ज्वाइंट किया गया है। पिछले आठ महीने से उस पाइप के अन्दर पानी नहीं चल रहा है। जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वहां घूम रहा है, सी.ए.डी. के इंजीनियर वहां घूम रहे हैं और अभी तक स्टडी हो रही है, आठ-आठ, नौ-नौ महीने से लोग मर रहे हैं, सरकार ने पैसा दे दिया। जब पी.एच.ई.डी. 40–40 किलोमीटर लम्बी लाइन और सौ फीट ऊंचाई पर पानी पहुंच सकता है तो वह तो दो किलोमीटर की लाइन में कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं है। उसके लिए बिजली स्पेशल है, चौबीस घण्टे बिजली मिलती है इसके बावजूद भी आज तक उस दो किलो-मीटर पाइप लाइन के अन्दर पानी नहीं चल पाया है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय कई बार वहां पधारे हैं, सिंचाई मंत्रीजी भी गये हैं, मौका देखा है और बार-बार निवेदन करने के बावजूद भी गम्भीरता से इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आप अभी भी देख रहे होंगे, मंत्रीजी इतने ज्यादा गम्भीर नहीं है, आपस में बातें कर रहे हैं। मुझे इस मामले में बहुत ज्यादा पीड़ा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप अपने इंजीनियरों की लगाम खींच कर रखें। सरकार के करोड़ों रुपये बरबाद हो रहे हैं, रिजल्ट कुछ आ नहीं रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं बाढ़ और अकाल राहत मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि पीलीबंगा नगर-पालिका क्षेत्र के अन्दर अबकी बार बरसात ज्यादा होने के कारण कच्ची बस्तियों के मकान गिर गये। सड़क और नालियां बिलकुल ही क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क चलने के लायक नहीं रही हैं। पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि हमें

(श्री रामप्रताप कासनियां)

भी नगरपालिका क्षेत्र में कुछ सहायता उपलब्ध करवायें। इसके अलावा गंगानगर जिले के अन्दर जो सड़कें बनी हुई हैं, वे करीब आठ-दस वर्ष से क्षतिग्रस्त हैं। नयी बनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं है। कृषि उपज मंडी के माध्यम से तो जरूर बन रही है परन्तु पी डब्ल्यू डी. की जितनी भी सड़कें हैं, वह चाहे जिला मुख्यालय को जोड़ती हों, चाहे स्टेट हाई-वे हों, सारी की रोड्स क्षतिग्रस्त हैं, टूटी पड़ी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी पीड़ा की बात है कि सूरतगढ़ से जो दिल्ली के लिए रोड जाती है, वह रोड पीलीबंगा शहर के अन्दर से जाती है, पर दो किलोमीटर शहर के अन्दर रोड नाम की चीज ही नहीं रही। आये दिन वहां एक्सीडेन्ट होते हैं। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अगर आप नयी रोड नहीं बना सकते तो कम से कम रिपेयर तो करवा दीजिये और अगर पूरी रिपेयर नहीं करवा सकते तो दो किलोमीटर की सड़क जो पीलीबंगा के अन्दर टूटी पड़ी है, आये दिन वहां एक्सीडेंट होते हैं, एक-एक, डेढ़-डेढ़ फीट के गड्ढे हो गये हैं, उसकी मरम्मत करवा दी जाए। यह एक तरह से नयी बनानी पड़ेगी और डामर की रोड हर बार बनती है और टूट जाती है।

**श्री उपाध्यक्ष** : अब आप समाप्त करें, माननीय सदस्य।

**श्री रामप्रताप कासनियां** : उपाध्यक्ष महोदय, अगर पांच मिनट और हैं तब तो मैं बोल लूं, नहीं तो रहने दीजिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : नहीं।

**श्री रामप्रताप कासनियां** : आपने समय दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री भीमसेन चौधरी।

**श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी नहर, सार्वजनिक निर्माण विभाग और पी. एच. ई. डी. के सम्बन्ध में मैं संक्षेप में अपनी बात कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य मंत्रिमण्डल ने हमारी लिफ्ट नहर का पानी 3.90 क्यूसेक्स से 3 क्यूसेक्स करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से हमारे किसानों की आमदनी पर बहुत विपरीत असर पड़ रहा है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि लिफ्ट नहर के काश्तकार पिछले छः महीने से सर्वदलीय संघर्ष समिति का निर्माण करके आन्दोलनरत हैं और उन्होंने लूणकरणसर में, अर्जुनसर में, जामसर में और बीकानेर शहर में प्रदर्शन किया। हजारों काश्तकारों ने इस बात का विरोध प्रदर्शन किया है कि जो 3.90 क्यूसेक्स से 3 क्यूसेक्स पानी आप कर रहे हैं उससे किसानों की आमदनी पर विपरीत असर पड़ेगा। यहां पर राज्य सरकार ने व्यापारियों को कृषि मण्डी के लिए लोन दिया है लेकिन तीन क्यूसेक्स करने से वहां पर उद्योगों पर विपरीत असर पड़ेगा इसलिए हमारी यह मांग है कि 3.90 से आप 3 क्यूसेक्स करने जा रहे हैं, इस पर पुनर्विचार किया जाए और इस पर विचार करके इस बात को स्थगित किया जाए। इस काम के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी बनाई जाए जो इस बात पर निर्णय

(श्री भीमसेन चौधरी)

कि 3.90 क्यूसेक्स से 3 क्यूसेक्स करने पर हमारे यहां 25 प्रायल मिल्स हैं, कृषि मण्डी से सरकार को आमदनी होती है और जो किसानों की आमदनी हो रही है उस पर कितना विपरीत असर पड़ेगा। इस बात की जांच किये जाने के पश्चात् ही इस बारे में कोई बात की जाए। इसलिए मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि इस निर्णय पर पुनर्विचार करें, किसानों की आर्थिक दशा का ध्यान रखें।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बांध में आपने मुख्य नहर के 750 आर.डी. से एक एस्केप बना रखी है, उस एस्केप से बांध की एक 15 किलोमीटर चैनल बनाई है, उस चैनल का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। सरकार ने यह गलत खर्चा किया है, इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं, सरकार इस बारे में तय करे। बांध में पानी आपने कम किया है उसके बारे में आपको पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने राजनीतिक भेदभाव से मेरे विधान सभा क्षेत्र में जान-बूझकर के एक भी किलोमीटर डामर की सड़क नहीं बनाई है जबकि कोलायत और नोखा विधान सभा क्षेत्र की सारी ग्राम पंचायतों को डामर की सड़कों से जोड़ दिया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की जो सड़कें हैं, खोखराना, रावांसर, डोगनेरा, अजीतवाड़ा और तटपुरा, इन पंचायतों को कम से कम कंकर की सड़क से भी नहीं जोड़ा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हू कि इन पंचायतों को प्रायोरिटी से कंकर की सड़कों से जोड़ने का कष्ट करें। इसके अलावा छतरगढ़ से लूणकरणसर तक 90 किलोमीटर डामर की सड़क बनी हुई है उसमें दस किलोमीटर का बीच में मिसिंग लिंक है। उसमें एक ग्राम पंचायत अजीतवाड़ा आती है। तो इस 90 किलोमीटर की सड़क का पूरा यूज हो सके, उस मिसिंग लिंक को आप पूरा करें जिससे ग्राम पंचायत अजीतवाड़ा भी जुड़ जाएगी। मैं समझता हूं, माननीय मंत्री महोदय, इस पर विचार करेंगे। उसको आप पूरा करें। वहां ग्राम पंचायत अजीतवाड़ा भी है वह भी इससे जुड़ जाएगा। मैं समझता हूं, माननीय मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे।

मैं माननीय पी. एच. ई. डी. मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी भी क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाएं हैं उन योजनाओं में पाइप लाइन के संधारण के लिए जो स्टाफ है वह मौके पर नहीं रहता। पाइप लाइन खराब के बाद कई दिनों तक, महीने महीने तक उन पाइप लाइनों को जोड़ने का काम नहीं किया जाता। इसके लिए जो प्रशासनिक व्यवस्था आपकी है उसको चुस्त किया जाए। हमारे महादेवाली और 507 आर. डी. और 535 आर. डी. की जो स्कीम हैं उसमें बराबर किसानों को परेशानी होती है। करणीसर भाटियान की जो क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाएं हैं उसमें परेशानी होती है। तो मैं राज्य सरकार से मांग करूंगा कि इस बारे में ध्यान दें। हमारे बीजनेरा ग्राम पंचायत है, वहां के किसानों की पानी की योजना बनाकर भेजी हुई है उसको स्वीकृत दें जिससे कि उस पंचायत

(श्री भीमसेन चौधरी)

के जो ग्रामीण हैं उनको पेयजल की व्यवस्था हो जाए । इसके साथ-साथ जो हमारी ढाणियां है, टकरालिया हरिजन बस्ती है, रायका की ढाणी है, इन ढाणियों के लिए आप पेयजल की व्यवस्था करें । यही निवेदन करना चाहता हूं । जयहिन्द ।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री रमाकान्त शर्मा ।

**श्री रमाकान्त शर्मा** (थानागाजी) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य का बजट एक साधारण व्यापारी का आय-व्यय का विवरण नहीं है । राज्य का जो बजट है उस पर मुनस्सर करता है कि हमारा सकल घरेलू उत्पादन कितना बढ़ जाएगा, राज्य की आय किस प्रकार से बढ़ेगी, राज्य में जो असंतुलन है विकास के अन्दर वह किस प्रकार से ठीक होगा, हमारी वित्तीय व्यवस्था कैसे ठीक होगी, हमारी वित्तीय व्यवस्था के अन्दर अनुशासन किस प्रकार से आएगा । आपने अभी-अभी आसन से जो व्यवस्था दी उसको नमन करते हुए, स्वीकार करते हुए मेरा निवेदन यह है कि पिछले पचास वर्ष से जब-जब भी जितने बजट पर विधान सभा के अन्दर वोटिंग होती है उससे एक्सेस एक्सपेंडाचर होता है उसके बारे में एक स्टीरियो टाइप रिकमडेशन आती है जनलेखा समिति से कि आइन्दा ऐसा नहीं किया जाए, जिन विभागों ने किया है उनको इस प्रकार की ताड़ना दी जाए । बात खतम । यदि यहां पर उन विभागों के अधिकारियों का नाम आए कि जिन अधिकारियों ने सदन की अवमानना की है, सदन से जो एक वोटिंग हो गया है उससे ज्यादा एक्सपेंडीचर किया है तो, मैं समझता हूं, अतिरेक मांगों पर यहां पर जो चर्चा होती है उससे वित्तीय व्यवस्था आगे ठीक होगी । यदि सरकार वित्तीय व्यवस्था ठीक करना चाहती है तो चाहे जनलेखा समिति की रिपोर्ट पर यहां पर चर्चा हो या अतिरेक मांगों पर चर्चा हो, मेरा निवेदन है कि सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए ।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कई विभागों के अन्दर कई प्रकार की जो व्यवस्था के अन्दर डाइनोटोमी है उससे बड़ी बुरी हालत होती है । पेयजल विभाग के अन्दर ड्रिलिंग का अलग से एडिशनल चीफ इन्जीनियर, सुपरिन्टेंडेंट इन्जीनियर, एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर, असिस्टेंट इन्जीनियर हैं और आपरेशन के अलग है । मैं अलवर की बात कहता हूं कि अलवर के अन्दर जो एक्स. ईएन. ड्रिलिंग है वह जो एस. ई. पी एच. ई. डी. है उसके प्रति उत्तरदायी नहीं है । नतीजा यह होता है कि हैण्डपम्प लगवाने या बोरिंग करवाने के एस. ई., एक्स. ईएन. जो पेयजल व्यवस्था से ताल्लुक रखते हैं और ड्रिलिंग करना है वह उनके अधिकार क्षेत्र के अन्दर नहीं आने से वह मर्जी आये जो करते हैं और इस प्रकार की डाइकोटोमी के अन्दर जो काम होने चाहिए, सही टाइम के अन्दर होने चाहिए वह सही टाइम के अन्दर नहीं होते हैं ।

मैं विभाग के माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह बात आर्मी से सीखें । आर्मी के अन्दर लेफ्टिनेंट जनरल या मेजर जनरल ब्रिगेडियर अलग से डेजिग्नेशन है परन्तु किसी एक स्टेशन पर

(श्री रमाकान्त शर्मा)

एयर फोर्स भी वहां पर मौजूद है, नेवी भी मौजूद है और आर्मी भी मौजूद है तो जो सबसे सीनियर आदमी है उसको स्टेशन कमाण्डर बोलते हैं और स्टेशन कमाण्डर की आज्ञा से ही सारी की सारी व्यवस्था चलती है। यहां पर एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ड्रिलिंग वाला, सुपरिण्टेंडेंट इन्जीनियर दूसरा पेयजल जिसकी कि डाइरेक्ट जिम्मेदारी है उसके बारे में कुछ नहीं सोचे तो मैं समझता हूं कि इसी का कारण है कि कभी कहीं हैण्डपम्प ज्यादा बन जाते हैं, कभी कहीं हैण्डपम्प नहीं बन पाते हैं। यही नहीं होता जो ए. ई.एन. या जूनियर इन्जीनियर जिस जगह पर हैण्डपम्प बनाने जा रहा है वह तो देखता रह जाता है और ड्रिलिंग डिपार्टमेंट का एक छोटा सा मिस्त्री जाकर के जहां कहीं जिसके घर पर बैठकर जिस प्रकार की अपनी सुविधा प्राप्त करता है वहां हैण्डपम्प लगाकर चला आता है और जहां लगाना होता है वहां हैण्डपम्प नहीं लगाता है। उसके अन्दर विभाग के एक्स. ईएन. और एस. ई. कहते हैं कि वह हैल्पलैस है।

मैं जलदाय विभाग से और एक निवेदन करना चाहूंगा। इनकी एक पम्प एण्ड टैंक स्कीम है। साधारणतः पम्प एण्ड टैंक स्कीम के अन्दर जो भी कुंआ है, कुएं के अन्दर मोटर पम्प लगा दिया जाता है और ऊपर एक टैंक बना दिया जाता है और उसके अन्दर टूंटी लगा दी जाती है दस या पांच और उससे यह योजना पूरी हो जाती है। वास्तविक स्थिति यह है कि उस जगह पर कुछ न कुछ पाइप लाइन भी डाल दी जाती है और टैंक भी बना दिया जाता है। जहां पाइप लाइन डाली है वहां उस टैंक को किसी न किसी ऊंचाई पर बनाना चाहिए जिससे पाइप लाइन के द्वारा पानी जा सके। परन्तु उस टैंक को तो वहीं पर जमीन के धरातल पर बना देते हैं और पाइप लाइन बना देते हैं। अब एक सीधी-सी बात है कि जहां कुएं में से पानी निकालते हैं यदि वह टैंक में डाल दिया तो पाइप लाइन में नहीं आ सकता और पाइप लाइन में डाला तो टैंक में नहीं आ सकता। नतीजा यह होता है कि वह टैंक जहां-जहां बनाये हैं लाख-लाख, दो-दो लाख रुपये के बनाये गये हैं परन्तु वह बिल्कुल काम में नहीं आ रहे हैं क्योंकि सीधे पम्प करके पाइप लाइन से गांव के अन्दर पानी चला जाता है। बहुत दफा बताया गया इनके टेक्नीकल अधिकारियों को, परन्तु समझ में नहीं आता और राज्य का लाखों रुपया इस तरह से बरबाद हो रहा है। माननीय मंत्री जी यहां पर नहीं हैं परन्तु बात उन तक जरुर पहुंचेगी।

एक विजयपुरा गांव है मेरे क्षेत्र का। उस विजयपुरा गांव के लिए इनके चीफ इन्जीनियर कई दफा कह चुके कि यह तो बहुत ज्यादा ऐसा गांव है कि तकनीकी दृष्टि से इसके अन्दर नल योजना होनी ही होनी चाहिए। क्योंकि वहां कोई दूसरी तरह का पानी उपलब्ध नहीं है। नीचे पथरीला है, नीचे हैण्डपम्प सक्सैसफुल होते नहीं हैं। पानी आस-पास दो-तीन किलोमीटर नहीं है। परन्तु इनके चीफ इन्जीनियर ए. के. भार्गव को रिटायर हुए आज कम से कम चार वर्ष हो गये, उनकी

(श्री रमाकान्त शर्मा)

रिकमंडेशन कागजों में होने के बावजूद न जाने वह कहते हैं कि एक हजार या पन्द्रह सौ की पापूलेशन में दस आदमी कम पड़ते हैं इसलिए वहां पर नल योजना नहीं हो सकती। इस प्रकार आंख मींचकर काम करने का जो तौर तरीका है विभाग का, उसको बदलना चाहिए।

मैं थोड़ा सड़कों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का मैं बहुत ज्यादा प्रशंसक हूं। वह जो कहते हैं, करते हैं। उनकी कार्यशैली भी अति उत्तम है। मैंने निवेदन किया, मैं पुनः कहना चाहूंगा, अत्यन्त प्रशंसक हूं। इन्होंने एक दफा कहा था कि सड़क पर कहीं पर भी कुछ खड्डा होता है तो मेरे शरीर पर वह फफोला होता है, दिल पर फफोला होता है। मैं जब भी सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को मेरे यहां पर देखता हूं तो मुझे उन पर इतना गुस्सा आता है, वह सड़क के खड्डे देखकर नहीं, मैं जान रहा हूं कि माननीय मंत्री जी के फफोले कितने बढ़ रहे हैं, तो वह फफोले जो बढ़ा रहे हैं उनको देखकर मुझे बहुत परेशानी होती है, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्रीजी जरुर उन फफोलों के बारे में ध्यान देंगें।

मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री जी से एक और निवेदन करना चाहता था कि सड़क बन रही है और जिन लोगों की जमीन बीच में आ जाती है, स्टे ले आते हैं, पांच वर्ष तक रुक जाता है मामला, दस वर्ष तक रुक जाता है और उसके पीछे-पीछे फिरते रहते हैं कि आप चाहे मुआवजा ले लो और जो आदमी आगे बढ़ करके कहते हैं कि मेरी जमीन ले लीजिये, सड़क बननी चाहिए, उनकी बड़ी उपेक्षा होती है। एक झीरी नटाटा रोड़ पर खसरा नम्बर 1675, 1674, 1663, की साढ़े आठ बीघा जमीन ले ली और आज इसको लिये हुए 6 वर्ष हो गये, वह कहां-कहां दर दर नहीं भटकता है। एक दर्जन से ज्यादा मैं लैटर लिख चुका परन्तु कोई सुनवाई नहीं होती है। इस मामले में सिंचाई मंत्रीजी की मैं तारीफ करूंगा, पिछली बार मैं यहां पर लाया, इन्होंने 6 महीने के अन्दर-अन्दर करोड़ों रुपये का भुगतान तत्काल उसी वक्त करवा दिया।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : आप मुझे भी पत्र भिजवा देना।

**श्री रमाकान्त शर्मा** : मैं वही अपेक्षा सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्रीजी से करता हूं कि वह करवा देंगे।

मैं एक बात कह करके अपनी बात खतम करना चाहता हूं। वह सिंचाई मंत्रीजी से है कि मेरे क्षेत्र के अन्दर बहुत पुराने, सत्तर वर्ष पहले मंगलसर, मानसरोवर और बिरखड़ी बांध बने थे। बांध तो बन गये, उस समय पैसा कम था, नहरें नहीं बनायी गयीं और उसका नतीजा यह हुआ कि नहरें नहीं बनने से जब भी नहरें चलती हैं तो सड़क नहरों का काम करती हैं और सड़क पर जो भी डामर वगैरह लगवायी जाती है, सब टूट-टाटकर खतम हो जाती है, रास्ते सब खराब हो जाते हैं, साथ ही किसान के पास टैल एंड तक पानी

(श्री रमाकांत शर्मा)

नहीं पहुंचता है और किसानों की सारी जमीन सेलाइन हो जाती है। करोड़ों रुपयों का सरकार को नुकसान होता है इस मामले के अन्दर। फसल पैदा नहीं होगी तो घरेलू उत्पादन कहां से बढ़ेगा। इस मामले के अन्दर जरा ध्यान देकर, अगर यह नहरों का मामला है तो नहरों को बनवाने की कृपा करें। इनसे सिचाई के भी पैसे ज्यादा आएंगे और किसान की फसल भी ज्यादा पैदा होगी।

एक और निवेदन कर रहा हूं, 5-6 वर्ष से मामला चल रहा है इन्होंने बड़ी कृपा समरा बांध की स्वीकृति तो दे दी, चार वर्ष स्वीकृति में हो गये और उसके बाद के अन्दर टेण्डर पता नहीं हुए कि नहीं हुए। आश्वासन दिये, स्वीकृति हुए एक साल से ऊपर हो गया, काम चालू हुआ नहीं है। इसके बारे में माननीय मंत्रीजी ध्यान दें तो अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री अमराराम।

**श्री अमराराम (धोद) :** उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं पेयजल मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इन्होंने डेढ़ साल पहले बजट सत्र में जो पेयजल की जनता जल योजना....

**श्री उपाध्यक्ष :** दो मिनट में समाप्त करें बात।

**श्री अमराराम :** औरों के लिए 5 मिनट हैं, मेरे लिए दो ही हैं क्या ? उसमें मंत्रीजी ने घोषणा भी कर दी थी कि जो पेयजल की जो जनता जल योजना है उसका बिजली का बिल डायरेक्ट विभाग जमा कराएगा लेकिन आज डेढ़ साल होने के बाद भी सीकर में जितनी जनता जल योजना की स्वीकृतियां थीं, उनके ट्यूबवैल थे, उनके बिल आज तक नहीं चुकाये जनता जिनसे पानी लेती थी। वह तो यह सोचती है कि विभाग जमा करवाता है। उसमें 20 से लेकर 30 हजार तक बिल ओवर ड्यू होने के कारण बिजली विभाग उनके कनेक्शन काटने की स्थिति में है। जो जनता के सहयोग की बात करते हैं, जहां चार-चार लाख रुपये लगाकर लोगों ने पूरी टी. एस. एस. बनाकर जनता जल योजना में सरकार को दी, मंत्रीजी की घोषणा के बाद कहां बीच में अटक जाता है मेरी तो यह समझ से बाहर की बात है।

दूसरा, सीकर और झुन्झुनूं में सबसे ज्यादा टी. एस. एस. से गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था है उसमें उससे पहले उनके रिपेयर का प्रोविजन और गर्मी में कंटीन्जेंसी प्लान के तहत कुछ न कुछ बजट दिया जाता था लेकिन आज जहां गांवों में चलाने की खुद गांव वाले व्यवस्था करते हैं, छोटी-छोटी मरम्मतों के कारण बहुत बड़ा खर्च होता है और उन इकाइयों में जहां गरीब बस्तियां हैं वहां टी. एस. एस. गर्मियों में कई महीनों तक बन्द रह जाती हैं। इसलिए दूसरा निवेदन यह है कि जो ग्रामीण टी. एस. एस. हैं उनके रिपेयर का बजट बढ़ाया जाए जिससे निश्चित रूप से 50 साल की स्वर्ण जयन्ती के बाद पानी की व्यवस्था कर हम सही रूप से लोगों को पिला सकें। तीसरा, जो भी मैटेरियल, पम्प सैट खरीदे जाते हैं वह खरीदे जाते हैं, कमीशन के आधार पर। 10 साल के बाद

(श्री अमराराम)

में पम्प सैट को बदलने के लिए टी.एस.एस. का प्रोविजन किया गया लेकिन बदलने के बाद एक साल भी वह पम्प सैट नहीं चलते हैं। वाटर वर्क्स वह पम्प सैट खरीदता है जो राजस्थान का कोई किसान नहीं खरीदता। 10 साल की आप बात कर रहे हैं, देने के एक साल बाद आप सर्वे करवा लीजिये, सीकर जिले में जितने पम्प सैट बदले हैं उनमें 70 प्रतिशत डी-बाट हैं। मंत्रीजी से तो मैं उतना ही निवेदन करना चाहूंगा।

सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी, पिछली बरसात में जो सड़कें टूटी थीं चाहे वह सेवत से डीडवाना जाने वाली सड़क हो, चाहे वह फागलवा से मटोड जाने वाली सड़क हो, उसमें इतना ट्रेफिक है कि पिछली बरसात में टूट गयी थी, आज तक भी उनका पुनर्निर्माण नहीं हुआ। जितना बजट आता है सीकर सर्कल में उसका बहुत बड़ा हिस्सा प्रभावशाली भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने गांव की सड़क पर ले जाते हैं। आप आश्चर्य करेंगे, बाय से पचार जो ग्रामीण लिंक सड़क है वह तो पेवर से मरम्मत हो जायेगी और एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ने वाली सड़क के पेचवर्क भी दो साल से नहीं हुए। जो रिपेयर वर्क में पैसा जाता है उसका इस तरह से मिसयूज होता है। दो साल से जो स्वीकृतियां दी हैं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में चाहे वह सिगराउ से मोरडूंगा हो, चाहे वह गोठड़ा हो, चाहे वह सांवलका की हो, जितनी स्वीकृतियां दी हैं उसमें तीन सड़कों को छोड़कर एक सड़क भी आज तक नहीं बनीं। पिछली बरसात में डब्ल्यू. बी. एम. तक ठेकेदारों ने कर दी। पिछली बरसात में टूट गई इस बरसात में टूट गई और जो बनाई थी उसके एक पैसे का यूज नहीं हुआ और दुबारा सरकार को खर्चा करना पड़ेगा। जब भी जाता हूं, आज उनके विभाग के अधिकारी सीकर में बैठकर कहते हैं, स्वीकृति निकाल दी लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हम कोई काम नहीं करवा सकते हैं। तो मेहरबानी करके या तो स्वीकृति नहीं निकालें और जब स्वीकृति निकाल दी, प्रोविजन कर दिया तो पैसा वहां मिलना चाहिए जिससे जनता के पैसे का मिसयूज नहीं हो। एक दफा सड़क बन जाती है; डामर नहीं पड़ेगी तो बरसात में पूरी की पूरी टूट कर नष्ट हो जाती हैं। तो जितनी भी स्वीकृतियां निकाली हैं उनमें आज यह हालत है।

एक मैं निवेदन करूं, जब भी कोई सदस्य इनसे सड़क की बात करते हैं तो कहते हैं कि सड़क नीति के तहत नहीं आता। लेकिन इन्होंने स्वीकृतियां निकाली हैं दूसरे हिसाब से। यह कौनसी योजना वर्ल्ड बैंक की है? कौनसी आपकी स्वीकृति है जिसके तहत इन्होंने एक-एक ऐसी स्वीकृतियां निकाली हैं? जीणमाता से खाचरियावास, तीन करोड़ रुपया उस पर खर्च किया जाएगा। जबकि जीणमाता से खाचरियावास जोड़ने के लिए 27 किलोमीटर का है जिसमें से केवल 7 किलोमीटर सड़क बनानी है। अगर सात किलोमीटर सड़क बना दें तो यह खाचरियावास से जीणमाता जुड़ जाता है लेकिन सरकार ने तीन करोड़ का प्लान बनाकर 35 किलोमीटर से उसको जोड़ने का किया है उसमें

(श्री अमरराम)

केवल 2 गांव आएंगे। डामर सड़क से जोड़ना चाहें तो 2 किलोमीटर और सरकार 2 और 7 किलोमीटर सड़क बना दें तो जीणमाता से खाचरियावास जुड़ जाएगा और जीणमाता से खाचरियावास नया प्रपोजल किया है उसके दो गांव जो उसके अन्दर आते हैं वह भी आ जाते हैं। 9 किलोमीटर सड़क बनाने में दोनों काम हो जाते हैं लेकिन सरकार ने 3 करोड़ का प्लान बनाया है। मैं समझता हूं, यह किसी काम का नहीं है। जब भी हम कहते हैं तब तो वह प्लान में नहीं आते और दूसरे तरीके से ऐसे गांवों की उसके अन्दर स्वीकृतियां निकाली हैं जो आपकी सड़क नीति में कतई नहीं आते। एक सड़क का मैं पिछले सत्र में भी कह चुका छोटीपुरा, 1971 में एक हजार से ऊपर की आबादी है। मंत्रीजी ने स्वीकृति निकाल दी, एक साल से उसका वर्क आर्डर नहीं करके मंत्रीजी के यहां पड़ी हुई है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आपने चलवायी झगड़े में।

श्री अमरराम (धोद) : मैंने कोई नहीं चलवायी झगड़े में। आप आप चैक करवा लीजिए। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर की ढाणी को जोड़ने के लिए, गांव को जोड़ने के लिए 7 किलोमीटर सड़क बनायी जाएगी और उस गांव के नेताजी की ढाणी को जोड़ने के लिए उस गांव में 8 किलोमीटर का चक्कर काट कर सीकर आना पड़ेगा। उस सड़क से उस गांव में तो कोई बेनीफिट नहीं हो सकता। मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर तक सड़क बनायी जाए। आप दूसरी स्वीकृति दीजिए, मैं धन्यवाद दूंगा आपको। लेकिन जो गांव पूरा 71 में एक हजार से ज्यादा की आबादी का है, जिसकी स्वीकृति निकाल दी गयी है, जो स्वीकृतियां केवल 14 किलोमीटर तक की दूरी पर है, 7 किलोमीटर बनी हुई है और 7 किलोमीटर सड़क बनानी है, नेताजी की ढाणी को उससे जोड़ने के लिए उस गांव वालों को 14 और 8, 22 किलोमीटर का चक्कर काटकर जाना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री अमरराम (धोद) : इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह की आपने नीति बनायी है। हो सकता है उस गांव के अन्दर सब पार्टियों के मानने वाले हों लेकिन एक भी आदमी उस गांव का आप बता दें जबकि मंत्रीजी के पास रिपोर्ट भेजी गयी है। कायली से पूरा, कायली रोड से जुड़ा हुआ है, आज से 20 साल पहले 77 से जुड़ा हुआ है लेकिन जिन अधिकारियों को मंत्रीजी ने जांच के लिए भेजा वह रास्ता देखकर भी नहीं आये। ऐसी रिपोर्ट मंत्रीजी के पास भिजवाते हैं। मैं समझता हूं इससे बुरी कोई बात नहीं होगी। जिन गांव वालों के लिए पैसा बजट में आवश्यकतानुसार होना चाहिए....

श्री उपाध्यक्ष : श्री कालूलाल गूजर। समाप्त करें। मैंने दूसरा नाम पुकार लिया है।

श्री अमरराम : एक सैकण्ड।

## सूचना

## जे. सी. बोस छात्रावास बलात्कार प्रकरण के एक अभियुक्त की गिरफ्तारी

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को सूचना देना चाहता हूं कि दिनांक 5 सितम्बर, 1997 को जे. सी. बोस होस्टल, विश्वविद्यालय परिसर में हुए सामूहिक बलात्कार प्रकरण में पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त शेषकरण पुत्र हेतराम जिसकी उम्र 24 वर्ष है, जो गीदड़खेड़ी डबवाली का रहने वाला है, को कल सायंकाल गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने गये विशेष दलों द्वारा गंगानगर, हरियाणा और पंजाब में लगातार छापे मारे जा रहे हैं व हरियाणा से उनको गिरफ्तार करके लाया गया है।

**श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : उपाध्यक्षजी, यह कौनसी परम्परा बनायी जा रही है ? गिरफ्तार करने का सिर्फ उनको होता है जो कि सदन के माननीय सदस्य हों उनको कहीं गिरफ्तार किया जाता है तो सदन में सूचना देते हैं। मैं इसका विरोध करता हूं। माननीय चीफ व्हिप साहब ने कौनसी नयी परम्परा डाली है ? ऐसे हजारों केस हैं, हजारों केस में हजारों मुलजिम गिरफ्तार होते हैं। (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : यह सदन उद्वेलित था इसलिए केवल मैंने सूचना दी है।

**श्री शिवनाथ सिंह** : यह सदन हर मामले में उद्वेलित होता है। (व्यवधान) तो क्या सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करेगी कि जहां भी किसी केस में भी कोई मुलजिम गिरफ्तार हों उसकी सूचना सदन में दी जायेगी ? मैं आपसे यह एतराज... (व्यवधान) करता हूं और डिस्कशन का एतराज करता हूं। सदन की परम्पराओं को निभाया जाए, सदन की परम्पराओं को तोड़ा नहीं जाए।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री कालूलाल गूजर.... (व्यवधान) यह आपका समय निकल रहा है कालूलाल जी, बोलिये।

## अनुपूरक अनुदान की मांगों/ अतिरेक मांगों पर विचार

**श्री अमराराम** (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई मंत्रीजी से एक ही निवेदन करूंगा कि शोभावती नदी राणोली गांव से जो गुजरती है, जिसमें पिछले साल दो लोगों की मृत्यु हुई और जिस पर प्रोजेक्ट भी बना है उस सिंचाई बांध का, जिससे चार गांवों को नुकसान हुआ, खेत बरबाद हुए, उसकी आप स्वीकृति देंगे तो गांवों की भी सुरक्षा होगी और सिंचाई का भी साधन होगा। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री कालूलाल गूजर** (मांडल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग, पेयजल विभाग और पी. डब्ल्यू. डी. पर अभी जो चर्चा चल रही है उसके बारे में मैं मेरे विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

सिंचाई विभाग के बारे में मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद

(श्री कालूलाल गूजर)

देना चाहता हूं कि अभी इन्होंने काफी अधूरी सिंचाई योजनाओं को पूरा कराने हेतु काफी धन आवंटित किया है। मेरे क्षेत्र में भी गंगदय योजना की स्वीकृति की, इसके लिए धन्यवाद।

कुछ बिन्दु ऐसे हैं जिनको मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान मे लाना चाहता हूं। एक तो हमारे यहां भीलवाड़ा जिले में और मेरे ख्याल से सारे राजस्थान में यह समस्या होगी कि विभाग के द्वारा अकाल राहत कार्य जब-जब भी चले। 1980 से लेकर 1990 तक, विशेष करके उनमें कई तालाब और एनीकट डिपार्टमेंट ने बना दिये, चूंकि वह अकाल राहत के हैड से बने थे, बनाकर इन्होंने छोड़ दिया परन्तु इनको सूची में उनका नाम दर्ज नहीं है और वह विभाग के तालाब अभी भी नहीं कहलाते हैं, जब-जब भी उनमें टूट-फूट होती है, उनके रख-रखाव की आवश्यकता पड़ती है, सिंचाई विभाग को जब हम अप्रोच करते हैं तो इनके अधिकारी लोग यह कहते हैं कि यह हमारी सूची में नहीं है इसलिये हम इसकी रिपेयरिंग नहीं कर सकते। तो ऐसे जो तालाब हैं या एनीकट हैं उनकी देखरेख नहीं हो रही हैं। आप कहते हैं हमने तो बना दिया क्योंकि अकाल हैड में पैसा है इसलिए बना दिया, अब रख-रखाव नहीं करेंगे और उनका रख-रखाव करने वाला दूसरा कोई है नहीं। पंचायत समिति कहती है कि हमने तो बनाए नहीं और हमको नियमानुसार सौंपा भी नहीं तो हम भी इसकी देख रेख नहीं करेंगे, इसकी कोई मेंटीनेंस नहीं करेंगे। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि ऐसे तालाबों को, कम से कम जो आपके विभाग द्वारा बने हैं उनको विभाग में रखें, उनकी देख-रेख करें, उनकी मेंटीनेंस करें। जैसे मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी बांथली का तालाब है, घराड़िया का तालाब, कचोलिया का एनीकट, बरावला-खेड़ा का तालाब, मनोहरपुरी का तालाब और निम्बाड़ा जाटान का तालाब, यह ऐसे तालाब हैं जो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बनाए लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेंट अपने स्वामित्व का नहीं मानता।

दूसरा, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आपके नियम के अनुसार जो पांच सौ एकड़ से अधिक सिंचाई वाले बड़े तालाब हैं उनको विभाग में लिया जा सकता है। मेरे क्षेत्र में भी ऐसे कई तालाब हैं जिनको मैंने सिंचाई विभाग में लेने हेतु पत्र लिखे हैं, दो-चार बार निवेदन भी किया लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मेरा निवेदन.....

**श्री उपाध्यक्ष :** अब आप आगे तो चलिये। आगे चलिये।

**श्री कालूलाल गूजर :** उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने शुरू ही किया है। एक मिनट ही तो हुआ है। एक मिनट ही हुआ है, मैं तो जल्दी जल्दी बोल रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष :** एक मिनट में चार-चार कह रहे हैं। आप आगे चलिये, बढ़िये।

**श्री कालूलाल गूजर :** मैं यह कह रहा हूं एक नहीं, यह दूसरा पाइण्ट है।

(श्री कालूलाल गूजर)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का यह भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि तालाबों की मेंटीनेंस के लिए पैसा बहुत कम दिया जाता है इसीलिए समय पर तालाब की मेंटीनेंस नहीं होती है। जैसे गर्मी के दिनों में स्लश गेट, रखरखाव के लिए उनमें ग्रीसिंग, ग्रॉयलिंग करने का काम भी समय पर नहीं होता क्योंकि बजट कम होता है। हमारे यहां पर मेंटीनेंस का बजट इतना कम आता है कि बड़े तालाबों, बांधों के ऊपर जो डाक बंगले हैं उनकी मेंटीनेंस, रखरखाव की आवश्यकता की ही पूर्ति नहीं होती है और जब हम छोटे-मोटे तालाबों की टूट-फूट की रिपेयरिंग की बात करते हैं तो विभाग के द्वारा बार-बार यही कहा जाता है कि मेंटीनेंस में पैसा नहीं है। मेरा निवेदन है कि मेंटीनेंस हैड में पैसा और बढ़ाया जाए ताकि तालाबों के अन्दर पीने का पानी मिल सके और छोटी-मोटी टूट-फूट की रिपेयरिंग होगी तो तालाब का पानी जो वेस्ट होता है, वेस्ट नहीं जाएगा और काफी पानी की तालाबों में बचत हो सकेगी, सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान भी कुछ सड़कों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आपने पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने के लिए जो सड़कें स्वीकृत की हैं और आपने यह घोषणा कर रखी है कि सभी पंचायत मुख्यालयों को मार्च, 1997 तक जोड़ने का काम ...

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : नवीं पंचवर्षीय योजना में।

**श्री कालूलाल गूजर** : डामर की सड़क के लिए नहीं, आपने यह कहा था किसी न किसी तरह मैटल से या और किसी तरीके से रोड से जोड़ देंगे। आपने जोड़ने का प्रयास किया है, मैं धन्यवाद देता हूं परन्तु जो सड़कें आपने ग्रेवल से जोड़ी हैं उनके सी. डी. वर्क्स नहीं हुए। अब मेरा निवेदन करना यह है कि जैसे आपने मिट्टी का काम कर दिया उस पर ग्रेवल बिछा दी परन्तु बीच में नाला नहीं बंधा, उसके ऊपर कोई पुलिया नहीं बनी तो वह अभी सम्पर्क सड़क तो बनी नहीं, चौमासे के अन्दर कोई जा नहीं सकता, वैसे भी उसमें कई गहरे तालाब, गहरे नाले हैं तो नहीं जा सकते। इसलिए जिनको मैटल से भी जोड़ा तो उनके सी. डी. वर्क्स पहले स्वीकृत करें, यह मेरा सुझाव है।

दूसरा, मेरा निवेदन यह था कि मिसिंग लिंक्स, जितनी भी सड़कें हैं वह बहुत कम स्वीकृत हो रही हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में गुरलाई से भोपालगढ़ और पीपाड़ से बागोर वाया गोड़ा, केरिया से लाखूंड़ा, चावंड़िया से मीमाली, मीमाली से लुहारिया, निम्बाड़ा से चिताम्बा, यह ऐसी रोड है जो आपके पंचायत मुख्यालय को जोड़ने में तो नहीं है परन्तु लिंक रोड है और इनको जोड़ने से बहुत सुविधा गांव वालों को हो सकती है और वाजिब रोड हैं। इनको मिसिंग लिंक्स के नाम से स्वीकृत कराएं। ऐसे पहले प्रस्ताव भी भेजे हुए हैं लेकिन स्वीकृति नहीं हो रही है।

(श्री कालूलाल गूजर)

दूसरा, मैं यह मांग करूंगा कि नाबार्ड योजना के तहत आपने कई जिलों में काफी रोड स्वीकृत की है लेकिन भीलवाड़ा जिले में नाबार्ड में केवल दो रोड ही स्वीकृति हुई हैं। तो मेरा निवेदन है कि इस बार आप नाबार्ड में अधिक रोड स्वीकृत कराएं।

मेरा एक निवेदन यह था कि काम की क्वालिटी में एक दिक्कत यह आ रही है कि जैसे किसी गांव को रोड से जोड़ दिया, अब बीच में पुलिया बननी चाहिये लेकिन काजवे बना दिया। हमने पूछा, आपने यह काजवे क्यों बनाया, यह बार-बार टूट जाता है, साइड में से कट जाता है तो वहां अधिकारियों का यह कहना है कि पैसे बहुत कम दिये जाते हैं और हमको कहा कि इसी में से जोड़ो। तो मेरा निवेदन है कि या तो अधिकारियों की गलती है, या फिर वास्तव में पैसा कम है तो पैसा पूरा दें। अब आप किसी को जोड़ ही रहे हैं, सड़क बना ही रहे हैं, डामर लगा ही रहे हैं और फिर बीच-बीच में टूट जाए ऐसी पुलिया बने और इसीलिये बने कि पैसे कम हैं तो उसके लिए आप आवश्यक रूप से व्यवस्था करें।

एक मेरा निवेदन यह था कि मांडल क्षेत्र में जाने के लिये मांडल चौराहे से अब जाते हैं तो रेलवे क्रासिंग आता है और रेलवे क्रासिंग से होकर ब्यावर जाने वाली बसें जाती हैं, देवगढ़ जाने वाली बसें जाती हैं, भीम जाने वाली बसें जाती हैं, इधर रायपुर, गंगापुर और नाथद्वारा, कांकरोली तक की बसें वहां से निकलती हैं, तो इतना ट्रेफिक आता है कि जब गाड़ियां आती है तो वहां लम्बी लाइन लग जाती है, मैंने पहले भी मांग की है और अब पुनः मांग करता हूं कि एक ओवर ब्रिज रेलवे क्रासिंग के ऊपर बना दिया जाए तो समस्या का समाधान होगा।

मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि आपका जब दौरा हुआ था तो आपने वहां बागोर, मांडल और करेड़ा में जो अकाल राहत के तहत मिट्टी बिछाकर रोड बनायी गयी थी उस पर डामरीकरण करने की घोषणा की थी लेकिन डामरीकरण का आदेश अभी आया नहीं है, तो आप उसको तत्काल करवाएं।

पेयजल के बारे में मैं एक निवेदन करूंगा कि जितने भी खारे पानी के गांव है उन खारे पानी के गांवों में हैण्ड पम्प लगा दिये, अब हैण्ड पम्प तो लग गये लेकिन उसमें खारा पानी है, अब यहां पर यदि उसको मीठे पानी से जोड़ने के लिये....

**श्री उपाध्यक्ष :** अब समाप्त करें, माननीय सदस्य।

**श्री कालूलाल गूजर :** सिर्फ एक मिनट में। तो खारे पानी के जहां पर गांव है उनको पास के मीठे पानी के गांवों की योजना से जोड़ा जाए। एक तो हम जैसे विधायक कोटे से पैसा देकर भी जुड़वाना चाहते हैं पाइप लाइन से, तो नार्म्स में नहीं आता। पी. डी. सी. में जाती है फाइल और इसलिये हमारे कोटे में से स्वीकृति नहीं होती। तो मैं माननीय मंत्री

(श्री कालूलाल गूजर)

महोदय से निवेदन करूंगा कि आप अपने नियमों में संशोधन करें कि यदि कोई खारे पानी का गांव है और उसमें पास से मीठे पानी की पाइप लाइन है तो उससे जोड़ने के लिए विधायक कोटे या सांसद कोटे से कोई पैसा देता है तो उससे उस गांव को जोड़ने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और इसको जोड़ने हेतु आप स्वीकृति करावें।

दूसरा मेरा निवेदन है कि जिन खारे पानी के गांवों की योजनाएं यहां आती है और वापस रिटर्न कर दी जाती हैं कि पूरे जिले के सारे फ्लोराइड युक्त पानी का एक मास्टर प्लान बनाकर भेजो, ऐसी बड़ी योजना भीलवाड़ा जिले की आयी लेकिन उसकी कास्ट इतनी थी कि वह स्वीकृत नहीं हो पायी। तो आप छोटी-छोटी योजना ले लें। एक-एक गांव की अलग-अलग ग्रेविटी के आधार पर ले लें कि आस-पास में मीठा पानी है और एक गांव जुड़ सकता है तो उसको वहां से जोड़ने के लिए योजना आप बनवा लें तो इस समस्या का समाधान होगा।

अन्त में एक और निवेदन करूंगा कि जितनी भी रीजनल स्कीम्स आपने स्वीकृत की हैं उस सबमें पनघट योजना के लिए छोटी-छोटी टंकियां एक-एक गांव, एक-एक मोहल्ले में बन गयी, उन टंकियों का ज्यादा उपयोग नहीं है। कई मोहल्लों में तो टंकियां बनाने को जगह ही नहीं है और वहां पर जगह नहीं होने से टंकी दूर बन गयी और उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इससे तो अच्छा है कि एक टंकी बना करके पाइप लाइन के द्वारा....

**श्री उपाध्यक्ष** : अब आप करें समाप्त। श्री बनवारी लालजी बैरवा।

**श्री कालूलाल गूजर** : यदि पानी पहुंचाया जाए और उनको कनेक्शन दे दिये जाएं तो इससे जनता को बहुत बड़ा लाभ हो सकता है।

**(15.00)**

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जयपुर से अजमेर का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, आठ नम्बर का, इस पर इतना ट्रैफिक है कि इसको और चौड़ा किया जाए, नहीं तो, इसको फोर लाइन बनाया जाए यह भी मेरा पी. डब्ल्यू. डी. मंत्रीजी से निवेदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री बनवारी लाल बैरवा।

**श्री बनवारी लाल बैरवा** (निवाई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टोंक जिला राजस्थान के सब जिलों में सबसे पिछड़ा हुआ जिला है, खास तौर से सिंचाई के साधनों में शायद सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। उसमें बीसलपुर बांध से पूर्व कुछ छोटी-छोटी लघु योजनाएं थीं जिनके माध्यम से थोड़ी बहुत सिंचाई होती है और यही बात देख करके बीसलपुर बांध की स्वीकृति हुई। अब तो उस पर तकरीबन 300 करोड़ रुपये का खर्चा हो चुका है। लेकिन जो मंशा उसके पीछे थी वह यह थी कि उससे

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

कुछ शहरों को पेयजल उपलब्ध कराया जाये और शेष 66 हजार हैक्टेयर जमीन को सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत अफसोस के साथ यह बात कहनी पड़ रही है, जहां तक नहरों का सवाल है, अब तक कुल मिलाकर 1986 से काम चल रहा है और वह सिर्फ दूणी तक नहरें बनकर आ पाई हैं, उस पर भी राइट मैन कैनाल बनी हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं बनी तो खेतों तक पानी नहीं जाएगा। 1998 तक आपका वह डैम कम्पलीट हो जाएगा। इस समय गेट तो उसके लग ही चुका हैं, बैराज बन जाएगा, अगले साल उसमें पानी रुक जाएगा। उसके अन्दर जो पानी रुकेगा वह 32 हजार एम.सी. एफ.टी. पानी रुकेगा। आपने 16200 तो पेयजल के लिए रखा है और 8000 एम.सी.एफ.टी पानी सिंचाई के लिए रखा है। इसके अन्दर सिर्फ अजमेर और ब्यावर को पानी दिया जा रहा है। अब तक जयपुर को पानी देने की भी व्यवस्था नहीं कर पाये हैं और सिंचाई के लिए नहरें आप तैयार नहीं कर पाये हैं तो आने वाले साल के अन्दर पानी अपने पास उपलब्ध होगा लेकिन वह पानी न खेतों में पहुंच पाएगा और न जयपुर में पहुंच पाएगा और एक भयावह स्थिति हम लोगों के लिए खड़ी हो जाएगी। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मेरा विनम्र निवेदन है कि टोंक जिले के उस भाग के अन्तर्गत जहां आलरेडी नहरें प्रपोज्ड हैं, उन नहरों को अतिशीघ्र ही आप बनवाने की कृपा करें। एक बात तो यह है।

मान्यवर, मुझे इसके साथ ही यह बात भी कहनी है कि उस बीसलपुर डैम से देवली तहसील के गांवों को पानी मिलेगा, उनियारा को मिलेगा, टोंक को मिलेगा, जो अभी प्रपोज्ड स्थिति हैं। निवाई जो कि मेरी कांस्टीट्यूएंसी है, उससे एक बीघा जमीन हमारी सिंचित नहीं होगी और उसमें से जो हमारी चरागाह भूमि है वह आप विस्थापितों के लिए दे रहे हैं। तो उसमें मेरा आपसे निवेदन है कि उसके लिए कोई न कोई आल्टरनेटिव व्यवस्था कीजिये।

मेरे निवाई क्षेत्र में एकमात्र लघु सिंचाई योजना है, मासी डैम की। मासी डैम का पानी टोंक सब तहसील में जाता है। एक बीघा जमीन भी हमारी निवाई तहसील की उससे पानी नहीं पीती है। यह बहुत दुःखद स्थिति है। मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारा मासी डैम है उसको थोड़ा ऊपर उठायें और लिफ्ट इरिगेशन करके, और साधन करके निवाई विधान सभा क्षेत्र को भी आप सिंचित करने की व्यवस्था करायें।

माननीय मंत्री महोदय, मैं एक स्थिति से आपको अवगत कराना चाहता था कि बीसलपुर डैम के बनने के बाद टोंक तहसील का जो डाउन स्ट्रीम का जल था वह रुक गया और आज हमारा पानी नीचे से नीचे बैठता जा रहा है और हमारी स्थिति बड़ी खराब हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप जल्दी समाप्त करें।

श्री बनवारीलाल बैरवा : मान्यवर, मैंने चालू ही किया है। हमारी स्थिति बड़ी खराब हो रही है। आपके सामने एक दो

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

विचारणीय प्रश्न हैं। ईसरदा बांध का निर्माण आप अतिशीघ्र करते हैं तो उससे हमारा जल-स्तर काबू हो जाएगा और कुओं का जो पानी नीचे जा रहा है उससे हमको स्थिर मिल जायेगी और आप उससे जो जयपुर के लिए पानी देना चाहते हैं वह आपके लिए और सुविधाजनक हो जायेगा। तो आप उसके ऊपर अतिशीघ्र कार्य करवाइये।

मैं निवाई क्षेत्र के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं कि बनास के ऊपर तो आपने एनीकट्स मंजूर करने की अनुमति दे दी, मेरे जयसिंहपुरा बांध के बारे में मैंने आपको लिखित में भी निवेदन किया था, कई मीटिंग्स में भी आपसे निवेदन किया था लेकिन उसके लिए हमेशा यही बात आती है आपके आफिसर्स की, इंजीनियर्स की गोपालपुरा बांध के अन्दर पानी जाता है तो हमारे यहां बीसलपुर बांध के अन्दर जो पानी आ रहा है जिस पर आप रुकावट कर सकते हैं। उसकी अनुमति क्यों नहीं देते हैं। आप जयसिंहपुरा बांध की अनुमति दीजिए क्योंकि मेरे यहां पर कोई बड़ी योजना नहीं हैं। बड़ी कृपा करके जो गत वर्ष में बनाया है, उससे–800 बीघा तक पानी पहुंचा है लेकिन मेरा आपसे यह निवेदन करना है कि उसके अन्दर मैन्यूफैक्चरिंग क्वालिटी बहुत खराब रही और आप कभी भी उसको पधारकर देखें, उसके पानी का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसकी नहरें सही नहीं हैं। नहरों के अलावा उनमें रास्तों के ऊपर जो पुलिया बनायी हैं वह इतनी ऊंची कर दीं कि रास्ते ही खराब हो गये गांव के लिए, जिससे कि कुछ लोगों को सुविधा मिलती। सुविधा की एवज में आपने कठिनाइयां खड़ी करवा दीं। आप स्वयं उस बात को देखें, उसकी जांच करवाएं। आपके पास उसकी शिकायत आलरेडी आई हुई है, जरा उनको देखें और उस बात को दिखवाएं कि उसमें कितनी सच्चाई है और जो दोषी व्यक्ति हैं उनको आप सजा दीजिये।

चूंकि इस डिमांड के अन्दर सड़कों के बारे में भी कुछ बात कही जा रही है, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि निवाई क्षेत्र के अन्दर सड़कों की बड़ी कमी है और जो सड़कें हैं वह बहुत जर्जर और टूटी अवस्था में हैं। उनके रख-रखाव के ऊपर आप ध्यान दिलवाएं और यह देखें कि किस तरह से वे मेन्टेन हो सकती हैं। गुणसी से राहुड़ी की एक सड़क है उसके ऊपर सूर्या गांव के पास में डिप्रेशन इतना है कि वह पानी में डूबी रहती है बरसात में।

**श्री उपाध्यक्ष :** अब आप समाप्त करें।

**श्री बनवारीलाल बैरवा :** मान्यवर, मैंने तो चालू ही किया है।

**श्री उपाध्यक्ष :** मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि चार बजे मुखबन्द होगा उससे पहले तीन माननीय मंत्री उत्तर देंगे। कृपया समाप्त करें।

**श्री बनवारीलाल बैरवा :** मान्यवर, आप व्यवधान नहीं करते तो इतने में मैं कुछ कह ही चुकता।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी :** चार मंत्री हैं।

श्री उपाध्यक्ष : चार मंत्री महोदय हैं।

श्री बनवारीलाल बैरवा : एक मिनट में खतम कर रहा हूं। अब इसके अन्दर मेरे कुछ बहुत महत्वपूर्ण गांव हैं जो हजार की आबादी से ज्यादा हैं। नला गांव है, किवाड़ा है, जयसिंहपुरा है, ये वे गांव हैं जहां आपको सड़कों का प्रावधान अतिशीघ्र देना चाहिए। मान्यवर, दतवास मेरा बहुत महत्वपूर्ण गांव है। उसके बराबर में एक नाला है, उस नाले के तलवट नहीं होने के कारण लास्ट ईयर भी एक सिपाही बह गया। चूंकि बहुत तेजी से बह जाता है, मैंने आपको पहले भी निवेदन किया था, आपको लिखित में भी निवेदन किया था लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आपने मेरी बात को क्यों नहीं स्वीकार की। मैं निवेदन करता हूं कि वहां पर आप तलवट बनाए। हमको सुविधा प्रदान कीजिये। दूसरी बात ...

श्री उपाध्यक्ष : सरकार के द्वारा उत्तर। श्री ललित किशोरजी चतुर्वेदी।

श्री बनवारीलाल बैरवा : कृषि उपज मण्डी की तरफ से जो सड़कें बनी हुई हैं उनका पैसा आपको दे दिये जाने के बावजूद भी उनका काम अब तक चालू नहीं किया गया है। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है ...

श्री भगराज चौधरी : कटमोशन दे रखे हैं। हमें भी थोड़ा बोलने का मौका दीजिये।

श्री बनवारीलाल बैरवा : एक मिनट। पेयजल के लिए एक बात और रह गई।

श्री भगराज चौधरी : पहले जो माननीय सदस्य बोले (व्यवधान) उन्होंने बहुत ज्यादा समय लिया।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य। (व्यवधान) मंत्री महोदय को पुकार लिया, अब तो समाप्त करें।

श्री भगराज चौधरी : बोलने का मौका दीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं कई बार कह चुका हूं, निवेदन कर चुका हूं, कृपया विराजें। आदरणीय श्री बनवारीलाल जी बैरवा साहब, विराजें। सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय।

श्री भगराज चौधरी : पहले जो माननीय सदस्य बोले उन्होंने ज्यादा समय ले लिया। आप थोड़ा बहुत भी बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : हमें भी, उपाध्यक्ष महोदय, मौका दीजिये।

श्री भगराज चौधरी : हमारे साथ यह जो अन्याय हो रहा है (व्यवधान) आपको जो बुलेटिन का समय है, शुरू से पाबंदी रखी नहीं और अब आप हमें थोड़ा-बहुत भी बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में यह तय हुआ था कि जो जाना चाहें, वह जा सकते हैं और आठ बजे तक हाउस चलायेंगे। आज के दिन वहां जाने वाले जा सकते हैं और हाउस आठ बजे तक चलेगा। आप सभी

(श्री खेतसिंह राठौड़)

जाना चाहते हैं, हम भी जाना चाहते हैं तो अब यह मुख बंद कर दीजिये लेकिन एप्रोप्रिएशन बिल पर आपको यह जो नहीं बोले हैं इन सबको मौका देना पड़ेगा और उसके बाद पास होगा।

**श्री शिवनाथ सिंह** : माननीय सचेतक महोदय ने कहा, बात ठीक है लेकिन शुरू में इसके लिए तीन दिन रखे गये थे और तीन दिन में कितने घण्टे होते हैं, कल का समय निकल गया, अब आप तीन बजे इनको बुला रहे हैं तो बहुत से माननीय सदस्य ऐसे हैं जिनको आप मौका नहीं दे पा रहे हैं।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : कल उस पर बोल लेना।

**श्री शिवनाथ सिंह** : कहां बोले हैं? एप्रोप्रिएशन बिल की बात दूसरी होती है और डिमांड की बात दूसरी होती है। दोनों बातें एक नहीं होती हैं। जो बात हम डिमांड पर कह सकते हैं वह एप्रोप्रिएशन बिल में नियमों के अनुसार नहीं कह सकते। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है माननीय सदस्यों के साथ में और इतना समय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में...।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बिराजिये, माननीय सदस्य। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में वर्ष 86–87 से वर्ष 90–91 तक की अतिरेक मांगें एवं 97–98 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांगों के विषय में विचार-विमर्श हो रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद देना चाहूंगा कि 16 सम्माननीय सदस्यों ने लोक निर्माण के विषय में अपनी राय प्रकट की और 28 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनको आपने स्वीकृत किया है, उनके रिटिन उत्तर निश्चित रूप से माननीय सदस्यों के सम्मुख एक महीने में पहुंचा दिये जाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक 86–87 के अतिरेक व्यय का सवाल है, नियमित करने की सिफारिश है, मांग संख्या 19 लोक निर्माण में 45,33,691 रुपये अतिरिक्त व्यय हुआ है। कर्मचारियों को बोनस, अनुरक्षण व मरम्मत, इस दृष्टि से इस व्यय को किया गया है और जैसा मैंने उस दिन निवेदन किया था आपको, जन-लेखा समिति के 69 वें प्रतिवेदन में इसकी चर्चा की है। इसको पास करना आवश्यक था इसलिए आज वह अपने सामने लाया गया है।

1987–88 के लिए अतिरेक मांगें 1,32,15,210 रुपये की हैं। जो अन्तिम अनुदान था उससे अधिक व्यय हुआ है, दैनिक मजदूरी की दरों में वृद्धि, माल की कीमतों में वृद्धि, अनुरक्षण पर अधिक व्यय होना। इसकी सिफारिश की गई है, उसी नाते से इसको पास करने के लिए सदन के सम्मुख लाया गया है।

(140)



(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

इसी प्रकार से, वर्ष 1988-89 में केवल मात्र 1,05,140 रुपये का अनुदान से अधिक व्यय हुआ है। इतना कम है..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बातें नहीं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : हिसाब किताब की दृष्टि से सामने लाया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद नयी सरकार का कार्यकाल आ जाता है, तीन महीनों में, जिसमें 89-90 की अतिरिक्त मांगें हैं, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है इसमें अतिरेक व्यय किंचित भी नहीं हुआ है, इसको पास कराने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। 1990-91 दूसरा वर्ष आता है वर्तमान सरकार का जिसमें 34,971 रुपये का मात्र छोटा-सा बजट है जो हिसाब किताब की दृष्टि से सामने आया है और जो डिक्री होने के कारण से आया है। डिक्री की कोई बात पहले विचार नहीं की जा सकती क्योंकि डिक्री का निर्णय बाद में होता है। इसीलिए इसको पास कराने की दृष्टि से यह अतिरेक मांगें आयी हुई हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 97-98 की जो अनुपूरक मांगें हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसमें कोई नया प्रावधान नहीं चाहिए, केवल मात्र बजट के हिसाब से जो एडजस्टमेंट करना है उसी हिसाब से यह वोट करने के लिये आयी हैं। इसलिए मेरे लोक निर्माण की दृष्टि से जो मांगें यहां रखी गयी हैं, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सदन निश्चित रूप से इन सब विचारों के आधार पर पास करे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चर्चा करते समय कुछ बातों की चर्चा माननीय सदस्यों ने की है। सड़क निर्माण का कार्य अधिक से अधिक होना चाहिये, इसकी मांग की गयी। माननीय सदस्यों ने, जो भी चर्चा में भाग लेने के लिये खड़े हुए, उन्होंने अपने यहां की उन-उन सड़कों को गिनाया जिनको बनना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि आखिर साधन तो सीमित हैं किन्तु उसके बावजूद भी स्थिति यह बनी है कि 90-91 में जहां सड़कों की लम्बाई केवल 56,956 किलोमीटर थी, वर्तमान सरकार के छह-साढ़े छह साल के कार्यकाल में वह बढ़कर 74,947 किलोमीटर हो गयी। इस प्रकार 17,950 किलोमीटर की वृद्धि हो गयी। अब सौ वर्ष का अनुपात देखें और छह साल का अनुपात देखें। साधन तो सीमित हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वर्ष 1971 की जनसंख्या के अनुसार ?,760 गांव थे एक हजार की आबादी से ऊपर के; 1990 में जब सरकार आयी थी तब केवल 3,321 गांव डामर से जुड़े थे और आज उनकी संख्या बढ़कर 5,017 हो गयी है। 1,696 गांव इसमें जुड़ गये हैं। आखिर इन सबके लिये पैसा मिलेगा और अनुपात देखें, राजस्थान में कुल 9,195 पंचायत मुख्यालय हैं, 1990 में केवल 5,600 सड़कों से जुड़े थे और आज 8,845 गांव डामर की सड़कों से जुड़े हैं।

**श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) :** कीर्तिमान स्थापित हुआ है।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी :** 350 केवल मात्र रह गये हैं, 200 गांवों में काम चल रहा है। तीन हजार गांव, पंचायत मुख्यालय से इस अल्प समय में जुड़ गये। पांच हजार-सौ सालों में, तीन हजार-छह सालों में। मैं इसीलिये कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने....

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** खेतसिंहजी, सुनिये।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) :** सौ वर्ष में इतने और छह वर्ष में इतने।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी :** मैं इसीलिए निवेदन करना चाहता हूं, आपके सामने मैंने बात इसलिये रखी है....

**श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :** जितने भी विपक्ष के मैम्बर हैं, इनकी कांस्टीट्यूएंसी में तो आपने एक भी सड़क नहीं बनाई।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी :** वह बताता हूं। आज नेता महोदय नहीं हैं, प्रतिपक्ष के, मुझे याद है आज के दो साल पहले जब मैं दौरा करने के लिए बाड़मेर गया था वह भी वहीं विराज रहे थे, जब मैंने उन्हें बताया कि 37 गांव आपके जुड़ रहे हैं इस वर्ष तो कहने लगे कि चतुर्वेदीजी, विधान सभा में हम कुछ भी कहेंगे लेकिन सड़क नीति बनाने के अनुसार जो रहे हुए गांव हैं, उसकी पूर्ति हो गयी है। यह उनका सर्टिफिकेट है।

**श्री खेतसिंह राठौड़ :** यह उनका सर्टिफिकेट होगा, क्योंकि आपने उनको खुश कर दिया। हमारे साथ आपने न्याय नहीं किया है।

**श्री रघुवीरसिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री) :** माननीय खेतसिंहजी भी यही कहते हैं। वे तो हाउस में बोल रहे हैं।

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** हाउस के बाहर तो खेतसिंहजी पता नहीं क्या-क्या कहते हैं।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात क्यों कहना चाहता हूं ? सड़क नीति राजस्थान में बनी। आज इस देश के किसी भी प्रदेश में नहीं बनी है और एक रीति नीति के अनुसार जैसा काम चलता गया उसका परिणाम यह हुआ है कि आज हम 10,900 गांवों से बढ़कर 19,700 गांवों तक पहुंच गये और बढ़ते चले जा रहे हैं और जो चला गया, 31 मार्च, 1997, तक 1971 की एक हजार की आबादी वाले गांवों की मांग लगभग पूरी हो गयी है। नवीं पंचवर्षीय योजना में 1991 की एक हजार की आबादी के सारे गांव पूरे हो गये।

**श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) :** एक सड़क आपने कम्पलीट नहीं की है।

**श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) :** पीछे से टूटती जा रही है।

**श्री उपाध्यक्ष :** कृपया व्यवधान नहीं, माननीय सदस्य। व्यवधान नहीं। व्यवधान नहीं, माननीय सदस्य। बीच में न बोलें।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी :** मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सड़क नीति

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

के अन्दर 1991 की एक हजार की आबादी.....

श्री रामनारायण डूडी : आपने अलवर के पास की रोड देखी है, जिसका मूल्य 40 लाख रुपये पर किलोमीटर है ? उस रोड की हालत देखी है ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय, एक मिनट, विराजें आप। एक-एक बात ले लें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि सड़क नीति के अनुसार 1991 की एक हजार की आबादी के गांव और सारे पंचायत मुख्यालय जोड़ने की योजना बनी है यानी 31 मार्च, 2003 तक, किन्तु मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, जिस नाते से काम की गति बढ़ रही है, इक्कीसवीं सदी में प्रवेश होने के समय ही हम सारे पंचायत मुख्यालयों को डामर की सड़कों से जोड़ देंगे। वह हालत बनती चली आ रही है।

एक माननीय सदस्य : झूंठे वादे मत दो, झूंठे आश्वासन मत दो, एक आने का काम नहीं हुआ, आधा किलोमीटर सड़क नहीं बनी, डामर आपके पास है नहीं.... (व्यवधान)

श्री शेरसिंह राठौड़ : पहले आप कह रहे थे कि 97 में कर देंगे, अब दो हजार में पहुंच गये ?

श्री [illegible] (भूपालसागर) : पहले 97 की कह रहे थे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जसोदी के आने वाले माननीय सदस्य अभी नहीं हैं, उन्होंने बहुत श्रेष्ठ राय दी थी कि जहां-जहां....

श्रीमती [illegible] (टोडी) : उपाध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ की सड़कों पर आप एक दौरा करवाइए इनका। दौरा कीजिए, माननीय ललितजी भाई साहब, हनुमानगढ़ की सड़क का।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यह क्या हो रहा है ? यह क्या हो रहा है, साहब ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिए, माननीय सदस्य।

श्री श्रवण कुमार (चिड़ावा) : मंत्रीजी सब असत्य बोलते ही जा रहे हैं। मैं इनकी बात बताऊं.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया ठीक है व्यवधान नहीं, माननीय सदस्य, कृपया विराज जाएं।

श्री श्रवण कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी [illegible] और वहां कहकर आये थे कि 15 दिन में सड़क तैयार हो जायेगी। आज चार महीने गये, मंत्रीजी आप याद कीजिए..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री श्रवण कुमार : [illegible] में आपने कहा था कि चार महीने में सड़कों का रख-रखाव ठीक कर दिया जाएगा। आज तक भी चिड़ावा और [illegible] की सड़कों का कुछ नहीं हो सका।

(143)



**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया विराजिये, माननीय सदस्य।

**श्री श्रवण कुमार** : आपकी हाय-हाय के नारे लगे थे। आज आप सदन के अन्दर, सदन को गुमराह कर रहे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, विराजें। यह अंकित नहीं होगा। यह अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं हो रहा है।

**श्री श्रवण कुमार** : × × ×

**श्री उपाध्यक्ष** : यह अंकित नहीं हो रहा है। आप विराज जाएं। बीच-बीच में व्यवधान अंकित नहीं किया जाए।

**श्री राधेश्याम गंगानगर** : × × ×

**श्रीमती शशी दत्ता** : × × ×

**श्री श्रवण कुमार** : × × ×

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : आप विराजें तो सही, अभी चर्चा करूंगा।

**श्री राधेश्याम गंगानगर** : × × ×

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, बीच-बीच में व्यवधान नहीं। मंत्री महोदय की बात सुन लीजिए, फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। विराज जाएं।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इसीलिए निवेदन कर रहा था कि जिस सड़क नीति का निर्माण हुआ है उसी के कारण ये बातें सम्भव हुई हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को यह सूचित करना चाहता हूं कि जहां एक हजार की आबादी हमने सामान्य क्षेत्र में ली है वहीं हमने 750 की आबादी मरु क्षेत्र में और विशेष-करें जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनमें करने की दृष्टि से हमारा प्रयत्न है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सभी उच्च मार्गों को एवं मुख्य-मुख्य सड़कों को चौड़ा करने.... (व्यवधान)

**श्री राधेश्याम गंगानगर** : × × ×

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया विराजें, माननीय सदस्य। कृपया विराज जाएं।

**श्रीमती शशी दत्ता** : × × ×

**श्री अमराराम चौधरी (आहोर)** : × × ×

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया विराजें। (व्यवधान) बहुत पुराने सदस्य हैं आप। कृपया विराज जाएं।

**श्री रतनलाल ताम्बी** : × × ×

**श्री राजेन्द्र पारीक** : × × ×

**श्री राधेश्याम गंगानगर** : × × ×

**श्री रामनारायण डूडी** : × × ×

**श्री रतनलाल ताम्बी** : × × ×

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, क्या कर रहे हैं। माननीय सदस्य, मैंने आपको

---

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(144)



(श्री उपाध्यक्ष)

अनुमति नहीं दी, फिर भी आप बोलते चले जा रहे हैं। विराजिए। बैठिए माननीय सदस्य, शांति रखिए।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने कार्य अपूर्ण रहने की चर्चा भी यहां की है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, निश्चित रूप से जिस राशि का आबंटन किया जाता है, जो राशि स्वीकृत की जाती है वह कुछ समय तक कुछ वर्षों में बांटी जाती है। जो राशि जिस वर्ष के लिए होती है उसका काम होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा, इस पर हमने अपने अधिकारियों को कहा है, पारदर्शिता के नाते, जिस कार्य की सैंक्शन हो जाए या कोई सम्माननीय सदस्य, कोई जन-प्रतिनिधि, कोई प्रधान, कोई प्रमुख, कोई माननीय विधायक अगर यह पूछें इनकी सैंक्शन हो गयी है यह काम प्रारम्भ करके कब तक पूर्ण हो जाएगा तो उनको ब्लैक एण्ड व्हाइट में, लिखकर देना होगा। मैं जानता हूं ठेकेदार उस बीच में आते हैं, कई बार काम रोक देते हैं। परेशानी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। किन्तु ब्लैक एण्ड व्हाइट में अगर माननीय सदस्य को कोई बात मिल जाएगी तो उनको समयबद्धता की दृष्टि से अफसरों को टोकने का मौका मिल जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इस सरकार के पहले केवल मात्र 26 पेवर की मशीनें थीं जो आज बढ़कर 73 हो गयी हैं। किस प्रकार का मशीनीकरण बढ़ता जा रहा है। ....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : सुनिए, माननीय सदस्य, कृपया विराजें। इसमें खड़ा होने की क्या जरुरत है ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : किस तरह से सड़कों का निर्माण होता चला जा रहा है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : × × ×

श्री हीरालाल इंदौरा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : इसमें खड़ा होने की जरुरत क्या है आपको ? यह क्या हुआ ? विराज जाएं आप।

श्री राधेश्याम गंगानगर : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझे आपको नाम से पुकारना पड़ेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बार-बार खड़े मत होइए।

श्री रामप्रताप कासनियां : × × ×

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया था, पहली योजना में 6.6 पर्सेण्ट टोटल एक्सपेंडीचर का सड़कों पर व्यय किया जाता था। वह घटते-घटते सातवीं पंचवर्षीय योजना में 2.4 हो गया। पिछली

---

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

इस योजना में, आठवीं योजना में इसको छह पर्सेण्ट तक ले आए हैं। संस्थागत वित्त के आधार पर, बी. ओ. टी. के आधार पर गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे। मैं जानता हूं ट्रैफिक बहुत अधिक बढ़ गया है सरदारशहर से लेकर हनुमानगढ़ तक। इसीलिए बी. ओ. टी. की स्कीम में तीन भाग करके उस सड़क के नवीनीकरण की योजना बनाई गयी है। बी. ओ. टी. की दृष्टि से उस काम को आगे लाया जा रहा है। संस्थागत वित्त है, बी. ओ. टी. है, इनके पीछे का प्रयोजन यही है कि प्रावधान जो बनाया जाए, प्रावधान के साथ-साथ आगे बढ़ने का काम किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं ...

**श्री राधेश्याम गंगानगर :** × × ×

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी :** बी. ओ. टी. क्या होती है, आप समझेंगे तो मैं बात करूंगा। कितने दिन हुए बजट को ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतनी जल्दी करेंगे तो आखिर 50-50 साल इंतजार करते हो गये, आज जिस प्रकार के जो प्रयास किये गये हैं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, 18 योजनाएं उप मार्गों की, पुलों की, सुरंग निर्माण की, जिसमें 150 करोड़ रुपये का प्रावधान है, हुडको और अन्य वित्तीय संस्थाओं से 80 करोड़ रुपये की प्राप्ति के लिए योजना भेजी जा चुकी है, 3 परियोजनाओं के लिए 54 करोड़ 73 लाख रुपये की स्वीकृति हो गयी है, शेष विचारार्थ स्वीकार हैं। इन सब योजनाओं में जयपुर, कांकरोली, भरतपुर के उप मार्ग पार्वती, चम्बल, मोरेल, कालीसिंध, जोदरी, करेली, बनास के पुल और सुरंग बनाने की व्यवस्था है। अजमेर से आने वाले सदस्य कह रहे थे उसकी दृष्टि से सम्मिलित की गयी है।

राज्य सरकार का लगातार विचार है; यह बात सच है कि जिस परिमाण में सड़कों की लम्बाई बढ़ती जा रही है, जिस परिमाण में आज मण्डी कमेटी से सड़कें आ रही हैं; हमको 220 करोड़ रुपये चाहिए उसके संधारण के लिए। आज उस पर बजट 108 करोड़ का बचा है और इसीलिए संधारण की दृष्टि से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, मितव्ययता ला रहे हैं। वर्तमान सरकार ने 7 इस प्रकार के मार्ग दर्शक सिद्धान्त इस काम में बनाए हैं-गुणवत्ता, समयबद्धता, मितव्ययता, लागत प्रतिबद्धता पारदर्शिता, नैतिकता और जन उपयोगिता। मैं एक-एक के आधार पर आज चर्चा नहीं कर सकता। (व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं, 30 सितम्बर के दिन बरसात की समाप्ति होगी, 30 सितम्बर से लेकर 15 अक्टूबर तक जो सड़कें बरसात में डेमेज हुई हैं उन सबका निश्चित रूप से एस्टीमेट बनाया जाएगा और 30 नवम्बर के अंत तक उन सड़कों का संधारण कर दिया जाएगा यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। आखिर इस सरकार को करने के लिए योजना बनानी पड़ती है ...

---

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं होगा। इनका जवाब भी नहीं दिया जाएगा।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, बीच में जो व्यवधान होते हैं उनका जवाब न दिया जाए। अंकित नहीं होगा।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य, क्यों आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। अंकित नहीं हो रहा है, आप विराज जाएं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : मैं खड़ा हूं। आप विराज जाएं। कृपया नियमों का पालन करें। विराज जाएं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह अतिरेक मांगें और जो दूसरी इसकी मांग है, दोनों को स्वीकृत किया जाए।

माननीय सदस्य, आपने कहा नहीं चर्चा करूंगा, इतने बड़े-बड़े उस जिले से मंत्री हो गये हैं, सड़कों की हालत क्या थी और आज क्या है यह पूछ लीजिये वहां पर जाकर आने वाले व्यक्ति से।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री अवरल कुमार : माननीय उपाध्यक्ष जी, एक बात सुनने का कष्ट करें। मैं एक मिनट कहूंगा आपको।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात पूछना चाहूंगा। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय, आपने यह फरमाया बजट में····

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात के लोगों को बिठाइये पहले। वह खड़े हैं, आप प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कि 1997-98 में सारी पंचायतों को मैं सड़कों से जोड़ दूंगा, सारी पंचायतों का मैं डामरीकरण कर दूंगा। अब 2000 पर चले गये ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : नौवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ही सड़क नीति में है और इसीलिए मैंने कहा कि वह 2003 तक नहीं, 2000 तक ही करूंगा। 21वीं सदी में प्रवेश करते समय। फिर दोहरा रहा हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : 2000 तक तो आपको कौन रहने देगा।

श्री गुरचरण सिंह (सिंचाई, उप मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इनके टाइम में अकाल पड़ता था इसलिए सड़कें नहीं टूटती थीं, अब बरसात खूब हो रही है उससे सड़कें टूट जाती हैं इसलिए इनको पीड़ा हो रही है।

---

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री परसादीलाल मीणा : गुरजंट सिंहजी, आपको इधर ही आना है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न पूछिये, भाषण मत दीजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हाइवे से जुड़ी हुई जितनी भी सिटी के अन्दर की सड़कें हैं उन सड़कों के संधारण के लिये न तो नगर परिषद् के पास में इतना बजट होता है, हाइवे से जुड़ी हुई जितनी भी लिंक सड़कें हैं, आप उनको हाइवे की सड़कों के माध्यम से जुड़वाने की कृपा करें तो बड़ी मेहरबानी होगी क्योंकि सिटी के अन्दर का पार्ट जुड़ा हुआ नहीं रहता और आगे का जुड़ा हुआ रहता है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : राजेन्द्र जी और राधेश्यामजी चलाकर सड़कें तोड़ते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह आप अपनी सीट से बोल रहे हैं ? यह आपका ही स्थान है क्या जहां से बोल रहे हैं ?

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : नहीं-नहीं, स्थान तो नहीं है, बोलने का स्थान यही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी, आपने चार माह पूर्व छाबड़ा गये थे और जनता के सामने, चिड़ावा के समस्त नागरिकों के सामने यह वायदा किया था कि 15 दिन में समस्त टूटी हुई सड़कों को ठीक करवा दूंगा। 4 माह के बाद भी आज तक सड़कों पर एक कांकरी भी नहीं पड़ी है और आज यह कह रहे हैं कि वह करवा दिया। यह सदन पूरा इनकी भावनाओं को जानता है, हम जानते हैं कि भाषण तो देना अच्छा आता है लेकिन काम के मामले में इनमें एक प्रतिशत भी सत्यता नहीं है। इन्होंने कहा था कि 15 दिन में समस्त सड़कों का रखरखाव किया जाएगा। आज तक एक भी सड़क के ऊपर डामर नहीं पड़ी है सिवाय असत्य के। यही कहते हैं कि काम हो रहा है। मैं यह निवेदन करूंगा, मंत्रीजी ने यह कहा था कि ललितकिशोर बोलता है वही करता है लेकिन मैं कहता हूं कि ललित-किशोर जी कहते हैं वह कभी नहीं करते।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य; विराजें।

श्री रतनलाल ताम्बी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : नो-नो सर। आप विराज जाएं। कृपया आप विराज जाएं।

एक माननीय सदस्य : ताम्बीजी, आपके तो बसें ही नहीं चल रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराज जाएं। 4 बजे गुलबंद है। समय होता जा रहा है। श्री भंवरलालजी शर्मा साहब।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि प्रश्न किये जा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं, आप विराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : बरसात के बाद बनेगी। बरसात के बाद बना देंगे, अभी बरसात चल रही है।

(148)



श्री रामनारायण डूडी : उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने भंवरलाल जी शर्मा को पुकार लिया है।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : उपाध्यक्ष महोदय, हमें प्रश्न पूछना है। यह चतुर्वेदी जी का पत्र है कि जून तक काम करवा दूंगा उसके बाद जुलाई, अगस्त चला गया और सितम्बर आ गया। माननीय मंत्री महोदय, आपका पत्र है, आपने जून तक काम करवाने के लिये लिखा मुझे, उसके बाद भी मेरे यहां काम चालू नहीं हुआ। यह तो आप कहते हैं ब्लैक एण्ड व्हाइट, अब ब्लैक एण्ड व्हाइट कहां से लाऊं, सारा तो ठेकेदारों ने ले लिया।

श्री उपाध्यक्ष : जोशीजी, बिराजें। श्री भंवरलाल शर्मा साहब।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : उपाध्यक्ष जी, एक सवाल तो पूछने दीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी-अभी माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी ने अपनी बात कही।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया दोनों पक्ष शान्त रहें।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : सवाल तो पूछने दें आप।

श्री भंवरलाल शर्मा : सवाल मुझसे पूछ लेना। क्योंकि समय बड़ा कम है, मेरे बाद दो मंत्री और बोलेंगे।

श्री श्रवण कुमार : टंकियों की तो कहो आप। झुन्झुनूं जिले की 80 टंकियां खाली पड़ी हैं। क्या कर रहे हो बैठे-बैठे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा विषय कोई लम्बा नहीं है।

श्री श्रवण कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से दो साल से निवेदन कर रहा हूं पर अभी तक नहीं हुआ है। झुन्झुनूं जिले में 8 साल से 80 टंकियां खाली पड़ी हैं, अभी तक पानी नहीं भरवा रहे हो तो क्या करना चाहते हो ? बार-बार आप कह रहे हैं कि काम करवा रहे हैं और 80 टंकियां खाली पड़ी हैं। (व्यवधान) आज तक काम नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्रीजी को बोलने दीजिए आप।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मांग आज सदन के सामने प्रस्तुत है इसमें एक 1986-87 की है, इसमें हमारा बजट बढ़ा नहीं, हमने कम खर्च किया, उसका कारण यह था कि जो कर्मचारियों को वर्दी वगैरह देनी थी उसमें खर्चा होना था, वह कोर्ट्स में मामला चला गया, वह मामला अटक गया इसलिए खर्चा कम हुआ।

1987-88, इस साल केवल 5 लाख 68 रुपये अधिक खर्च हुए। इसका कारण यह है कि विद्युत में थोड़ी-सी रेट बढ़ी उससे खर्चा अधिक हुआ। कुछ कर्मचारी बढ़ाये इस कारण हुआ। इसलिए अधिक खर्चा हुआ।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

इसी प्रकार 1988-89, इसमें भी 713.93 लाख रुपये अधिक खर्च हुए। उसका भी कारण यही था कि जो स्कीम्स बनीं हमारी, उसमें कुछ लोग लगाये, उन कर्मचारियों का खर्चा बढ़ता रहा इसलिए उस समय इतना अधिक खर्चा बढ़ गया।

श्री शिवनाथ सिंह : आपके वाजिब कारण हैं, उनको हम मंजूर कर रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप मंजूर कर रहे हैं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब जो विभाग ने काम किया वह थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं। वह यदि आप निष्पक्ष भाव से सुनोगे तो आप मेरी निश्चित रूप से तारीफ करोगे।

प्रदेश में 1991 की जनगणना के अनुसार 37889 गांव हैं, मार्च, 97 तक 37414 ग्रामों को विभिन्न प्रकार की पेयजल योजनाओं से लाभान्वित किया गया। कुल 37889 में से 37414 गांवों को लाभान्वित किया गया।

राजस्थान गांवों में बसता है और गांवों की समस्याएं बहुत वर्षों से लम्बित थीं, गांव के लोग परेशान थे इसलिए यह योजना बनाकर जो लाभान्वित करने की संख्या दी है, अब केवल 475 गांव रह गये हैं जिनको हम अगले वर्षों में लाभान्वित करेंगे। इसी प्रकार अब ढाणियों का मामला ऐसा था, आज से 50 साल पहले कोई आशा नहीं करता था, कोई सोचता भी नहीं होगा कि हमारे गांव में, ढाणियों में पीने के पानी का भी संकट हो जाएगा। जहां लोग खेती करते थे, मवेशी पालते थे वहां आज पीने का पानी नहीं है। इस स्थिति का अन्दाज किसी को नहीं था। इसलिए अब वहां तक जाना भी हमारा धर्म था। इसलिए राजस्थान में जो ढाणियों की संख्या है, उसमें से 37320 जो हेबिटेशन हैं, ढाणियां हैं, उनको लाभान्वित किया है और जो बाकी बची हैं उनको अगली बार इसमें लेंगे।

श्री अमराराम (धोद) : सब को पिला देंगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : कोशिश तो यही है। अगर पीने वाला पीने के हिसाब से लेगा तो पिला दूंगा वरना मुंह पर बिखर जाएगा। सब को पिला देंगे।

श्री शैलेन्द्र जोशी : चुनाव आने दो, सबको पिला देंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह अनुभव हुआ कि जो प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल की जो संख्या है और जो स्थिति है, वह अधिकांश गांवों में होती है और इसलिए वहां जब पानी का अभाव आया तो उन बालकों के लिए पानी की समस्या खड़ी हो गयी। प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, ग्रामीण स्कूलों के बच्चे हैं उनको पानी मिले, इसके लिए हमने एक योजना बनाई और प्रत्येक प्राइमरी स्कूल के सामने हैण्डपम्प लगाकर यह व्यवस्था की और लगभग 6800 प्राइमरी स्कूल....

एक माननीय सदस्य : कौनसी योजना में ?

(150)



श्री भंवरलाल शर्मा : किसी भी योजना में करे। योजना क्या करेगी ? इसका क्या करना है आपको ? योजना बहुत बढ़िया है। बहुत सुन्दर योजना है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : कोई पैसा नहीं है राजस्थान सरकार का, राजीव गांधी टैक्नीकल मिशन का पैसा है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : राजीव गांधी हम लोगों के नहीं हैं क्या ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : नहीं, आप वाहवाही लूट रहे हो ना कि राजस्थान सरकार का पैसा है। राजस्थान सरकार का पैसा नहीं है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : सरकार का ही पैसा है। चाहे राजीव गांधी हो, चाहे इन्दिरा गांधी हो, किसी के नाम की योजना हो, सारी योजना सरकार की होती है, माननीय सदस्य। केवल नाम है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सदस्य, आपको कुछ भी पता नहीं है। स्कूल या आंगनवाड़ी में.... (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री) : यह देश किसी की बपौती नहीं है, यह जनता की बपौती है। किसी व्यक्ति विशेष की बपौती नहीं है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : तो व्यक्तिगत रूप से बड़ाई लेने के लिए क्यों खड़े हो गये खुद ? कहिये, केन्द्रीय सरकार की भी मदद है। केन्द्रीय सरकार की भी मदद है। यह हमारी कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी टैक्नीकल मिशन तब चालू हुई थी। आप बोलिये। आप राजनैतिक लाभ लेना चाहते हैं जो गलत बात है। (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चोईवाल : यह कोई केन्द्रीय सरकार का एहसान नहीं है।

श्री किशन गोपाल कोगटा : यह राजनैतिक चांस आपको भी पहले मिला था। यह तो केवल राजीव गांधी का नाम है, धन तो सरकार का है।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : आप तो हैण्ड-पम्प भी नहीं लगाते थे, उसको दिखाकर ही वोट ले लेते थे।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह + + + आप क्या बात करोगे। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय.... (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : वह एक्सपंज कीजिये। आपने अभी बोला है कि + + + वह एक्सपंज कीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब अपनी मांग रख रहा हूं (व्यवधान) राजनीति से परे रखकर बात कर रहा हूं। मैं पानी वाले मामले में राजनीति नहीं लाना चाहता लेकिन जब आप ले आए हैं तो मैं उससे सहमत तो नहीं हूं लेकिन एक बात बताता हूं कि यह जो राजीव गांधी योजना है, यह पहले राजीव गांधी योजना नहीं थी। वह राष्ट्रीय

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अभिलोपित की गयी।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

योजना थी पहले। यह तो राजीव गांधी के बाद में उसका नाम जोड़ दिया। योजना तो बहुत पहले की है।

एक माननीय सदस्य : दुरूपयोग है।

श्री भंवरलाल शर्मा : लेकिन मैं उसको छेड़ना नहीं चाहता था और उसमें भी ऐसा है...

श्री टीकमचन्द कान्त : जवाहर रोजगार योजना, अब उसमें कोई जवाहर लाल जी थोड़े ही थे। वह तो नाम दिया है। है राष्ट्रीय योजना।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह नाम नहीं था पहले, पहले यह नाम.... (व्यवधान) हां, यह ठीक है। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम तो भंवरलाल योजना मान लेते हैं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : शासन किस पार्टी का था ? आपकी पार्टी तो तब अस्तित्व में भी नहीं थी। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं-नहीं, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। यह क्या राजीव गांधी मिशन की योजना का पैसा भारत सरकार का है या राज्य सरकार का है ? मिलता तो वहीं से है ना ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं बता रहा हूं, वही बताता हूं। कमिंग, मैं आ रहा हूं।

श्री शांतिलाल चोईवाल : यह तो भारत सरकार की व्यवस्था का पैसा है, भारत सरकार का एहसान नहीं है यह। भारत सरकार की व्यवस्था है। व्यवस्था के हिसाब से स्टेट को मदद करती है और उसका एहसान मान रहे हो। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, यह जनता का पैसा है। योजनाएं अलग-अलग हो सकती हैं।

श्री शांतिलाल चोईवाल : न केन्द्र सरकार का है, न राज्य सरकार का है।

श्री टीकमचन्द कान्त : राजस्थान भारत में है, भारत में राजस्थान है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : यह भारतीय जनता पार्टी का पैसा नहीं है। यह राजस्थान की जनता का पैसा है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : मुझे जवाब देने दें, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री परसादीलाल मीणा : जो केन्द्र सरकार का पैसा है, उसको कहते हैं कि यह हमारा पैसा है (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह सारा हैण्ड-पम्प लगाने का पैसा भी नहीं है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : यह विवाद का विषय नहीं है (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप वाहवाही लूटने वाले अकेले कौन ? आप अकेले वाहवाही लूट रहे हो। वह गलत है कि मेरी बगैर बड़ाई करे नहीं रहोगे। क्यों रहेंगे ?

श्री परसादीलाल मीणा : आपकी स्टेट के पास तीन हैण्डपम्प लगाने का पैसा नहीं है। आपकी स्टेट का तो दिवाला निकल गया। वहां पर पेयजल योजना में लगाने के लिए.... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार का एक ही योगदान है, समान योगदान है, समान है, सब विकास चाहते हैं। आपकी सरकार के मत्थे यह जो राजनैतिक लाभ लेना चाहते हैं... (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुर्जर : यह हमारी 13 दिन की सरकार का पैसा है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे केन्द्र की सरकार हो, सबका समान सहयोग है। समान उद्देश्य है, विकास करना। आप यह कीजिये आप व्यक्तिगत रूप से, आप इंडिविजुअल मत लीजिये कि मेरी बड़ाई किये बगैर नहीं मानोगे कि आपने स्कूलों में कर दिया, आपने आंगनबाड़ी क्षेत्र में कर दिया। राजीव गांधी टैक्नीकल मिशन की शुरूआत राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्वकाल में हुई थी, इसको क्यों नहीं कहते आप ?

श्री शांतिलाल चोईवाल : केन्द्र की सरकार भी कहीं कांग्रेस की स्टेट्स हैं तो वहां पर भी मदद इसी तरह दी जाती है। यह व्यवस्था का मामला है। यह जबरदस्ती उसमें व्यवधान डाल रहे हो आप। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : इसका मतलब, मेरे को टीच करेंगे क्या, मैं आपसे सीखूंगा क्या ? आप लोग जब स्कूल में थे तब मेरे यहां भवन में.... (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : जवाहर रोजगार योजना, राजीव गांधी मिशन योजना तब कांग्रेस सरकार का शासन था। यह तो केन्द्र सरकार की योजना है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप लोगों से सीखेंगे क्या कि हमको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है।

श्री परसादीलाल मीणा : हमने शुरू की है, हमारी सरकार ने शुरू की है। आपने क्या किया ? (व्यवधान) क्या किया आपने ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपने तो बल्कि राजीव गांधी टैक्नीकल मिशन का जो पैसा है, वह रुपये में केवल 40 प्रतिशत लगाया, 60 प्रतिशत का एक्जीक्यूशन नहीं हुआ, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। टोटल राजीव गांधी टैक्नीकल मिशन को फेल कर दिया राजस्थान सरकार ने। हैण्डपम्प नहीं लगाये। पैसा खाकर, लाभांश का पैसा ठेकेदारों को देकर.... (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें उत्तेजना की आवश्यकता नहीं है। पैसा चाहे केन्द्र से आए, चाहे राजस्थान सरकार का हो, मैंने यह नहीं कहा कि हमने पैसा लगाया पूरा....

श्री परसादीलाल मीणा : तेरा क्या होगा दिलावर ?

श्री मदन दिलावर : वही होगा जो राम रचि राखा।

**श्री भंवरलाल शर्मा :** लेकिन जब आपने बात छेड़ी है तो राजीव गांधी मिशन का पैसा 50 प्रतिशत सरकार देती है, 50 प्रतिशत हम दे रहे हैं। यह राज्य सरकार का 50 प्रतिशत हिस्सा . (व्यवधान) आज भले ही वह 50 प्रतिशत भी हम देते हैं। यह मैचिंग ग्रांट जब हम देते हैं तभी हमको मिलता है वरना मिलता नहीं है। ऐसे कौन लगाता है। यह क्यों विषय छेड़ दिया ? (व्यवधान) अब राजीव गांधी का नाम कह दीजिये। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कहां दिक्कत है (व्यवधान) कैसे मतलब नहीं भाई। मैंने जो किया है वह काम बताया है कि मैंने यह काम किया है। आपको किसने मना किया था। ऐसे कौन लगाता है। राजीव गांधी का नाम कह दीजिये। (व्यवधान)

**श्री राधेश्याम गंगानगर :** अब भंवरलाल शर्मा नाम कर दो कृपा करके।

**श्री रामनारायण चौधरी :** यह सब आपके नाम है।

**श्री भंवरलाल शर्मा :** अब राजस्थान के अधिकांश लोग पेयजल के लिए छोटे इलाकों में हैण्ड पम्प से पानी पीते हैं और हैण्ड पम्प योजना हमारा एक सफल प्रयोग है और कई गांवों को इससे लाभ प्राप्त हुआ है। पिछली बार....

**श्री राजेन्द्र पारीक :** उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले दिनों आपने हैण्ड पम्प स्कीम में "विलोम हैण्ड पम्प योजना" दी थी, क्या सरकार विलोम हैण्ड पम्प की योजना को दुबारा चालू करने का विचार रखती है ? विलेज में टीनेंस हैण्ड पम्प था....

**श्री उपाध्यक्ष :** उनका मतलब तो हो जाने दीजिये। पहले वक्तव्य सुनिये पूरा। (व्यवधान)

**श्री भंवरलाल शर्मा :** उपाध्यक्ष महोदय, 1995-96 में हमने 10750 हैण्ड पम्प लगाये और उसके बाद अगले वर्ष 14813 हैण्ड पम्प लगाये और इस वर्ष अभी जुलाई तक 2821 हैण्ड पम्प लगाये हैं। इस प्रकार जिन गांवों में या इलाकों में कोई व्यवस्था नहीं थी, उन स्थानों में इतनी संख्या में हैण्ड पम्प लगाकर उनको लाभान्वित किया है। उनके रख-रखाव का काम पंचायत समिति करती है, पंचायतें करती हैं लेकिन जब गर्मी का मौसम आता है तो सरकार यह अनुभव करती है कि यह जो पंचायतें हैं उनके पास ऐसा कोई साधन नहीं है, जिससे हैण्ड पम्प लगातार या ज्यादा खराबी हो तो ठीक कर सके इसलिए लोग गर्मी में तकलीफ नहीं पाएं, हर आदमी को पानी उपलब्ध हो, हर वर्ष यह अभियान चलाते हैं। पिछली बार हमने जो अभियान चलाया अभियान के दौरान राजस्थान भर में....

**श्री बनवारीलाल बैरवा :** मंत्री महोदय, आपकी दोहरी नीति से लाभ नहीं होता।

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य, बीच में नहीं कृपया।

**श्री भंवरलाल शर्मा :** अभी मैं व्यवस्था का निवेदन कर रहा हूं। अभी जो व्यवस्था है वही मैं निवेदन कर रहा हूं। आपका सुझाव ठीक हो सकता है पर अभी जो

(श्री भंवरलाल शर्मा)

वर्तमान में व्यवस्था है, वह यही है और इस व्यवस्था के आधार पर हमने इस अभियान में 8412 हैण्ड पम्प राजस्थान में ठीक किये। (व्यवधान) हम लगाते ही ऐसे हैं जो खराब कम होते हैं। अब कम खराब हो गये तो इसमें क्या बात हो गयी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जिसके पूरे खराब हो गये वह ठीक होंगे नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसी प्रकार चूरू और हनुमानगढ़, इन जिलों में पानी की बहुत तकलीफ थी इसलिए राज्य सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षी योजना बनायी है, जो योजना है 253.4 करोड़ रुपये की और उसमें चूरू जिले के 325 गांव, दो नगर हैं। 1997 तक 56 करोड़ रुपये इसमें खर्च हो चुके हैं और यह काम प्रगति पर है। (व्यवधान) इसी प्रकार....

श्री शिवनाथ सिंह : इस योजना में से झुन्झुनूं को क्यों निकाल दिया ?

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, इसमें था ही नहीं, निकाल कहां से दिया। निकाल कहां से दिया, था ही नहीं।

श्री राजेन्द्र पारीक : था क्यों नहीं, मान्यवर ?

श्री भंवरलाल शर्मा : खैर, मैं बहुत अधिक समय नहीं लेकर यही निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार की यह मंशा है कि हम सब लोगों को पर्याप्त, और स्थान पर यह शुद्ध पेयजल उपलब्ध करायें और पशुओं को भी ठीक पानी मिल जाये मात्रा में। इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं हमारे सामने, आपके सामने विचाराधीन हैं और उनके काम प्रगति पर हैं। मुझे विश्वास है कि जब अगली बार हम बजट के अभिभाषण में मिलेंगे तो और भी प्रगति का वर्णन मैं दे पाऊंगा और जैसे आज आपका आशीर्वाद मिल रहा है, धन्यवाद मिल रहा है, शायद उस समय भी ले पाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राधेश्याम गंगानगर : गंगानगर की स्कीम का क्या हुआ ? (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : माननीय मंत्रीजी ने कहा है कि बजट बहुत है योजनाओं के लिए, लेकिन राजस्थान में झुन्झुनूं जिले को क्यों नहीं दे रहे हैं ? हमारे क्षेत्र में अस्सी टंकियां पानी....

श्री शिवनाथ सिंह : मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, जहां दो हजार की जनसंख्या है वहां पर पाइप लाइन की स्कीम होगी, उसका क्या हुआ ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सिंचाई मंत्रीजी।

श्री रामनारायण डूडी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा....(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आज यहां पर अतिरेक मांग संख्या 46 के ऊपर काफी माननीय

(श्री देवीसिंह भाटी)

सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं। बहुत अच्छे दिये हैं....(व्यवधान)

**श्री रतनलाल ताम्बी** : पीने के पानी का मामला तो पूरा कर लो। (व्यवधान)

**श्री देवीसिंह भाटी** : उपाध्यक्ष महोदय, यहां आज 21 माननीय सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव दिये हैं, इसमें ताम्बीजी भी थे। आप विराजें, मैं एक-एक का जवाब दे रहा हूं। जितने माननीय सदस्यों ने यहां मुद्दे रखे हैं, एक-एक मुद्दे का जवाब दूंगा। कृपया शांत होकर सुन लीजिये। मैं आपकी भी बात का जवाब दूंगा, आपकी भी बात का जवाब दूंगा, सब की बात का जवाब दूंगा। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया विराजें। माननीय सदस्य। आसन पैरों पर, आसन पैरों पर।

**श्री रामनारायण डूडी** : उपाध्यक्ष महोदय, आसन पैरों पर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है....

**श्री राधेश्याम गंगानगर** : गंगानगर की जो 34 करोड़ की स्कीम है उसका कोई उत्तर नहीं दिया।

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया विराजें, एक साथ पूछ लेना, माननीय मंत्रीगण उत्तर दे रहे हैं उसके बाद पूछ लेना। बाद में पूछ लेना, कृपया विराजें।

**श्री राधेश्याम गंगानगर** : इन पर तो हमें भरोसा ही नहीं है....(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया विराजें, श्रीमान् राधेश्यामजी।

**श्री श्रवण कुमार** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम जवाब पूछ रहे हैं, झुन्झुनूं जिले में....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आज आप बार-बार व्यवधान डाल रहे हैं।

**श्री श्रवण कुमार** : व्यवधान कहां डाल रहे हैं, झुन्झुनूं जिले में अस्सी टंकियां....

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बार-बार व्यवधान डाल रहे हैं, कृपया विराज जाएं। आसन पैरों पर है। आपको कुछ ज्ञान है, कुछ नियमों का पालन करने का ध्यान है कि नहीं ? कृपया विराजें। माननीय मंत्री महोदय।

**श्री रामनारायण डूडी** : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है, पी. एच. ई. डी. मंत्री से केवल एक....

**श्री देवीसिंह भाटी** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रतिरेक मांग संख्या 46 के ऊपर 21 माननीय सदस्यों ने रुचि लेकर सिंचाई विभाग के बारे में अपने विचार प्रकट किये, उनके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी प्रसन्नता मुझे यह है कि जितने भी माननीय सदस्यों ने यहां अपने विचार प्रकट किये, सबसे पहली लाइन जो उनकी होती थी वह धन्यवाद की लाइन होती थी। उन्होंने सिंचाई विभाग के लिए, उसकी प्रगति के लिए जो धन्यवाद दिया उसके

(श्री देवीसिंह भाटी)

लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूं और उसी से प्रेरणा लेकर आगे मैं कार्य करता रहूंगा और विभाग को भी इस ओर आगे बढ़ाता रहूंगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : किसी ने धन्यवाद नहीं दिया आपको, अपने मुंह ही मियां मिट्ठू।

श्री देवीसिंह भाटी : आप बोले ही नहीं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अपने मुंह ही मियां मिट्ठू बन रहे हो, किसने तारीफ की है आपकी ?

श्री देवीसिंह भाटी : अभी और लेऊंगा धन्यवाद, आपसे लेऊंगा धन्यवाद। आपके क्षेत्र में भी मैंने बांध बनाया है, रेगिस्तान में बांध बनाया है।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : भाटी साहब, नोरसाल, जो गांव कटे थे उसके बारे में आप....

श्री देवीसिंह भाटी : सबसे पहले तारानगर से आने वाले हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री चन्दन मलजी बैद, जो मैंने देखा है कि हमेशा विषय को सबसे पहले उठाते हैं और गम्भीरता से उठाते हैं लेकिन उत्तर सुनने के लिए कभी भी वह सदन में नहीं बिराजते, उसका तो मुझे खेद है ...

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : मैं हूं उनकी तरफ से। मैं प्रतिनिधि हूं उनका।

श्री देवीसिंह भाटी : आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अच्छी बात है। उन्होंने अपनी चिन्ता जाहिर की। हमारे प्रदेश में जिस नहर प्रणाली ने रेगिस्तान में क्रांति ला रही है, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, उसमें हमने लिफ्ट परियोजनाएं शुरू की और उसमें साहवा लिफ्ट के बारे में उन्होंने चिन्ता जाहिर की कि उस क्षेत्र को, आपके मंत्री बनने के कारण से, पूरे चूरू जिले को नुकसान हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत ज्यादा पीड़ा हुई कि इस प्रकार से अगर इंस्टीगेट करना चाहे तो मैं ऐसा हूं नहीं और होता हूं तो बहुत बुरी तरह से होता हूं, लेकिन हमें पूरे प्रदेश की चिन्ता है, हम किसी व्यक्ति विशेष से क्या तो बदला ले लेंगे और जो परिणाम लेते हैं हम, हमारा राजनीतिक क्षेत्र है, उसका चुनाव में परिणाम लेते हैं। बैदजी तो फिर भी कभी तारानगर, कभी सरदारशहर, कभी जहां मौका लग जाए, जनता घर बैठा देती है कभी, कभी ले जाती है, लेकिन हम ऐसे रास्ते पर नहीं चलते। (व्यवधान) हम अब घर बैठाएंगे, अगली बार, आप चिन्ता मत करना। उपाध्यक्ष महोदय, साहवा लिफ्ट के बारे में उन्होंने कहा कि हमारे चूरू जिले के गांव उन्होंने करटेल कर दिये, उस नहर प्रणाली से बाहर निकाल दिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : गरिमामय बोलो आप।

श्री देवीसिंह भाटी : आप गरिमा में मनै कांई सिखाओ ला, ताम्बीजी। उपाध्यक्ष महोदय, साहवा लिफ्ट प्रणाली में मात्र राजनीतिक लाभ उठाने के लिए एक सिर्फ

(श्री देवीसिंह भाटी)

नक्शा बनाकर उसके अन्दर गांव जोड़ कर सर्वेक्षण करवाये और सबको राजी करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए गांवों को जोड़ कर ऐसा उनको चक्कर में डाल दिया। अभी भी मैं उस क्षेत्र में काफी बार गया हूं, लेकिन निश्चित रूप से उनके मन में रोष भी था कि पहले हमें इस प्रकार से चीनी के पहाड़ दिखाये गये और अब हमारे तो पानी पीने के लिए भी नहीं है, यह गांव जो और हमारे इससे वंचित रह गये हैं, जिनके लिए हमें एक आशा की किरण बंधाई थी। हमारे साथ गलत वायदे किये। आप उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है, उसको करके बताती है, उसकी करनी में और कथनी में अन्तर नहीं है। इसलिए मैंने मेरे अधिकारियों से सारी बैठक लेकर, चर्चा करके हमारे मुख्य मंत्रीजी से सलाह करके और पूरी मेहनत करके, उपाध्यक्ष महोदय, उस साहवा नहर प्रणाली में मात्र शुरू में 90 हजार हैक्टेयर सिंचित होता था, हमने उसी पानी से, वही नहर और वही पानी, हमने कोई नया पानी नहीं लिया और अभी हमने केबिनेट में यह प्रस्ताव रखा और उसी नहर प्रणाली से एक सिर्फ चूरू तहसील उसमें कवर नहीं होगी, बाकी आपके तारानगर, राजगढ़, सरदार-शहर को लिया। और कसी तहसील रह जाएगी? इसमें, उपाध्यक्ष महोदय, दो लाख चालीस हजार हैक्टेयर कमाण्ड करने जा रहे हैं और आपका कोई भी क्षेत्र इससे छोड़ेंगे नहीं। पूरा इसके अन्दर कमाण्ड होगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसके पीछे एक नया सोच, हमने जो मेहनत करके हम पूरे प्रदेश के सामने लाने जा रहे हैं कि राजस्थान में स्वयं का पानी, स्वयं की नदियां बहुत कम हैं और जो आज हम सारी जगह फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं उससे जितना हम एरिया सिंचित करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं और जितना पानी सही सदुपयोग होना चाहिए, वह नहीं हो रहा, वह हम इस साहवा लिफ्ट प्रणाली के ऊपर शुरू करके बाकी भी सारी लिफ्ट नहर और दूसरी नहरों पर लागू करना चाहेंगे और सदन की भी मैं राय और आशीर्वाद लेना चाहूंगा कि इसी पानी से, मैं तो इतने तक काफी उम्मीद लिये चलता हूं कि राजस्थान नहर के आस-पास के जितने भी जिले हैं, जो आज के दिन नक्शे में नहीं हैं, वह इससे कवर नहीं होते हैं, चाहे खेतसिंहजी का क्षेत्र

(15.59)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

हो या दूसरा हो लेकिन जिस प्रकार से हमने इसके ऊपर यह नये क्रांतिकारी कदम उठाये हैं उससे जितने एडजोइनिंग जिले हैं, सारे इससे कमाण्ड होंगे और दूसरे जितने भी जो हमारे पुराने बांध बने हुए हैं, वही पानी हम लोगों को इस फव्वारा पद्धति से, ड्रिप से यह सारा एनकरेज करके उसी पानी से समस्त क्षेत्र सिंचित करेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य जिसकी चिन्ता कर रहे हैं, आपके क्षेत्र में निश्चित तौर पर कार्य शुरू होगा और पानी पहुंचेगा। इसके साथ में एक चिन्ता जाहिर की थी हमारे तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कि आपने सिद्धमुख क्षेत्र में भी चौदह गांव करटेल कर दिये हैं। यह बात, उनकी सूचना उनकी थी, उसमें हमारा अनुबन्ध है ई. ई. सी. से, और

(श्री देवीसिंह भाटी)

उस यूरोपियन कम्यूनिटी से जो हमें आर्थिक सहायता मिल रही है उनके ही कारण से, उनके सुझाव के कारण से यह किया गया है लेकिन अभी भी उसके लिए प्रयास है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वह क्षेत्र भी, चाहे कितने भी प्रयास करने पड़े, हम आपको इसका लाभ दिलवायेंगे और वह क्षेत्र जुड़वायेंगे।

(16.00)

अध्यक्ष महोदय, यहां पर काफी माननीय सदस्य बोले। मैं अब ज्यादा विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा, हर कटौती प्रस्ताव का जवाब मिलेगा। उसके बाद में हमारे किशन गोपालजी कोगटा ने....(व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुखबन्द का समय हो गया है, बन्द कीजिये इनको। समय नहीं बढ़ सकता है। इनका मुखबन्द कीजिये। समय नहीं बढ़ सकता है, नहीं बढ़ेगा। इनको बैठाइये।

श्री देवीसिंह भाटी : एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, हमने अभी हाल ही में नये 30 बांध स्वीकृत किये जिसके लिए सारे माननीय सदस्यों ने यहां पर धन्यवाद दिया है।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्षजी, मुखबन्द का प्रयोग कीजिये।

श्री देवीसिंह भाटी : ....(व्यवधान).... 16 नये बांध और स्वीकृत करना चाहते हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्षजी, हमको भी बैठाया गया था इसलिए आप इनको भी बैठाइये।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री शिवनाथ सिंह : एक बार यहीं से माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी बैठाया गया था, इसलिए माननीय अध्यक्षजी, इनको भी बैठाइये।

मुखबन्द

## अनुपूरक अनुदान/अतिरेक मांगों का पारण

### अनुपूरक अनुदान की मांग

मांग संख्या—19

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-19 लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,59,02,32,000/- (एक अरब उनसठ करोड़ दो लाख बत्तीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

### अतिरेक अनुदान की मांग वर्ष 1986-87

मांग संख्या-19

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-19 लोक निर्माण कार्य के संबंध

(श्री अध्यक्ष)

में 31 मार्च, 1987 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 45,33,691/- (पैंतालीस लाख तैंतीस हजार छह सौ इक्यानवे) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

## अतिरेक अनुदान की मांग वर्ष 1987-88

### मांग संख्या–19

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-19 लोक निर्माण कार्य के संबंध में 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,32,15,210/- (एक करोड़ बत्तीस लाख पन्द्रह हजार दो सौ दस) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

## अनुपूरक अनुदान की मांग

### मांग संख्या–27

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-27 पेयजल योजना के संबंध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,10,67,31,000/- (दो अरब दस करोड़ सड़सठ लाख इकतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

## अतिरेक अनुदान की मांग वर्ष 1987-88

### मांग संख्या–27

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-27 पेयजल योजना के संबंध में 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,68,06,709/- (पांच करोड़ अड़सठ लाख छह हजार सात सौ नौ) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

## अतिरेक अनुदान की मांग वर्ष 1988-89

### मांग संख्या–27

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-27 पेयजल योजना के संबंध में 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय रुपये 7,13,92,754/- (सात करोड़ तेरह लाख बानवे हजार सात चौवन) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

## अतिरेक अनुदानों की मांग वर्ष 1989-90

### मांग संख्या–27

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-27 पेयजल योजना के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,22,37,130/- (आठ करोड़ बाईस लाख सैंतीस हजार एक सौ तीस) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

## अतिरेक अनुदान की मांग 1990-91

### मांग संख्या–27

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-27 पेयजल योजना के संबंध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,77,49,541/- (आठ करोड़ सतहत्तर लाख उनचास हजार पांच सौ इकतालीस) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

## अनुपूरक अनुदान की मांग

### मांग संख्या–46

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-46 सिंचाई के संबंध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,06,83,28,000/- (तीन अरब छः करोड़ तिरासी लाख अठाईस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

## अतिरेक अनुदान की मांग 1986-87

### मांग संख्या–46

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-46 सिंचाई के संबंध में 31 मार्च, 1987 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,05,50,639/- (आठ करोड़ पांच लाख पचास हजार छह सौ उनतालीस) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

## अतिरेक अनुदान की मांग 1987-88

### मांग संख्या–46

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-46 सिंचाई के संबंध में 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,61,26,711/– (बारह करोड़ इकसठ लाख छब्बीस हजार सात सौ ग्यारह) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री ग्रध्यक्ष)

## अतिरेक अनुदान की मांग 1988-89

### मांग संख्या-46

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-46 सिंचाई के संबंध में 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,79,98,319/- (एक करोड़ उनासी लाख अठानबे हजार तीन सौ उन्नीस) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

## अतिरेक अनुदान की मांग 1990-91

### मांग संख्या-46

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-46 सिंचाई के संबंध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,27,18,030/- (दो करोड़ सत्ताईस लाख अठारह हजार तीस) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

## अनुपूरक अनुदान की मांग

### मांग संख्या-34

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत के संबंध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 70,00,00,000/- (सत्तर करोड़) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

## अतिरेक अनुदान की मांग 1987-88

### मांग संख्या-34

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत के संबंध में 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,99,41,138/- (एक करोड़ निन्यानवे लाख इकतालीस हजार एक सौ अड़तीस) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

## अतिरेक अनुदान की मांग 1989-90

### मांग संख्या-34

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 57,000/- (सत्तावन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

## अतिरेक अनुदान की मांग 1990-91

### मांग संख्या-34

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत के संबंध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,98,000/- (चार लाख अठानबे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

## शेष अनुपूरक अनुदान की मांगों का पारण

### मांग संख्या-4

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-4 जिला प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,60,000/- (तीन लाख साठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

### मांग संख्या-8

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-8 राजस्व के संबंध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,53,00,000/- (दो करोड़ तिरेपन लाख) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

### मांग संख्या-9

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-9 वन के संबंध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 80,01,0000/- (अस्सी लाख एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

### मांग संख्या-12

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-12 अन्य कर के संबंध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,43,06,000/- (दो करोड़ तियालीस लाख छः हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

### मांग संख्या-14

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-14 बिक्री कर के संबंध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त

(श्री अध्यक्ष)

राज्यपाल महोदय को रुपये 1,93,02,000/- (एक करोड़ तिरानवे लाख दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-15

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-15 पेन्शन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,01,000/- (दस लाख एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-16

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-16 पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,00,80,000/- (दो करोड़ अस्सी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-22

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-22 क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,42,50,000/- (तेरह करोड़ बियालीस लाख पचास हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-23

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-23 श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,55,36,000/- (एक करोड़ पचपन लाख छत्तीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-24

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 94,00,000/- (चौरानवे लाख) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री ग्रध्यक्ष)

मांग संख्या–26

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-26 चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य ग्रौर सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 52,54,000/- (बावन लाख चौवन हजार) तक की राशि ग्रौर प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–28

प्रश्न यह है कि ग्रनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 89,30,000/- (नवासी लाख तीस हजार) तक की राशि ग्रौर प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–32

प्रश्न यह है कि अनुपूरक ग्रनुदान की मांग संख्या-32 नागरिक ग्रापूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,81,00,000/- (एक करोड़ इक्यासी लाख) तक की राशि ग्रौर प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-33

प्रश्न यह है कि ग्रनुपूरक ग्रनुदान की मांग संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा ग्रौर कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,11,94,000/- (नौ करोड़ ग्यारह लाख चौरानवे हजार) तक की राशि ग्रौर प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–35

प्रश्न यह है कि ग्रनुपूरक ग्रनुदान की मांग संख्या-35 विविध सामुदायिक एवं ग्राथिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,90,000/- (दस लाख नब्बे हजार) तक की राशि ग्रौर प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–37

प्रश्न यह है कि ग्रनुपूरक ग्रनुदान की मांग संख्या-37 कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 20,08,000/- (बीस लाख

(श्री अध्यक्ष)

आठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या–39

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-39 पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,50,000/- (तीन लाख पचास हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या–45

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-45 राज्य कर्मचारियों का ऋण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 19 8 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या–48

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-48 विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 50,05,00,000/- (पचास करोड़ पांच लाख) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

## वर्ष 1986-87 के लिए शेष अतिरेक अनुदान की मांगों का पारण

मांग संख्या–8

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-8 राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1987 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,35,291/- (एक लाख पैंतीस हजार दो सौ इक्यानवे) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या–30

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-30 जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1987 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 46,97,594/- (छियालीस लाख सत्यानवे हजार पांच सौ चौरानवे) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

(श्री अध्यक्ष)

### मांग संख्या-33

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1987 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,55,000/- (एक लाख पचपन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

### मांग संख्या-48

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-48 विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1987 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,222/- (नौ हजार दो सौ बाईस) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

## वर्ष 1987–88 के लिए शेष अतिरेक अनुदान की मांगों का पारण

### मांग संख्या-3

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या–3–सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,18,245/– (दस लाख अठारह हजार दो सौ पैंतालीस) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

### मांग संख्या-6

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या–6–न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 21,11,636/– (इक्कीस लाख ग्यारह हजार छह सौ छत्तीस) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

### मांग संख्या–15

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-15-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,32,777/- (ग्यारह लाख बत्तीस हजार सात सौ सतहत्तर) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या–16

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-16-पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 73,74,025/- (तिहत्तर लाख चौहत्तर हजार पच्चीस) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–17

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-17-कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,04,618/- (आठ लाख चार हजार छह सौ अठारह) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–24

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,07,08,191/- (सात करोड़ सात लाख आठ हजार एक सौ इक्यानवे) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–35

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाओं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 41,042/- (इकतालीस हजार बयालीस) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–38

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,88,783/- (दो लाख अठासी हजार सात सौ तिरासी) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–48

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-48-विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को

(श्री अध्यक्ष)

रुपये 61,300/- (इकसठ हजार तीन सौ) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-49

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-49-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,52,839/- (पांच लाख बावन हजार आठ सौ उन्तालीस) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

## वर्ष 1988-89 के लिए शेष अतिरेक अनुदान की मांगों का पारण

मांग संख्या-2

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-2 मंत्री परिषद के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 82,744/- (बयासी हजार सात सौ चौवालीस) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-17

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-17 कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,42,243/- (तीन लाख बयालीस हजार दो सौ तैंयालीस) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-21

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-21 सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,28,188/- (तीन लाख अट्ठाइस हजार एक सौ अठ्यासी) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-24

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 7,42,69,843/- (सात करोड़ बयालीस लाख उनहत्तर हजार

(श्री अध्यक्ष)

आठ सौ तैयालीस) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–48

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-48 विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 48,00,000/- (अड़तालीस लाख) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

## वर्ष 1989-90 के लिए शेष अतिरेक अनुदान की मांगों का पारण

मांग संख्या–2

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-2 मंत्री परिषद के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,69,362/- (दो लाख उनहत्तर हजार तीन सौ बासठ) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–30

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-30 जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 66,25,229/- (छियासठ लाख पच्चीस हजार दो सौ उनतीस) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–31

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-31 पुनर्वास एवं सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 51,586/- (इक्यावन हजार पांच सौ छियासी) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–39

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-39 पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 22,58,501/- (बाइस लाख अठावन हजार पांच सौ एक) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-44

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-44 लेखन सामग्री एवं मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 69,66,720/- (उनहत्तर लाख छियासठ हजार सात सौ बीस) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

## वर्ष 1990-91 के लिए शेष अतिरेक अनुदान की मांगों का पारण

मांग संख्या-15

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-15 पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,98,72,204/- (एक करोड़ अठानवे लाख बहत्तर हजार दो सौ चार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-18

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-18 जन सम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 23,910/- (तेईस हजार नौ सौ दस) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-30

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-30 जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 1,76,62,485/- (एक करोड़ छिहत्तर लाख बासठ हजार चार सौ पचासी) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-37

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-37 कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 48,42,713/- (अड़तालीस लाख बयालीस हजार सात सौ तेरह) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

## विधायी कार्य : विधेयकों का पुरःस्थापन

## राजस्थान विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 1997

माननीय भाभड़ा साहब।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** (उप मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करता हूं।

## राजस्थान विनियोग (संख्या–5) विधेयक, 1997

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 1997 कोपु रःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करता हूं।

## राजस्थान विनियोग (संख्या–6) विधेयक, 1997

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-6) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-6) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-6) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करता हूं।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

## राजस्थान विनियोग (संख्या–7) विधेयक, 1997

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-7) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-7) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय ?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा :** अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-7) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करता हूं।

## राजस्थान विनियोग (संख्या-8) विधेयक, 1997

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-8) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-8) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय ?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा :** अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-8) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करता हूं।

## राजस्थान विनियोग (संख्या-9) विधेयक, 1997

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-9) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करता हूं।

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-9) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा :** अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-9) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करता हूं।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

## राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 1997

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न यह है कि राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी ।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा :** अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करता हूं ।

**श्री अध्यक्ष :** सदन की बैठक दिनांक 15 सितम्बर, 1997 को मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 16.30 बजे सोमवार, दिनांक 15 सितम्बर, 1997 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।)

# परिशिष्ट—1

## ( तारांकित प्रश्न संख्या 113 की सूची )

परिशिष्ट–"क"

**जोधपुर जिले में दिनांक 1-1-92 से 31-12-1996 तक 11 संस्थानों को आवंटित भूमि का विवरण**

| क्र.सं. | नाम जिला/स्वयं सेवी संस्थान जिसे भूमि आवंटित की गई | आवंटित की गई भूमि का ब्यौरा | | | | जिला कलक्टर के आदेश संख्या एवं दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | तहसील | ग्राम का नाम | खसरा नम्बर | आवंटित रकबा | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | श्री फलोदी धर्मादा सेवा समिति, गौशाला, फलोदी | फलोदी | फलोदी | 188 | 5/16 एकड़ | 8939–44 दि. 11-3-1992 |
| 2. | श्री हिन्दू सेवा मण्डल, जोधपुर | जोधपुर | जोधपुर | 436 | 3.00 बीघा | 2458–65 दि. 17-7-1992 |
| 3. | श्री अनन्त श्री सुखरामजी ट्रस्ट रामधाम चौकी, बिराई | भोपालगढ़ | बिराई | 932 | 1.05 बीघा | 1226–35 दि. 7-3-1993 |
| 4. | राष्ट्रीय शाहदी स्मारक राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान | जोधपुर | सेजड़ीकलां | 562/264/1 563/277 561/213 | 10.00 बीघा | 207–13 दि. 10-1-1995 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | श्री पीपा दात्रय समाज ओसियां | ओसियां | ओसियां | 1862 | 1.10 बीघा | 3554–60 दि. 27-7-1996 |
| 6. | श्री विद्या शिक्षण संस्थान, जोधपुर | जोधपुर | खोखारिया | 191 | 1.10 बीघा | 4139–46 दि. 27-9-1996 |
| 7. | श्री ग्रामोद्योग शिक्षण संस्थान, बिलाड़ा | बिलाड़ा | बिलाड़ा चक-1 | 1689 | 8.06 बीघा | 2883–90 दि. 17-6-1996 |
| 8. | समग्र विकास समिति जोधपुर | फलोदी | दईजर | 67/4 | 5.00 बीघा | 2942–48 दि. 26-6-1995 |
| 9. | शिक्षा एवं जन-कल्याण समिति, खींचन | फलोदी | खींचन | 170 | 1.15 बीघा | 6318–23 दि. 12-12-1995 |
| 10. | राजपुरोहित समाज विकास समिति, ओसियां | ओसियां | ओसियां | 1542 | 1.10 बीघा | 4057–63 दि. 12-9-1996 |
| 11. | माली समाज संस्थान, भोपालगढ़ | भोपालगढ़ | भोपालगढ़ | 2890 | 2000 वर्ग गज | 4768–76 दि. 22-8-1994 |

(176)



## परिशिष्ट—2

## (तारांकित प्रश्न संख्या 116 का विवरण)

परिशिष्ट-"अ"

मेवात क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत वर्षवार आवंटन का ब्यौरा

| वर्ष | आवंटित राशि (लाखों में) |
|---|---|
| 1987-88 | 64.69 |
| 1988-89 | 94.24 |
| 1989-90 | 37.58 |
| 1990-91 | 39.67 |
| 1991-92 | 100.00 |
| 1992-93 | 100.00 |
| 1993-94 | 99.98 |
| 1994-95 | 300.00 |
| 1995-96 | 199.86 |
| 1996-97 | 199.94 |
| योग : | 1235.96 |

योजनान्तर्गत वर्ष 1997-98 के लिए रुपये 228.00 का बजट प्रावधान रखा गया है ।

## परिशिष्ट-3

### (तारांकित प्रश्न संख्या 118 का विवरण)

| क्र. सं. | महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता प्रशिक्षण केन्द्र भारी का नाम | जिला | मुख्यालय | स्वीकृत सीटें |
|---|---|---|---|---|
| 1. | मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी | अजमेर | ब्यावर | 60 |
| 2. | ,, | अलवर | अलवर | 60 |
| 3. | ,, | भरतपुर | भरतपुर | 60 |
| 4. | ,, | बीकानेर | बीकानेर | 60 |
| 5. | ,, | भीलवाड़ा | भीलवाड़ा | 60 |
| 6. | ,, | बांसवाड़ा | बांसवाड़ा | 60 |
| 7. | ,, | चित्तौड़गढ़ | प्रतापगढ़ | 60 |
| 8. | ,, | बून्दी | बून्दी | 60 |
| 9. | ,, | धौलपुर | धौलपुर | 60 |
| 10. | ,, | डूंगरपुर | डूंगरपुर | 60 |
| 11. | ,, | बाड़मेर | बाड़मेर | 60 |
| 12. | ,, | जयपुर | जयपुर | 60 |
| 13. | ,, | जालौर | जालौर | 60 |
| 14. | ,, | जैसलमेर | जैसलमेर | 60 |
| 15. | ,, | झालावाड़ | झालावाड़ | 60 |
| 16. | ,, | झुंझनूं | झुंझनूं | 60 |
| 17. | ,, | नागौर | नागौर | 60 |
| 18. | ,, | पाली | पाली | 60 |
| 19. | ,, | सीकर | सीकर | 60 |
| 20. | ,, | स. माधोपुर | करौली | 60 |
| 21. | ,, | कोटा | कोटा | 60 |
| 22. | ,, | सिरोही | सिरोही | 60 |
| 23. | ,, | टोंक | टोंक | 60 |
| 24. | ,, | उदयपुर | उदयपुर | 60 |
| 25. | ,, | गंगानगर | गंगानगर | 60 |
| 26. | ,, | जोधपुर | जोधपुर | 60 |
| 27. | ,, | चूरू | चूरू | 60 |

(178)



| क्र. सं. | जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र का नाम | | स्वीकृत स्थान |
|---|---|---|---|
| 1. | अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय संघ, जयपुर | | 80 |
| 2. | ,, | बीकानेर | 40 |
| 3. | ,, | अजमेर | 40 |
| 4. | ,, | उदयपुर | 100 |
| 5. | ,, | जोधपुर | 100 |
| 6. | ,, | कोटा | 60 |
| 7. | प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, | अलवर | 60 |
| 8. | ,, | भरतपुर | 60 |
| 9. | ,, | सीकर | 60 |
| 10. | ,, | जालौर | 60 |
| 11. | ,, | गंगानगर | 60 |
| 12. | ,, | भीलवाड़ा | 60 |
| 13. | ,, | पाली | 60 |
| 14. | ,, | बाड़मेर | 60 |
| 15. | ,, | बांसवाड़ा | 40 |

| क्र. सं. | प्रशिक्षण पाठ्यक्रम | कुल स्वीकृत पद | वर्तमान में रिक्त पद | प्रशिक्षण केन्द्र | प्रवेश क्षमता | प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों की उपलब्धता | एवं संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण | 10009 | 1117 | 15 | 940 | वर्ष 1998 | 900 (लगभग) |
| | | | | | | वर्ष 1999 | 900 (लगभग) |
| 2. | प्रसाविका प्रशिक्षण | 11271 | 630 | 27 | 1620 | वर्ष 1997 | 1500 (लगभग) |

इस प्रकार प्रसाविकाओं के रिक्त पदों को माह दिसम्बर, 1997 में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने पर पूर्ण रूप से भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

नर्सेज एवं कम्पाउण्डर के सभी रिक्त पदों की वर्ष 1999 तक सभी रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

# परिशिष्ट—4

## (समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

### राजीव गांधी पेयजल योजना

**120. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) :** क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में राजीव गांधी पेयजल योजना कब से शुरू हुई ?

(2) इस योजना हेतु वर्षवार कितनी-कितनी राशि किस-किस जिले को आबंटित की गई ?

(3) राशि आबंटन का जिलेवार आधार क्या रहा ?

(4) जोधपुर जिले में किन-किन ढाणियों का राजीव गांधी पेयजल योजना के लिए चयन किया गया ? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) इस योजना के अन्तर्गत जोधपुर जिले में अब तक कौन-कौनसी योजनाएं बनाई गईं एवं किन-किन पर कार्य कब-कब से शुरू हुआ ? विधान सभा क्षेत्रवार जानकारी सदन की मेज पर रखें ।

#### उत्तर

(1) राष्ट्रीय पेयजल मिशन की स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी जिसको वर्ष 1991 में भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्व. राजीव गांधी के नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन पुनर्गठित किया गया एवं राज्य में यह पेयजल योजना 1992 में प्रारम्भ हुई ।

(2) राजीव गांधी पेयजल मिशन योजना के अन्तर्गत अलग से धनराशि आबंटित नहीं की जाती है । ग्रामीण योजनाओं पर आबंटित धनराशि में से ही इस कार्यक्रम के तहत चयनित योजनाओं पर कार्य किये जाते हैं । जिलेवार वर्ष 92-93 से आबंटित राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर है ।

(3) राशि का आबंटन भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित प्राथमिकताओं के आधार पर निर्धारित किया गया :—

1. अनुसूचित जाति/जनजाति क्षेत्र की एन कैटेगरी ढाणियों को पेयजल उपलब्ध करवाना ।
2. अनुसूचित जाति/जनजाति के अतिरिक्त शेष एन कैटेगरी ढाणी ।
3. समस्त ढाणियों को लाभान्वित करना जिससे रसायनिक फ्लोराइड, खारा पानी, इत्यादि की अधिकता अथवा जीवाणु नारू, हैजा, टाइफाईड से प्रभावित प्रदूषित जल हो ।
4. स्कूल व आंगनबाड़ी में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना ।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

5. आंशिक रूप से लाभान्वित ग्रामों जिसमें सर्विस लेवल 10 ली. प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम हो।

6. आंशिक रूप से लाभान्वित ग्रामों जिसमें सर्विस लेवल 10 से 20 ली. प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हो।

7. आंशिक रूप से लाभान्वित ग्रामों जिसमें सर्विस लेवल 20 से 30 ली. प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हो।

8. आंशिक रूप से लाभान्वित ग्रामों जिसमें सर्विस लेवल 30 से 40 ली. प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हो। साथ ही राष्ट्रीय पेयजल मिशन के निम्नलिखित उद्देश्य के अनुसार पर्याप्त एवं स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करवायी जा रही है।

1. सुविधाजनक दूरी (1.6 कि. मी.) के उपलब्ध हो।

2. समस्त ग्रामीण जनसंख्या उपलब्ध हो।

3. निरन्तर उपलब्ध हो।

4. उपयुक्त तकनीकी का प्रयोग किया गया हो।

5. पेयजल योजनाओं में जनता की की पूर्व सहभागिता सुनिश्चित हो।

अतः निर्धारित प्राथमिकता एवं उपलब्ध बजट के आधार पर चयनित हैबीटेशन की योजनाएं स्वीकृति की जाकर बजट आबंटन किया जाता है।

(4) जोधपुर जिले के अधीन राजीव गांधी पेयजल योजना के लिए वर्ष 1991 से 1993 में की गई सर्वेक्षण के अनुसार चयनित 1469 हैबीटेशन का विवरण विधान सभा क्षेत्रवार संलग्न प्रपत्र "ब" में दर्शाया गया है।

(5) चाही गई सूचना संलग्न प्रपत्र "ब" पर उपलब्ध है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

## इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में भू-आवंटन

**121. श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता)**: क्या राजस्व (उपनिवेशन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सामान्य व विशेष श्रेणी के भू-आवंटन हेतु आवेदन की तिथि निर्धारित की जा रही है ?

(2) क्या सरकार इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में नागौर व अन्य जिलों के भूमिहीन किसानों को भी प्राथमिकता देते हुए पुनः आवेदन आमंत्रित किये जाने का विचार रखती है ?

(3) उक्त आबंटन हेतु कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं और उनका आबटन कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(राजस्व मंत्री)

(2) जी, नहीं।

(3) उक्त आवंटन हेतु 63601 प्रार्थना-पत्र लम्बित हैं। सी. ए. डी. से चक प्लान्स प्राप्त होने पर नियमानुसार भूमि आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न संख्या 122

(स्थगित)

## जिला जयपुर की सड़कों के रख-रखाव हेतु आवंटित राशि

123. श्रीमती उज्जला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा गत वर्ष जिला जयपुर की सड़कों के रख-रखाव के लिए विभिन्न मदों में कितनी राशि उपलब्ध कराई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वर्तमान बरसात के कारण टूटी सड़कों को ठीक करवाने हेतु राशि उपलब्ध करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी व कब तक तथा नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) गत वर्ष 1996-97 में जयपुर जिले की सड़कों के रख-रखाव के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मद 3054 में 1766.00 लाख रुपयों की राशि उपलब्ध कराई गई। विवरण परिशिष्ट "ब" में संलग्न है।

(2) जी, हां। वर्ष 1997-98 में सड़कों की मरम्मत के मद 3054 में रुपये 1361.75 लाख की राशि आवंटित की गई है। विवरण परिशिष्ट "ब" में संलग्न है।

परिशिष्ट "अ"

वर्ष 1996–97 में विभिन्न मदों में सड़कों की मरम्मत के लिए निम्न प्रकार राशि का आवंटन किया गया है ।

| क्रम संख्या | मद का नाम | आवंटित राशि (लाखों में) |
|---|---|---|
| 1. | साधारण मरम्मत कार्य | 723.84 लाख |
| 2. | विशेष मरम्मत कार्य | 216.70 ,, |
| 3. | नवीनीकरण कार्य | 669.55 ,, |
| 4. | सी. डी. कार्यों की मरम्मत कार्य | 31.34 ,, |
| 5. | पैटी ओरिजिनल कार्य | 6.51 ,, |
| 6. | नालियों का कार्य | 114.80 ,, |
| 7. | सड़क सुरक्षा कार्य | 3.26 ,, |
| | योग | 1766.00 लाख |

परिशिष्ट "ब"

वर्ष 1997-98 में विभिन्न मदों में सड़कों की मरम्मत के लिए राशि का आवंटन निम्न प्रकार से किया गया है ।

| क्रम संख्या | मद का नाम | आवंटित राशि (लाखों में) |
|---|---|---|
| 1. | साधारण मरम्मत के कार्य | 649.33 लाख |
| 2. | नवीनीकरण के कार्य | 516.99 ,, |
| 3. | विशेष मरम्मत के कार्य | 77.90 ,, |
| 4. | सी. डी. कार्यों की मरम्मत के कार्य | 19.34 ,, |
| 5. | पेटी ओरिजिनल के कार्य | 19.35 ,, |
| 6. | नालियों के कार्य | 78.84 ,, |
| | योग | 1361.75 लाख |

## ग्राम पंचायत फेफर (पीपलखूंट) के कार्यों हेतु आवंटित राशि

124. श्री बलीचन्द (दानपुर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति, पीपलखूंट की ग्राम पंचायत फेफर हेतु पंचायत चुनावों के बाद से आज तक कुल कितनी राशि किस-किस मद में स्वीकृत की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ग्राम पंचायत में किन-किन कार्यों पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त सभी स्वीकृत कार्य पूर्ण हो चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या उक्त ग्राम पंचायत के निवासियों ने जिला कलक्टर की इन कार्यों पर अनियमितताएं होने की शिकायतें की हैं ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार इन कार्यों की जांच किसी उच्च अधिकारी से करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत फेफर पंचायत समिति पीपलखूंट में पंचायत चुनावों के बाद अब तक 12 कार्यों के लिए 9.29 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। जिनका मद-वार विवरण निम्न प्रकार है :—

लाखों में

| क्र. सं. | योजना का नाम | कार्यों की संख्या | स्वीकृत राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | सुनिश्चित रोजगार योजना | 1 | 0.70 |
| 2. | ज. रो. योजना 20% | 2 | 2.58 |
| 3. | ज. रो. योजना 80% | 5 | 3.29 |
| 4. | अकाल राहत | 4 | 3.60 |
| | योग | 12 | 9.29 |

(2) स्वीकृत 12 कार्यों पर 7.86 लाख रुपये की राशि व्यय हुई है। जिनका विवरण सदन के पटल पर रख दिया है।

(3) उक्त कार्यों में से 6 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 6 कार्य अपूर्ण हैं। अपूर्ण कार्यों के अब तक पूर्ण न होने के कारण परिशिष्ट "1" में सम्बन्धित कार्य के सम्मुख अंकित है।

(4) जी हां। उक्त शिकायत की जांच हेतु दिनांक 6-2-97 को विकास अधिकारी, पंचायत समिति पीपलखूंट को निर्देशित किया गया है। तथा दिनांक 19-6-97 को उक्त विकास अधिकारी को जांच रिपोर्ट अविलम्ब भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया है। अभी तक जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(5) विकास अधिकारी पंचायत समिति पीपलखूंट से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही इस सन्दर्भ में तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

परिशिष्ट–1

**कार्यालय पंचायत समिति पीपलखूंट, जिला बांसवाड़ा (राजस्थान)**

**निर्माण कार्यों की सूची ग्राम पं. फेफर**

| क्र. सं. | नाम योजना | कार्य का नाम | वर्ष | स्वीकृत राशि | व्यय राशि | स्थिति | अपूर्ण रहने का कारण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ई. ए. एस. | आंगनबाड़ी फेफर | 94-95 | 0.70 | 0.65 | पूर्ण | — |
| | | | | 0.70 | 0.65 | | |
| 2. | जे.आर.वाई. 20% | उ.प्रा.वि. फेफर तीन कक्ष | 94-95 | 2.08 | 2.00 | पूर्ण | — |
| 3. | ,, | प्रा.वि. पिपलीपाड़ा | 97-98 | 0.50 | 0.20 | अपूर्ण | अकाल राहत का अपूर्ण पुनः स्वीकृत |
| | | | | 2.58 | 2.20 | | |
| 4. | ,, 80% | बस स्टैण्ड फेफर | 95-96 | 0.50 | 0.50 | पूर्ण | — |
| 5. | ,, | सा. कूप फेफर गौतम/धनजी के पास | 95-96 | 0.35 | 0.35 | पूर्ण | — |
| 6. | ,, | रपट रामगढ़ के पास नाले तक | 95-96 | 0.66 | 0.66 | पूर्ण | — |

(185)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | जे.आर.वाई. 80% | सड़क मेन रोड़ से उप्राबि फेफर | 94-95 | 0.88 | 0.88 | पूर्ण | — |
| 8. | „ | प्राबि पीपलीपाड़ा अति. कक्ष | 96-97 | 0.90 | 0.10 | अपूर्ण | सरपंच की लापरवाही के कारण अपूर्ण |
| | | | | 3.29 | 2.49 | | |
| 9. | अकाल राहत | उप्राबि फेफर व पंचायत के बीच रपट | 95-96 | 1.00 | 0.63454 | अपूर्ण | सरपंच की लापरवाही व समयाभाव के कारण |
| 10. | „ | सार्व. कूप उमरीपाडा | 95-96 | 0.40 | 0.28407 | अपूर्ण | अपूर्ण ज्यादा व्यय की गई राशि |
| 11. | „ | सार्व. कूप फेफर | 95-96 | 0.40 | 0.24724 | अपूर्ण | की वसूली हेतु नोटिस दिया गया |
| 12. | „ | प्राबि पीपलीपाड़ा 2 कक्ष | 95-96 | 1.80 | 1.35277 | अपूर्ण | जे.आर.वाई. 20% में पुनः स्वीकृत किया गया |
| | | | योग : | 3.60 | 2.51862 | | |

ह०

विकास अधिकारी,

पंचायत समिति, पीपलखूंट

जिला बांसवाड़ा (राज.)

## दलित दूल्हों को घोड़ी से उतारे जाने के प्रकरण

125. श्री अमराराम (धोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत दो वर्षों में राज्य में दलित दूल्हों को घोड़ी से उतारने की कितनी घटनाएं हुई ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त घटनाएं बढ़ने के कारण क्या रहे ?

(3) सीकर जिले की रायपुरा ग्राम थाना राणोली खाखोली थाना सदर भगतपुरा थाना लोसल की घटनाओं में पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

### उत्तर

(1) राज्य में गत दो वर्षों में 1 अगस्त, 1995 से 31 जुलाई, 1997 तक दलित दूल्हों को घोड़ी से उतारने आदि के सम्बन्ध में कुल 21 घटनाएं घटित हुई हैं। जिलेवार सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) राज्य में दलित वर्ग के लोगों को घोड़ी से उतारने की घटनाओं में बढ़ोतरी नहीं हुई है। 1 अगस्त, 1995 से 31 जुलाई, 1996 में कुल 12 घटनाएं एवं 1 अगस्त, 1996 से 31 जुलाई, 1997 में कुल 9 घटनाएं घटित हुई हैं।

(3) सीकर जिले का रायपुरा ग्राम थाना राणोली खाखोली थाना सदर भगतपुरा थाना लोसल में दलित वर्ग के दूल्हों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने के सम्बन्ध में कुल 3 घटनाएं घटित हुई हैं, जिनमें बाद-अनुसंधान अभियुक्तों के विरुद्ध चालान न्यायालय में पेश किया जा चुका है।

188

परिशिष्ट "क"

| अवधि | | 1 अगस्त, 95 से 31 जुलाई, 96 | | | | | | 1 अगस्त, 96 से 31 जुलाई, 97 तक | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. सं. | जिला | दर्ज | चालान | एफआर अ.व. | एफआर अ.प. | एफआर अ.स. | पेंडिंग | दर्ज | चालान | एफआर अ.व. | एफआर अ.प. | एफआर अ.स. | पेंडिंग |
| 1. | अजमेर | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 2. | भीलवाड़ा | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. | नागौर | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. | झुंझनू | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. | सीकर | 1 | 1 | — | — | — | — | 3 | 3 | — | — | — | — |
| 6. | टोंक | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | 1 |
| 7. | भरतपुर | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — |
| 8. | पाली | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 9. | कोटा ग्रा. | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. | झालावाड़ | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. | बांरा | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 12. | राजसमन्द | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | योग | 12 | 10 | 2 | — | — | — | 9 | 7 | — | — | — | 2 |

## राजकीय नाहटा चिकित्सालय, बालोतरा

126. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बालोतरा राजकीय नाहटा चिकित्सालय में एक्सरे मशीन 300 एम. एम. की लगाई हुई है ? यदि नहीं, तो 100 बेड्स वाले इस चिकित्सालय में कब तक 300 एम. एम. की मशीन लगवा दी जायेगी ?

(2) क्या बालोतरा राजकीय नाहटा चिकित्सालय में 100 बेड्स के हिसाब से पूरा स्टाफ लगा दिया गया है ? यदि नहीं, तो रिक्त स्थानों को अब कब तक भर दिया जायेगा ? उक्त पद कब से रिक्त हैं ? अब तक इन रिक्त स्थानों को क्यों नहीं भरा गया ?

### उत्तर

(1) जी, नहीं। राजकीय नाहटा चिकित्सालय, बालोतरा में वर्तमान में 100 एम.ए. की एक्सरे मशीन स्थापित है। सामान्यतया 100 शैय्याओं के चिकित्सालयों में 300 एम.ए. की मशीन उपलब्ध करवाये जाने की व्यवस्था नहीं है।

(2) जी, नहीं। स्वीकृत स्टाफ के पदों में से निम्न पद रिक्त हैं :—

| पद नाम | संख्या | कब से |
|---|---|---|
| चिकित्सा अधिकारी | 1 | अप्रेल-1997 |
| कार्यालय सहायक | 1 | 1992 |
| वार्ड बॉय | 1 | नवम्बर-1996 |

चिकित्सा अधिकारी एवं कार्यालय सहायक के पद हेतु चयनित व्यक्ति उपलब्ध होते ही पद भर दिये जायेंगे। प्रतिबन्ध होने के कारण वार्ड बॉय का पद भरा जाना संभव नहीं है।

## लोक सेवा आयोग द्वारा प्रशासनिक/अधीनस्थ सेवाओं हेतु साक्षात्कार प्रकरण

127. श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आर. ए. एस. व आर. टी. एस. परीक्षा वर्ष 1994 में साक्षात्कार के समय मनोवैज्ञानिक परीक्षण अंग्रेजी माध्यम से लिया गया है ?

(2) क्या सरकार राजस्थान जैसे प्रदेश के शैक्षणिक स्तर को देखते हुए उक्त परीक्षा को हिन्दी में लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या वर्ष 1996-97 में उक्त परीक्षा हिन्दी माध्यम से ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां।

## पंचायत समिति लालसोट क्षेत्र के हैण्ड पम्प

128. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति लालसोट के विभिन्न गांवों के हैण्ड-पम्प के प्रस्ताव राजीव गांधी मिशन योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जयपुर के कार्यालय में लम्बे समय से विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो प्रस्तावों पर अब तक स्वीकृति जारी नहीं हो पाने का क्या कारण है ?

(2) राजीव गांधी मिशन योजना के अन्तर्गत कितनी जनसंख्या तक की ढाणियों को हैण्ड पम्प लगाकर पेयजल से लाभान्वित कर दिया गया है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। पंचायत समिति लालसोट में राजीव गांधी मिशन के अन्तर्गत 61 हैबीटेशन में हैण्ड पम्प की स्वीकृति जारी की जा चुकी है एवं वर्तमान में कोई प्रस्ताव स्वीकृति हेतु विचाराधीन नहीं है।

(2) राजीव गांधी मिशन योजना के अन्तर्गत 92-93 में चिन्हित फिजीबल 20 से अधिक आबादी वाली ढाणियों में हैण्ड पम्प लगाकर लाभान्वित किया गया है।

## जिला जयपुर में नई उप तहसील का सृजन

129. श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नई उप तहसील बनाने के मानदण्ड क्या हैं ? क्या सरकार राज्य में नई उप तहसीलें बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां-कहां और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उप जिला मुख्यालय कोटपूतली के पावटा शहर को उप तहसील घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उप तहसील स्थापित करने हेतु विधिवत मापदण्ड निर्धारित नहीं हैं परन्तु मजीठिया समिति ने नई उप तहसील के लिए औसतन सामान्यत: 15 पटवार सर्किल, रेगिस्तान क्षेत्र में 10 तथा आदिवासी एवं पहाड़ी क्षेत्र हेतु 8 पटवार मण्डल को मापदण्ड मानते हुए अपनी सिफारिशें दी थीं। इसी प्रकार भनोत कमेटी द्वारा 3 भू.अ.नि. वृत्त एवं 18 पटवार वृत्त पर एक उप तहसील का सृजन किया जाने की अनुशंसा की है।

इस वर्ष 1997-98 में कुछ नई उप-तहसीलें स्थापित करने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन हैं।

(2) जी नहीं, ऐसा कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न संख्या 130

(स्थगित)

## राज्य मार्ग संख्या 19 पर व्यय

| | |
|---|---|
| 94 95 | 3,88,477/- |
| 95–96 | 9,35,794/- |
| 96–97 | 2,00,319/- |
| कुल व्यय | 15,24,590/- |

131. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) एवं श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले में भवानी मण्डी से डग होते हुए मध्य प्रदेश सीमा तक स्टेट हाइवे सं. 19 के रख-रखाव पर पिछले तीन वर्षों में कितनी राशि व्यय की गई है ? तीन वर्ष के प्रत्येक कार्य आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या स्टेट हाइवे सं. 19 की उक्त सड़क के अत्यन्त क्षतिग्रस्त होने के कारणों की जांच के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा जांच की गयी। जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जांच में कोई अधिकारी या ठेकेदार दोषी पाये गये हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले में भवानी मण्डी से डग (राजस्थान) होते हुये मध्य प्रदेश तक स्टेट हाइवे 19 के रख-रखाव पर पिछले तीन वर्षों में वर्षानुसार निम्न व्यय किया गया।

तीन वर्षों में कराये गये प्रत्येक कार्य का विवरण प्रपत्र "क" (1 से 4) में वर्णित है। प्रत्येक कार्य आदेश की प्रतियां संलग्न है। जो पृष्ठ संख्या 1 से 43 तक उपलब्ध है।

(2) इस सड़क के निरीक्षण हेतु सचिव, सा. नि. वि. राज., जयपुर के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 698 से 701 दिनांक 25.5.97 द्वारा (प्रपत्र "ख") आदेश दिये गये हैं। इसकी अनुपालना में सड़क का निरीक्षण अधीक्षण अभियन्ता, सा. नि. वि. वृत्त-द्वितीय, कोटा द्वारा किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन क्रमांक 3116 दिनांक 21-6-97 की प्रति प्रस्तुत है। (संलग्न प्रपत्र "ग")

(3) निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र "ग") में सड़क पर होने वाले सभी कार्यों का विवरण दिया गया है एवं अधिशासी अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता को पेच रिपेयर कार्य करने हेतु हिदायत दी गई।

**(विवरण एवं प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

## विधान सभा क्षेत्र मकराना हेतु आवंटित राशि

132. श्री रूपाराम (मकराना) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रूपाराम)

(1) वर्ष 1995-96 में विधान सभा क्षेत्र मकराना के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु जिला कलक्टर नागौर को कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य के लिये कब-कब आवंटित की गई ?

(2) क्या यह सही है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नागौर द्वारा दिनांक 4 जनवरी, 1996 को बुडसू से जुसरिया (मकराना) डामर सड़क की स्वीकृति सांसद कोष से दी गई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार समय पर ऐसी राशि के शत-प्रतिशत उपयोग हेतु प्रभावी नियंत्रण की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मकराना के शहरी एवं ग्रामीण विकास हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को वर्ष 95-96 के दौरान विभिन्न योजनाओं में विकास कार्य हेतु उपलब्ध करायी गयी राशि परिशिष्ट "अ" पर है।

(2) जी हां। जी नहीं। ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा नहीं किया गया है।

(3) संविदा की शर्तों में राशि के पूर्ण उपयोग हेतु समुचित प्रक्रिया निहित होती है। जिसके द्वारा राशि के शत-प्रतिशत उपयोग हेतु अनुबन्ध के अनुरूप कार्यकारी एजेन्सी संविदा की शर्तों की पालना करवाती है। पालना नहीं करने की स्थिति में संविदा में निहित अनुबन्धों के अनुरूप ठेकेदार को दण्डित किया जाता है।

परिशिष्ट "अ"

| क्र. सं. | योजना का नाम | स्वीकृत/भेजी गई राशि (लाखों में) |
|---|---|---|
| 1. | आश्वासित रोजगार योजना | 108.65 |
| 2. | जवाहर रोजगार योजना | 28.79 |
| 3. | निर्बन्ध राशि योजना | 15.44 |
| 4. | तीस जिला तीस काम योजना | 16.18 |
| 5. | अपना गांव अपना काम योजना | 4.84 |
| 6. | आई. पी. पी. नवम् परियोजना | 10.00 |
| 7. | सहभागी नगर विकास योजना | 49.97 |
| 8 | सांसद क्षेत्र विकास योजना | 8.31 |
| 9. | ग्रामीण विकास केन्द्र योजना | 4.77 |
| | योग : | 246.35 |

## पुलिस हिरासत में मृत्यु के प्रकरण

**133. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में राज्य के थानों में कुल कितनी मौतें हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य के थानों में होने वाली मौतों के बारे में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हुए एवं उन मुकदमों में क्या कार्यवाही की गई ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार थानों में होने वाली मौतों को रोकने के कोई उपाय कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) दिनांक 1-4-95 से 31-3-96 तक आठ (8) मौतें एवं दिनांक 1-4-96 से 31-3-97 तक चार (4) मौतें कुल 12 (बारह) मौतें राज्य के विभिन्न थानों में पुलिस हिरासत में हुई हैं। विवरण परिशिष्ट "क" में संलग्न है।

(2) राज्य के थानों में होने वाली मौतों के संबंध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध 10 (दस) अभियोग दर्ज हुए। दर्ज अभियोगों में से 7 (सात) अभियोगों का चालान न्यायालय में पेश किया गया। 3 (तीन) अभियोगों में चालान करने का निर्णय लिया जा चुका है।

(3) जी, हां। थानों में होने वाली मौतों की रोकथाम हेतु समय-समय पर दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं। थानों का आकस्मिक निरीक्षण कर उन पर पूर्ण निगरानी रखी जाती है। समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों की प्रतियां संलग्न है।

**(विवरण एवं प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

## जावदा (भैंसरोडगढ़) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

**134. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) :** क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जावदा (नीमड़ी) पंचायत समिति भैंसरोडगढ़ के 6 5 किलोमीटर की दूरी में एक भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निकट भविष्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

### उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, नहीं। क्योंकि ग्राम जावदा (नीमड़ी) पंचायत समिति भैंसरोडगढ़ के अधीन आता है। भैंसरोडगढ़ पंचायत

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

समिति में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के नार्म्स के आधार पर दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की आवश्यकता के विपरीत चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं।

## अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/ शिलान्यास किये जाने पर रोक

135. श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : क्या मुख्य (प्रशासनिक सुधार) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने सरकारी अधिकारियों द्वारा शिलान्यास/ उद्घाटन आदि करने पर रोक लगा रखी है ?, यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अधिकारियों द्वारा स्कूलों के खेल-कूद समारोहों व अन्य प्राइवेट संस्थाओं की दुकानों आदि के उद्घाटन पर भी रोक लगाने का विचार रखती है जिससे सरकारी अधिकारी अपने कार्यालयों में जनता के लिये अधिक उपलब्ध रह सके और निहित स्वार्थी तत्वों से प्रभावित होने से बच सकें।

### उत्तर

(1) जी हां। सरकार ने इस सम्बन्ध में दिनांक 12-8-97 को परिपत्र जारी कर सभी अधिकारियों को इन कार्यों के लिए पाबन्द किया है। परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) अभी ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग

(अनुभाग–1)

क्रमांक : प. 19 (16) प्र.सु./सम./अनु-1/95 जयपुर, दिनांक : 12-8-97

### परिपत्र

राजकीय भवनों/बस्तियों के शिलान्यास या उद्घाटन समारोह सरकारी अधिकारियों द्वारा सम्पादित नहीं किये जाने एवं ऐसे समारोहों के दौरान शिलालेखों पर अपना नाम अंकित नहीं कराने के सम्बन्ध में परिपत्र क्रमांक प. 18 (18) प्र.सु./ अनु-1/92/94 दिनांक 19-9-94 एवं परिपत्र क्रमांक प. 19 (16) प्र.सु./अनु-1/सम./ 95, दिनांक 14-11-95 द्वारा स्पष्ट निर्देश प्रसारित कर राजकीय अधिकारीगण को ऐसे कार्यों हेतु प्रतिबंधित किया गया है।

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि कुछ जगहों पर अधिकारीगण इनकी पालना नहीं कर रहे हैं। अतः समस्त अधिकारी का ध्यान पुनः इस ओर आकर्षित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस प्रकार के समारोहों में न तो मुख्य अतिथि या अध्यक्ष के रूप में भाग लेवें और ना ही शिलालेखों/नाम पट्टिकाओं पर अपना नाम अंकित करावें। ऐसा करना दुराचरण (Misconduct) की श्रेणी में समझा जायेगा व ऐसा करने वाले अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

इन निर्देशों की पालना कड़ाई से की जाये।

ह०

(एम. एल. मेहता)

मुख्य सचिव

**विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर के हैण्डपम्प**

136. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर में कितने हैण्ड पम्प परित्यक्त हैं ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त परित्यक्त हैण्ड पम्पों के स्थान पर नवीन हैण्ड पम्प लगाये जाने की सरकार की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) सरकार की हैण्ड पम्पों के रख-रखाव की क्या व्यवस्था है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर में कुल 140 हैण्ड पम्प परित्यक्त हैं। परित्यक्त हैण्ड पम्पों की सूची ग्रामवार प्रपत्र "अ" पर संलग्न है।

(2) जी, हां। विभाग के मापदण्ड के अनुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति बस्ती में परित्यक्त हैण्ड पम्प प्राथमिकता के आधार पर लगाये जाते हैं। इसके अलावा जिन ग्रामों में विभागीय मापदण्ड से 50% से कम हैण्ड पम्प है, उन ग्रामों में भी प्राथमिकता के आधार पर हैण्ड पम्प स्वीकृत किये जाते हैं। इसी के अनुरूप 33 हैण्ड पम्प अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति बस्तियों के लिये स्वीकृत किये गये हैं तथा उनका कार्य प्रगति पर है।

(3) हैण्ड पम्प मरम्मत का कार्य पंचायत समिति के द्वारा किया जाता है। समय-समय पर अभियान चलाकर मरम्मत योग्य सभी हैण्ड पम्पों को जन स्वा. अभि. विभाग के द्वारा ठीक किया जाता है।

प्रपत्र–"अ"

विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर के परित्यक्त हैण्ड पम्प की सूची

| क्र.सं. | गांव का नाम | तहसील | कोड सं | परित्यक्त हैण्ड पम्प की सं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | कुरवारा | कुम्हेर | 1 | 1 |
| 2. | लांकी | ,, | 2 | 1 |
| 3. | थैरावर | ,, | 3 | 2 |
| 4. | जया | ,, | 6 | 2 |
| 5. | जहांगीरपुर | ,, | 7 | 2 |
| 6. | सितारा | ,, | 13 | 2 |
| 7. | कुरूथा | ,, | 18 | 2 |
| 8. | तालफरा | ,, | 21 | 1 |
| 9. | ताखा | ,, | 23 | 1 |
| 10. | समन | ,, | 27 | 1 |
| 11. | सैंथरी | ,, | 32 | 1 |
| 12. | कूम्हा | ,, | 31 | 3 |
| 13. | गघेरा | ,, | 34 | 1 |
| 14. | सुपावर | ,, | 36 | 1 |
| 15. | विलावटी | ,, | 37 | 2 |
| 16. | सिकरोरी | ,, | 38 | 5 |
| 17. | रामनगर | ,, | 39 | 2 |
| 18. | पिचूमर | ,, | 40 | 4 |
| 19. | महराबर | ,, | 41 | 2 |
| 20. | माटपुरा | ,, | 42 | 2 |
| 21. | बिरेहरू | ,, | 45 | 1 |
| 22. | जोखेला | ,, | 49 | 1 |
| 23. | अस्तावन जदीद | ,, | 51 | 1 |
| 24. | पीटी | ,, | 53 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 25. | धनवाड़ा | कुम्हेर | 55 | 1 |
| 26. | सूरौता | ,, | 59 | 1 |
| 27. | सुनारी | ,, | 60 | 1 |
| 28. | सांतरूक | ,, | 61 | 3 |
| 29. | उवार | ,, | 65 | 2 |
| 30. | सोगर | ,, | 66 | 2 |
| 31. | नगला जीवना | ,, | 67 | 3 |
| 32. | बहरा | ,, | 71 | 2 |
| 33. | नगला जोधसिंह | ,, | 72 | 2 |
| 34. | नगला सवाईराम | ,, | 73 | 1 |
| 35. | नगला बघेरा | ,, | 76 | 2 |
| 36. | बेलारा खुर्द | ,, | 78 | 2 |
| 37. | नगला माना | ,, | 86 | 3 |
| 38. | खेरा कारोली | ,, | 88 | 1 |
| 39. | गुवावली | ,, | 89 | 1 |
| 40. | पूठ | ,, | 93 | 1 |
| 41. | चिमनी | ,, | 94 | 1 |
| 42. | चक बनी | ,, | 95 | 1 |
| 43. | बनी | ,, | 96 | 2 |
| 44. | रूध भटावली | ,, | 97 | 1 |
| 45. | भटावली | ,, | 98 | 3 |
| 46. | पपरेरा | ,, | 100 | 2 |
| 47. | मूढौता | ,, | 101 | 1 |
| 48. | सोनेरा | ,, | 102 | 2 |
| 49. | खंसवारा | ,, | 103 | 5 |
| 50. | रूध हेलक | ,, | 104 | 4 |
| 51. | सिह्री | ,, | 105 | 3 |
| 52. | आजऊ | ,, | 106 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 53. | पाऊपा | कुम्हेर | 108 | 2 |
| 54. | रूघ सकीतरा | ,, | 110 | 2 |
| 55. | चकसेह | ,, | 111 | 1 |
| 56. | बोरई | ,, | 112 | 2 |
| 57. | बार्बन | ,, | 115 | 2 |
| 58. | पिचगाय | ,, | 116 | 1 |
| 59. | रूघ हेलक बड़ी | ,, | 109 | 3 |
| 60. | रणधीरपुरा | ,, | 15 | 1 |
| 61. | बिरदा | भरतपुर | 2 | 1 |
| 62. | घानोता | ,, | 5 | 1 |
| 63. | बांसी खुर्द | ,, | 6 | 1 |
| 64. | मढ़ी जालिसम सिंह | ,, | 14 | 1 |
| 65. | ककलपुरा | ,, | 16 | 1 |
| 66. | मूढोता | ,, | 17 | 1 |
| 67. | ततामड़ | ,, | 18 | 2 |
| 68. | माढोनी | ,, | 20 | 2 |
| 69. | अडडा | ,, | 21 | 1 |
| 70. | सिनपिनी | ,, | 24 | 1 |
| 71. | टेहरकी | ,, | 25 | 1 |
| 72. | बसुआ | ,, | 26 | 3 |
| 73. | बांसी कला | ,, | 27 | 3 |
| 74. | टांडा | ,, | 28 | 2 |
| 75. | छोर | ,, | 29 | 2 |
| 76. | हबीबपुर | ,, | 32 | 1 |
| 77. | बिलोठी | ,, | 73 | 4 |
| | | | | 140 |

## चक चैनपुरा (सवाई माधोपुर) की सिवाय चक भूमि

137. श्री हरिनारायण (खण्डार) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि चक चैनपुरा (सवाई माधोपुर) के खसरा नं. 70 में सिवाय चक जमीन है ? यदि हां, तो इस वक्त कितनी जमीन सिवाय चक है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि चक चैनपुरा (सवाई माधपुर) के खसरा नं. 70 में 33 के. वी. ग्रिड-सब-स्टेशन का कार्य शुरू कर दिया गया था ? यदि हां, तो इस स्थान पर सिवाय चक जमीन होने पर भी 33 के. वी. विद्युत सब-स्टेशन को दूसरी जगह क्यों भेजा गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) सरकार खसरा नं. 70 की सिवाय चक जमीन को किस कार्य में लेना चाहती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं । वर्तमान में जमाबन्दी चौसाला संवत् 2041 से 2044 व खसरा चौसाला संवत् 2053 से 2056 के अनुसार ग्राम चक चैनपुरा में ख. नं. 70 पृथक से सिवाय चक नम्बर नहीं है । जबकि ख. नं. 69,70/1, 71/1 एवं 72 सम्मिलित नम्बर है, जो सिवाय चक दर्ज है । उसका कुल सम्मिलित क्षेत्रफल 10 बिस्वा है ।

(2) जी नहीं । ग्राम चक चैनपुरा में खसरा नं. 70 में 33 के. वी. विद्युत सब-स्टेशन का कार्य शुरू ही नहीं किया गया था । चूंकि उक्त ख. नं. में जी.एस.एस. की स्थापना करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं । अतः ख. नं. 70 में सब स्टेशन लगाने हेतु कार्य प्रारम्भ करने का कोई औचित्य नहीं था ।

(3) ख. नं. 69, 70, 71, 72 का कुल रकबा 21 बीघा 13 बिस्वा था । जिसमें से 2 बीघा 4 बिस्वा रकबा सीमेन्ट फैक्ट्री, सवाई माधोपुर 12 बीघा 12 बिस्वा भूमि नगर परिषद, सवाई माधोपुर तथा 6 बीघा 7 बिस्वा भूमि विभिन्न काश्तकारों को आबंटित हुआ था । वर्तमान में मात्र 10 बिस्वा रकबा शेष है । जिसका उपयोग भविष्य में तय किया जा सकता है । वर्तमान में इतनी-सी भूमि का उपयोग प्रस्तावित करना उपयुक्त नहीं है ।

## अन्ता-सीसवाली सड़क हेतु स्वीकृत राशि

138. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अन्ता सीसवाली रोड कि. मी.-1 पर पेच वर्क व अन्य कार्यों के लिए गत दो वर्षों में कितनी-कितनी राशि कब-कब स्वीकृत की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि कि.मी.-1 पर जो राशि पेच वर्क के नाम से स्वीकृत की गई थी उस राशि का उपयोग इस स्थान

(श्री रामगोपाल बैरवा)

पर कहीं किया जाकर अन्य स्थान पर कर दिया गया है ?

(3) क्या इस प्रकार उक्त राशि का उपयोग अन्य स्थान पर करने के लिए सरकार उक्त अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) अन्ता सीसवाली रोड कि. मी.-1 पर पेच वर्क व अन्य कार्यों के लिए गत दो वर्षों में कोई राशि अलग से स्वीकृत नहीं की गई है। लेकिन गत दो वर्षों में इस सड़क के किमी.-1 में साधारण मरम्मत के आबंटित मद में से पेच वर्क करवाया गया जिस पर निम्नलिखित राशि का व्यय किया गया :—

| | | |
|---|---|---|
| वर्ष 1995-96 | : | रुपये 7850/- |
| वर्ष 1996–97 | : | रुपये 5962/- |

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। उक्त राशि का उपयोग अन्य स्थान पर नहीं हुआ है, इसलिए कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

## जिला ग्रामीण विकास अभिकरण श्री गंगानगर द्वारा स्वीकृत राशि

139. श्री हीरालाल इन्दोरा (केसरीसिंहपुर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के संचालन हेतु कोई रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है ? यदि हां, तो रजिस्ट्रेशन के नियम-उपनियम सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिला विकास अभिकरण के अध्यक्ष को बिना गवर्निंग बोडी के योजनाओं के लिए राशि स्वीकृत करने का अधिकार है ? यदि नहीं, तो वर्ष 1995-96 में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण श्री गंगानगर के अध्यक्ष द्वारा ऐसी कितनी राशियां स्वीकृत की गयीं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का रजिस्ट्रेशन "सोसाइटीज आफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958" के प्रावधानों के अन्तर्गत कराया जाता है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गंगानगर के पंजीकृत नियम-उपनियम यथा मेमोरेण्डम आफ एसोसिएशन एवं रेगुलेशन्स की फोटो प्रति संलग्न है।

(2) जी हां। वर्ष 95–96 में अध्यक्ष, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अलग-अलग योजनावार 2.00 लाख से 5.00 लाख तक की राशि के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने के लिए अधिकृत थे।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

## मार्बल/ग्रेनाइट चिराई से प्रभावित कृषि भूमि

140. श्री नाथूराम ग्रहारी (डूंगरपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में कौन-कौन से जिलों में मार्बल, ग्रेनाइट की खदानें हैं ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि इन खदानों से निकलने वाले मार्बल और ग्रेनाइट को चीरने के लिए इन्हीं जिलों में गन्ने लगे हुए हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि इन गन्चों से निकलने वाले मलबे को जहां-तहां डाल दिया जाता है और वह पास के काश्तकरों की जमीन में बह कर जाता है जिससे काश्तकारों की जमीन खराब हो रही है ? क्या सरकार इस मलबे को जहां काश्तकारों की जमीनें खराब नहीं हों ऐसे स्थानों पर डालने की व्यवस्था कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब और कैसे ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

### उत्तर

(1) राज्य में मार्बल एवं ग्रेनाइट के खनन पट्टों (खदानों) का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है ।

खदानों से निकलने वाले मार्बल और ग्रेनाइट को चीरने के लिए निम्न जिलों में गन्चे लगे हुए हैं :–

| | |
|---|---|
| 1. जयपुर | 7. बांसवाड़ा |
| 2. चित्तौड़गढ़ | 8. अलवर |
| 3. नागौर (मकराना) | 9. डूंगरपुर |
| 4. अजमेर (किशनगढ़) | 10. जालौर |
| 5. राजसमन्द | 11. सिरोही |
| 6. उदयपुर | |

(2) जी हां । मार्बल और ग्रेनाइट उद्योगों से निकलने वाले मलबे को कुछ उद्योगों द्वारा जहां-तहां डाल दिया जाता है । काश्तकारों की निजी जमीन में इसके बहकर आने एवं इससे जमीन खराब होने की कोई अधिकृत सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(3) रीको अपने औद्योगिक क्षेत्र में लगे गन्चों से निकलने वाली स्लरी को उचित स्थान पर डम्प करवाने की व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन के साथ प्रयत्नशील है । इस हेतु उद्योग व पर्यावरण विभाग के प्रयासों से अजमेर, उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, नागौर, अलवर, किशनगढ़, मकराना व आबूरोड में स्थान चिह्नित किये गये हैं ।

परिशिष्ट–1

## जिलेवार मारबल व ग्रेनाइट के खनन पट्टों की स्थिति वर्ष 1995–96

| क्र.सं. | नाम जिला | खनन पट्टों की संख्या | |
|---|---|---|---|
| | | मारबल पट्टों | ग्रेनाइट पट्टों |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | अजमेर | 154 | 71 |
| 2. | अलवर | 344 | 23 |
| 3. | बांसवाड़ा | 202 | 4 |
| 4. | बारां | — | — |
| 5. | बाड़मेर | — | 38 |
| 6. | भरतपुर | — | — |
| 7. | भीलवाड़ा | 67 | 88 |
| 8. | बीकानेर | — | — |
| 9. | बून्दी | 14 | 1 |
| 10. | चित्तौड़गढ़ | — | 2 |
| 11. | चूरू | 24 | 3 |
| 12. | दौसा | 2 | — |
| 13. | धौलपुर | — | — |
| 14. | डूंगरपुर | 188 | 3 |
| 15. | हनुमानगढ़ | — | — |
| 16. | जयपुर | 129 | 22 |
| 17. | जैसलमेर | 53 | 2 |
| 18. | जालौर | 6 | 247 |
| 19. | झालावाड़ | — | — |
| 20. | झुन्झुनूं | 34 | 30 |
| 21. | जोधपुर | 11 | 11 |
| 22. | करौली | — | — |

| 1 | 3 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 23. | कोटा | — | — |
| 24. | नागौर | 1 | 1 |
| 25. | पाली | 42 | 69 |
| 26. | राजसमंद | 1731 | 37 |
| 27. | सवाई माधोपुर | 20 | 6 |
| 28. | सीकर | 150 | 4 |
| 29. | सिरोही | 106 | 39 |
| 30. | श्री गंगानगर | — | — |
| 31. | टोंक | — | 21 |
| 32. | उदयपुर | 592 | 5 |
| | योग : | 3775 | 727 |

नोट : उपरोक्त के अलावा निम्न दो जिलों में मारबल के क्वारी लाइसेन्स जारी किये हुए हैं :—

1. जिला चित्तौड़गढ़ — 27
2. जिला नागौर — 771

## जिला भरतपुर में मलेरिया से मृत्यु

141. श्री अरूर्णसिंह (डीग) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

गत वर्ष भरतपुर जिले में फैली मलेरिया महामारी से कितने व्यक्तियों की मौतें हुई ? क्या इस साल भी भरतपुर जिले में मलेरिया महामारी के रूप में फैल रहा है ? यदि हां, तो सरकार इसकी रोकथाम हेतु क्या उपाय कर रही है ?

## उत्तर

गत वर्ष 1996 में भरतपुर जिले में मलेरिया रोग से 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इस वर्ष भरतपुर जिले में मलेरिया महामारी के रूप में नहीं फैल रहा है, फिर भी राज्य सरकार द्वारा मलेरिया रोग की रोकथाम हेतु निम्न उपाय किये गये हैं :—

1. बुखार के रोगियों की 2,87,938 रक्त पट्टिकाओं का संचय किया गया

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

जिसमें पाये गये 46,248 मलेरिया के रोगियों को उपचार दिया गया।

2. जिले में फाल्सीपेरम मलेरिया के रोगियों का फालोग्रप तब तक किया जा रहा है जब तक कि उनकी रक्त पट्टिकाएं नेगेटिव नहीं पाये जायें।

3. जिले में बुखार के रोगियों के त्वरित उपचार की व्यवस्था हेतु 799 निःशुल्क ग्रौषधि वितरण केन्द्र, 3 एफ. टी. डी. व मलेरिया क्लिनिक कार्यरत हैं।

4. 17 कार्यरत मोबाईल टीमों के द्वारा बुखार के रोगियों की खोज, निदान एवं उपचार की व्यवस्था की जा रही है।

5. जिले में मलेरिया क्रेश कार्यक्रम 1 मार्च से 30 जून तक तथा 1 ग्रगस्त से 30 ग्रक्टूबर तक चलाया जा रहा है।

6. जैविक नियन्त्रण हेतु लार्वाभक्षी मछलियों को छुड़वाने हेतु हैचरी का निर्माण किया गया।

7. जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री एवं स्वास्थ्य सचिव ने मलेरिया की रोकथाम हेतु संगोष्ठी का ग्रायोजन कर ग्रावश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

8. 1 जनवरी से 30 ग्रगस्त तक 22 लाख क्लोरोक्वीन एवं 12,50,000 प्राइमाक्वीन की गोलियां वितरीत की गयी।

## सूचना के अधिकार के संबंध में जारी नीति/नियम

**142. श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर): क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सूचना के ग्रधिकार के सम्बन्ध में सरकार ने कोई नीति/नियम बनाये हैं? यदि हां, तो इन्हें कब तक लागू किया जायेगा? नीति/नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 की रचना करके सूचना के अधिकार के प्रावधान बनाये गये हैं। सूचना के अधिकार के बारे में इन नियमों के नियम 321 से नियम 328 में विवरण उल्लेखित हैं। यह नियम 30-12-1996 से समस्त राज्य में लागू किये जा चुके हैं। नियमों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

## अभिलेखों का निरीक्षण और प्रतियों का दिया जाना

321. निरीक्षण के लिए आवेदन—(1) किसी पंचायती राज संस्था के किसी रजिस्टर, पुस्तक, फाइल या अभिलेख का निरीक्षण करना चाहने वाला कोई भी व्यक्ति निरीक्षण की जाने वाली प्रविष्टियों या, यथास्थिति, कागजात को विनिर्दिष्ट करते हुए एक लिखित आवेदन प्रस्तुत करेगा और ऐसे अभिलेख की तलाशी के लिए 5/- रुपये की फीस अग्रिम संदत्त करेगा।

(2) यदि आवेदन अत्यावश्यक निरीक्षण के लिए हो तो दुगुनी फीस 10 रुपये संदत्त की जायेगी।

322. अभिलेख इत्यादि की तलाशी और निरीक्षण का आदेश—नियम 321 के अधीन आवेदन प्राप्त होने और उसमें उपबन्धित फीस का संदाय करने पर कार्यालय का प्रधान सुसंगत रजिस्टर, पुस्तक, फाइल या अभिलेख तलाश करवायेगा और अपने समक्ष रखवायेगा, निरीक्षण के लिए चाही गयी प्रविष्टियां या कागजात की परीक्षा करेगा और यदि वह उन्हें आक्षेपणीय या लोक हित के विरुद्ध नहीं समझे या यदि ऐसा निरीक्षण प्रतिषिद्ध न हो तो उनके निरीक्षण अनुज्ञात करने का आदेश करेगा।

323. सन्निर्माण संकर्मों पर व्यय से सम्बन्धित सूचना—(1) प्रत्येक पंचायत/समिति अपने मुख्यालय पर किसी सहज दृश्य स्थान पर रखे गये नोटिस बोर्ड पर गत पांच वर्षों के दौरान मंजूरशुदा और निष्पादित सन्निर्माण कार्यों के ब्यौरे उनके प्राक्कलन और वास्तव में व्यय की गयी रकम सहित प्रदर्शित करेगा।

(2) सम्बन्धित पंचायत/पंचायत समिति ऐसा नोटिस बोर्ड संकर्म का नाम, व्यय की गयी रकम और पूर्ण किये जाने की तारीख उपदर्शित करते हुए जनता की साधारण सूचना के लिए संकर्म स्थल पर भी प्रदर्शित करेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति या स्वैच्छिक संगठन 5/- रुपये जमा करके किसी भी ऐसे संकर्म से सम्बन्धित अभिलेखों के निरीक्षण के लिए आवेदन कर सकेगा और ऐसे मस्टर रोल या वाउचर उसे दिखाये जा सकेंगे। उसे ऐसी सूचना के ब्यौरे किसी पृथक कागज पर नोट करने की अनुज्ञा दी जा सकेगी और उसके लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध करायी जा सकेगी।

(4) निरीक्षण के दौरान पैन, स्याही, फाउन्टेन पैन और इसी तरह की किसी भी अन्य चीज का उपयोग नहीं किया जायेगा। अपितु टिप्पणियां पेन्सिल से ली जा

सकेगी और अभिलेख का निरीक्षण करने वाला व्यक्ति अभिलेख का निर्माण, विभाजन या विरुपण नहीं करेगा ।

324. प्रतियों का दिया जाना—(1) यदि नियम 332 के अधीन तलाश करने पर सुसंगत रजिस्टर, पुस्तक या अभिलेख मिल जाये और कार्यालय के प्रधान के द्वारा उसकी प्रतिलिपियां या उद्धरण देने का विनिश्चय किया जाये तो आवेदन प्रत्येक 200 शब्दों या उनके भाग के लिए 2/- रुपये की दर से प्रतिलिपि फीस जमा करायेगा और ऐसी फीस की रकम की संगणक करने के प्रयोजन के लिए जहां अंकों की प्रतिलिपि की जानी है, पांच अंक एक शब्द के बराबर गिने जायेंगे ।

(2) अत्यावश्यक प्रतियां अभिप्राप्त करने के लिए प्रतिलिपि फीस उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट से दुगुनी दर पर प्रभारित की जानी चाहिए ।

325. प्रतियों का तैयार और जारी किया जाना—प्रतिलिपि फीस प्राप्त होने पर प्रतियां या उद्धरण तैयार करवाये जायेंगे और कार्यालय के प्रधान या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी के द्वारा जांच के पश्चात् सत्य रूप से में प्रमाणित की जायेंगी और यदि आवेदक उन्हें प्राप्त करने के लिए व्यक्तिशः रूप से उपस्थित हुआ हो या किसी को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत करे तो उसे दे दी जायेंगी या यदि आवेदक ने इस प्रयोजन के लिए डाक महसूल स्टाम्प जमा करा दिये हो तो उसे डाक द्वारा भिजवा दी जायेंगी ।

326. प्रतियां देने का समय—(1) प्रतियां साधारणतया 4 दिन के भीतर-भीतर जारी कर दी जायेंगी ।

(2) अत्यावश्यक प्रतियां 24 घन्टों के भीतर-भीतर दे दी जायेगी ।

327. अस्वीकृति के आधार—(1) जब कोई निरीक्षण प्रति का दिया जाना अननुज्ञात किया जाये तो उससे सम्बन्धित आवेदन को उस पर एक पृष्ठांकन के द्वारा अस्वीकृत कर दिया जायेगा जिस पर उसके कारणों का संक्षेप में कथन किया जायेगा और आवेदक को तद्नुसार सूचित किया जायेगा ।

(2) कार्यालयिक पत्राचार, कागजात और किसी ऐसे दस्तावेज की जो स्वयं एक प्रतिलिपि हो, कोई प्रति नहीं दी जायेगी ।

328. निरीक्षण/प्रतियां दिये जाने के आवेदकों का रजिस्टर :—(1) प्रत्येक पंचायती राज संस्था के कार्यालय में ऐसे आवेदनों की प्रविष्टि करने के लिए रजिस्टर रखा जायेगा जिसमें आवेदक/स्वैच्छिक एजेन्सी का नाम, आवेदन की तारीख और प्ररूप सं. 44 में जमा की गयी रकम उपदर्शित की जायेंगी।

(2) सभी निरक्षण अधिकारी अपने निरीक्षण के समय ऐसे रजिस्टर का निरीक्षण करेंगे।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियम 321 से 324 तक का अनुपालन सुनिश्चित करेगा और समय-समय पर उसका पुनर्विलोकन करेगा।

**श्रीगंगानगर की सड़कों का जीर्णोद्धार**

143. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि श्रीगंगानगर शहर की सड़कें टूटी-फूटी व खस्ता हाल हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों को ठीक करवाने हेतु नगर परिषद्, श्रीगंगानगर को अतिरिक्त राशि स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कितनी राशि? यदि नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

नगर परिषद अपने सीमित आर्थिक साधनों से इन सड़कों की मरम्मत वर्षा ऋतु की समाप्ति पर 15 सितम्बर से शुरू करवाने जा रही है।

नगर परिषद, श्रीगंगानगर को सड़कों को ठीक करवाने हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई राशि आवंटित नहीं की गई है। क्योंकि नगर निगमों/परिषदों के लिये इस हेतु बजट में पृथक से कोई प्रावधान नहीं है।

## परिशिष्ट—5

## (अतारांकित प्रश्न संख्या 169 की प्रति)

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (अनुभाग-1) विभाग

क्रमांक :—एफ. 19 (16) प्र. सु./सम./अनु. 1/95 जयपुर, दिनांक :-12-8-97

### परिपत्र

राजकीय भवनों/बस्तियों के शिलान्यास या उद्घाटन समारोह सरकारी अधिकारियों द्वारा सम्पादित नहीं किये जाने एवं ऐसे समारोहों के दौरान शिलालेखों पर अपना नाम अंकित नहीं कराने के सम्बन्ध में परिपत्र क्रमांक प. 18 (18) प्र. सु./अनु. 1/92/94, दिनांक 19-9-94 एवं परिपत्र क्रमांक प. 19 (16) प्र. सु./अनु. 1/सम./95 दिनांक 14-11-95 द्वारा स्पष्ट निर्देश प्रसारित कर राजकीय अधिकारीगण को ऐसे कार्यों हेतु प्रतिबन्धित किया गया है।

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि कुछ जगहों पर अधिकारीगण इनकी पालना नहीं कर रहे हैं। अतः समस्त अधिकारीगण का ध्यान पुनः इस ओर आकर्षित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस प्रकार के समारोहों में न तो मुख्य अतिथि या अध्यक्ष के रूप में भाग लेवें और ना ही शिलालेखों/नाम पट्टिकाओं पर अपना नाम अंकित करायें। ऐसा करना दुराचरण (Misconduct) की श्रेणी में समझा जायेगा व ऐसा करने वाले अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

इन निर्देशों की पालना कड़ाई से की जाये।

ह०/-

(एम. एल. मेहता)

मुख्य सचिव

## परिशिष्ट—6

### (अतारांकित प्रश्न संख्या 170 की प्रति)

परिशिष्ट "क"

राजस्थान सरकार

मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक : प. 12 (2) मं. मं./92 जयपुर, दिनांक 6-6-1994

आज्ञा

मंत्रिमण्डल द्वारा लिये गये निर्णय संख्या 88/94 दिनांक 2 जून, 1994 के अनुसार मंत्री, राज्य मंत्री व उप मंत्रीगण अब एक माह में 15 दिन से अधिक दौरा नहीं करेंगे एवं राजस्थान से बाहर यात्रा करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

ह०/-

(बी. एल. सारस्वत)

विशिष्ट शासन सचिव

## परिशिष्ट—7

### (अतारांकित प्रश्न संख्या 173 की सूची)

परिशिष्ट "अ"

राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर

रिफण्ड किये गये आवेदकों की सूची :—उच्च आय वर्ग

| क्र. सं. | नाम आवेदक का | मूल चालान संख्या |
|---|---|---|
| 1. | श्री अब्दुल हमीद बेग | 29812 |
| 2. | ,, अशोक कुमार शर्मा | 33336 |
| 3. | ,, आनन्द कुमार गोयल | 36716 |
| 4. | ,, अनिल कुमार खन्ना | 23505 |
| 5. | ,, बुद्ध प्रकाश अग्रवाल | 70471 |
| 6. | ,, बालकिशन शर्मा | 33046 |
| 7. | ,, ब्रिजेश चन्द्र मक्कड़ | 33871 |
| 8. | ,, द्वारका लाल गुप्ता | 32725 |
| 9. | ,, दीपक गुप्ता | 32015 |
| 10. | ,, द्वारका दास काबरा | 44962 |
| 11. | ,, गिरीश पारीक | 27999 |
| 12. | ,, गेहरा लाल माथुर | 26078 |
| 13. | ,, गोविन्द माधव शर्मा | 30685 |
| 14. | ,, गुरुदयाल सिंह मान | 30700 |
| 15. | ,, हरीशचन्द्र खण्डेलवाल | 35222 |
| 16. | ,, हरी प्रसाद वर्मा | 28313 |
| 17. | ,, इन्द्रजीत सिंह | 31267 |
| 18. | ,, जितेन्द्र राजन | 28609 |
| 19. | ,, केदार नाथ | 29512 |
| 20. | ,, खेमराव राव | 25152 |
| 21. | मिस कल्पना शर्मा | 11344 |

| क्र. सं. | नाम आवेदक का | मूल चालान संख्या |
|---|---|---|
| 22. | श्री किशोर लाल | 39850 |
| 23. | ,, कृष्णकान्त वर्मा | 27150 |
| 24. | ,, लखनलाल शर्मा | 27922 |
| 25. | ,, मजींत लाल ढींगरा | 32726 |
| 26. | ,, एम. आई. खान | 25167 |
| 27. | ,, एम. एल. अग्रवाल | 39840 |
| 28. | ,, महेन्द्रस्वरूप | 25339 |
| 29. | ,, महेन्द्र प्रताप रतनावत | 27941 |
| 30. | ,, मनीष कोचर | 29983 |
| 31. | ,, ए. डी. मूलवानी | 26409 |
| 32. | ,, मिर्जा फैयाज बेग | 26026 |
| 33. | ,, निरंजन कुमार दोषी | 25326 |
| 34. | ,, नरेन्द्रपाल सिंह | 42456 |
| 35. | ,, निहाल चन्द्र सोनी | 29815 |
| 36. | ,, ओ. पी. झाझरिया | 34220 |
| 37. | ,, पंकज भण्डारी | 33817 |
| 38. | ,, पुरूषोत्तम कुमार सोनी | 27104 |
| 39. | ,, राजेन्द्र सिंह बोहा | 33764 |
| 40. | ,, रामजीलाल खण्डेलवाल | 29833 |
| 41. | ,, राकेश कुमार भार्गव | 25330 |
| 42. | ,, रवि किशन माथुर | 33826 |
| 43. | ,, रघुवेन्द्र बिहारी माथुर | 25820 |
| 44. | ,, रवि किशन आकड़ | 33225 |
| 45. | ,, राधा किशन आकड़ | 33224 |
| 46. | ,, राधेश्याम गुप्ता | 26284 |
| 47. | ,, रमाकान्त पारीक | 25174 |
| 48. | ,, सुशील भोजवानी | 25103 |

| क्र. सं. | नाम आवेदक का | मूल चालान संख्या |
|---|---|---|
| 49. | श्री सुनील दत्त | 44228 |
| 50. | ,, सोहन लाल शर्मा | 25200 |
| 51. | ,, सुधीर कुमार खण्डेलवाल | 33378 |
| 52. | ,, सिराज मोहम्मद खान | 25149 |
| 53. | ,, शीतल दास | 25358 |
| 54. | ,, सैयद शाही नकवी | 25136 |
| 55. | श्रीमती शारदा पाठक | 36025 |
| 56. | श्री सोहन सिह सोलंकी | 39450 |
| 57. | ,, शब्बीर अहमद चौधरी | 30697 |
| 58. | ,, सत्य प्रकाश शर्मा | 29881 |
| 59. | ,, श्रवणसिंह | 44202 |
| 60. | ,, सत्य प्रकाश गुप्ता | 26662 |
| 61. | ,, ताराचन्द जैन | 25163 |
| 62. | ,, बिहारी लाल घीमंड़ा | 30094 |
| 63. | ,, शिवचरण गुप्ता | 26205 |
| 64. | ,, जगमोहन जसोरिया | 33379 |
| 65. | ,, राजकुमार शर्मा | 33847 |
| 66. | श्रीमती माया जैन | 26628 |
| 67. | श्री अशोक कुमार शर्मा | 31285 |
| 68. | ,, सुभाष चन्द जैन | 25125 |
| 69. | ,, अब्दुल गाफ | |
| 70. | ,, नारायण दत्त शर्मा | 27915 |
| 71. | ,, कैलाश शर्मा | 27969 |

ह०/-

कार्यालय अधीक्षक (मु.)

राजस्थान आवासन मण्डल

जयपुर

# परिशिष्ट—8

## (अतारांकित प्रश्न संख्या 176 की सूचना)

सांगानेर विधान सभा क्षेत्र में विभाग द्वारा निर्मित जलाशयों की स्थिति

परिशिष्ट "म"

| क्र. सं. | तहसील. | योजना का नाम | ग्राम का नाम | कोड नं. | उच्च जलाशय क्षमता | भूतल जलाशय क्षमता | चालू | बन्द | वि. वि. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | चाकसू | पाईप्ड योजना, शिवदासपुरा | शिवदासपुरा | 12 | 100 के.एल. | .... | चालू | .... | .... |
| 2. | ,, | चन्दलाई | चन्दलाई | 10 | 100 के.एल. | .... | ,, | .... | .... |
| 3. | ,, | क्षेत्रीय योजना, सवाईजयसिंहपुरा | सवाईजयसिंहपुरा | 123 | .... | 25 के.एल. | ,, | .... | .... |
| 4. | ,, | बिहारीपुरा | बिहारीपुरा | 100 | .... | 15 ,, | ,, | .... | .... |
| 5. | ,, | काठावाला | यारलीपुरा | 87 | .... | 15 ,, | ,, | .... | .... |
| | | यारलीपुरा | काठावाला | 88 | .... | 25 ,, | ,, | .... | .... |
| 6. | ,, | | गोपीरामपुरा | 89 | .... | 10 ,, | ,, | .... | .... |
| | | | जुझारपुरा | 99 | .... | 10 ,, | ,, | .... | .... |
| | | | दादनपुरा | 98 | .... | 10 ,, | ,, | .... | .... |
| | | | जानकीवल्लभपुरा | 101 | .... | 10 ,, | ,, | .... | .... |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | चाकसू | नरहरपुरा–द्रगपालपुरा | नरहरपुरा | 110 | 100 के. एल. | 20 के एल. | चालू | .... | .... |
| 8. | ,, | | उदयपुरिया | 111 | .... | 20 ,, | ,, | .... | .... |
| 9. | ,, | | द्रगपालपुरा | 107 | .... | 20 ,, | ,, | .... | .... |
| 10. | ,, | किशनपुरा झालीवास | झालीवास | 112 | .... | 25 ,, | ,, | .... | .... |
| 11. | ,, | बाडामकसूदपुरा | बाडामकसूदपुरा | 19 | .... | 45 ,, | ,, | .... | .... |
| 12. | ,, | घोराना | घोराना | 25 | .... | 10 ,, | ,, | .... | .... |
| 13. | ,, | | सन्तोषपुरा | 21 | .... | 10 ,, | बन्द | .... | सार्वजनिक नलों द्वारा पानी वितरण किया जा रहा है। |
| 14. | ,, | | रायपुरा व सांगानेर | 18 | .... | 20 ,, | ,, | .... | ,, |
| 15. | ,, | | पाचुडा | 18 | .... | 10 ,, | ,, | .... | ,, |
| 16. | ,, | चकशिवदासपुरा घूणीजयलालपुरा | चकशिवदासपुरा | 17 | .... | 10 ,, | चालू | .... | .... |
| 17. | ,, | मानपुर डूंगरी | बीडसुरतरामपुरा | 102 | .... | 10 ,, | ,, | .... | .... |
| | | | रायपुरा बुर्ज | 104 | .... | 10 ,, | ,, | .... | .... |
| | | | मानपुर डूंगरी | — | .... | 10 ,, | ,, | .... | .... |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | चाकसू | हंसराजपुरा कल्याणपुरा | कल्याणपुरा | 105 | .... | 25 के.एल. | चालू | .... | .... |
| 19. | सांगानेर | सांगानेर शहरी | सांगानेर | शहरी | 290000 ली. | 135000 ली. | ,, | .... | .... |
| 20. | ,, | बगरू शहरी | बगरू | शहरी | 80000 ,, | 270000 ,, | ,, | .... | .... |
| 21. | ,, | बीलवा ग्रामीण | बीलवा | 205 | 50000 ,, | .... | ,, | .... | .... |
| 22. | ,, | वाटिका ग्रामीण | वाटिका | 123 | 90000 ,, | .... | ,, | .... | .... |
| 23. | ,, | क्षे. ज. प्र. यो. खेतापुरा | खेतापुरा/जयराजपुरा | 207 | .... | 10000 ली. | ,, | .... | .... |
| | | | खेतापुरा | 189 | .... | 10000 ली. | ,, | .... | .... |
| | | | दयालपुरा | 127 | .... | 25000 ,, | ,, | .... | .... |
| | | | भाटावाला | 128 | .... | 15000 ,, | ,, | .... | .... |
| | | | श्यामपुरा बुहारिया | 186 | .... | 15000 ,, | ,, | .... | .... |
| | | | भानुपुरा नागलिया | 208 | .... | 20000 ,, | ,, | .... | .... |
| | | | लक्ष्मीपुरा | 190 | .... | 10000 ,, | ,, | .... | .... |
| | | | मानगपुरा देवलिया | 40 | 90000 ली. | — | ,, | .... | .... |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. | सांगानेर | क्षे. ज. यो. देवलिया | पारलीपरसा बगरू खुर्द | 38 | .... | 15000 ली. | चालू | .... | .... |
| | | | टील्यावास | 39 | .... | 10000 ,, | ,, | .... | .... |
| | | | सीरोटा | 33 | .... | 10000 ,, | ,, | .... | .... |
| | | | नृसिंहपुराढारिया | 35 | .... | 10000 ,, | ,, | .... | .... |
| | | | हसमपुरा | 32 | .... | 15000 ,, | ,, | .... | .... |
| | | | पारलीपरसा बैरवाढाणी | 34 | .... | 10000 ,, | ,, | .... | .... |
| | | | पारलीपरसा | 34 | .... | 10000 ,, | ,, | .... | .... |
| 25. | ,, | क्षे. ज. यो. जाटीवाला | लाखना | 114 | .... | 20000 ,, | ,, | .... | पंचायत द्वारा संचारित |
| | | | जाटीवाला | 115 | .... | 20000 ,, | ,, | .... | .... |
| 26 | ,, | क्षे. ज. यो. कालवाडसीरानी | चतरपुरा | 94 | .... | 20000 ,, | ,, | .... | अन्तिम छोर |
| | | | कलवाडा | 36 | टी 15000 ली. | 90000 ,, | ,, | .... | .... |
| | | | सूरतपुरा | 28 | .... | 10000 ,, | ,, | .... | .... |
| | | | मोपाढाणी कालवाड | 36 | .... | 10000 ,, | ,, | .... | .... |
| | | | बैरवा ढाणी कालवाड | 36 | .... | 10000 ,, | ,, | .... | .... |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | कुमावत ढाणी कालवाड | 36 | .... | 10000 ली. | चालू | .... | .... |
| | | | सीरानी | 27 | .... | 10000 ,, | ,, | .... | .... |
| | | | प्रेमपुरा | 91 | .... | 10000 ,, | ,, | .... | .... |
| | | | दौलतपुरा | 93 | .... | 10000 ,, | ,, | .... | .... |
| | | | देवतों की ढाणी | 27 | .... | 10000 ,, | ,, | .... | .... |
| | | | सीरानी भांकरों की ढाणी | 27 | .... | 10000 ,, | ,, | .... | .... |
| 27. | सांगानेर | क्षे. ज. यो. उतीरामपुरा | पीपली वाली ढाणी | | | | | | |
| | | | कालवाड | 36 | .... | 15000 ,, | ,, | .... | .... |
| | | | रामपुरा | 15 | .... | 35000 ,, | ,, | .... | .... |
| | | | उती | 15 | .... | 35000 ,, | ,, | .... | .... |
| | | | लक्ष्मीनारायणपुरा | 18 | .... | 20000 ,, | ,, | .... | .... |
| | | | नववाडिया | 19 | .... | 25000 ,, | ,, | .... | .... |
| | | | मनुपपुरा | 19 | .... | 20000 ,, | ,, | .... | .... |
| 28. | ,, | पीएण्ड श्योपुर | श्योपुर | 138 | .... | 20000 ,, | ,, | .... | .... |

## परिशिष्ट—9

## (अतारांकित प्रश्न संख्या 177 की सूची)

प्रश्न संख्या : 618 परिशिष्ट—"ब"

### विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में सूखे एवं परित्यक्त हैण्ड पम्पों की सूची

| क्र.सं. | ग्राम का नाम | कोड नं. | हैण्ड पम्प का स्थान | सूखा/ परित्यक्त |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | बनार | 2 | 1. सुनार मोहल्ला | परित्यक्त |
| 2. | " | 2 | 2. जोगी बस्ती | " |
| 3. | " | 2 | 3. देवता पथ | " |
| 4. | " | | 4. जोहड़ा वाला | " |
| 5. | पानेड़ा | 5 | 1. हरीजन बस्ती | " |
| 6. | धवली | 8 | 1. स्कूल वाला | सूखा |
| 7. | " | | 2. हरीजन बस्ती | " |
| 8. | हसनपुरा | 9 | 1. चोपाल वाला | परित्यक्त |
| 9. | रामकरणपुरा | 10 | 1. धर्मशाला के पास | " |
| 10. | मखराना | 11 | 1. कंजरों वाला | " |
| 11. | " | | 2. स्कूल वाला | " |
| 12. | अमरपुरा | 12 | 1. चोपाल वाला | " |
| 13. | " | | 2. स्कूल वाला | " |
| 14. | नांगल चोटिका | 13 | 1. ढाणी धाबाई | " |
| 15. | जयसिंहपुरा | 14 | 1. चौपाल वाला | " |
| 16. | " | | 2. हरीजन बस्ती | " |
| 17. | " | | 3. पीपली वाला | " |
| 18. | गोपालपुरा | 15 | 1. सूलवाला | " |
| 19. | करवास | 16 | 1. हरीजन बस्ती | " |
| 20. | " | | 2. धर्मशाला के पास | " |
| 21. | " | | 3. धानका बस्ती | " |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 22. | कालूहेडा | 18 | 1. हरीजन बस्ती | ,, |
| 23. | गोनेड़ा | 19 | 1. हरीजन बस्ती | ,, |
| 24. | ,, | | 2. खटीक बस्ती | ,, |
| 25. | मलपुरा | 22 | 1. चौपाल वाला | ,, |
| 26 | गोरधा | 23 | 1. हरीजन बस्ती | ,, |
| 27. | ,, | | 2. हरीजन बस्ती, रास्ते पर | ,, |
| 28. | खेड की मुक्कड | 25 | 1. स्कूल के पास | ,, |
| 29. | ,, | | 2. फारसा वाला | ,, |
| 30. | सांगटेड़ा | 27 | 1. कन्या पाठशाला | ,, |
| 31. | ,, | | 2. हरीजन बस्ती | ,, |
| 32. | खरखड़ी | 31 | 1. चौपाल वाला | ,, |
| 33. | पूरन नगर | 34 | 1. कुएं के पास | ,, |
| 34. | ,, | | 2. फरसा वाला | ,, |
| 35. | कायमपुरा वास | 38 | 1. हरीजन बस्ती | ,, |
| 36. | चुरी | 40 | 1. मन्दिर के पास | ,, |
| 37. | ,, | | 2. राम नारायण के सामने | ,, |
| 38. | नवल कुशालपुरा | 42 | 1. चोटिया तिराहे पर | ,, |
| 39. | पदमा की ढाणी | 43 | 1. चौपाल वाला | ,, |
| 40. | कल्याणपुरा कलां | 45 | 1. चौपाल वाला | ,, |
| 41. | ,, | | 2. हरीजन बस्ती | ,, |
| 42. | खडब | 46 | 1. सामियों की ढाणी | ,, |
| 43. | ,, | | 2. खटीक बस्ती | ,, |
| 44. | पिचानी | 47 | 1. हरीजन बस्ती | सूखा |
| 45. | ,, | | 2. राजपूत बस्ती | परित्यक्त |
| 46. | शुक्लावास | 48 | 1. धानका बस्ती | ,, |
| 47. | ,, | | 2. ढाणी त्रिपाला | ,, |
| 48. | बेरी | 50 | 1. ढाणी पावधेसनिया | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 49. | सुन्दरपुरा | 51 | 1. स्कूल वाला | परित्यक्त |
| 50. | ,, | | 2. कुड़ी की ढाणी | ,, |
| 51. | डाढा | 52 | 1. इन्द्रा कालोनी | ,, |
| 52. | ,, | | 2. राजपूत बस्ती | सूखा |
| 53. | ,, | | 3. हनुमानजी का रास्ता | ,, |
| 54. | गुलाबगढ़ | 53 | 1. राजपूत बस्ती | परित्यक्त |
| 55. | ,, | | 2. ढाणी सिरसोडी | सूखा |
| 56. | दांतली | 55 | 1. राजपूत बस्ती | परित्यक्त |
| 57. | मीरापुर | 56 | 1. मीरापुर फार्म | ,, |
| 58. | बुचारा | 61 | 1. राजपूत बस्ती | ,, |
| 59. | ,, | | 2. महाजन बस्ती | ,, |
| 60. | ,, | | 3. स्कूल वाला | सूखा |
| 61. | रूपपुरा | 62 | 1. ढाणी थस्थल | परित्यक्त |
| 62. | फतेहपुरा खुर्द | 63 | 1. ढाणी भूलेश्वर | सूखा |
| 63. | भोनावास | 64 | 1. स्कूल वाला | परित्यक्त |
| 64. | तोरडा कलां | 65 | 1. ढाणी कायथा वाली | ,, |
| 65. | पवाना अहीर | 72 | 1. बड़ वाला | ,, |
| 66. | ,, | | 2. हरीजन बस्ती | सूखा |
| 67. | फतेहपुरा कलां | 73 | 1. हरीजन बस्ती | परित्यक्त |
| 68. | ,, | | 2. शिव मन्दिर वाला | ,, |
| 69. | ,, | | 3. स्कूल वाला | ,, |
| 70. | ,, | | 4. अहीर बस्ती | सूखा |
| 71. | सेडानिहालपुरा | 77 | 1. नई ढाणी | परित्यक्त |
| 72. | चान चक्की | 79 | 1. खानका बस्ती | ,, |
| 73. | तापरी | 81 | 1. कुएं के पास | ,, |
| 74. | ,, | | 2. चौपाल वाला | ,, |
| 75. | ,, | | 3. स्कूल वाला | ,, |
| 76. | ,, | | 4. बावरिया वाला | ,, |
| 77. | ,, | | 5. चौकी वाला | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 78. | चतुर्भूज | 84 | 1. शिव मन्दिर के पास | ,, |
| 79. | ,, | | 2. स्कूल के पास | सूखा |
| 80. | नांगल पणितपुरा | 89 | 1. धर्मशाला के पास | परित्यक्त |
| 81. | ,, | | 2. गुर्जर मोहल्ला | ,, |
| 82. | तामोरी वास | 91 | 1. शिव मन्दिर के पास | ,, |
| 83. | नांगली वास | 92 | 1. ढाणी जाटों की | ,, |
| 84. | पेजूका | 94 | 1. स्कूल के पास | ,, |
| 85. | मालोजी | 96 | 1. हरीजन बस्ती | ,, |
| 86. | सुन्दरपुरा | 100 | 1. बावरिया बस्ती | ,, |
| 87. | ,, | | 2. पंचायत भवन तिराहे पर | ,, |
| 88. | ,, | | 3. पिताम्बर सेठ के पास | सूखा |
| 89. | किरतपुरा | 101 | 1. ढाणी चमारों की | परित्यक्त |
| 90. | कांसली | 102 | 1. हरीजन बस्ती | ,, |
| 91. | कंवरपुरा | 105 | 1. होली वाला | ,, |
| 92. | ,, | | 2. खातियों वाला | ,, |
| 93. | ,, | | 3. धर्मशाला वाला | ,, |
| 94. | ,, | | 4. प्रभात यादव के पास | सूखा |
| 95. | मोहनपुरा | 106 | 1. स्कूल वाला | परित्यक्त |
| 96. | ,, | | 2. हरीजन बस्ती, जोधपुरा | ,, |
| 97. | अजीतपुरा कलां | 108 | 1. महाजन बस्ती | ,, |
| 98. | ,, | | 2. जाटो वाला | ,, |
| 99. | ,, | | 3. हरीजन बस्ती | ,, |
| 100. | ,, | | 4. धर्मशाला वाला | ,, |
| 101. | ,, | | 5. मीणा बस्ती | सूखा |
| 102. | भैसलाना | 109 | 1. जोगी बस्ती वाला | परित्यक्त |
| 103. | कूजोंता | 110 | 1. राजपूत बस्ती | ,, |
| 104. | ,, | | 2. कंजरों की ढाणी | सूखा |
| 105. | दादूका | 113 | 1. माली मीणा बस्ती | परित्यक्त |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 106. | पाथरेडी | 114 | 1. राजपूत बस्ती | ,, |
| 107. | ,, | | 2. ढाणी सेडूसिंह | सूखा |
| 108. | प्रयागपुरा | 118 | 1. हरीजन बस्ती | परित्यक्त |
| 109. | मांजूकोट | 120 | 1. स्कूल वाला | ,, |
| 110. | ,, | | 2. ढाणी मालीपा वाला | ,, |
| 111. | पावटा | 122 | 1. ढाणी खार वाला | ,, |
| 112. | लाडा का वास | 125 | 1. ढाणी धानका | ,, |
| 113. | ठीकरिया | 126 | 1. हरीजन बस्ती | ,, |
| 114. | ,, | | 2. धानका बस्ती | ,, |
| 115. | बडनगर | 129 | 1. ढाणी थालोड़ा | ,, |
| 116. | मण्डा | 153 | 1. कुम्हार मोहल्ला | ,, |
| 117. | ,, | | 2. हरीजन बस्ती | ,, |
| 118. | ,, | | 3. भासरी रास्ते पर | ,, |
| 119. | राजनोता | 134 | 1. मीणा बस्ती | ,, |
| 120. | पांच डाला | 137 | 1. पारीक राजपूत बस्ती | ,, |
| | | | कुल परित्यक्त हैण्ड पम्प | 104 नम्बर |
| | | | कुल सूखे हैण्ड पम्प | 16 नम्बर |
| | | | योग :— | 120 नम्बर |

## परिशिष्ट—10

## (अतारांकित प्रश्न संख्या 184 की प्रति)

### मुकदमा नं. 134/97 थाना मोण्डर की प्रथम सूचना रिपोर्ट

ईत्तला जबानी

दिनांक 13-7-97 एम. या 4 ए. एम.

प्रार्थी श्री कालुलाल पिता हेमराज जी अहीर उम्र 30 साल पेशा खेती निवासी धारना थाना मोण्डर ने उपस्थित थाना हो जबानी इतला दी कि आज रात्री को करीब 1 बजे की बात है कि मेरे पिताजी हेमराज जी व बड़े पिताजी रामा जी मेरे कुआ नामी मोटा वाला पर मुगफली तोड़कर डाल रखी है। कि रखवाली पर कुएं पर सो रहे थे। कि उनके लिए खाना लेकर मेरे भ्याईजी श्रीनारायण जी पिता नन्दा जी अहीर निवासी जेतपुरा मेरे घर थे। कुएं पर लेकर गये। मेरे मामाजी श्री रूपालाल पिता कैलाजी अहिर निवासी धारता जिनका कुआ मेरे कुएं के पास है। वो भी कुएं पर सोये थे। उन्होंने आकर घर मुझे बताया कि मेरे पिताजी व बड़े पिताजी व भ्याईजी नारायण जी को श्री पृथ्वीराज पिता माना अहीर शकर पिता माना अहीर दोनों एक टैक्टर नं. याद नहीं मैसो था मैं 25-30 आदमी भर कर साथ में लकड़िया व शस्त्र लेकर मारपीट करने मेरे कुएं पर हम सलाह हो गये। व उनके साथ मारपीट करके सुन गया तो मामाजी के साथ भी मारपीट लकड़ियों से की जिससे उनके शरीर पर चोटें लगीं खून से लथपथ थे वे मेरे पास आये जिन्होंने यह बात बताई है व मेरे पिताजी व बड़े पिताजी व भ्याई नारायण जी के साथ कितनी मारपीट की है वो खेत पर ही है। मैं मेरे घर से सीधा इतला करने आया हूं मेरे मामाजी मेरे घर पर है इतला करता हूं कानूनी कार्यवाही की जाये। मुलजिमान पृथ्वीराज व उसके भाई ने हमारे खेती की जमीन के अन्दर जबरदस्ती रास्ता निकालने के लिए हम सलाह हो लकड़ियों व शस्त्रों से लैस हो मारपीट की है।

sd.
कालू लाल

**थाना मोण्डर**

1. इत्तला जुबानी प्रार्थी के लिखाने अनुसार लिखी जाकर पढ़कर सुनाई सुन समझ सही मान कर हस्ताक्षर किये।

sd.
कालू लाल

2. मजमुन इतला से जुर्म धारा 147, 148, 447, 323, 149, आई. पी. सी. का वकुबे में आना पाया जाने से मु. नं. 134/97 जुर्म सदर में दर्ज रजिस्टर कर मन आई/सो थाना ए. एस. आई. भैरूसिह ने तफ्तीश शुरू की।
3. नकल एफ. आई. आर. प्रार्थी को निःशुल्क दी जाये।

sd.
कालू लाल

sd.
भैरूसिह ASI
I/C थाना मोण्डर

परिशिष्ट 'ब'

## परिशिष्ट-11

### (अतारांकित प्रश्न संख्या 194 की प्रति)

हक बन्दी (खतौनी) ग्राम —रानोवास, पटवार हल्का—लाहडोकावास, भू-अभिलेख निरीक्षक हल्का—नांगल राजावतान
तहसील —दौसा, जिला - दौसा (राजस्थान) सम्वत् 2052 से 2055

| कृषक (खतौनी) संख्या | | | | | | | | कृषक द्वारा संदत लगान तथा अन्य शोध्य | | | सम्वत........के लिए | | सम्वत के.......लिए | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नयी | पुरानी | भू-धारकों का नाम | काश्तकार का नाम मय पिता का नाम जाति तथा निवास स्थान के पते सहित एवं भूधृति का स्वरूप | खसरा संख्या | क्षेत्रफल | मृदा (भूमि) वर्गीकरण | सिंचाई के साधन | दर सहित विवरण | रकम | अन्तरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरण-करण के आदेश की संख्या तथा तारीख | भूमि के ब्यौरे सहित अन्तरण की विशिष्टयां जिसके पक्ष में भूमि अन्तरित की गई है | अन्तरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरण-करण के आदेश की संख्या तथा तारीख | भूमि के ब्यौरे सहित अन्तरण की विशिष्टयां जिसके पक्ष में भूमि अन्तरित की गई है | अन्तरण के प्रकार सहित अनु-1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 | 2 | ,, | अमरा रामरतन पि. भागीरथा कोम मीना साकिन खातेदार | 1392 | 609 | गोचर | | | | | | | | |

सरकारी कार्य हेतु आंशिक नकल आदेश के मुताबिक दी गई।

प्रमाणित
ह०
तहसीलदार
तहसील दौसा जिला दौसा

# परिशिष्ट—12

## (अतारांकित प्रश्न संख्या 200 की सूचियां)

### उदयपुर जिले में स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की पंचायत समितिवार सूची

| पंचायत समिति | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम |
|---|---|
| 1. भीण्डर | 1. खेरोदा |
| | 2. रूण्डेड़ा |
| | 3. मोही |
| | 4. भटेवर |
| | 5. मेनार |
| 2. धरियावाद | 6. पारसोला |
| | 7. कुण |
| | 8. कालीभीत |
| | 9. मुंगाना |
| | 10. देवला |
| | 11. नया बोरिया |
| | 12. पहाड़ा |
| 3. मावली | 13. डबोक |
| | 14. घासा |
| | 15. साकरोदा |
| | 16. ईंटाली |
| | 17. खेमली |
| | 18. घान्देसरा |
| | 19. पलानाकलां |
| | 20. थामला |
| 4. सलूम्बर | 21. गिंगला |
| | 22. बस्सी |
| | 23. उथरदा |
| | 24. भवराना |
| | 25. सोरया |
| | 26. ईन्टालीखेड़ा |
| | 27. ओड़वाड़िया |
| 5. कोटड़ा | 28. बेकरिया |
| | 29. मामेर |
| | 30. पडावली |
| | 31. बिकरणी |
| | 32. माण्डवा |
| | 33. मालवों का चोरा |
| 6. गोगुन्दा | 34. सायरा |
| | 35. भानपुरा |

| पंचायत समिति | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम | पंचायत समिति | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम |
|---|---|---|---|
| | 36. नान्देसमा | | 55. टीडी |
| | 37. पदराडा | | 56. बारावाल |
| 7. झाड़ोल | 38. ओगणा | | 57. बम्बोरा |
| | 39. मादड़ी | | 58. सबिनाखेड़ा |
| | 40. फलासिया | | 59. देवाली (गोवर्धन विलास) |
| | 41. कोल्यारी | | 60. भैंसड़ाखुर्द |
| | 42. पानरवा | | 61. मल्लों का गुढ़ा |
| | 43. सोम | | |
| 8. सराड़ा | 44. पलोदड़ा | 10. खेरवाड़ा | 62. बावलवाड़ा |
| | 45. जावद | | 63. छाणी |
| | 46. चावण्ड | | 64. नयागांव |
| | 47. परसाद | | 65. मसारो की ओवरी |
| | 48. सेमारी | | 66. पहाड़ा |
| | 49. सगतड़ा | | 67. कल्याणपुर |
| | 50. देवपुरा | | 68. पीपली |
| | 51. बड़गांव | | 69. पादेड़ी |
| 9. गिर्वा | 52. पई | 11. बड़गांव | 70. बैंदला |
| | 53. नाई | | 71. भूताला |
| | 54. साकरोदा | | 72. लोसिंग |

## भवन रहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की पंचायत समितिवार सूची

| | |
|---|---|
| 1. गोगुन्दा | 1. भानपुरा |
| 2. कोटड़ा | 2. विकरणी |
| | 3. माण्डवा |
| | 4. मालवो का चोरा (वर्ष 1997-98 में भवन निर्माण की स्वीकृति) |
| 3. धरियावद | 5. कूण |
| | 6. मूंगाणा |
| | 7. नमाबोरिया |
| 4. सराडा | 8. बडगांव |
| 5. खैरवाड़ा | 9. पीपली |
| | 10. पादेडी |
| 6. मावली | 11. ईन्टाली |
| 7. बडगांव | 12. मूताला |
| 8. गिर्वा | 13. भैंसडाखुर्द |
| | 14. बारापाल (वर्ष 1997-98 में भवन निर्माण की स्वीकृति) |

## परिशिष्ट-13

### (अतारांकित प्रश्न संख्या 208 का विवरण)

प्रपत्र—"क"

वर्षवार एवं जिलेवार व्यय की गई राशि : (लाखों में)

| क्र.सं | जिला | वर्ष (1994-95) | वर्ष (1995-96) | वर्ष (1996-97) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | अजमेर | 2780.29 | 1933.05 | 1044.59 |
| 2. | अलवर | 2952.48 | 3828.47 | 1137.66 |
| 3. | बांसवाड़ा | 259.63 | 438.03 | 599.91 |
| 4. | बारां | 420.47 | 626.84 | 431.64 |
| 5. | बाड़मेर | 333.20 | 897.81 | 462.69 |
| 6. | भरतपुर | 46.88 | 667.87 | 443.09 |
| 7. | भीलवाड़ा | 59.56 | 266.54 | 306.23 |
| 8. | बीकानेर | 167.32 | 447.16 | 446.33 |
| 9. | बूंदी | 76.32 | 208.93 | 428.73 |
| 10. | चित्तौड़गढ़ | 118.67 | 489.65 | 703.66 |
| 11. | चूरू | 179.47 | 560.69 | 792.09 |
| 12. | दौसा | 88.37 | 209.40 | 374.89 |
| 13. | धौलपुर | 540.47 | 259.27 | 266.99 |
| 14. | डूंगरपुर | 166.33 | 276.02 | 274.44 |
| 15. | गंगानगर | 90.64 | 197.76 | 237.34 |
| 16. | हनुमानगढ़ | 48.43 | 225.20 | 312.05 |
| 17. | जयपुर | 324.59 | 1319.38 | 1692.30 |
| 18. | जैसलमेर | 38.43 | 83.47 | 115.94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 19. | जालौर | 452.81 | 823.36 | 431.98 |
| 20. | झालावाड़ | 120.29 | 400.20 | 319.95 |
| 21. | झुन्झुनूं | 114.92 | 503.02 | 356.47 |
| 22. | जोधपुर | 195.14 | 409 99 | 329.06 |
| 23. | कोटा | 106.83 | 564.63 | 465.43 |
| 24. | नागौर | 314.17 | 570.14 | 441.43 |
| 25. | पाली | 161.62 | 406.45 | 832.73 |
| 26. | राजसमंद | 63.97 | 211.64 | 309.07 |
| 27. | सवाई माधोपुर | 340.37 | 802.03 | 868.07 |
| 28. | सीकर | 212.21 | 513.20 | 397.11 |
| 29. | सिरोही | 964 54 | 438.09 | 369.12 |
| 30. | टोंक | 37.42 | 173.51 | 289.39 |
| 31. | उदयपुर | 2069.29 | 1595.76 | 836.37 |

## परिशिष्ट–14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 210 की सूची)

अनुसूची—1

पंचायत मुख्यालय जो सड़कों से जुड़ने से रह गये

| क्र.सं. | पंचायत मुख्यालय का नाम | स्वीकृति प्रसंग | स्वीकृत राशि (लाख रु) | वास्तविक लंबाई (कि.मी.) | कुल व्यय | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | भनून | जे.आर वाई./580/19-3-93<br>ई. ए. एस./2917/16-3-96<br>ई. ए. एस./1719/11-9-96 | 8.15 | 5.50 | 5.75 | कार्य प्रगति पर है । |
| 2. | कुशलपुरा | जे आर.वाई./580/19-3-94<br>ई. ए. एस./2917–20/16-3-96 | 5.00 | 5.00 | 5.89 | मिट्टी का कार्य पूर्ण तथा एक किमी. ग्रेवल पूर्ण स्वीकृति अपर्याप्त |
| 3. | निमोद राठौड़ | जे.आर.वाई./116/18-4-94<br>ई. ए. एस./2917–20/16-3-97<br>ई. ए. एस./1719/11-9-96 | 9.91 | 7.50 | 6.24 | एलाइनमेंट विवाद के कारण कार्य बन्द ग्रेवल सड़क के अतिरिक्त डब्ल्यू. बी. एम. सड़क के लिए 7.50 लाख रुपये स्वीकृत |
| 4. | बिचपुरी | जे.आर.वाई./174/27-4-94<br>ई. ए. एस./2921/20-3-96<br>ई. ए. एस./1719/11-9-96 | 5.78 | 5.00 | 5.82 | ग्रेवल कार्य अपूर्ण |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | कोहली प्रेमपुरा | जे.आर.वाई./1418/1-9-94<br>ई. ए. एस./1919/11-9-96 | 7 50 | 6.00 | 6.80 | ग्रेवल कार्य अपूर्ण |
| 6. | रानोला | जे.आर.वाई./1501/28-7-93 | 2.50 | 6.00 | 2.45 | ग्रेवल कार्य अपूर्ण |
| 7.<br><br>8. | सांचोली<br>वाया<br>सुन्दरी | जे.आर.वाई./1501/28-7-93<br>ई. ए. एस./2921–25/26-3-96 | 4.00 | 14.00 | 3.54 | डब्ल्यू बी.एम. सड़क के लिए 11 लाख की स्वीकृति अतिरिक्त प्राप्त है, कार्य प्रगति पर है। |
| 9. | गण्डाल | जे.आर.वाई./755/8-6-94<br>एम.एन पी./एफ. 2(167) पी.डब्ल्यू/ए.एस./94/डी–680/एस /डी–94 दिनांक9-12-94<br>बी.एम.एस.पी./एफ 2 (63) पी.डब्ल्यू./दिनांक 5-11-96 | 6.00<br><br>16.00<br><br>12.00 | 6.00 | 23.54 | 4 कि. मी. डामर, 2.3 कि.मी. ग्रेवल रोड, सी. डी. वर्क एवं डब्ल्यू.बी.एम.कार्य प्रगति पर है। |
| | | योग :– 34.00 | | | | |

प्रपत्र 'क'

## परिशिष्ट-15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 211 का प्रपत्र)

डग विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1994-95, 1995-96 एवं 1996-97 में आश्वासित रोजगार योजना में स्वीकृत निम्न सड़कों का निर्माण कार्य करवाया गया

| क्र.सं. | कार्य का नाम | स्वीकृत राशि (लाखों में) | 31-8-97 तक खर्च की गई राशि (लाखों में) | स्वीकृत सड़क की लम्बाई (किमी. में) | सड़क की नवीनतम स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | सम्पर्क सड़क किटिया गंगधार उन्हेल सड़क से | 4.39 | 2.69 | 2.00 | ग्रेवल 3 किमी. |
| 2. | सम्पर्क सड़क मंदिरपुर डग चोमहेला सड़क से | 8.069 | 7.14 | 2.40 | ग्रेवल 3 किमी. |
| 3. | सम्पर्क सड़क पीपलिया खुर्द | 9.34 | 8.27 | 3.00 | ग्रेवल 4 किमी. |
| 4. | सम्पर्क सड़क घतुरिया से हरनावदा | 12.449 | 10.13 | 8.00 | अर्थवर्क 2 किमी. |
| 5. | सम्पर्क सड़क पाड़लिया | 5.51 | 3.47 | 2.00 | अर्थवर्क 2 किमी. |
| 6. | सम्पर्क सड़क लुहारिया से सारंगाखेड़ा | 12.742 | 10.27 | 7.00 | अर्थवर्क 6 किमी. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | सम्पर्क सड़क पारापीपली से रनायरा | 8.592 | 7.70 | 9.00 | अर्थवर्क 7 किमी. |
| 8. | सम्पर्क सड़क कचनारा | 7.934 | 7.15 | 8.00 | अर्थवर्क 3 किमी. |
| 9. | सम्पर्क सड़क डोडी | 14.918 | 10.69 | 9.00 | अर्थवर्क 4 किमी. |
| 10. | सम्पर्क सड़क केलूखेड़ा | 5.42 | 2.43 | 1.50 | ग्रेवल 2 किमी. |
| 11. | सम्पर्क सड़क कुमठिया | 4.814 | 6.12 | 5.00 | ग्रेवल 5 किमी. |
| 12. | सम्पर्क सड़क कुमठिया से चाड़ा | 5.798 | 4.81 | 4.50 | ग्रेवल 3 किमी. |
| 13. | सम्पर्क सड़क गुराड़िया झाल" | 5.429 | 6.26 | 5.00 | ग्रेवल 5 किमी. |
| 14. | सम्पर्क सड़क कुण्डीखेड़ा | 7.773 | 10.45 | 3.00 | कार्य पूर्ण । |
| 15. | सम्पर्क सड़क गुड़ा | 7 06 | 7.86 | 7.00 | कार्य पूर्ण । |
| 16. | सम्पर्क सड़क नाहरघट्टा | 6 77 | 8.07 | 7.00 | कार्य पूर्ण । |
| | योग | 127.008 लाख | 113.51 लाख | 83.40 किमी. | ग्रेवल 42 किमी. अर्थवर्क 28 किमी. |

## परिशिष्ट–16

### (अतारांकित प्रश्न संख्या 223 की प्रति)

### जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जयपुर

क्रमांक : एफ/सुरोयो/दूदू/96-97/1632-41 दिनांक 6-2-97

**प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति**

विकास अधिकारी पंचायत समिति दूदू पत्र क्रमांक निर्माण/214 दिनांक 25-10-96 द्वारा प्रेषित प्रस्तावों के अनुसार सुनिश्चित रोजगार योजना वर्ष 96-97 के अन्तर्गत निम्न अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

| क्र. सं. | निर्माण कार्य का नाम ग्राम पंचायत मय ग्राम | व्यय राशि (लाखों में) श्रम | सामग्री | तखमीने के अनुसार स्वीकृत राशि (लाखों में) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | डब्लू बी. एम. सड़क निर्माण कार्य नेशनल हाईवे-8 से मोखमपुरा ग्राम तक | 2.304 | 1.536 | 3.84 |

स्वीकृत राशि का उपयोग निम्न शर्तों के अनुरूप किया जाये :—

1. उक्त कार्यों पर सुनिश्चित रोजगार योजना के नियमों का पालन करना होगा।
2. व्यय राशि में श्रम व सामग्री का अनुपात 60:40 का होना सुनिश्चित किया जाये।
3. निर्माण कार्य उन्हीं अकुशल श्रमिकों द्वारा कराया जाये जिनको इस योजना के अन्तर्गत परिवार कार्ड वितरण किये गये हो।
4. मासिक प्रगति प्रतिवेदन हर माह की दो तारीख तक भिजवाया जाये।
5. किश्त का वितरण सक्षम अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार विकास अधिकारी द्वारा समय-समय पर किया जाये।
6. कार्य पूर्ण होते ही मूल्यांकन सक्षम अभियन्ता से कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र भिजवाने की जिम्मेदारी विकास अधिकारी की होगी।
7. कार्य मापदण्ड के अनुसार करवाया जाये, यदि कोई परिवर्तन हो तो अभिकरण की स्वीकृति ली जाये।

उक्त स्वीकृति का अनुमोदन जिला कलक्टर महोदय से पत्रावली की नोटशीट के पैरा संख्या 45 पर करवा लिया गया है।

ह०/–

प्रति. कलक्टर (विकास)

# परिशिष्ट – 17

## (अतारांकित प्रश्न संख्या 224 की सूची)

परिशिष्ट "अ"

### वर्ष 1995-96 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की सूची

| क्र. सं. | सड़क का नाम | योजना का नाम |
|---|---|---|
| 1. | बी. टी. सड़क निर्माण बूडसू से जूसरिया | निर्बन्ध राशि योजना |
| 2. | ए आर. चाण्डी | आश्वासित रोजगार योजना |
| 3. | ए. आर. भरनाई किमी. 0/2 से 3/0 | ,, ,, ,, |
| 4. | ए. आर. खारड़िया | ,, ,, ,, |
| 5. | ए. आर. नावद से घाघनवा | ,, ,, ,, |
| 6. | ए. आर बूडसू से कूकड़ोद | ,, ,, ,, |
| 7. | ए. आर. भरनाई किमी. 3/0 से 4/0 | ,, ,, ,, |
| 8. | ए. आर. जूसरिया | ,, ,, ,, |
| 9. | ए. आर. चारणवास | ,, ,, ,, |
| 10. | ए. आर. दीपपुरा किमी. 0/0 से 4/0 | ,, ,, ,, |
| 11. | ए. आर. बूडसू से बरवाली | ,, ,, ,, |
| 12. | बी. टी. सड़क बूडसू से जूसरिया | एम. पी. कोटा |

परिशिष्ठ "म"

**वर्ष 1996-97 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की सूची**

| क्र. सं. 1 | सड़क का नाम 2 | योजना का नाम 3 |
|---|---|---|
| 1. | मकराना बाईपास 5.6 किमी. मकराना डी. आर. डी. ए., नागौर बोरावड़ 5.3 किमी. का सुधार कार्य | निर्बन्ध राशि योजना |
| 2. | ग्राम पंचायत बोरावड़ में सड़कों का समतलीकरण चौड़ा करवाना व अपग्रेडेशन का कार्य | " " " |
| 3. | रानी गांव से सरनावड़ा किमी. 0/0 से 3/0 | ग्रा. रो. यो. में सहायता कार्य से परिवर्तित |
| 4. | ए. आर. लादड़िया-गेलासर | ग्रा. रो. यो. |
| 5. | ए. आर. आकोदा-चाण्डी | " " " |
| 6. | ए. आर. बूकडोद | " " " |
| 7. | ए. आर. घाघनवा | " " " |
| 8. | ए. आर. सूथली कूचामन | " " " |
| 9. | ए. आर. रूपुरा | " " " |
| 10. | एस. एच. कुचामन-खाटू किमी. 136/0 से 159/0 | " " " |

## परिशिष्ट–18

(अतारांकित प्रश्न संख्या 227 का विवरण)

प्रपत्र 'ब'

### MANIKYA LAL VERMA (MLV) TEXTILE INSTITUTE, BHILWARA

Budget Statement from the year 1988-89 to 1996-97

(Rs. in lacs)

| Heads | 88-89 | 89 90 | 90-91 | 91-92 | 92-93 | 93-94 | 94-95 | 95-96 | 96-96 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Recurring Expenditure :** | | | | | | | | | | |
| Salary | — | 0 41 | 6.39 | 19.04 | 25.97 | 33.72 | 41.12 | 49.47 | 61.50 | |
| T. A. | — | 0.04 | 0.40 | 0.28 | 0.86 | 0.69 | 0.85 | 1.00 | 1.10 | |
| Medical | — | — | 0.22 | 0.28 | 0.27 | 0.60 | 0.75 | 1.19 | 1.00 | |
| Office Expenses | 0.20 | 0.57 | 1.06 | 1.20 | 1.76 | 2.93 | 4.00 | 4.60 | 4.80 | |
| Raw Material | — | — | 0.60 | 0.35 | 0.51 | 0.75 | 0.60 | 0 90 | 1.00 | |
| Maintenance of Vehicle | — | — | 0.42 | 0.61 | 0.70 | 0.61 | 0.55 | 0.70 | 0.75 | |
| Games & Sports | — | — | 0.24 | 0.40 | 0.50 | 0.72 | 0.75 | 0.75 | 0.80 | |
| Other Expenses | — | — | 0.86 | 1.49 | 2.27 | 3.61 | 3.38 | 4.65 | 4.75 | |
| Maintenance of Building | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.75 | |
| Maintenance of Furniture | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.30 | |
| Maintenance of Machinery | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.00 | |
| **Total Rec Exp.** | 0.20 | 1.02 | 10.23 | 23.65 | 32.84 | 43.63 | 52.00 | 63.26 | 79.75 | 306.58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Capital Works :** | | | | | | | | | | |
| Land | — | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | — | — | — | — | 45.00 |
| Building Construction | — | 5.00 | 65 50 | 83.55 | 92.90 | 86.00 | 103.00 | 173.00 | 100.00 | 708 95 |
| **Total Capital Works :** | — | 20.00 | 75.50 | 93.55 | 102.90 | 86.00 | 103.00 | 173.00 | 100.00 | 753.95 |
| **Non Recurring Expenses :** | | | | | | | | | | |
| Machinery Equipments | 32.25 | 50.44 | 15.03 | 21 59 | 39.01 | 43.20 | 56.50 | 21.50 | 15.75 | 295.27 |
| Furniture | 0.60 | 0.95 | 1.00 | 2.00 | 2.30 | 3.50 | 3.60 | 3.00 | 1.75 | 18.70 |
| Library Books | 0 48 | 1.00 | 1.54 | 2.00 | 2.50 | 3 90 | 5.60 | 4.00 | 2.00 | 23 02 |
| Vehicle | — | 1.39 | 4.59 | — | — | — | 2.60 | — | — | 8.58 |
| Telephone | — | — | — | — | 0.10 | — | — | — | — | 0.10 |
| Total Non-rec. | 33.33 | 53.78 | 22.16 | 25.59 | 43.91 | 60.60 | 68.30 | 28.50 | 19.50 | 345.67 |
| Rec. Exp. for New staff | — | — | — | 0.90 | 1.29 | 1.90 | — | — | 0.75 | 4.09 |
| Total Expenses | 33.53 | 74.80 | 107.89 | 143.69 | 180.94 | 182.13 | 223.30 | 264.76 | 200.00 | 1411.04 |